अष्टम माला, खंड 10, अंक 8

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1985
7 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र 1985/1907 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 28 नवम्बर, 1985/7 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 141, 144, 146, 149 से 151 और 156 से 158	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-152
तारांकित प्रश्न संख्या : 142, 143, 145, 147, 148, 152 से 155 और 159 और 160	21-28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1502 से 1520, 1522 से 1617, 1619 से 1655 और 1657 से 1708	28-152
स्वामी अग्निवेश के पासपोर्ट के बारे में वक्तव्य	156-157
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	158
राज्य सभा से संदेश	159
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	159
पहला प्रतिवेदन	159
लाभ के पदों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव	160
कार्य मंत्रणा समिति	160
चौदहवां प्रतिवेदन	160
नियम 377 के अधीन मामले	161-165
(एक) कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के बारे में दृढ़ निर्णय लेने की आवश्यकता श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	161
(दो) उड़ीसा के नयागढ़ और खुर्दा उपमंडल क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बूतांग सिंचाई परियोजा को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	161-162
(तीन) बंबई में पुराने टूटे-फूटे मकानों के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता श्री शरद दिघे	162
(चार) देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में तत्काल संशोधन करने और उनके लिए पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रो० नारायण चन्द पराशर	162-163

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) दक्षिण-पूर्व रेल के पंसकुरा और खड़गपुर स्टेशनों के बीच स्वचालित सिगनल प्रणाली लगाने का कार्य तेजी से करने और ई० एम० यू० रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता श्रीमती गीता मुखर्जी	163
(छः) दूरदर्शन पर दिन में भी समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता श्री शांताराम नायक	163-164
(सात) केरल के पथनमथिट्टा और इदुक्की जिलों में एक-एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाकर वहां दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता प्रो० पी० जे० कुरियन	164-165
(आठ) देश के गलीचा उद्योग को संरक्षण देने के लिए ऊन का निर्यात बंद करने और देश में उसका उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता श्री उमाकान्त मिश्र	165
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव [—जारी]	166-238
श्री राम प्यारे सुमन	166-222
श्री बाजुबन रियान	170-174
श्री साइमन तिग्गा	174-176
श्री आर० जीवरत्नम	176-178
श्री आर अण्णानम्बी	178-182
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	182-185
श्री राम स्वरूप राम	185-189
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	189-193
श्री शान्ताराम नायक	193-196
श्री बापूलाल मालवीय	196-199
श्री अब्दुल रशीद काबुली	199-205
श्री मूल चन्द डागा	206-212
श्री गिरिधर गोमांगो	212-213
श्री पी० पेंचालैय्या	214-215
श्री माणिकराव होडल्मा गावीत	216
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	216-220
श्री राम रतन राम	220-223
श्री राम प्यारे पनिका	223-226
श्री एम० एल० फिकराम	226-228
श्री जुझार सिंह	228-230
श्री एस० बी० सिदनाल	230-232
श्री कमोदी लाल जाटव	232-233
श्री मनकूराम सोडी	233-234
श्री बनवारी लाल पुरोहित	235-236
श्री के० एस० राव	236-238

लोक सभा

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1985/7 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11.05 म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय : कल छुट्टी थी, इसलिए आज भी छुट्टी मनाने की मंशा तो नहीं है ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में भारतीय स्मारकों को शामिल करना

*141. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन से किन्हीं भारतीय स्मारकों को विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो जिन स्मारकों के बारे में ऐसी सिफारिश की गई है उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं और उन स्मारकों के क्या नाम हैं जिन्हें पहले उस सूची में शामिल किया जा चुका है; और

(ग) उक्त सूची में उल्लिखित स्मारकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यूनेस्को की विश्व विरासत समिति, विश्व विरासत सूची में शामिल स्मारकों के परिरक्षण के लिए सहायता हेतु, सदस्य राज्यों के अनुरोधों पर विचार करती है। हालांकि भारत ने अब तक विश्व विरासत समिति से कोई सहायता नहीं मांगी है, फिर भी यूनेस्को के सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की गई है।

विवरण

(i) शामिल करने के लिए अनुशंसित

स्मारक	राज्य
1. लाल किला, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
2. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
3. कुतुब मीनार, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
4. गोआ में गिरजाघर और मठ	संघ शासित क्षेत्र
5. लोथल में उत्खनित अवशेष	गुजरात
6. मारतण्ड मंदिर	जम्मू और काश्मीर
7. बीजापुर में गोल गुम्बज	कर्नाटक
8. ऐहोल में स्मारक	कर्नाटक
9. पट्टादकल में स्मारक	कर्नाटक
10. हम्पी में स्मारक समूह	कर्नाटक
11. खजुराहो मंदिर समूह	मध्यप्रदेश
12. अजन्ता की गुफाएं	महाराष्ट्र
13. एलोरा की गुफाएं	महाराष्ट्र
14. एलिफेन्टा की गुफाएं	महाराष्ट्र
15. कारला की गुफाएं	महाराष्ट्र
16. सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
17. चित्तौड़गढ़ किला और स्मारक, चित्तौड़गढ़	राजस्थान
18. कालीबंगा में उत्खनित अवशेष	राजस्थान
19. महाबलिपुरम में स्मारक समूह	तमिलनाडु
20. बृहदीश्वर मंदिर, तंजाबूर	तमिलनाडु
21. आगरा किला, आगरा	उत्तर प्रदेश
22. ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश
23. अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा	उत्तर प्रदेश
24. इत्माद-उद्दौला मकबरा, आगरा	उत्तर प्रदेश
25. फतेहपुर सीकरी में स्मारक समूह	उत्तर प्रदेश

(ii) अब शामिल कर लिए गए हैं (ऊपर की सूची में से)

स्मारक	राज्य
1. ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश
2. आगरा किला, आगरा	उत्तर प्रदेश
3. अजन्ता की गुफाएं	महाराष्ट्र
4. एलोरा की गुफाएं	महाराष्ट्र
5. सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
6. महाबलिपुरम में स्मारक समूह	तमिलनाडु

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, मुख्यतः यह प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिया जाता है, और हम पहले ही कुछ लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जो इस प्रकार हैं :

वर्ष 1976 के दौरान दो विशेषज्ञों ने अजन्ता की गुफाओं के भित्ति चित्रों के संरक्षण का अध्ययन किया और अपने तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए । जैसा कि पहले बताया गया है कि इन दो विशेषज्ञों ने न केवल अजन्ता की गुफाओं का अध्ययन किया अपितु कोणार्क की समस्याओं का भी अध्ययन किया और अपने तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए ।

राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ, भारत और पड़ौसी देशों की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है । सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और उसे बनाए रखने के संबंध में अध्ययन करने संबंधी रोम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रों में भारतीय संरक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन्हें स्कालरशिप भी दी जाती है । मेरे पास 10-12 ऐसे अधिकारियों के नाम हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है । एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्रों की सुरक्षा के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इसका आयोजन 1983 में किया गया था और इसे वित्तीय सहायता यूनेस्को से प्राप्त हुई और तकनीकी सहायता आई० सी० सी० आर० ओ० एम० द्वारा दी गई ।

महोदय, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके संबंध में हमें सहायता प्राप्त हुई ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, विवरण सूची में 25 परियोजनाओं का नाम है जिनमें से यूनेस्को को विशिष्ट मामलों पर विचार करना है । क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के दो महत्वपूर्ण मठों अर्थात क्ये और टाबो, जिन्हें उनमें बने चित्रों के कारण उत्तर के अजन्ता कहा जाता है, और जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी पूरा एक दिन बिताया था, तथा जो हाल ही में आए भूचाल के कारण नष्ट हो गए थे, उनको भी इस सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पश्चिम भारत की अजन्ता गुफाओं को सूची में शामिल कर लिया गया है, अब हम उत्तर भारत की अजन्ता की सूची में शामिल करेंगे ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जिन स्मारकों को सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, उनकी सूची में मैंने देखा है कि दो महत्वपूर्ण पिरामिडों और वास्तुकला केन्द्रों जो अपने वास्तुकला की गरिमा के लिए प्रसिद्ध हैं यथा कर्नाटक स्थित बेलूर और हालेबिड़ को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा प्रमादवश किया गया है या···?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : भारत में स्थित स्मारकों की, जिन्हें संभवतया सहायता की आवश्यकता है, तुलना में बहुत कम स्मारकों को मंजूरी दी गई है । लेकिन फिर भी, 25 में से केवल 6 के लिए सहायता की मंजूरी दी गई है और तीन स्मारक विचाराधीन हैं । मुझे अधिक

नाम भेजने और अनुरोध करने में कोई एतराज नहीं है, किन्तु हमें पता लगाना होगा कि क्या यूनेस्को को इस समय जिन बाधाओं/कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए यह सब करना संभव होगा। मैंने माननीय सदस्य के मुद्दे पर ध्यान दिया है और हम देखेंगे कि उपयुक्त समय में इसे भी सूची में शामिल करने के लिए क्या किया जा सकता है।

ठाणे-मानखुर्द बेलापुर रेल पुल परियोजना

*144. **श्री शरद दिघे** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की यह शर्त स्वीकार कर ली है कि ठाणे-मानखुर्द बेलापुर परियोजना के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर का अंशदान किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या 2 किलोमीटर लम्बे ठाणे क्रीक रेल पुल जो मानखुर्द बेलापुर परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, के डिजाइन और निर्माण हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मानखुर्द-बेलापुर परियोजना की लागत 50:50 के आधार पर वहन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ठाणे क्रीक पर रेल पुल के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

श्री शरद दिघे : महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि ठाणे क्रीक रेल पुल के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। क्योंकि मानखुर्द बेलापुर रेलवे लाइन न्यू बम्बई और बम्बई के जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लाइन है, जिससे जहां तक जनसंख्या और उद्योगों का भी संबंध है, बम्बई में भीड़-भाड़ कम होगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस परियोजना के लिए, जिसकी अनुमानित लागत 120 करोड़ रुपए लगाई गई है, समय-समय पर बहुत कम राशि की मंजूरी दी गई है। यहां तक कि पिछले रेल बजट में भी केवल 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे जो अन्ततः मद्रास की ही ऐसी परियोजना के लिए दे दिए गए थे और महाराष्ट्र के कुछ संसद सदस्यों द्वारा विरोध करने पर वह राशि पुनः प्राप्त की गई। फिर भी रेलवे बोर्ड ने यह निर्देश जारी किए कि इस धनराशि का प्रयोग निर्माण कार्य के लिए न किया जाए। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस सभा को आश्वासन देंगे कि इसके लिए अगले रेलवे बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री बंसी लाल : राशि आवंटित करना योजना आयोग पर निर्भर करता है।

श्री शरद दिघे : मेरा अगला प्रश्न यह है कि सी० आई० डी० सी० ओ० ने इस परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को बिना ब्याज के 7 करोड़ रुपए ऋण देने की पेशकश की है। क्या आप उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इस परियोजना को तुरन्त आरम्भ करेंगे ?

श्री बंसी लाल : महोदय, यह प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा रखा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे स्वीकार नहीं किया।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या मंत्री महोदय क्या इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने, जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, सदन में तथा सदन से बाहर भी

यह बात कही है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जैसे महानगरों में यदि भीड़-भाड़ को कम करना है तो इन बड़े नगरों की सीमाओं पर उप-नगर बसाये जाने चाहिएं।

प्रो० एन० जी० रंगा : दिल्ली में भी।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, मैंने अपनी बात दिल्ली से शुरू की थी। हम दिल्ली में बैठकर यह बात कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन महानगरों के बाहर जो कि बहुत भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हैं, उप-नगर बसाए जाने चाहिएं ताकि हम इन बड़े नगरों की जनसंख्या को उधर बसा सकें। प्रधानमंत्री महोदय जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या आप यह देखने के लिए उनके साथ बातचीत चलायेंगे कि इस सभा में योजना आयोग अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और इस विशेष परियोजना के लिए अधिक धनराशि की मंजूरी दी जाए ताकि उनका स्वप्न पूरा किया जा सके ?

श्री बंसी लाल : हम पहले ही अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम

*146. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग-निर्देश कब दिए गए थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शांताराम नायक : महोदय, शिक्षा के माध्यम को किसी भी शिक्षा नीति का मूल प्रश्न माना जाता है। विशेष रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि हम शिक्षा के संबंध में एक के बाद एक नीति बनाते जा रहे हैं, और यह ठीक भी है कि जहां तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का माध्यम कभी निर्धारित नहीं किया गया और जहां तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, क्या सरकार नई शिक्षा नीति में इसका माध्यम निर्धारित करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। वास्तव में सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं। अभी तक यहां शिक्षा प्रक्रिया का यह काम राज्य सरकारों के हाथ में रहा है, किंतु एन० सी० ई० आर० टी० ने हाल ही में इसका अध्ययन किया और उन्होंने यह परिणाम निकाले हैं कि यह माध्यम मातृ भाषा में होना चाहिए।

श्री शांताराम नायक : मैं सरकार की नीति जानना चाहता हूं। क्या सरकार यह समझती है कि जहां तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होनी चाहिए ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एन० सी० ई० आर० टी० ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं और यदि सरकार ने उन्हें यह अधिकार न दिया होता तो वह मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं कर.

सकती थीं।

श्री शांताराम नायक : सरकार शिक्षा के माध्यम संबंधी नीति के कार्यान्वयन के संबंध में क्या करने जा रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सरकार मार्गदर्शी सिद्धांतों से सहमत है और स्वाभाविक है कि जो भी सिद्धांत जारी किए गए हैं, हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उन्हें कार्यान्वित किया जाए। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि शहरों तथा अब छोटे गांवों में भी अंग्रेजी माध्यम के कई स्कूल खुल गए हैं जिनमें अंग्रेजी माध्यम के पूर्व-प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : और उनकी अंग्रेजी भी निम्न स्तर की है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इससे सहमत हूं। किंतु इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा और यह विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा अथवा सरकार की नीति के अंतर्गत चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूल किस हद तक विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं और माता-पिता किस हद तक इनसे संतुष्ट हैं। इसमें कई पहलू जुड़े हुए हैं और हम इन सब पर विचार करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि सरकार मातृ भाषा में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझ पाई है। वास्तव में यदि पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा की बजाए कुछ और भाषा रखा जाता है तो इससे बच्चे के सोचने के ढंग पर असर पड़ेगा, यह बच्चे के मानसिक विकास के लिए बाधक है। माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे पूर्व-प्राथमिक पब्लिक स्कूलों में क्यों भेजते हैं, इसका कारण यह है उन पूर्व प्राथमिक स्कूलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती जिनका माध्यम मातृ-भाषा होती है और न ही सरकार उन्हें समुचित प्रोत्साहन दे रही है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को, विशेष रूप से जिनका शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा है, नई शिक्षा नीति में सहायता प्रदान करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एक सीधी सी बात है। आप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को छोड़िए प्राथमिक शिक्षा में क्या हो रहा है। हमने गांव में एक प्राथमिक स्कूल खोला और आज भी वहां एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, और जहां लोग अधिक फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हमें इस तरह के वास्तविक दृष्टिकोण से निपटना पड़ता है। यह केवल पूर्व-प्राथमिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत व्यापक दृष्टिकोण है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा।

श्री ए० ई० टी० बैरो : क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा के माध्यम के अतिरिक्त तंत्रिका मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाषाएं सिखाने का सबसे अच्छा समय बचपन की सात या आठ वर्ष की आयु तक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : स्कूलों में दूसरी और तीसरी भाषा कब सिखाई जाए इस संबंध में विभिन्न मत हैं। यह अलग बात है और यह इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले से ही जो नीति स्वीकार की गई है उसके अनुसार पढ़ाई मातृ-भाषा में शुरू की जानी चाहिए। अन्य भाषाएं कब सिखाई जाएं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परिपाटियां अपनाई जा रही हैं और विशेषज्ञों की राय भी इस संबंध में भिन्न-भिन्न है।

केरल में तटवर्ती रेल

*149. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण केरल में तटवर्ती रेल का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का कुल परिव्यय क्या है;

(घ) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय-सीमा का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) एर्णाकुलम और अल्लेप्पी के बीच नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य चल रहा है और 1985-86 के दौरान इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। कायनकुलम तक इस लाइन के विस्तार का काम एक अनुमोदित कार्य है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसकी भौतिक प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। इस संयुक्त परियोजना पर सितम्बर, 85 तक खर्च की गयी कुल राशि लगभग 16 करोड़ रुपए है।

(घ) से (च) संसाधनों की बेहद तंगी को देखते हुए, विशेषकर नयी लाइनों के निर्माण के लिए इस समूची परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत ही निराशाजनक है। इस तथ्य के बावजूद भी कि सरकार ने इस नई रेल लाईन के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किये हैं; इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर इस तरह से परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। जब आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो आप को कुछ न कुछ हिसाब तो लगाना ही चाहिए कि कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा। मंत्री जी ने सदन में यह स्वीकार किया है कि उनको इस बात का कोई पता नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा होगा। मेरे विचार से यह अच्छी बात नहीं है विशेषकर जब कि इतने पैसे खर्च किये जा चुके हों और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नही कहना चाहता हूं। महोदय, आपको भी मालूम होगा कि इस रेल लाइन के लिये इतना ज्यादा पैदा पहले ही खर्च किया जा चुका है। इसके लिये भूमि भी ले ली गई है। यद्यपि, पिछले वर्ष आपने मात्र एक हजार रुपये इन परियोनाओं के लिए और दिये हैं। यह कोई नयी परियोजना नहीं है। यह चालू परियोजना है। मैं सरकार को उसके द्वारा की गई उद्घोषणा की याद दिलाऊंगा कि चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस परियोजना को क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई तथा इस रेल लाइन के लिये क्यों नहीं धनराशि आबंटित की गई। क्या मैं जान सकता हूं। क्या सरकार इस परियोजना को महत्व देगी तथा अगले बजट में इस परियोजना को ज्यादा धनराशि देगी ?

श्री बंसी लाल : मैं नहीं कह सकता कि अगले बजट में कितनी राशि आवंटित की जायेगी ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी मुझसे सहमत हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । मैं जानना चाहता हूं क्या वह मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे ।

श्री बंसी लाल : मैं उनके निवेदन पर विचार करूंगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे निवेदन को स्वीकार करने लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं अर्थात 'सहानुभूतिपूर्ण' विचार ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री श्री बंसी लाल जी अपनी बात के पक्के हैं यह सर्वविदित है । और मुझे विश्वास है कि वह अपनी बात पर अडिग रहेंगे । केरल राज्य की बहुत सी शिकायतें हैं कि केरल में रेल लाईन अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है । हाल ही में केरल में 'रेल रोको' नाम का आन्दोलन चला था । वहां एक लाख लोगों के लिये औसतन रेल लाईन 4 किलोमीटर पड़ती है जबकि देश में औसतन रेल 10 किलोमीटर प्रति लाख है । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या सरकार आने वाले वर्षों में कोचीन तथा मदुरई के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करेगी । केरल सरकार इस प्रस्ताव की सिफारिश पहले ही कर चुकी है ।

श्री बंसी लाल : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं प्रो० कुरियन की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि रेल लाईनों के बिछाने के संबंध में केरल काफी पीछे है । कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम के बीच दोहरी रेल लाईनें बिछाने के बारे में एक प्रस्ताव पहले ही सरकार के पास विचाराधीन है । यह पिछले दस वर्षों से पड़ा हुआ है । इसमें बहुत ही बाधाऐं हैं । इस समय केरल में सिर्फ एक बड़ी लाईन है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम के बीच की रेल लाईन को दोहरा करने पर विचार करेंगे ?

श्री बंसी लाल : महोदय, इस प्रश्न से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यापकों के बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्तियां देने के लिए आय की अधिकतम सीमा

*150 **श्री ए० चार्ल्स :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों के बच्चों, को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्तियां देने के लिये अध्यापकों की वार्षिक आय की निर्धारित अधिकतम सीमा क्या है और उक्त अधिकतम सीमा किस वर्ष में निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में अध्यापकों के वेतनमानों में हुई काफी वृद्धि को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त छात्रवृत्तियां अध्यापकों के बच्चों को, उनके माता-पिता की आय को देखकर नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा को ध्यान में रखकर दी जाती हैं, उक्त अधिकतम सीमा को बढ़ाने अथवा समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय वर्ष 1961-62 से 1978-79 तक स्कूली शिक्षकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की एक योजना चलाता रहा है। इस योजना उद्देश्य यह था कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के मेधावी बच्चे उत्तर मैट्रिक स्तर से उच्च अध्ययन जारी रख सकें। यह एक योग्यता एवं साधन योजना थी जिसके अन्तर्गत उन मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थीं जिनके अभिभावकों की आय प्रतिवर्ष 6,000 रु० से अधिक नहीं थी। यह योजना वर्ष 1979-80 से राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दी गई थी। तब से अब तक यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सीधे चलाई जा रही है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने बजट में इस योजना के लिये उस वर्ष से कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। यह योजना चूंकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। अत: केन्द्रीय सरकार को इस योजना से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, 6,000 रुपए की सीमा काफी वर्षों पहले निर्धारित की गई थी तथा सभी राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान में का ी वृद्धि की जा चुकी है। 6,000 रुपए की सीमा पर्याप्त नहीं है तथा इस योजना के तहत किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कुछ महीने पहले इसमें कुछ असामान्य स्थिति के बारे में मैंने शिक्षा मंत्रालय को बताया था। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री से मुझे लिखित जवाब मिला था कि इन असंगतियों तथा अन्य पहलुओं पर केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं क्या पुन:परीक्षण अभी भी किया जा रहा है तथा क्या मंत्रालय छात्रवृत्तियों को देने के लिये माता-पिता की आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने वाले कुछ मोटे रूप से मार्ग-दर्शक सिद्धांतों को बताएगा ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : उन्होंने जिस प्रश्न तथा जवाब का उल्लेख किया है, मैं उन्हें अवश्य ही विस्तार से देखना चाहूंगा। परन्तु इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। मैं उस बात को अभी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस योजना को इस समय केन्द्र सरकार नहीं चला रही है। इसे सिर्फ राज्य सरकारें तथा केन्द्र शासित प्रदेश ही चला रहे हैं। माननीय सदस्य की ओर आमतौर से सारी सभा की यह जो इच्छा है कि इस 6,000 रुपये की सीमा को बढ़ाया जाए तो, हम इस बात को राज्य सरकारों तक पहुंचा देंगे।

श्री ए० चार्ल्स : राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय स्तर पर दी जानी चाहिएं। यह कहना एकदम गलत है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान करना राज्यों का उत्तरदायित्व है जबकि हम देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की बात करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता छात्रवृत्तियां दिलाने के लिये कोई योजना तैयार करेंगे ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : यह बात सही है कि इसमें गलती हुई है। यह प्रश्न उस योजना का उल्लेख करता है जोकि पहले केन्द्र सरकार संचालित करती थी परन्तु 1979 में

राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई। एक और योजना है जिसका पूरा नाम है 'राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना' जोकि अभी भी केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही है उसके बारे में भी 6,000 रुपए की सीमा को बढ़ा दिया गया है तथा यह बात मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अभी-अभी जो बात कही गई है उस पर कितनी जल्दी फैसला किया जाएगा ? इस समय मुद्रा-स्फीति एवं वेतन-वृद्धि के कारण बहुत ही कम लोग फायदा उठा पाते हैं। एक तो यह है कि बहुत से मामलों में यह अत्यन्त आवश्यक है। इस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसे ही व्यवहार्य होगा, क्योंकि इसका अर्थ हुआ, ज्यादा पैसा, ज्यादा परिव्यय। हम जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेंगे।

सातवीं योजना के दौरान हल्दिया पत्तन का विकास

*151 **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के दौरान हल्दिया पत्तन के विकास के लिये उनके मंत्रालय के क्या प्रस्ताव हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

हल्दिया पत्तन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में शामिल विकास योजनाएं :

क्रम सं० योजना का नाम

क. जारी योजनाएं

1. अतिरिक्त लोकोमोटिवों की खरीद।
2. कोंटेनर यार्ड और वैक अप क्षेत्र में हार्डस्टैंडिंग।
3. कोयला हैंडलिंग संयंत्र चरण-II का संशोधन करना।
4. समुद्र मरम्मत कार्यशाला।
5. रिहायशी मकानों वाला एक नया अस्पताल भवन।
6. प्रशासनिक भवन का निर्माण।
7. चिरंजीवपुर में अतिरिक्त मकानों का निर्माण।
8. डॉक और टाउनशिप में प्रकाश-व्यवस्था।
9. पत्तन मजदूर प्रशिक्षण योजना।
10. शेष भूमि की खरीद।
11. डर्टी स्लोप्स के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ख) नई योजनाएं :

(I) प्रतिस्थापन

1. प्रतिस्थापन के रूप में दो लोकोमोटिव।

(II) आधुनिकीकरण

1. अयस्क और कोयला हैंडलिंग संयंत्र का संशोधन।

2. धूल नियंत्रण व्यवस्था और शिपलोडिंग शूट्स का संशोधन ।
3. रेलवे यार्ड की क्षमता बढ़ाना ।
4. उर्वरक हैंडलिंग प्रणाली में अवशिष्ट कार्य ।
5. मौजूदा तेल घाट को मजबूत करना ।
6. गोदियों में अग्निशमन व्यवस्था करना ।
7. गोदियों के अन्दर और बाहर सड़कों का निर्माण ।
8. गोदियों और रिहायशी क्षेत्रों के अन्दर पानी की व्यवस्था करना और इस व्यवस्था को राज्य सरकार की योजना से जोड़ना तथा दूसरे स्पाइन में मल निकास आदि ।

(ख) (III) **वृद्धि करना**

1. ट्रैक्टर टगों वाली दूसरी तेल जेट्टी ।
2. अतिरिक्त जनरल कार्गो बर्थ ।
3. जनरल कार्गो के लिए अतिरिक्त कवर्ड स्टोरेज शेड ।
4. पी०ओ०एल० के लिये दूसरी बार्ज जेट्टी ।
5. नदी बांध की सुरक्षा ।
6. मौजूदा कोंटेनर टर्मिनल का विस्तार करना ।
7. चिरंजीवपुर और टाउनशिप में रिहायशी मकान ।
8. आधारभूत सुविधाओं और यातायात की संख्या में सुधार करना ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया पत्तन के विकास पर कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा मदवार ब्यौरे क्या हैं ?

श्री बंसी लाल : सातवीं योजना के दौरान हल्दिया पत्तन पर 62 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा जो कार्य किये जाने हैं उनकी सूची सभापटल पर प्रस्तुत की गई है ।

श्री सत्यगोपल मिश्र : हल्दिया पत्तन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हुगली नदी के डुबाव में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ।

श्री बंसीलाल : हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं तथा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

एक माननीय सदस्य : इस तरह के जवाब के लिए हमें पुरस्कार देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त उत्तर के लिये ?

प्रो० मधु दण्डवते : संक्षिप्तता हाजिर जवाबी की आत्मा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 152 डा० गौरी शंकर राजहंस··· अनुपस्थित ।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद—अनुपस्थित । प्रश्न संख्या 153— श्री टी० बाला गौड भी अनुपस्थित ।

[**हिन्दी**]

क्यों कष्ट करते हैं ? क्यों कष्ट करवाते हैं हमें ?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : आपको इन सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता क्यों ये लोग प्रश्न पूछने का कष्ट करते हैं तथा हम सभी को परेशान करते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे इस आशा में प्रश्न देते हैं कि उनके प्रश्न को बैलट में कोई स्थान नहीं मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

फ्लाइंग क्लब

* 156. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने फ्लाइंग क्लब हैं (राज्य-वार उनके नाम क्या हैं);

(ख) मंत्रालय इन क्लबों को क्या सुविधायें दे रहा है; और

(ग) सरकार विमान यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में विमान चालकों और मेन्टेनेन्स इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इस समय देश में 26 फ्लाइंग क्लब हैं । क्लबों के नामों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ख) नागर विमानन विभाग द्वारा इन क्लबों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(i) प्रति घंटा राज सहायता/वार्षिक सहायता के भुगतान की दर, जो उड़ान प्रशिक्षण, शौकिया उड़ान और विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य किसी भी स्कीम के लिए समय-समय पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं ।

(ii) उपलब्ध होने पर प्रशिक्षण के लिए नागर विमानन महानिदेशक द्वारा विमान उधार दिया जाना; और

(iii) हवाई अड्डों पर 1 रुपया प्रति वर्ष की दर से नाममात्र की लाइसेंस फीस की अदायगी पर भूमि और भवनों के लिए लाइसेंस की मंजूरी ।

(ग) अब तक क्लबों द्वारा कमर्शियल पायलेट लाइसेंस के स्तर तक दिए जा रहे उड़ान प्रशिक्षण के अलावा, सरकार अब पायलेटों के प्रशिक्षण के लिए फुरसतगंज (उत्तर प्रदेश) में "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी" नामक एक केन्द्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना कर रही है । वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए अब तक आठ स्कूल अनुमोदित किए गए हैं । प्रत्येक स्कूल हर एक समूह में 30 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है ।

अनुलग्नक

देश के विभिन्न राज्यों में स्थित फ्लाइंग क्लबों के नाम

क्रम सं०	फ्लाइंग क्लबों का नाम	राज्य का नाम
1.	दी आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	दी आसाम फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, गौहाटी	आसाम
3.	* दी बिहार फ्लाइंग इंस्ट्रीट्यूट, पटना	बिहार
4.	दी जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, जमशेदपुर	बिहार
5.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	दिल्ली
6.	दी गुजरात फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, बड़ौदा, गुजरात	गुजरात
7.	दी केरल एविएशन ट्रेनिंग सैन्टर, त्रिवेन्द्रम	केरल
8.	*गवर्नमैंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर	कर्नाटक
9.	दी हिसार एविएशन क्लब, हिसार	हरियाणा
10.	दी करनाल एविएशन क्लब, करनाल	हरियाणा
11.	दी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, इन्दौर	मध्य प्रदेश
12.	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब, रायपुर	मध्य प्रदेश
13.	* गवर्नमैंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर	उड़ीसा
14.	दी अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर	पंजाब
15.	दी लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना	पंजाब
16.	नादर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालन्धर छावनी	पंजाब
17.	दी पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला	पंजाब
18.	* राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	राजस्थान
19.	दी बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब, बनस्थली	राजस्थान
20.	दी मद्रास फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, मद्रास	तमिलनाडु
21.	कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, कोयम्बतूर	तमिलनाडु
22.	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब, लिमिटेड, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
23.	* गवर्नमैंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सैन्टर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
24.	* गवर्नमैंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेहाला	पश्चिम बंगाल
25.	दी बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई	महाराष्ट्र
26.	दी नागपुर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, नागपुर	महाराष्ट्र

* राज्य सरकार संस्थान/स्कूल/केन्द्र

श्री विजय एन० पाटिल : बढ़ते हुए हवाई यातायात एवं नये वायुमार्गों को शुरू करने के सरकारी प्रस्ताव और सेवा में वृद्धि के लिए एयर टैक्सी की आवश्यक अनुमति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों/कंपनियों के लिए बड़ी संख्या में पायलटों की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन फ्लाइंग क्लबों के माध्यम से पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए

छोटे वायुयान अधिक संख्या में खरीदने का प्रस्ताव कर रही है क्योंकि विद्यमान फ्लाइंग क्लबों के पास अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए इस समय पर्याप्त मात्रा में वायुयान उपलब्ध नहीं हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : सरकार की किसी भी तरह के छोटे विमान खरीदने की कोई योजना नहीं है। परन्तु सरकार फुरसतगंज में एक फ्लाइंग अकादमी शुरू कर रही है और यह अकादमी भविष्य की आवश्यकताओं को साकार करने के लिए यह निर्णय लेगी कि इस संबंध में कौन सा विमान खरीदा जाये।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, एयरो क्लब आफ इंडिया और नागर विमानन के महानिदेशक इन क्लबों के संचालन पर नियंत्रण रख रहे हैं तथा वे इस समय इन नये फ्लाइंग संस्थानों की व्यवस्था पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। विमानन क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले नये लोगों को जो पायलट और अनुरक्षण अभियन्ताओं के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, बहुत अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु इसके साथ-साथ एयरो क्लब/फ्लाइंग क्लबों को और अधिक सुविधायें देने के लिए योजना में क्या कोई प्रावधान किया गया है।

श्री जगदीश टाइटलर : जहां तक इन लड़कों को, जो जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, सुविधायें देने का प्रश्न है, सरकार पहले ही उड़ान सम्बन्धी खर्चों के रूप में बहुत सुविधायें दे रही है। परन्तु फुरसत गंज के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी में फ्लाइंग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने, राज्य सरकार के पायलटों के लिए नवीकर पाठ्यक्रम, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों के लिए नवीकर पाठ्यक्रम तथा विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा। यह अकादमी रिहायशी होगी और इसमें 80 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की सुविधा होगी। हमें आशा है कि यह अकादमी 1 जून, 1986 में शुरू हो जायेगी। इसमें संदेह नहीं है कि एयरो क्लब जिसका भारत सरकार में भी प्रतिनिधित्व है, वायुयान खरीदने के लिए धन दे रहा है और वह धन पर्याप्त होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रश्न के भाग (ग) से मेरा अनुपूरक प्रश्न संबंधित है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और वहां पर कुछ छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वे छात्र मांग करते रहे हैं कि उनके पाठ्यक्रम के स्तर को कुछ रूप भेद के साथ डिग्री स्तर तक कर दिया जाये। बहुत समय से ऐसा चल रहा है। क्या आप इस संबंध में विचार कर रहे हैं? क्या सरकार पाठ्यक्रम में सुधार करने और उसे डिग्री स्तर का बनाने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है?

श्री जगदीश टाइटलर : हम जहाज की उड़ानों से संबंधित प्रत्येक बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। परन्तु सरकार चाहेगी कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इस संबंध में सरकार से बात करे ताकि सरकार इस विषय पर विचार कर सके।

श्री के० एस० राव : जैसा कि सिद्ध हो चुका है कि भारतीय पायलट बहुत कुशल हैं। क्या मंत्री महोदय अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाने तथा कुशल पायलटों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कुछ और संस्थान खोलने पर विचार करेंगे?

श्री जगदीश टाइटलर : हमारे भारतीय पायलटों को प्राप्त होने वाले अवसरों के सम्बन्ध में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं।

श्री सी० पी० ठाकुर : इस समय कितने प्रशिक्षित पायलट बेरोजगार हैं ? केन्द्र द्वारा स्थापित हवाईपत्तन प्राधिकरण.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात विद्यमान प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

भूमिगत जल भंडारों का उपयोग

*157. **श्री राम रघुमा रेड्डी** :

श्री रामपूजन पटेल* : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिगत जल भंडारों का पता लगाया है/पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो किए गए ऐसे अध्ययन का ब्यौरा क्या है और ऐसे अध्ययन के अन्तर्गत राज्य-वार किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमिगत जल भण्डारों का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : केन्द्रीय भू-जल बोर्ड भू-जल स्रोतों के स्वरूप और आकार, आगे विकास के लिए उनकी उत्पादन क्षमता, जल की गुणवत्ता निर्धारित करने तथा भू-जल विकास की स्कीमें तैयार करने के लिए मूल आंकड़े प्रदान करने हेतु जल भू-विज्ञानी सर्वेक्षण तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कर रहा है । देश के कुल 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से मार्च, 1985 तक केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अन्तर्गत 20.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर किया गया था तथा 5197 अन्वेषणात्मक बोर-होल्स ड्रिल किए गए थे । राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है :

क्षेत्रीय जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग

क्रम सं०	राज्य	जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण		अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग	
		क्षेत्र (वर्ग किमी० में)	मार्च 1985 तक कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी० में)	ड्रिल किये जाने वाले बोर-होल्स की अनुमानित संख्या	मार्च, 1985 तक ड्रिल किये गये बोर-होल्स की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,75,068	1,62,225	1,650	642
2.	असम	78,438	65,845	320	134
3.	बिहार	1,73,877	1,70,049	1,400	179
4.	गुजरात	1,96,024	1,29,379	900	392

1 2	3	4	5	6
5. हरियाणा	44,212	44,212	500	464
6. हिमाचल प्रदेश	55,673	24,293	200	38
7. जम्मू और कश्मीर	2,22,236	28,505	200	130
8. कर्नाटक	1,91,791	1,06,119	1,100	269
9. केरल	38,863	35,970	300	103
10. मध्य प्रदेश	4,43,446	1,27,910	3,100	521
11. महाराष्ट्र	3,07,690	1,44,631	1,700	288
12. मणिपुर	22,327	6,600	30	10
13. मेघालय	72,429	8,500	150	16
14. नागालैंड	16,579	2,850	80	12
15. उड़ीसा	1,55,707	1,35,483	1,310	122
16. पंजाब	50,367	50,362	450	257
17. राजस्थान	3,42,239	3,22,676	1,500	553
18. सिक्किम	7,096	1,075	20	4
19. तमिलनाडु	1,30,058	72,670	700	297
20. त्रिपुरा	10,486	10,477	80	51
21. उत्तर प्रदेश	2,94,411	2,72,559	1,500	460
22. पश्चिम बंगाल	88,752	84,223	500	120
कुल राज्य	31,67,769	20,06,613	17,690	5,062
कुल संघ राज्य	1,19,499	25,107	310	135
सम्पूर्ण जोड़	32,87,268	20,31,720	18,000	5,197

(ग) जल एक राज्य विषय है तथा भू-जल संसाधनों के उपयोग की स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। तथापि, मेक्रो-लेवल जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा भू-जल के लिये समन्वेषी ड्रिलिंग के अतिरिक्त, भू-जल क्षमता के तेजी से विकास में राज्यों की मदद करने के लिए, भू-जल के उपयोग के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों से ऋण प्राप्त करने हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों को सहायता दे रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी संचालित कर रही है, जिसके अन्तर्गत भू-जल के विकास में तेजी लाने के लिये ड्रिलिंग रिगों तथा अन्य उपस्करों की खरीद के लिए राज्यों को समकक्ष आधार पर सहायता देती है।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न से संबंधित सर्वेक्षण के विषय में बहुत विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है और पार्ट (सी) के संबंध में बताया है कि यह प्रदेश सरकार

से संबंधित है। मैं इससे सहमत हूं लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि भूमि के नीचे से जो पानी निकाला जा रहा है, उस का कुछ समय के बाद इस धरती पर क्या असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पानी का धरातल जो ऊपर है, जो नलकूप लगाए जाते हैं, उन से वह धरातल नीचे होता चला जाता है और कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई स्कीम बना रही है जिससे जो ऊपरी तल है पानी का, वह धरातल बहुत नीचे न हो और लोगों को पीने के लिए पानी मिलता रहे और निजी नलकूप चलते रहें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बरसात में जो पानी बरसता है, उसका भंडारण करके इस समस्या को हल करने के लिये क्या सरकार कोई स्कीम बना रही है अगर कोई स्कीम है, तो और उसका ब्यौरा क्या है, यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, प्रश्न देश के भूमिगत जल के सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमने देश के कुल 32,87,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 20,31,720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कार्य पूरा कर लिया है और बाकी क्षेत्र पर सातवीं योजना के अंत तक कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है। हमें आशा है कि संपूर्ण अन्वेषण कार्य तथा सर्वेक्षण 1995 तक पूरा हो जाएगा।

माननीय सदस्य ने भूमिगत जल निकालने से पड़ने वाले असर के बारे में पूछा है। अनुभव यह है कि जो कुल जल हमें वर्षा इत्यादि से प्राप्त होता है और जो जल हम प्रयोग करते हैं, अर्थात भूमिगत जल, उसकी मात्रा बराबर नहीं है। यह अनुभव किया गया है कि भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से भूमिगत जल स्तर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है। अतः हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम जितना जल प्रयोग करते हैं उसी अनुपात में उसकी पूर्ति भी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : समान मात्रा में।

[हिन्दी]

श्री रामपूजन पटेल : मैंने यह भी पूछा था कि जो बरसात का पानी बरसता है और बेकार चला जाता है और हमारे किसी प्रयोग का वह नहीं होता है और उसके कारण बाढ़ें भी आती हैं और हर साल हमारे लिये समस्या पैदा हो जाती है, उसके लिये क्या सरकार कोई योजना बनायेगी, जिससे गांवों में लोगों को तालाब बनाने के लिये बढ़ावा मिले और जो लोग तालाब बनवाएं, उनको सरकार कम्पेंसेट करे और उसका कुछ खर्च दे। मैं समझता हूं कि इस से समस्या हल हो सकती है। माननीय मंत्री जी इस का सर्वेक्षण करा कर इस पर विचार करें। इस से लोगों का हित होगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ग्राम-स्तर पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या राजस्थान के रेगिस्तान में भूमिगत जल का प्रयोग करने के लिए बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

श्री बी० शंकरानन्द : वास्तव में वही सर्वेक्षण कार्य हम कर रहे हैं। हम सारे देश में भूमिगत जल की स्थिति का सर्वेक्षण कर रहे हैं और अन्वेषण कार्य में राजस्थान को भी शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने मेरे लिए प्रश्न पूछा है।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : महोदय, उन्होंने घोषणा की है कि पद्मश्री दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब, मुझे पद्म श्री के लिए उनकी ओर संकेत करना पड़ेगा।

श्री अब्दुल गफूर : अब आप पद्मश्री उनको दे दें।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय, जो किसान सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें भूमिगत जल निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। अतः जल स्तर अपने आप गिरता चला जाता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें फिर से उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जो जल हम निकाल रहे हैं उसकी पूर्ति भी उसी मात्रा में होनी चाहिए। केवल उसी स्थिति में हमें जल प्राप्त होता रहेगा। सिंचाई के लिए जो किसान कुंओं पर निर्भर करते हैं उनको अधिक जल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : जल की पुनः पूर्ति करके उसे सिंचाई के लिए उपलब्ध करना विभिन्न घटकों पर निर्भर है : प्रथम है विकास कार्य, सामान्य कार्य के लिए वर्षा; उसके पश्चात् भूमि, भौगोलिक पस्थितियां, जलवायु, स्थलाकृति। अतः ये सभी घटक सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने में योगदान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां फरवरी-मार्च के महीने में पानी का स्तर काफी नीचे चला जाता है और कुंए सूख जाते हैं। इससे पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। मेरी कांस्टीट्वेंसी में ज्ञानपुर तहसील में 8 लाख की आबादी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे क्षेत्र में भी यह समस्या है।

श्री उमाकांत मिश्र : इन क्षेत्रों में फरवरी-मार्च में कुंओं में पानी काफी नीचे चला जाता है। यही स्थिति विद्यापुर क्षेत्र के इलाकों की भी है। अगर यही हाल रहा तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कई बार मैंने पहले भी यह सवाल उठाया है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसका हल यह हो सकता है कि नहरें बनाई जाएं, जिनमें पानी बहता रहे या बड़े-बड़े टैंक बनाए जाएं, जिससे कुओं में पानी का स्तर ऊंचा रहे और लोगों को पीने का पानी मिल सके। इस योजना को बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा, नहीं तो गंभीर पेयजल का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि यह पीने के पानी का मामला है।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : पेयजल के बारे में आवास मंत्री इस समय कुछ अधिक बता सकेंगे।

परन्तु मुझे यह देखकर खुशी है कि सभा ने जल की उपलब्धता के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। पहले जल मुफ्त मिलता था; अब यह मुफ्त नहीं है; हमें जल खरीदना पड़ता है चाहे वह पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए। जल अब पहले की तरह मुफ्त नहीं है। इस लिए हमें यह देखना चाहिए कि यह बेकार न जाये।

कनिष्क विमान दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के सम्बन्धियों को दिया गया मुआवजा

*158. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कनिष्क विमान की दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा अथवा सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनको भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा भी कोई धनराशि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया के कनिष्क विमान में 307 यात्री और 22 कर्मीदल के सदस्य सवार थे। 21 नवम्बर, 1985 तक एयर इंडिया को केवल 73 यात्रियों के निकटतम संबंधियों से मुआवजे के दावे प्राप्त हुए थे। 32 यात्रियों के मुआवजे के निपटारे रूप में 1.29 करोड़ रुपए की राशि अदा की जा चुकी है और शेष 41 मामले निपटाए जा रहे हैं। अभी तक शेष 234 मृत यात्रियों के संबंध में दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक कर्मीदल सदस्यों का संबंध है, 16 कर्मीदल सदस्यों के मामलों के निपटारे के रूप में 65.08 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। शेष 6 कर्मीदल के सदस्यों के मामले निपटाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम मृत यात्रियों के संबंध में एयर इंडिया को पूरा भुगतान कर रही है और कर्मीदल सदस्यों के संबंध में मुआवजा एयर इंडिया द्वारा दिया जाना है क्योंकि कर्मीदल के सदस्य निगम की स्व: बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन 307 यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु एयर इंडिया के कनिष्क विमान में हुई, उनके पूरे नाम और पते सरकार को मालूम हो चुके हैं और इनमें से 73 के क्लेम पेटिशन आपको प्राप्त हुए हैं और 32 को सरकार ने अभी तक कंपसेट किया है तो 307 में से 73 क्लेम पेटीशन जो आपको प्राप्त हुए हैं और 32 का अभी तक आपने क्लेम सैटल किया है तो बाकी जिन लोगों के क्लेम पेटिशन प्राप्त हो चुके हैं उनको कब तक सरकार सैटल करेगी और उन 307 व्यक्तियों के नाम और पते क्या सरकार को मिल चुके हैं ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : यद्यपि जहां तक नाम और पतों का प्रश्न है हमारे पास उनकी सूचना है। जैसे-जैसे दावे आ रहे हैं, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है। हम पत्रों की

जांच करके उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण वायुयान में 125 कनाडावासी, 96 भारतीय, 14 अमरीकी वासी और दो ब्रिटिश नागरिक थे। वायुयान में शेष लोग भारतीय कर्मचारी थे। परन्तु एक भी ऐसा दावा नहीं है जिसको निपटाने में देरी की गयी हो अथवा किसी व्यक्ति ने शिकायत की हो कि एयर इंडिया ने पैसा नहीं दिया है। सरकार स्वयं भी इस मामले के बारे में बहुत चिंतित है और हम प्रत्येक कार्य उनके लिए बहुत सरल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके दावों का जितनी जल्दी निपटान संभव हो, किया जा सके। परन्तु अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : 22 क्यू मैम्बर्स में से 16 मैम्बर्स को कंपनसेशन दे दिया है, बाकी जो छः मैम्बर बचे हैं उनका क्लेम सैटलमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : पूरी धनराशि दे दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री हुसैन दलवाई।

श्री सी० माधव रेड्डी।

प्रो० रामकृष्ण मोरे।

श्री बी० वी० देसाई।

श्री हरुभाई मेहता।

श्री राम नगीना मिश्र।

श्री राम भगत पासवान।

डा० गौरी शंकर राजहंस।

श्री टी० बाल गौड़।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद।

प्रो० मधु दंडवते : वे फिर अनुपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो बार अनुपस्थित।

श्री टी० बाल गौड़।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद।

श्री काली प्रसाद पांडेय।

श्री हरीश रावत।

श्री हुसैन दलवाई।

[हिन्दी]

चौधरी दलबीर सिंह : घर पर होम वर्क कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अधिक महनती हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी।

श्री टी० बशीर : मेरे पास एक सुझाव है । आप प्रश्नों की संख्या को 20 से 25 या 30 तक बढ़ा सकते हो ।

अध्यक्ष महोदय : यह संयोग की बात है ।

श्री टी० बशीर : आप संख्या क्यों नहीं बढ़ाते ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

छठी योजना के दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियां

* 142 **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां कैसी रहीं;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यदि कोई बाधाएं सामने आई हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ताकि सातवीं योजना अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) प्राथमिक स्तर (कक्षाएं स्तर 1-5) पर छठी पंचवर्षीय योजना के 95% दाखिले के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1984-85 के अंत तक अनुमानित उपलब्धि 91% है ।

लक्ष्य कम रहने का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, वित्तीय कठिनाइयां और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति रही है ।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम परिकल्पित कर उठाए गए हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनको प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा ।

(1) प्रारम्भिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्य० आ० का०) तथा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और शिक्षा में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें ।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना ।

(4) एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में बदलना ।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना ।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना ।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना ।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(10) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थिति छात्रवृत्तियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना ।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीयकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना ।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा viii पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए ।

(13) प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना ।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में सकेन्द्रित प्रयास, इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप क्षेत्रों में भी गैर-औपचारिक कार्यक्रम और प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देकर इनको बढ़ाना ।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण ।

(16) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना ।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना ।

(18) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग ।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 16 सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य बलों की स्थापना करना ।

(20) प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता ।

(21) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन

बढ़ाने तथा उन्हें पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में गहन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय अभियान तैयार करना ।

(22) लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिए निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देना प्रारम्भ करना ।

कर्नाटक राज्य द्वारा विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत परियोजनायें

* 143. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने विदेशी सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए 17 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और यदि हां, तो इनमें से कितनी परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता के लिए चुनी गई परियोजनाओं में शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरा जनवरी, 1985 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता के लिए चुनी गई परियोजनाओं में कुछ और परियोजनाओं को शामिल करने का विचार है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी ब्यौरों की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा कर ली गई है और यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, कर्नाटक सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए सूची में शामिल करने हेतु 17 परियोजनाओं के वास्ते परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है । इनमें से तीन परियोजनाएं विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु सूची में शामिल करने के लिए विचाराधीन हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए अधिक रेलगाड़ियां

* 145 **श्री हरूभाई मेहता** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के बीच सीधी रेल सेवाएं बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अहमदाबाद और हैदराबाद के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) यातायात औचित्य न होने के कारण एक नयी गाड़ी चलाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है ।

(ग) और (घ) प्रस्ताव की जांच की गयी थी और यह सवारी डिब्बों तथा डीज़ल इंजनों की अत्यधिक कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया था ।

भागलपुर के समीप घाघरा नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

* 147. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के देवरिया जिले में भागलपुर के समीप घाघरा नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त धनराशि राज्य सरकार को कब दी जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस किए जाने पर प्रतिबन्ध

* 148. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को यह सलाह देने का विचार है कि सरकारी डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाये क्योंकि इससे सरकारी हस्पतालों में गरीब लोगों की उपेक्षा की जाती है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पत्र में उल्लिखित नीति वक्तव्य के अनुसरण में सभी राज्य। संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि सरकारी सेवा में लगे चिकित्सा कर्मिकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाए ।

[हिन्दी]

महिलाओं की शिक्षा हेतु अधिक धनराशि

*152. **डा० गौरीशंकर राजहंस** :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार और योजना आयोग से महिलाओं की शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक धन देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इन्डियन एयरलाइन्स को पट्टे पर विमान देना

*153. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्लेंज आन लीज" "मस्ट फार इन्डियन एयरलाइन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्डियन एयरलाइन्स की परिवहन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जो पिछले कुछ वर्षों से दस प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं, कुछ विमान पट्टे पर लेने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ए 320 वायुयानों की सुपुर्दगी के दौरान तथा इसके पूर्व वायुयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि 1986-87 से 1990-91 की अवधि में निम्नलिखित वायुयान क्षमता पट्टे पर ली जाएगी :

वित्तीय वर्ष	पट्टे पर लिये जाने वाले वायुयान	
	एयर बस ए 320	बोइंग 737
1986-87	2	4
1987-88	2	10
1988-89	3	12
1989-90	3	12
1990-91 (दिसम्बर, 1990 तक)	2	शून्य

[हिन्दी]

बिहार में डुमरियाघाट पुल और बथना कुट्टी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28-क को चौड़ा करना

*154. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में डुमरियाघाट पुल और बथना कुट्टी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—28-क की हालत बहुत खराब है;

(ख) क्या यह सच है कि इस राजमार्ग पर प्रतिदिन लगभग 25-30 हजार ट्रक/बसें और अन्य गाड़ियां चलती हैं;

(ग) क्या इस राजमार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस राजमार्ग को और चौड़ा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही शुरू की गई है और इस राजमार्ग को कब तक चौड़ा कर दिया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इस राजमार्ग को चौड़ा करने से क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(च) इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिछली बरसात के मौसम में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 में डुमरियाघाट पुल और बथना कुट्टी के बीच का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ।

(ख) इस पुल पर साइकिल और साइकिल रिक्शा सहित प्रतिदिन लगभग 1400 गाड़ियां चलती हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) बथना कुट्टी से और डुमरियाघाट की ओर 31 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा करने का काम पहले ही से चल रहा है । शेष हिस्सों को चौड़ा करने का काम अगले वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(च) इस खण्ड के शेष हिस्सों को चौड़ा करने के लिए अनुमानित लागत लगभग 200.00 लाख रुपये है ।

उत्तर प्रदेश जमरानी, में बांध का निर्माण

*155. **श्री हरीश रावत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश में जमरानी नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे जमरानी परियोजना रिपोर्ट तथा उसके अनुमान का संशोधन कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ग्रामीण चिकित्सालयों की नई योजना

*159. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण चिकित्सालयों की नई योजना की घोषणा की है ।

(ख) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संस्थाओं को ऐसी योजनाएं प्रायोजित करने तथा उन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) ऐसे चिकित्सालयों के लिए क्रमशः केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के अंशदान का अनुपात क्या होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना नामक योजना पहली अप्रैल, 1984 से लागू की गई थी ।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) स्वैच्छिक प्रकार की ऐसी प्राइवेट संस्थाएं/संगठन जो इस योजना के अन्तर्गत पात्रता

की शर्तों को पूरा करते हों, वित्तीय सहायता पाने के हकदार हैं बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करती है और वह खर्च का अपना हिस्सा देती है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें

इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मौजूदा चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, नये अस्पताल/औषधालय खोलकर स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

I. **सहायता के लिए पात्रता की शर्तें**

जो स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं निम्नलिखित मानदंड को पूरा करती हैं वे इस योजना के अन्तर्गत अनुदान पाने की पात्र होंगी :—

(i) वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 और अन्य किसी विधान के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।

(ii) वह गैर-सरकारी हो और नाम-प्रोप्राइटरी मैनेजमेंट के अन्तर्गत हो।

(iii) वह किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाई जाती हो।

(iv) किसी धर्म, जाति या रंग के भेदभाव के बिना इसकी सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों।

(v) इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो और अनावर्ती खर्च के अपने हिस्से का तथा स्थापना के बाद अस्पताल/औषधालय के संचालन के पूरे खर्च को वहन करने में सक्षम हो।

(vi) आवेदन फार्म के एक भाग के रूप में दी गयी निःशुल्क पलंग/निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा के अनुसार वह कुल पलंगों के कम से कम एक तिहाई पलंग निःशुल्क पलंग के रूप में आरक्षित करने के लिए सहमत हो।

(vii) राज्य सरकार से जिसके कार्य और वित्तीय स्थिति के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट मिली हो और उसने सहायता अनुदान के भुगतान की सिफारिश की हो। इस योजना के अन्तर्गत वह संगठन/संस्थान सहायता पाने का पात्र नहीं होगा जिसका प्रबंध और संचालन राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता हो।

II. **सहायता का पैटर्न**

(क) सहायता ऐसे अस्पताल खोलने के लिए उपलब्ध होगी जिसकी अधिकतम पलंग क्षमता तीस हो।

(ख) अस्पताल/औषधालय को चलाने का खर्च संस्था वहन करेगी। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो संबंधित राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान देगी तथा यदि संगठन अपनी देयताओं को आगे वहन करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी सहायता से आरंभ की गयी संस्था को चलाने की जिम्मेदारी लेगी।

(ग) विभिन्न पार्टियों के हिस्सों का निर्धारण करने के लिए तीस पलंगों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण और उपकरणों की मानक लागत अथवा परियोजना रिपोर्ट में दी गई अनुमानित लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संस्था निम्नलिखित अनुपात में अंशदान करेंगे :—

(i) **निर्माण (रिहायसी मकानों के अलावा) और उपकरण**

केन्द्र सरकार	40 प्रतिशत
राज्य सरकार	40 प्रतिशत
संस्था	20 प्रतिशत

(ii) **निर्माण—रिहायसी मकान**

केन्द्रीय सरकार	50 प्रतिशत
राज्य सरकार	35 प्रतिशत
संस्था	15 प्रतिशत

(iii) **आवेदनों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

संस्था निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की तीन प्रतियां राज्य सरकार को भेजेगी। एक प्रति सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नयी दिल्ली को भी अग्रिम छानबीन के लिए भेजी जानी चाहिए। राज्य सरकार तीन प्रतियों में से, यदि वह आवेदन की सिफारिश करती है तो एक प्रति निर्धारित संस्तुति प्रमाण-पत्र के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजेगी।

निर्यात बढ़ाने के लिए भाड़ा रियायत योजना

*160. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए रेलवे में भाड़ा रियायत योजना पुनः लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्यात यातायात के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायत या अन्य प्रोत्साहन देना मूलतः निर्यात संवर्धन से संबंधित मंत्रालय का विषय है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

1502. **श्री के० एस० राव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में स्मारकों को हुए नुकसान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किन नई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ स्मारक जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न तो केन्दीय

अथवा न ही राज्य पुरातत्व विभाग की है वे खजाना खोलने वालों द्वारा किए गए नाश के शिकार हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार संसाधनों और प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधिक स्मारकों को अपनी सुरक्षा के अधीन लाने का प्रयास करती आ रही है।

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान सर्वेक्षण के अन्तर्गत नई परियोजनाओं के विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण-1

1985-86 और 1986-87 के दौरान योजना के अन्तर्गत उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम

1. पुरातत्व उत्खनन एवं अनुसंधान के संबंध में पत्र-पत्रिकाओं और रिपोर्टों के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता।
2. फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय उत्खनन परियोजना।
3. हम्पी में राष्ट्रीय उत्खनन परियोजना।
5. बेलन एवं सोन नदियों की स्तर रचना का अध्ययन।

विवरण-2

मंदिर सर्वेक्षण परियोजना 1985-86 और 1986-87

1. मंदिर-वास्तुकला सर्वेक्षण और बौद्ध-अवशेष (दक्षिणी क्षेत्र)
2. परमारा मंदिर—वास्तुकला सर्वेक्षण (उत्तरी क्षेत्र)

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात तथा प्रति छात्र व्यय

1503. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापक छात्र का क्या अनुपात रहा है; और

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष-वार प्रति छात्र कितना व्यय किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रत्येक सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यापक-छात्र अनुपात और प्रति व्यक्ति व्यय को दर्शाने वाली तालिका।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	अध्यापक छात्र अनुपात	छात्रों पर प्रति व्यक्ति व्यय
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1982-83	1:11	10663
		1983-84	1:11	12427
		1984-85	1:10	14461

1	2	3	4	5
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1982-83	1:9	11433
		1983-84	1:8	15043
		1984-85	1:8	17830
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1982-83	1:20	6934
		1983-84	1:20	7979
		1984-85	1:23	7600
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1982-83	1:6	21865
		1983-84	1:7	26412
		1984-85	1:7	28883
5.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	1982-83	1:10	13126
		1983-84	1:5*	33480
		1984-85	1:7	27529
6.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1982	1:9	10800
		1983	1:8	14563
		1984	1:4	25700

* 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय मे किसी छात्र का दाखिला नहीं हुआ ।

7.	विश्व भारती	1982-83	1:7	8966
		1983-84	1:8	11283
		1984-85	1:8.5	11402

टिप्पणी : 1. एक विशेष वर्ष के कुल आवर्ती अनुरक्षण व्यय तथा उसी वर्ष के शिक्षण विभागों में नामांकन के बीच अनुपात के आधार पर प्रति व्यक्ति व्यय निकाला गया है ।

2. वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के पिछड़े जिलों में कालेजों के विकास हेतु योजनायें और कार्यक्रम

1504. **श्री मानवेन्द्र सिंह :**

डा० कृपासिंधु भोई : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के विश्वविद्यालयों ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित गैर-सरकारी और सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को योजनाएं और कार्यक्रम भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, कालेजों को विकास अनुदान के लिए अभी

तक मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है । इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे ।

हुगली नदी में पानी की सप्लाई बढ़ाना

1505. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : हुगली नदी में पानी की विद्यमान कमी के समय पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : कमी की वर्तमान अवधि के दौरान, भारत तथा बंगलादेश के बीच समझौते के अनुसार, फरक्का से जल रिलीज करके हुगली के जल में वृद्धि की जाएगी ।

[हिन्दी]

फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे का अधिग्रहण

1506. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुत समय पूर्व फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे के अधिग्रहण का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने किसी समिति का गठन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) : जी हां ।

(घ) समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की हैं :

(1) विशेष कानून बनाकर लाइट रेलवे कंपनी की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करना;

(2) राष्ट्रीयकरण के बाद लाइट रेलवे का परिचालन समाप्त करना;

(3) लाइट रेलवे कम्पनी के पात्र कर्मचारियों की भारत की सरकारी रेलों पर नये कर्मचारियों के रूप में पुन: नियुक्ति करना;

(4) लाइट रेल कम्पनी के मालिकों को उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करना;

(ङ) फतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक विधेयक 21-11-85 को लोक सभा में पेश किया गया है ।

अशक्तता, लकवा, पोलियो और चर्म रोगों का प्रसार

1507. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में अशक्तता, लकवा, पोलियो, चर्म रोग आदि जैसी बढ़ती हुई बीमारियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा जहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) बच्चों में त्वचा

रोगों अथवा लकवा की घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 14 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1981 के दौरान पोलियो की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिये एक विशेष सर्वेक्षण किया गया था। इसी भाँति राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 1981 के दौरान दृष्टि विकारों और संचार विकलांगताओं और लोको-मोटर विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों पर एक देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण किया था। दो सर्वेक्षणों से सम्बन्धित सुसंगत सूचना क्रमशः विवरण 1 और 2 में देखी जा सकती है।

(ख) पोलियो को रोकने सम्बन्धी कार्यवाही को रोगक्षयी-करण के विस्तारित कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है जिसका चरणवार ढंग से विस्तार किया जा रहा है ताकि 1990 तक पात्र बच्चों में से·85 प्रतिशत बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके। विकलांगताओं को रोकने की बात विकलांगताओं की किस्म पर निर्भर करती है। इस प्रकार बच्चों में अन्धेपन को रोकने के लिए विटामिन "ए" देने का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष में 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या को बढ़ाकर 1990 तक 3.3 करोड़ कर दिया जाएगा।

विवरण-1

पोलियो से पीड़ित 0.4 वर्ष आयु के प्रति हजार बच्चों की रोग दर

राज्य	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	1.7	1.4
बिहार	1.4	2.4
गुजरात और दादर और नागर हवेली	2.5	2.2
हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़	3.1	1.7
कर्नाटक और गोवा	1.2	1.2
केरल	1.1	1.0
मध्य प्रदेश (भोपाल और जबलपुर)	1.9	1.7
महाराष्ट्र	1.4	1.3
उड़ीसा	0.8	0.7
राजस्थान (जयपुर)	3.1	2.5
तमिलनाडु और पांडिचेरी	1.9	2.1
उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद)	2.3	1.6
पश्चिम बंगाल	0.8	1.6
दिल्ली	0	1.6

विवरण-2

विकलांग व्यक्तियों की सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट के बारे में एक नोट

इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि लगभग 1.2 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी-न-किसी विकलांगता के शिकार हैं। यह संख्या कुल 68 करोड़ का लगभग 1.8 प्रतिशत बनती है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में से लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे बतलाए गये हैं जिनकी विकलांगता एक से अधिक किस्म की है। प्रत्येक किस्म की विकलांगता को अलग-अलग देखते हुए

लोको-मोटर विकलांगों की संख्या सबसे अधिक (54.30 लाख) है, इसके बाद दृष्टि विकार (34.70 लाख) और श्रवण विकार (30.20 लाख) और वाक विकार (17.50 लाख) है।

सामान्यतया यह देखा गया है कि वर्तमान विकलांगता दर उम्र के साथ-साथ बढ़ती है और वाक विकलांगता जो अधिकतर दर 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में पाई जाती है, को छोड़कर शेष सभी प्रकार की विकलांगताएं 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग में अधिक पाई जाती हैं।

[अनुवाद]

9 अप श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस की सोरो रेलवे स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करना

1508. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में सोरो रेलवे स्टेशन पर 9 अप और 10 डाउन श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि सोरो पर केवल 10 डाउन गाड़ी ठहरती है और 9 अप गाड़ी नहीं ठहरती है; और

(घ) लोगों की असुविधा को दूर करने की कब तक व्यवस्था करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। केवल 10 डाउन को ठहराने के लिए निर्णय लिया गया था और 10-9-85 से इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) अगस्त, 1985 के महीने में।

(ग) जी हां।

(घ) फिलहाल 9 अप को सोरो स्टेशन पर ठहराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आलू का छिलका मानव चमड़ी के लिए एक विकल्प

1509. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जली हुई चमड़ी के लिए आलू का छिलका मानव चमड़ी का विकल्प है; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों द्वारा इस निमित्त किये गये प्रयोगों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अनुसंधान द्वारा अभी तक यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि जली हुई चमड़ी के लिए आलू का छिलका मानव चमड़ी का विकल्प है।

पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा की जांच के लिए कदम

1510. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल में घुली फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिन की बीमारी पाई गई है। जिससे विभिन्न प्रकार के स्नायु रोग हो जाते हैं जिससे अन्ततः रोगी अपंग हो जाते हैं;

(ख) क्या लखनऊ स्थित औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्नायु विष-विज्ञान एकक द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रोगियों पर किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि इस बीमारी के कारण जोड़ों की अकड़न से रोगी खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पेयजल में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से ग्रस्त क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा की रोकथाम के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) पानी में फ्लोरीन की अधिक मात्रा होने से फ्लोरेटिक सिण्डोम हो जाता है जिससे दांत चित्तीदार हो जाते हैं और हड्डी की बनावट में परिवर्तन आ जाता है, जिसमे अन्ततः व्यक्ति विकलांग हो जाता है। इन्हीं अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि नई हड्डी के उत्पन्न हो जाने और उसका तन्त्रिका मूल और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने से तन्त्रिका संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं।

निरन्तर अधिक मात्रा में फ्लोरीन लेने से हड्डियों में गम्भीर किस्म की विकृतियां पैदा हो जाती हैं और जिस व्यक्ति को यह रोग चरम अवस्था में पहुंच जाता है वह खड़ा होने में भी असमर्थ हो सकता है।

पीने का साफ पानी उपलब्ध करके इस समस्या को रोका जा सकता है। पीने के पानी के वैकल्पिक स्रोत जुटाने के अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने फ्लोरीकरण को समाप्त करने की ऐसी विधियां तैयार कर ली हैं जिन्हें ग्राम अथवा सामुदायिक स्तर पर आसानी से अपनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

क्षय रोग और कुष्ठ रोग के लिए एक ही वेक्शीन का विकास करने हेतु अनुसंधान

1511. **श्री आर० एम० भोय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक क्षय रोग और कुष्ठ रोग के लिए एक ही वेक्शीन का विकास करने के लिए कोई अनुसंधान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमुख बंदरगाहों की नौभार क्षमता

1512. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक प्रमुख बन्दरगाह की 31 मार्च, 1984 को अधिकतम नौभार क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार 1985-86 में प्रमुख बन्दरगाहों की नौभार क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान किन-किन बन्दरगाहों की नौभार क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) प्रत्येक महापत्तन की माल भेजने की अधिकतम क्षमता 31-3-1984 को नीचे लिखे अनुसार थी :

पत्तन	31-3-1984 को क्षमता (मिलियन टन में)
1. कलकत्ता	5.50
2. हल्दिया	10.06
3. परादीप	4.35
4. विशाखापत्तनम	12.40
5. मद्रास	16.41
6. तूतीकोरन	5.45
7. कोचीन	6.45
8. न्यू मंगलौर	9.30
9. मुरगांव	15.85
10. बम्बई	15.70
11. कांडला	19.75
पत्तनवार योग :	121.22

(ख) और (ग) पत्तनों के नाम और माल भेजने की उनकी क्षमता में 1985-86 में प्रस्तावित वृद्धि नीचे दी गई है :

पत्तन	क्षमता में वृद्धि (मिलियन टन में)
1. मद्रास	4.00
2. विशाखापत्तनम	4.00
3. हल्दिया	1.00
4. परादीप	1.20
कुल :	10.20

त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक अध्ययन केन्द्र

1513. **श्री टी० बशीर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

टर्बो प्रोप फ्लीट को वायुदूत को सौंपना

1514. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स की टरबो प्रोप फ्लीट को वायुदूत को सौंपने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तरण कब प्रभावित होगा;

(ग) वायुदूत द्वारा कितने तथा किस किस्म के विमान चलाने का विचार है; और

(घ) वायुदूत सेवाओं के अन्तर्गत और कौन से अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) इस समय, वायुदूत का डोर्नियर एच एस-748 और एफ-27 विमानों का प्रचालन करने का विचार है। कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार विमानों की संख्या में भिन्नता होती रहती है।

(घ) वायुदूत द्वारा जिन अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रचालन किया जाना है, उनके बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना

1515 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा पेनल योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है और उससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, और

(ख) क्या कर्मचारियों के कल्याण की इस योजना को समाप्त किये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कुल व्यय 7,72,86,318/- रुपये (1-5-85 से 31-10-85 तक की अवधि के लिए) लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या=36014

(ख) इस स्कीम को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। (संशोधन सहित या बिना संशोधन के) इस स्कीम को जारी रखने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में निपटान किये गए सड़क दुर्घटना संबंधी दावे

1516. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में गत दो वर्षों के दौरान कितने सड़क दुर्घटना संबंधी दावों का निपटान किया गया,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने दुर्घटना पीड़ितों अथवा उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया,

(ग) तत्काल अन्तरिम राहत दिये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) निपटाए गए सड़क

दुर्घटना दावों की संख्या 888

(ख) मामलों की संख्या 1291

भुगतान की गई राशि 229,35,767.00

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को धारा 92 (नो फाल्ट लायबिलिटी) के अंतर्गत अंतरिम सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रावधान के अनुसार मृत्यु के मामले में देय मुआवजा की राशि 15,000 रु० है और गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 7500 रु० है। सबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मुआवजे का यथासंभव शीघ्र भुगतान करें, यह मुआवजा एक प्रकार की अंतरिम सहायता है। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर, 1985 तक उन्होंने 303 मामलों में अन्तरिम सहायता के रूप में 24.70 लाख रु० का भुगतान किया।

धनबाद-पाथरडीह पेसेंजर गाड़ी को भोजूडीह से होते हुए आद्रा तक बढ़ाया जाना

1517. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद (पूर्वी रेलवे) और भोजूडीह (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच जो रेल लाइनें हैं उनका प्रयोग केवल माल गाड़ियों द्वारा ही किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाथरडीह और धनबाद के बीच एक पैसेंजर गाड़ी भी चलाई जा रही है;

(ग) क्या पाथरडीह बस स्टैण्ड पर वर्तमान पाथरडीह स्टेशन को मामूली लागत पर हाल्ट स्टेशन में बदलकर मालगाड़ी का मार्ग अपनाते हुए उस पैसेंजर गाड़ी को बरास्ता भोजूडीह आद्रा तक बढ़ाया जाएगा;

(घ) क्या यह नया सम्पर्क दो महत्वपूर्ण डी० आर० एम० मुख्यालयों आद्रा और धनबाद को सीधा जोड़ देगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कार्यवाही करने का है;

(च) यदि हां, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, यह व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (छ) इसमें निहित भारी खर्च जो इसके प्रतिफल के अनुरूप नहीं होगा तथा भौतिक कठिनाइयों के कारण भी इस कार्य को शुरू करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है।

ऊलूबेरिया नगरपालिका में हावड़ा रेलवे का विकास

1518. **श्री हेन्नान मोल्लाह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा जिले में ऊलबेरिया नगरपालिका द्वारा ऊलूबेरिया क्षेत्रों में रेलवे के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य प्रस्ताव क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों की जांच की है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) फरवरी, 1985 में ऊलूबेरिया नगर पालिका के अध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें रेल प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि ऊलूबेरिया नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे लाइनों के उत्तर की ओर डोमपाड़ा तक एक सम्पर्क सड़क के निर्माण के बारे में विचार किया जाये ।

(ग) रेलवे द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है । टिकटघर तथा स्टेशन इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है और इस ओर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पहले से ही मौजूद है । अत: उत्तर की ओर एक अन्य मार्ग का रेलवे द्वारा निर्माण करना आवश्यक नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों की स्थापना

1519. **डा० सुधीर राय** : क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान शीघ्र देने के लिए तथा विश्वविद्यालय अनुमान आयोग स्तर पर शक्ति के केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप टाल-मटोल की नीति लाल-फीताशाही तथा विलम्ब की प्रवृति को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रोन्नति तथा समन्वय और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षाओं तथा अनुसंधान के मानकों के निर्धारण तथा रख-रखाव के लिए स्थापित किया गया है । यह आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को इन कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । सरकार के पास प्रत्येक राज्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महानगरों के दैनिक यात्री यातायात से आय

1520. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को महानगरों के दैनिक यात्री यातायात से कितनी सकल और निवल आय है; और

(ख) क्या तीव्रगामी सेवाएं उपलब्ध कराकर कलकत्ता के दैनिक यात्री यातायात सेवाओं में सुधार का कोई कार्यक्रम है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

शिक्षा पर राज्य-वार व्यय

1522. **श्री मतिलाल हंसदा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान शिक्षा पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को राजस्व और पूंजी पर हुए कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर राज्य-वार किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विवरण-1 संलग्न है, जिसमें वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान शिक्षा से सम्बन्धित राज्य-वार प्रति व्यक्ति बजट व्यय दर्शाया गया है ।

(ख) विवरण-2 संलग्न है, जिसमें उपर्युक्त अवधि के दौरान राजस्व और पूंजीगत लेखे का अलग-अलग प्रत्येक राज्य के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा सम्बन्धी राज्य-वार बजट व्यय दिया गया है ।

विवरण-1

प्रति व्यक्ति बजट व्यय राज्यवार

(राजस्व लेखा)		(रुपये में)	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	77	96	99
2. असम	59	77	84
3. बिहार	55	56	65
4. गुजरात	81	93	92
5. हरियाणा	81	97	102
6. हिमाचल प्रदेश	133	146	153
7. जम्मू और कश्मीर	120	132	140
8. कर्नाटक	74	83	89
9. केरल	113	126	129
10. मध्य प्रदेश	53	62	62
11. महाराष्ट्र	92	102	104
12. मणिपुर	150	171	183
13. मेघालय	87	110	119
14. नागालैंड	202	236	234
15. उड़ीसा	58	63	65
16. पंजाब	104	116	117
17. राजस्थान	64	75	80

18. सिक्किम	128	184	238
19. तमिलनाडु	82	92	97
20. त्रिपुरा	119	151	155
21. उत्तर प्रदेश	48	52	52
22. पश्चिम बंगाल	78	84	88
23. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	229	265	267
24. अरुणाचल प्रदेश	160	179	189
25. चण्डीगढ़	265	294	295
26. दादर और नागर हवेली	89	119	125
27. दिल्ली	133	158	165
28. गोवा दमन एवं दीप	174	198	200
29. लक्षद्वीप	413	435	488
30. मिजोरम	147	216	203
31. पांडिचेरी	153	179	186

टिप्पणी : जनसंख्या की प्रतिशतता 1981 को जनगणना के आधार पर तैयार की गई है ।

विवरण-2

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल राज्य बजट के शैक्षिक व्यय की प्रतिशतता					
	राजस्व लेखा (शिक्षा और अन्य विभाग)			पूंजीगत लेखे (केवल शिक्षा)		
	विभागों से सम्बन्धित 1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	28.6	25.9	25.9	0.4	0.4	0.3
2. असम	26.0	24.3	25.0	0.3	0.2	0.4
3. बिहार	29.3	27.4	28.9	0.5	0.3	0.6
4. गुजरात	22.5	23.7	22.2	0.4	0.3	0.3
5. हरियाणा	19.4	21.5	21.1	—	0.8	0.6
6. हिमाचल प्रदेश	22.4	22.4	22.8	1.2	1.3	1.5
7. जम्मू एवं कश्मीर	23.2	20.2	19.7	1.9	1.6	0.8
8. कर्नाटक	23.1	21.7	20.9	0.6	0.3	0.6
9. केरल	37.8	32.8	34.5	3.2	2.1	1.6
10. मध्य प्रदेश	21.8	20.8	19.5	0.7	1.6	1.1
11. महाराष्ट्र	22.9	22.1	20.6	0.5	0.4	0.4
12. मणिपुर	24.7	25.8	25.7	—	2.4	—

13. मेघालय	14.4	15.7	15.9	1.1	0.8	0.6
14. नागालैंड	13.2	13.8	13.0	2.3	1.9	2.3
15. उड़ीसा	19.0	22.4	22.1	1.0	0.3	0.2
16. पंजाब	26.5	24.8	25.0	2.1	1.5	08
17. राजस्थान	24.3	25.2	23.9	1.0	0.6	0.5
18. सिक्किम	12.4	13.3	16.9	—	5.1	74.8
19. तमिलनाडु	26.1	25.0	25.8	4.1	1.8	3.4
20. त्रिपुरा	24.0	23.2	22.5	1.4	0.8	0.7
21. उत्तर प्रदेश	23.7	23.7	21.3	1.2	0.8	0.9
22. पश्चिम बंगाल	27.1	26.4	26.1	1.3	0.5	0.8
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10.1	11.9	11.4	5.6	2.9	4.0
24. अरुणाचल प्रदेश	8.9	10.8	12.1	8.0	8.2	9.0
25. चंडीगढ़	28.9	28.6	27.8	18.3	7.2	8.6
26. दादर और नागर हवेली	24.8	25.4	25.7	2.1	3.1	4.7
27. दिल्ली	31.7	35.8	35.5	0.4	0.8	8.8
28. गोवा, दमन एवं दीव	22.4	21.6	22.5	0.9	0.9	0·7
29. लक्षद्वीप	16.4	14.4	15.3	1.3	4.2	4.4
30. मिजोरम	9.7	12.7	14.6	0.2	0.2	0.2
31. पांडिचेरी	21.4	21.7	22.4	2.5	11.1	7.3

कल्लेतुम्केरा, केरल में उपरि पुल का निर्माण

1523. **श्री के० मोहनदास** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इरिन्जालकुडा रेलवे स्टेशन में कल्लेतुम्केरा पर उपरि पुल के निर्माण की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेलें व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकारों के साथ मिलकर और लागत में हिस्सेदारी के आधार पर करती हैं। इस समपार पर वर्तमान यातायात का घनत्व, समपारों को ऊपरी सड़क पुलों द्वारा बदले जाने के लिए निर्धारित मानदण्ड से कम है । इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा बदलाव के लिए प्रस्तावित समपारों की अग्रता सूची में भी शामिल नहीं किया गया है ।

कलकत्ता बन्दरगाह पर नौवहन कम्पनियों द्वारा भीड़ अधिभार वसूल किये जाने की धमकी

1524. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत/पाकिस्तान/बंगलादेश/ब्रिटेन/कन्टिनेंटल कान्फ्रेंस ने कलकत्ता बन्दरगाह में बर्थ मिलने में इन कम्पनियों को होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, कलकत्ता बन्दरगाह पर भीड़ अधिभार लगाने की धमकी दी है;

(ख) गत वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक नौवहन कंपनी को कितना औसतन विलम्ब हुआ है;

(ग) प्रत्येक नौवहन कम्पनी को इसके लिए कितनी धनराशि की हानि हुई है; और

(घ) भीड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। लेकिन कोई जमाव अधिभार (कन्जेशन सरचार्ज) नहीं लगाया गया।

(ख) जहाजों को घाट पर लगने से पहले रुकने का ब्यौरा अलग-अलग जहाजी कम्पनी के आधार पर नहीं रखा जाता है। कलकत्ता पत्तन पर घाट पर जहाज के लगने से पूर्व उसके रुकने का औसत (दिनों में जनवरी, 1985 से) नीचे दिया गया है—

जनवरी————0.01
फरवरी————शून्य
मार्च————0.08
अप्रैल————0.10
मई————शून्य
जून————शून्य
जुलाई————0.20
अगस्त————3.90
सितम्बर————4.30
अक्टूबर————7.90

(ग) पत्तन, नौवहन कम्पनियों को होने वाली वित्तीय हानि के आंकड़े नहीं रखता है।

(घ) कलकत्ता पत्तन में जहाजों के जमाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) विदेशों को जाने के इच्छुक जहाजों को प्राथमिकता दी जाती है।

(2) सागोर बन्दरगाह पर दो जहाजों के स्थान पर तीन जहाजों को हैंडल किया जा रहा है।

(3) गोदी मजदूरों को लगाने के रोटेशन में परिवर्तन लाया जा रहा है, ताकि और अधिक गंग कार्य के लिए उपलब्ध हो सके।

(4) मोबाइल कार्गो हैंडलिंग उप करण और टग्स अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(5) शेड स्टाफ की संख्या में वृद्धि की गई है।

(6) पत्तन और गोदी मजदूर बोर्ड मजदूरों में टेली कार्य दोबारा होने की प्रवृति को दूर किया जा रहा है।

(7) परिचालन पर रात-दिन निगरानी रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(8) कार्गो हैंडलिंग परिचालन कार्य और अन्य संवर्गी कार्यों के पर्यवेक्षण में तेजी लाई गई है।

(9) प्रत्येक जहाज की लोडिंग/अनलोडिंग को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य तारीख निश्चित की जा रही है।

(10) पत्तन प्रयोक्ताओं और पत्तन न्यास के सम्बद्ध विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय रखा जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत न आने वाले शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधायें

1525. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान केन्द्रीय सेवाएं चिकित्सीय परिचर्या नियम, 1944 के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे कुछ बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को सरकारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना में नाममात्र की राशि का अंशदान कर सरकारी अस्पतालों केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से ईलाज और दवाइयों की सुविधा प्राप्त है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी इन सरकारी पेंशनभोगियों को नाममात्र की राशि के अंशदान पर इन अस्पतालों और औषधालयों से चिकित्सा सुविधा मिलती रहती है;

(ग) क्या सशस्त्र सेना कार्मिकों को भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् इसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते रहते हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले शहरों में रहने वाले सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है जो कि उन्हें सेवा-काल के दौरान प्राप्त थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र में रहने वाले सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुधिवाएं प्रदान करने के प्रश्न पर चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति

1526. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के नेतृत्व में "जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति" के गठन की सदन में कब घोषणा की गई थी;

(ख) इस समिति के गठन से ले कर अब तक इसकी कितनी बैठक हुई हैं;

(ग) जयप्रकाश नारायण स्मारक के संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं का कितना कार्यान्वयन हुआ है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 25 मार्च, 1981 को।

(ख) दो

(ग) (I) श्री जयप्रकाश नारायण की स्मृति में पटना में एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण।

(II) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके गांव सितब दियारा, जिला-बलिया में स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान को स्मारक में परिवर्तित करने की संभावना का पता लगाना।

(घ) (I) अस्पताल की परियोजना-रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(II) जिस प्राइवेट पार्टी ने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की सम्पत्ति को विरासत में ले रखा था, वह क्योंकि इसे राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सहमत नहीं थी, इसलिए स्मारक के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान की प्रक्रिया का पता लगाया जा रहा था। इस बीच राज्य सरकार को "जयप्रकाश नारायण स्मारक न्यास" के गठन का पता चल गया। ऐसा पता चला है कि उक्त न्यास ने स्मारक का निर्माण कर लिया है।

शिक्षा के लिए संसाधनों विषयक दल

1527. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के लिए संसाधनों के बारे में एक दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों के नाम तथा इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) क्या नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये जाने का काम राज्यों की सहायता तथा राज्यों को इसमें शामिल कर के लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) 29-30 अगस्त, 1985 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए शिक्षा के वास्ते संसाधनों पर एक दल की स्थापना की है। इस दल में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. प्रो० सम्भू घोष,
   उच्च शिक्षा मंत्री,
   पश्चिम बंगाल सरकार।
2. श्री एम० रघुपति,
   शिक्षा मंत्री,

कर्नाटक सरकार,
कर्नाटक ।

3. प्रो० राम मेघा,
शिक्षा मंत्री,
महाराष्ट्र सरकार ।

4. श्री जदुनाथ दास महापात्र,
शिक्षा मंत्री,
उड़ीसा सरकार ।

5. प्रो० रकमलोवा,
शिक्षा मंत्री,
मिजोरम सरकार ।

6. श्रीमती उमा पाण्डेय,
शिक्षा मंत्री,
बिहार सरकार ।

7. श्री सी० के० जैमवाल,
शिक्षा मंत्री,
मध्य प्रदेश सरकार ।

8. डा० एम० एस० आदिसेशिया,
अध्यक्ष
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान,
मद्रास ।

9. डा० डी० एम० नंजुनदप्पा,
कुलपति,
कर्नाटक विश्वविद्यलय,
धारवाड़ ।

10. प्रो० डी० टी० लकड़वाला,
नं० 5, एल० एन० एच० अनाथालय,
चौपाटी रोड,
बम्बई ।

11. डा० राजा चल्लिया,
सदस्य,
योजना आयोग ।

12. श्री जे० बीरा राघवन,
(सदस्य-सचिव),
सलाहकार (शिक्षा),
योजना आयोग ।

यह दल अपने आप ही विचारार्थ विषय तथा कार्य-प्रणाली का निर्धारण करेगा । राज्य नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने की संभावनाओं की

प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संबद्ध रहेंगे ।

सुचेता कृपलानी अस्पताल की एक छात्र नर्स की मृत्यु

1528. **प्रो० वाई०एस० महाजन :**

श्री थम्पन थामस :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुचेता कृपलानी अस्पताल की एक छात्र नर्स की हरियाणा के एक गांव में किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई; और

(ख) इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कुमारी थरेसिअम्मा जोसफ को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग के पी०टी०एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पहली सितम्बर, 1985 को दाखिल किया गया । वह इस स्कूल के नर्सों के होस्टल में रह रही थीं । 17 अक्टूबर, 1985 को वह बीमार पड़ गई और शाम के समय उसे नर्सेज सिक रूम में दाखिल किया गया था । दो दिन तक उसे बुखार रहा और वह ठंड भी महसूस करती थी । 20 अक्तूबर, 1985 को एक नर्सिंग छात्रा ने नर्सेज सिक रूम की नाईट ड्यूटी की स्टाफ नर्स को बताया कि कुमारी जोसफ अपने पलंग पर नहीं है । अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल और होस्टल की भली-भांति छानबीन की, परन्तु वे कुमारी जोसफ का पता नहीं लगा सके । शीघ्र ही पुलिस स्टेशन में एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी गई और इसके बाद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस के सहायक-आयुक्त से भी यह अनुरोध किया कि वह लापता छात्रा का पता लगाएं । दूरदर्शन पर उसकी फोटो और संबंधित सूचना भी दी गई । पुलिस अधिकारियों से निरंतर संपर्क करने वाले अस्पताल के अधिकारियों द्वारा छात्रा का पता लगाने के सभी प्रयास किए गए । 21 अक्टूबर, 1985 को साकेत पुलिस स्टेशन द्वारा कालेज के अधिकारियों को यह सूचना दी गई कि 20 अक्टूबर, 1985 को कुमारी जोसफ को झंझर (हरियाणा) में पाया गया और सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी । 22 अक्तूबर, 1985 को पुलिस अधिकारियों ने जब झंझर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया तो उन्हें यह सूचना मिली कि मृत-छात्रा की शव-परीक्षा पहले ही की जा चुकी थी और उसके रिश्तेदार उसके शव को लेकर दिल्ली के लिये रवाना हो चुके थे । उसके शव को लेकर रिश्तेदार 22 अक्टूबर, 1985 को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में पहुंचे और शव को शीघ्र ही अस्पताल के शव-गृह में पहुंचा दिया गया । बीमार नर्स छात्रा के माता-पिता को 21 अक्टूबर, 1985 को तार द्वारा सूचना दे दी गई थी कि वे शीघ्र दिल्ली पहुंचें । कुमारी जोसफ का शव पुलिस को दूसरी मरणोत्तर शव-परीक्षा के लिए दे दिया गया । उसकी दूसरी शव-परीक्षा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली में 25 अक्टूबर, 1985 को हुई और उसका शव उसी दिन पुलिस द्वारा उसके रिश्तेदारों को दे दिया गया । इस मामले की जो छानबीन की गई वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई है ।

(ख) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के अधिकारियों ने छात्रओं के होस्टल में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ा दी है।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली से महिला रोगियों का लापता होना

1529. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

श्री एस०एम० भट्टम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती तीन महिला रोगी अक्टूबर, 1985 के दूसरे पक्ष में लापता हो गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रोगियों के अस्पताल छोड़ने ले जाए जाने के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1985 के अन्तिम पखवाड़े के दौरान तीन रोगी अस्पताल के अधिकारियों को सूचित किए बिना श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल से चले गए।

(ग) और (घ) अस्पताल के अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता चला है कि अस्पताल में भर्ती किए गए कुछेक एम्बुलेटरी रोगी वार्ड स्टाफ को कोई सूचना दिए बगैर चले जाते हैं। उनमें से अधिकांश प्रसूति वार्डों से जाते हैं क्योंकि डाक्टरों को डिस्चार्ज स्लिप तैयार करने में समय लगता है। रोगी और उनके रिश्तेदार किसी को सूचित किए बिना चुप-चाप वार्ड से चले जाते हैं और उन्हें लापता रिपोर्ट कर दिया जाता है। जब कभी ऐसी घटना होती है अस्पताल मंदिर मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन को सूचित करता है। यदि रोगी महिला अस्पताल से तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहती है तो उसके रजिस्टर्ड पते पर फोनोग्राम भेज दिया जाता है अथवा यदि दिया हुआ पता अस्पताल के तीन किलोमीटर के अन्दर होता है तो रोगी का उसके घर पर पता लगाने के लिए मैसेंजर भेजा जाता है।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास क्षेत्र में आग

1530. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास क्षेत्र में 23 अक्टूबर, 1885 और पुन: 24 अक्टूबर, 1985 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इससे कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह आग चीनी में फास्फोरस मिश्रण के होने के कारण लगी। आयात की गई

चीनी में से लगभग 800 टन चीनी नष्ट हो गई। इस आग का असर ट्रांजिट शेड नं 3 और 4 पर भी पड़ा।

(ग) आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर से, अपने विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया गया है। अग्निशमन उपकरणों और अग्नि निवारण प्रबंध की व्यवस्था दिन-रात रखी जा रही है। राज्य व्यापार निगम से, जिसने माल मंगाया है चीनी के स्टॉक को घाट पर से तत्काल ले जाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय होटल निगम को हुआ लाभ/हानि

1531. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम इस समय लाभ अर्जित कर रहा है अथवा घाटे में चल रहा है और वह कितना है; और

(ख) राजगीर (बिहार) में और बम्बई में जुहू में स्थित सैंच्यूर होटल की लाभ और हानि की स्थिति क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इन होटलों में महीनावार कितने कमरे खाली रहे और उसके क्या कारण हैं तथा अभी तक कितना लाभ और हानि हुई है।

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय होटल निगम लि० ने 1984-85 के दौरान 264.69 लाख रुपए और 1983-84 के दौरान 319.26 लाख रुपए का निवल घाटा उठाया है। 1982-83 के दौरान इसने 16.31 लाख रुपए का लाभ कमाया था।

(ख) बम्बई में सेन्टॉर जुहू बीच होटल निर्माणाधीन है और इसके अगले वर्ष चालू होने की आशा है।

26 कमरों वाला राजगीर में स्थित सेन्टॉर होके होटल नवम्बर, 1984 के आखिर में शुरू किया गया था। मार्च, 1985 तक रात्रि शयन कक्ष के अनुसार अधिभोग औसत लगभग 11% था जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में 10.20 लाख रुपये का कुल घाटा हो गया। इस होटल की अधिभोग की दर कम होने का कारण यह था कि जापान के होके क्लब, जिसे इस होटल में बौद्ध पर्यटन यातायात को बढ़ाना था, के पास होटल के संवर्धन के लिए पर्याप्त समय नहीं था। जापान के होके क्लब की सहायता से औसत रूम अधिभोग की दर को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकाप्टरों की खरीद

1532. **श्री डी०एन० रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 21 हेलीकाप्टर खरीदने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों की पेशकश प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रति हेलीकाप्टर का मूल्य क्या होगा?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार पेट्रो-

लियम क्षेत्र तथा अन्य प्रारम्भिक आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेलीकाप्टर खरीदने पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) यू०के० के अलावा अमरीका, फ्रांस तथा इटली से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वास्तविक खरीद के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

गुलबर्गा से बंगलौर तक वायुदूत सेवा

1533. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा, बंगलौर शहर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में लोगों को हैदराबाद तक विमान से और फिर गुलबर्गा तक सड़क मार्ग द्वारा जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुलबर्गा से बंगलौर तथा बंगलौर से गुलबर्गा तक वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने का है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गुलबर्गा बंगलौर से लगभग 581 कि० मी० है।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। चूंकि गुलबर्गा कोई हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

1534. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में "इण्डियन पोपुलेशन प्रोजेक्ट" के संबंध में दिनांक 20 अक्तूबर, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "डब्ल्यू० बी० टोम बुकिंग इन्टू यू० पी० क्लेम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में पहले और द्वितीय चरण के अन्तर्गत किये गये कार्य के रिकार्ड के विश्व बैंक द्वारा किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने जोनपुर, गोरखपुर, बलिया आदि सात पूर्वी जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का दावा स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के छः पूर्वी जिलों में क्रियान्वित की जा रही भारतीय जनसंख्या परियोजना दो (1980-86) की समीक्षा करने के लिए विश्व बैंक के एक दल ने 13 से 26 अक्तूबर, 1985 तक उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। इस दल ने परियोजना कार्यकलापों को समय पर पूरा करने के बारे में अपने सुझाव दिये हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल इस प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पालम हवाई अड्डे पर विमानों का उतरना

1535. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाले विमान गुड़गांव रोड के ऊपर से केवल 25-30 फुट की ऊंचाई से गुजरते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुड़गांव रोड पर अधिकतम यातायात भरा रहता है;

(ग) क्या पालम पर उतरने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और सरकार का उन्हें सुदृढ़ बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) पालम गुड़गांव मार्ग उन मार्गों में से एक मार्ग है, जहां भारी यातायात है।

(ग) पालम हवाई अड्डे पर उतरने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलेरिया और अन्य रोगों का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य

1536. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में मलेरिया काफी लम्बे अर्से से फैला हुआ है;

(ख) देश में मलेरिया पर श्रमियों (पैरासाइटों) का सबसे पहले कब पता लगाया गया और उनका नियोजन कब किया गया;

(ग) मलेरिया समाधान तथा इसके समाधान तथा इसके टीके का विकास सहित प्रतिरोधी जाति (स्पीसीज) का पता लगाने के लिए भारत के अनुसंधान तथा विकास चिकित्सा वैज्ञानिकों का क्या योगदान है; और

(घ) क्या "कुष्ठ, कैंसर, वायरस एनसेफेलाइटिस इत्यादि अन्य विकासाधीन" टीके हमारे चिकित्सा शोधकर्ताओं द्वारा व्यावहारिक परीक्षण के पश्चात शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) मलेरिया परजीवी का पता सबसे पहले 1897 में सर रोनाल्ड रोस ने लगाया था जब वह भारत में सिकन्दराबाद में काम कर रहे थे।

(ग) और (घ) भारत में वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों और औषधियों की प्रतिरोधक शक्ति सम्बन्धी क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं पर काफी अनुसंधान कार्य किया है। तथापि, भारतीय वैज्ञानिक अभी तक मलेरिया रोधी वैक्सीन विकसित नहीं कर पाये हैं।

अन्य वैक्सीनों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है –

1. **कुष्ठरोधी वैक्सीन** भारत में वैज्ञानिकों के तीन समूह कुष्ठरोधी वैक्सीन का विकास करने के लिए सक्रियता से अनुसंधान कर रहे हैं।

2. **कैंसर-रोधी वैक्सीन**—भारत में ऐसे किसी कार्य की सूचना नहीं मिली है।

3. **वायरस एनसेफेलाइटिस-रोधी वैक्सीन**—भारत सरकार ने जापान सरकार के साथ मिलकर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जापानी एनसेफेलाइटिस-रोधी वैक्सीन तैयार करने का निर्णय किया है। इस संस्थान द्वारा 1985 के अन्त तक लगभग 3.5 से 4 लाख खुराकों का निर्माण करने की संभावना है।

कलकत्ता से उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन

1537. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को छूट के अलावा कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी एयरलाइनों को दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों और छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विदेशी एयरलाइनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। कलकत्ता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की व्यापक नीति के रूप में, विदेशी एयरलाइनों द्वारा कलकत्ता को एकपक्षीय प्रचालनों के फलस्वरूप एयर इण्डिया को देय क्षतिपूर्ति, उस मामले की तुलना में जहाँ कोई एयरलाइन भारत में किसी प्वाइंट तक प्रचालन करना चाहे, अपेक्षाकृत निम्नतर स्तर पर निर्धारित की जाती है। "ऐलिया" (ए०एल०आई०ए०) रायल जोर्डन एयरलाइन्स एक ऐसी एयरलाइन है जिसे कलकत्ता को प्रचालन करने की पेशकश की गई थी लेकिन क्योंकि वे केवल बम्बई तक प्रचालन करने के इच्छुक थे इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को लाभदायक नहीं पाया।

1981 में एक वाणिज्यिक करार को अन्तिम रूप दिया गया था जिसके अन्तर्गत बम्बई/दिल्ली और कलकत्ता तक लॉट (पोलिश एयरलाइन) द्वारा एक पक्षीय प्रचालन करने की व्यवस्था थी। लॉट को कलकत्ता को जल्दी उड़ाने प्रारम्भ करने की दृष्टि से प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित वाणिज्यिक शर्तों को स्वीकृत किया गया है जिनमें 1981 में मानी गई दरों और बम्बई/दिल्ली को लॉट द्वारा एक-पक्षीय प्रचालनों के लिए लागू दरों की तुलना में क्षतिपूर्ति की अत्यधिक कम दरों की व्यवस्था है। तथापि, लॉट ने इस प्रस्ताव के प्रति अपना कोई जवाब नहीं दिया है।

भोपाल गैस दुर्घटना में पीड़ित लोगों में पाये गये जीव-रासायनिक परिवर्तन

1538. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** :

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों में गंभीर जीव-रासायनिक परिवर्तनों का पता चला है जिनसे अनिद्रा, नपुंसकता और अन्य अनियमितताएं हो गई हैं और यदि हां तो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ (इन्डस्ट्रियल टोक्सीकोलाजी रिसर्च सेंटर) द्वारा किए गए अध्ययन का पूर्ण ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या चिकित्सा द्वारा ग्लेटाथायोन कमी को दूर किया जा सकता है और क्या कोई रोग लक्षण परीक्षण किए गए हैं; और

(ग) इससे क्या आनुवंशिक दोष होने का अनुमान है और क्या यह परिवर्तनीय है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) काफी रोगियों में व्यवहार संबंधी और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखे गए हैं। ये परिवर्तन बच्चों, महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों में अधिक देखे गए हैं। इन लक्षणों में घबराहट, सिरदर्द, धड़कन, भूख न लगना, नींद न आना, नपुंसकता, मासिक धर्म में गड़बड़ होना, आदि शामिल हैं।

ग्लूटायोन की कमी का इलाज करने के लिए कोई नैदानिक परीक्षण नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कतिपय स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर अपने औषधालयों और अस्पतालों के माध्यम से तत्काल इलाज प्रदान किया जा रहा है जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एम० आई० सी०गैस से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का मध्यकालिक और दीर्घकालिक अध्ययन करने के लिए 27 परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों में क्रोमोसोमी विपथन की बारंबारता का अध्ययन शुरू किया है। पीड़ित व्यक्तियों के रक्त के नमूनों की आवधिक अन्तरालों पर जांच की जा रही है। सभी नवजात शिशुओं में जन्मजात विकारों पर भी निगरानी रखी जा रही है। लम्बे समय तक निगरानी रखने के बाद ही पता चलेगा कि जन्मजात विकार किस प्रकार के हैं और उन्हें दूर किया जा सकता है अथवा नहीं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलते-फिरते दस्तों का गठन

1539. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को शहर में बस चलाने वाले अपने कर्मीदल पर नजर रखने के लिए चलते-फिरते दस्तों के गठन के लिए निदेश दिये हैं,

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ऐसे चलते-फिरते दस्तों का गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने चलते-फिरते दस्तों का गठन किया गया है; और

(घ) राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ऐसे चलते-फिरते दस्तों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सोलह मोबाइल स्काड 1 अक्टूबर, 1985 से कार्य कर रहे हैं। इनका मुख्य कार्य सड़क पर ड्राइवरों के कार्य पर निगरानी रखना है। ये दस्ते ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों को, उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं और जिन ड्राइवरों को अधिक लापरवाह पाया जाता है अथवा जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं उन्हें, उसी समय बस की ड्यूटी से हटा लिया जाता है और रिफ्रेशनर कोर्स के लिए निगम के प्रशिक्षण स्कूल में भेज दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के जयपुर-भोपाल सेक्शन पर पुलों का निर्माण

1540. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०12 के जयपुर-भोपाल सेक्शन पर कितने पुलों का निर्माण करने का

विचार है, कितने पुलों का पहले से ही निर्माण किया जा चुका है तथा कितने पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है, और

(ख) क्या इस राजमार्ग पर वर्तमान पुलों की मरम्मत अथवा उनका पुनः निर्माण करने का विचार है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और उनमें सुधार कार्यों की स्वीकृति, राजमार्ग की मौजूदा स्थिति, पुलों, यातायात की अधिकता, संसाधनों की उपलब्धता और अखिल भारतीय आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रख कर प्रदान की जाती है। 1980-85 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के भोपाल-जयपुर खण्ड में 5 पुल पूरे किए गए और 10 पुलों पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। 3 पुलों के लिए सर्वेक्षण और जांच-कार्य की भी स्वीकृति दी गई है। वार्षिक योजना 1985-86 में स्वीकृति के लिए 6 पुलों को शामिल किया गया है और वार्षिक योजना 1986-87 में 6 पुलों का प्रावधान रखा गया है।

सातवीं योजना के दौरान कैंसर की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय

1541. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान देश में कैंसर के कारण कितने बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा सातवीं योजना अवधि में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कैंसर न तो अधिसूच्य रोग है और न ही एक दर्ज कराए जाने वाला रोग है। वैसे, मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1982-1983 तथा 1984 के दौरान विशिष्ट कैंसर अस्पतालों में उपचार किए गए कैंसर रोगियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पहले से ही सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में एक कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम चला रहा है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, गुहाटी, ग्वालियर, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम में नौ क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई में 10वें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) विभिन्न अस्पतालों में कैंसर के उपचार की और सुविधाएं जुटाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकार के अस्पतालों/स्वयंसेवी संगठनों में कोबाल्ट थेरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए 12.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार की संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों को 5,0000/- रुपये प्रति केन्द्र के हिसाब से केन्द्रीय सहायता भी प्रदान करता है।

(घ) भारत सरकार ने पहले ही बम्बई, मद्रास, बंगलौर, चण्डीगढ़, त्रिवेन्द्रम तथा डिबरूगढ़ में क्रमशः 3 जनसंख्या के आधार पर तथा 3 अस्पताल ट्यूमर रजिस्ट्रीज अर्थात 6 कैंसर रजिस्ट्रीज स्थापित कर दी हैं। उपर्युक्त बातों के अलावा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर को प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर पर रोकने पर जोर दिया जा रहा है।

विवरण

1982, 1983 तथा 1984 के दौरान विशिष्ट कैंसर अस्पतालों में उपचार किए गए कैंसर के रोगियों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अस्पतालों की संख्या	बिस्तरों की कुल संख्या (पी)	1982			सूचित किए गए अस्पतालों की संख्या
			दाखिल किये गए रोगी	रोगी जिनको छुट्टी दी गई	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	1	150	2934	2820	136	1
2. असम	1	70	241	226	16	1
3. बिहार	1	56	938	906	32	1
4. गुजरात	1	50	606	572	42	1
5. हिमाचल प्रदेश	1	35	69	66	3	1
6, कर्नाटक	2	308	4514	4170	314	2
7. केरल	1	100	1558	1482	61	1
8. मध्य प्रदेश	5	299	3950	3715	262	5
9. महाराष्ट्र	2	348	10291	9561	511	2
10. उड़ीसा	1	130	1633	1567	81	1
11. तमिलनाडु	5	725	5086	4893	81	2
12. त्रिपुरा	1	—	—	—	—	1
13. उत्तर प्रदेश	1	106	1432	1343	81	1
14. पश्चिम बंगाल	3	351	3268	2956	327	3
कुल :	26	2728	36520	34277	1947	23

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983		सूचित किए गये		1984			
	दाखिल किए गए रोगी	रोगी जिनको छुट्टी दी गई	मौतें	अस्पतालों की संख्या	दाखिल किये गये रोगी	रोगी जिनको छुट्टी दी गई	मौतें	सूचित किये गये अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	2899	2828	93	1	+	+	+	—
2. असम	394	376	19	1	333	335	10	1
3. बिहार	938	906	32	1	+	+	+	—
4. गुजरात	680	644	33	1	888	913	30	1
5. हिमाचल प्रदेश	90	85	5	1	91	89	2	1
6. कर्नाटक	5320	4951	362	2	3080	3017	57	1
7. केरल	764	719	45	1	+	+	+	—
8. मध्य प्रदेश	3920	3687	264	5	3314	3127	198	4
9. महाराष्ट्र	10646	10262	468	2	12024	11386	558	2
10. उड़ीसा	1798	1714	83	1	1939	1873	86	1
11. तमिलनाडु	11591	11422	319	4	12282	12024	324	3
12. त्रिपुरा*	—	—	—	1	+	+	+	—
13. उत्तर प्रदेश	1315	1240	76	1	1357	1298	61	1
14. पश्चिम बंगाल	3665	3277	348	3	1601	1413	186	1
कुल :	44020	42111	2147	25	36909	35480	1512	16

टिप्पणी :— * केवल बाह्य रोगी विभाग का प्रबन्ध है, अभी एक बाह्य रोगी विभाग को, चालू किया जाना है।
+ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
— शून्य
पी—अनिन्तम

खजुराहो के मन्दिरों पर काले धब्बे

1542. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मण और खण्डेरिया (खजुराहो) मन्दिरों के दक्षिण तथा उत्तर छोर पर कुछ मूर्तियां बलुई पत्थर पर अत्यधिक वर्षा पड़ने के प्रभाव से काली पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ग) सावधानी से उनका संरक्षण करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) खजुराहो के खंडेरिया और लक्ष्मण मंदिरों के उत्तरी और दक्षिणी कोनों पर वर्षा के पानी के रुकने तथा अवशोषण के कारण सतह पर काले धब्बे देखे गए है ।

(ख) ये धब्बे प्रायः मूर्तियों के पीछे दरारों और कटावों में पड़ते हैं ।

(ग) क्योंकि ये काले धब्बे सतह पर होते हैं अतः उन्हें रासायनिक सफाई करके मिटा दिया जाता है और इसके बाद प्रतिवर्ती सतही लेप करके परिरक्षित किया जाता है ।

हैदराबाद से नागार्जुन सागर के लिए विमान सेवा

1543. **श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से नागार्जुन सागर के लिये, जो पर्यटकों तथा तकनीशियनों के लिये सामान्य रूप से तथा बौद्धों के आकर्षण का स्थान है, विमान सेवा आरंभ करने का क्या विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस विमान सेवा को किस तारीख तक आरंभ कर दिये जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रास्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले राज्य विश्वविद्यालय

1544. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ किये गये अनेक विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसलिये शिक्षा का स्तर गिर रहा है; और

(ख) यदि हां तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने से पहले राज्य सरकारों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये और कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों की व्यवस्था और विनियमन के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिये ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग अधिनियम के खंड 12-ख के अनुसार जून 17, 1972 के पश्चात् स्थापित कोई भी नया विश्वविद्यालय आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का तभी पात्र होता है जब उसे वि० अ० आयोग द्वारा ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता हो। केवल वे ही विश्वविद्यालय जो वि० अ० आयोग अधिनियम के खंड 12-ख के अन्तर्गत तैयार किए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें ही आयोग द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है। अभी हाल ही में स्थापित किए गए 13 नए विश्वविद्यालय, जो अभी भी शर्तें पूरा नहीं करते, उन्हें वि० अ० आयोग द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किया जाना है।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए वि० आ० आयोग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तथापि नए विश्वविद्यालयों के मामले में आयोग इनको सहायता के लिए उपयुक्त घोषित करने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की मात्रा तथा इनके अधिनियम अथवा विधान में किये गये प्रावधान के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट करता है।

[हिन्दी]

बीकानेर शहर में रेलवे फाटकों पर ऊपरिपुल

1545. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर शहर में पांच रेलवे फाटक हैं;

(ख) क्या रेल प्रशासन ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ हुई संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया था कि इन पांच रेलवे फाटकों में से केवल एक रानी बाजार रोड और गजनेर रोड पर ही दो रेलवे उपरिपुलों का निर्माण किया जाना चाहिए लेकिन प्राथमिकता रानी बाजार रोड को दी गई है;

(ग) क्या रेल प्रशासन को रानी बाजार और गजनेर रोड पर उपरिपुलों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के व्यय के हिस्से को स्वीकृति प्राप्त हो गई है; यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है; और

(घ) रानी बाजार रोड पर उपरिपुल का कार्य कब शुरू होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। इन दो ऊपरी सड़क पुलों के लिए राजस्थान सरकार ने अभी तक रेलों को प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) इस कार्य के शुरू किए जाने की तारीख राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा प्रस्ताव के तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप देने तथा राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा वहन करने की सहमति देने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कोचीन सेक्शन के लिये जयन्ती जनता एक्सप्रेस में वातानुकूलित सवारी डिब्बे की व्यवस्था करना

1546. **श्री के. कुन्जम्बु** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन और कोचीन के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस में

वातानुकूलित सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी के मंगलौर सेक्शन के लिए एक वातानुकूलित सवारी डिब्बा उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो कोचीन सेक्शन में यह सुविधा कब उपलब्ध कराने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है। अतः निजामुद्दीन और कोच्चिन के बीच एक वातानुकूल 2 टियर शयनयान चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

दक्षिणी राज्यों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए धनराशि का आबंटन और सुविधाएं

1547. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार के लिये धनराशि और सुविधाओं के मामले में उनके सम्बन्धित राज्यों के साथ सरकार द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार किये जाने के प्रति सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर खर्च करने के लिए दक्षिणी राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों को कब तक अधिक धनराशि देगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) भारत सरकार को दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह पता चला है कि छठी योजना अवधि के दौरान आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों की मात्रा यह दर्शाती है कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में दक्षिणी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को कम संख्या में विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुदान दिया गया है। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार उस सम्मेलन द्वारा यथा अनुशंसित शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता संस्वीकृत करती है, राज्यों की आवश्यकताओं तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनागत आबंटन का राज्य-वार संविभाजन पहले से ही निर्धारित नहीं किया जाता।

सातवीं योजना के दौरान देश में रेलवे अनुरक्षण कार्यशालाओं (रेलवे मेंटेनेंस वर्क्सशाप) को बदला जाना

1548. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ओब्सलीट रेलवे वर्क्सशाप इक्विपमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में काफी समय पहले स्थापित 46 रेलवे अनुरक्षण कार्यशालाओं (रेलवे मेंटेनेंस वर्कसशाप) के बदले जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सातवीं योजनावधि के दौरान इन 46 रेलवे अनुरक्षण कार्यशालाओं में परिवर्तन लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) जी हां।

(ख) मे (घ) सरकार ने काफी समय पहले से स्थापित रेल कारखानों में उपस्करों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का में विभिन्न चरणों में बदलाव/आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए है।

तदनुसार अधुनिकीकरण परियोजना के पहले चरण को 1979-80 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इसमें चार रेलवे मरम्मत कारखाने यथा माटुंगा, कांचरापाड़ा, खड़गपुर और परेल महालक्ष्मी तथा एक उत्पादन यूनिट यथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना शामिल था। परियोजना की वर्तनान अनुमानित लागत लगभग 67 करोड़ रुपये है। आधुनिकीकरण परियोजना के दूसरे चरण को 1984-85 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है। इसमें परेल लोको, लिलुआ, जगाधारी, गोल्डन राक, खड़गपुर, अजमेर अर्थात 6 रेलवे मरम्मत कारखाने और एक उत्पादन यूनिट यथा सवारी डिब्बा कारखाना शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 160 करोड़ रुपये है। परियोजना के इस चरण की प्रगति सातवीं योजना अवधि के दौरान होगी।

इसके अलावा, मशीन और संयंत्र के वार्षिक कार्यक्रम के जरिए विभिन्न रेलवे कारखानों में प्रति वर्ष आधुनिक मशीन और संयंत्रों के लिए जरूरत पर आधारित साधन-सामग्री की व्यवस्था की जाती है। सातवीं योजना अवधि में उपलब्ध संसाधनों के भीतर कारखानों के लिए मशीन और संयंत्रों की व्यवस्था करना जारी रहेगा।

महाराष्ट्र के लिए परिवार नियोजन लक्ष्य और राज्यों तथा केन्द्र द्वारा दिये गये प्रोत्साहन

1549. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए परिवार नियोजन लक्ष्य क्या हैं;

(ख) परिवार नियोजन संबंधी आपरेशन कराने वाले पुरुषों और महिलाओं को राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस वर्ष वित्तीय प्रोत्साहन कम कर दिये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1985-86 के परिवार नियोजन लक्ष्य इस प्रकार हैं—565,000 नसबंदी, 600,000

आई० यू० डी० निवेशन, 600,000 प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता, 148,000 खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता। वर्ष 1986-87 के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) नसबंदी कराने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी एक विशेष वेतन-वृद्धि और भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज में रियायत पाने के हकदार होते हैं बशर्ते वे इस संबंध में सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। केन्द्रीय सरकार ने आम जनता को वित्तीय प्रोत्साहन देने की कोई योजना आरंभ नहीं की है। वैसे, तीन अथवा इससे कम बच्चों वाले नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को 120/- रुपये और तीन से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को 100/- रुपये उमकी मजदूरी की क्षति को पूरा करने के लिए प्रदान किये जाते हैं। तथापि, राज्यों को अपने संसाधनों से वित्तीय प्रोत्साहनों की अपनी योजनाएं आरम्भ करने की छूट है। इस बारे में हर राज्य में अलग-अलग स्थिति है और कुछेक मामलों में एक ही राज्य में हर वर्ष की भिन्न-भिन्न स्थिति है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना

1550. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वे उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं जिन्हें छठी योजना के दौरान प्राप्त कर लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव तैयार किये थे जिनमें सातवीं योजना में लगभग 1400 करोड़ रु० के परिव्यय को शामिल किया गया है। आयोग द्वारा किये गये प्रस्तावों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बल दिये गये थे :—

(i) लगभग 100 गैर कृषि विश्वविद्यालयों तथा ऐसे 5246 कालेजों जो सहायता के लिए पात्र मानदण्ड को पूरा करते हों, में सुविधाओं को समेकित करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना;

(ii) पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु को आधुनिक बनाना तथा उन्हें स्तरोन्नत करना;

(iii) श्रेष्ठता के संवर्धन के लिए अवस्थापना को विकसित करने के लिए, चयनात्मक आधार पर संस्थाओं और विभागों को सुदृढ़ करना;

(iv) अध्यापकों के लिये व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ करना;

(v) बुनियादी तथा प्रयुक्त अनुसंधान को पर्याप्त सहायता देना;

(vi) शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को विकास कार्यकलापों के साथ सम्बद्ध करना;

(vii) विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध पद्धति में सुधार।

इन प्रस्तावों के मुकाबले में अन्ततः सातवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय मात्र 420 करोड़ रुपये है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन

और समन्वय करना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के स्तर निर्धारित करना तथा उनका अनुरक्षण करना, हैं। आयोग ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए छठी योजना के दौरान, कई कार्यक्रम क्रियान्वित किये। 97 विश्वविद्यालयों तथा 3524 कालेजों को, अपनी अवस्थापना को सुदृढ़ करने तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान की कोटि में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू करने के वास्ते वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

उड़ीसा में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

1551. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन प्रत्येक प्रमुख सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ख) उक्त प्रत्येक परियोजना के पूरा होने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	(करोड़ रुपयों में) अद्यतन अनुमानित लागत	छठी योजना के अन्त तक किया गया व्यय	पूर्ण होने की संभावित तारीख
1.	अपर इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय परियोजना			
	(क) बांध (सिंचाई घटक के प्रति प्रभारणीय)	100.35	21.17	1990-91
	(ख) सिंचाई	83.33	8.76	1990-91
2.	महानदी बिरूपा बराज	92.65	49.17	1987-88
3.	सुवर्णरेखा (उड़ीसा का भाग)	391.49	3.50	1994-95
4.	रंगीली बहुउद्देश्यीय परियोजना			
	(क) बांध (सिंचाई घटक के प्रति प्रभारणीय)	31.92	29.28	1985-86
	(ख) सिंचाई	792.04	43.58	1996-97
5.	अपर कोलाब बहुउद्देश्यीय परियोजना			
	(क) बांध (सिंचाई घटक के प्रति प्रभारणीय)	41.94	28.59	1987-88
	(ख) सिंचाई	75.42	16.36	1990-91
6.	आनन्दपुर	12.18	11.50	1986-87

सूचना राज्य के सातवीं योजना दस्तावेज मसौदे पर आधारित है।

रेल यात्रियों तथा माल से आय

1552. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-नगरीय और गैर-उपनगरीय गाड़ियों में 1981-82 से 1984-85 तक रेल यात्रियों से हुई आय में वृद्धि हुई है जबकि यात्रियों की बुकिंग में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1983-84 में माल से कितनी आय हुई और उस वर्ष माल की टनों में कितनी ढुलाई हुई तथा 1984-85 में इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) गिरावट केवल अल्प दूरी के यात्री यातायात में है। दूसरी ओर, यात्री किलोमीटर में निरन्तर वृद्धि दिखाई रही है जो लम्बी दूरी के यातायात में वृद्धि का द्योतक है।

(ग) 1983-84 में माल से हुई आमदनी तथा लादा गया टन भार क्रमशः 3,234 करोड़ रुपये तथा 230 मिलियन टन थे। 1984-85 के तदनुरूपी अनन्तिम आंकड़े 3,405 करोड़ रु० तथा 236 मिलियन टन हैं।

माध्यमिक स्कूलों और हाई स्कूलों की तुलना में प्राथमिक स्कूलों का अनुपात

1553. **श्री सत्येंद्र नारायण सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों से आने वाले छात्रों को आगे की शिक्षा देने के लिए माध्यमिक और हाई स्कूलों की प्राथमिक स्कूलों की तुलना में अनुपात पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों से आने वाले कम से कम योग्य छात्र आगे की शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी के कारण अशिक्षित न रह जायें;

(ग) क्या यह भी पाया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में बहुत असन्तोषजनक शिक्षण सुविधाओं के कारण इन स्कूलों के छात्र उच्च कक्षाओं में अध्ययन भली-भांति कर पाने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं; और

(घ) यदि हां तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) 1983-84 के चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों की संख्या क्रमशः 509143, 126345 और 44951 है। मिडिल स्कूलों के मुकाबले प्राइमरी स्कूलों का अनुपात लगभग 4:1 है जबकि हाई स्कूलों के मुकाबले प्राइमरी स्कूलों का अनुपात लगभग 11:1 है। हाई स्कूलों के मुकाबले मिडिल स्कूलों का अनुपात लगभग 3:1 है। वर्ष 1979-80 में, पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाने वालों की दर कक्षा 5 (प्राइमरी स्तर) के अन्त में 59.8 प्रतिशत थी, कक्षा 8 (मिडिल स्तर) के अन्त में 76.6 प्रतिशत थी तथा कक्षा 10 (हाई स्कूल स्तर) के अन्त में 83.3 प्रतिशत थी।

जबकि मिडिल और प्राइमरी स्कूलों और इसी प्रकार हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों का अनुपात विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। हाई स्कूलों की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है और मिडिल स्कूलों की संख्या कुछ कम प्रतीत होती है।

राज्य स्कूल शिक्षा की देखभाल कर रहे हैं। जबकि बहुत ही कम दूरी पर और मिडिल स्कूल खोलने के उपाय किए जा रहे हैं, जिन स्थानों पर औपचारिक स्कूल विद्यमान नहीं है उन स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए, गैर-औपचारिक अंशकालिक प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को गैर औपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

प्राइमरी स्तर पर बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक व्यवस्थित अध्ययन अधिक नहीं किये गये हैं। तथापि, प्रारंभिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में, स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार करने के उपाय, शैक्षिक कार्यकलापों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना, एकल शिक्षक स्कूलों को कम-से-कम दो शिक्षक स्कूलों में बदलना, शिक्षा आदि की प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए पाठ्यचर्या का नवीकरण शामिल हैं।

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या

1554. **श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार चिकित्सकों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझती है और दीप समूहों में चिकित्सकों की अपेक्षित संख्या का निर्णय करने के लिए क्या मानदण्ड रखा गया है; और

(ग) क्या सभी वर्तमान पदों को नियमित आधार पर विधिवत भरा गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस समय इन्हें कैसे भरा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में डाक्टरों की स्वीकृत संख्या 29 है।

(ख) जी, हां। डाक्टरों की संख्या का समय-समय पर निर्धारण संस्थाओं/विशेषज्ञताओं/कार्यक्रमों/कार्यभार/क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।

(ग) डाक्टरों के 17 पद जिनमें फिजीशियन तथा डेण्टल सर्जन शामिल हैं, नियमित आधार पर भरे जाते हैं। 12 पद खाली हैं, क्योंकि भर्ती किये गये डाक्टर ड्यूटी पर नहीं आये।

विमानन सुरक्षा पर समिति की रिपोर्ट

1555. **श्री मुकुल वासनिक : क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन सुरक्षा अध्ययन के लिए नागर विमानन विभाग द्वारा नियुक्त की गई पांच सदस्यों की समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के संसद सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक समिति ने विमानन सुरक्षा का अध्ययन किया था और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की

थी । उनकी मुख्य सिफारिशों का संबंध नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय के ढांचे को सुदृढ़ करने, निदेशालय के स्टाफ को अच्छे उपस्करों और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने, सुरक्षा स्टाफ के कर्मचारियों को अच्छे प्रशिक्षण और पर्याप्त प्रोत्साहन देने और विभिन्न हवाई अड्डों आदि पर तैनात पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान की स्थापना करने आदि से है ।

(ग) हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए समुचित कार्रवाई की गई है ।

[हिन्दी]

नर्मदा और ताप्ती नदियों को अन्तर्देशीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग करने के लिए स्वीकृति

1556. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने नर्मदा और ताप्ती नदियों का अन्तर्देशीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, नहीं । गुजरात सरकार ने नर्मदा और ताप्ती नदियों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए इन नदियों को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है । इन नदियों को इन पर से होने वाले यातायात को और नर्मदा सरोवर और सरदार सरोवर नामक बनाये जाने वाले बांधों को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका है । इसके अलावा इस समय भौतिक कठिनाइयों के अलावा मंत्रालय के पास वित्तीय संसाधनों की कठिनाई भी है ।

[अनुवाद]

लोहे के गर्डरों से निर्मित रेल पुल

1557. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोहे के गर्डरों से कितने रेल पुल बनाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने रेल पुलों को लोहे के गर्डर वाले पुलों में बदला गया;

(ग) कितने रेल पुलों को लोहे के गर्डर वाले पुलों में बदला जाना है; और

(घ) उन्हें बदलने की निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता बंदरगाह से आपरेशन ज्योति योजना वापस लेना

1558. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बंदरगाह को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए 15 अगस्त, 1985 को शुरू की गई आपरेशन ज्योति योजना वापस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान इस योजना के संचालन के परिणाम-स्वरूप 70 करोड़ रुपए मूल्य के कारोबार पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो बंदरगाह पर माल और पोत ढुलाई विभिन्न चरणों में प्रचलित "स्पीड मनी" की रोकथाम के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यह सच नहीं है कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में और कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड में जुलाई, 1985 के तीसरे सप्ताह से शुरू किये गये "आपरेशन ज्योति" नामक भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान वापस ले लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) इस अभियान के फलस्वरूप और तत्पश्चात काम को शीघ्र निपटाने के लिए रकम मिलनी बंद कर दिये जाने के कारण शुरू में उत्पादनशीलता में तेजी से गिरावट आई और जहाजों को पत्तन में आने और वहां से जाने में अधिक समय लगने लगा तथा कलकत्ता पत्तन में कुछ हद तक जहाजों का जमाव होना शुरू हो गया । इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जहाजों को घाट पर आने से पहले समुद्र में रुकने तथा कम उत्पादनशीलता के कारण जहाज मालिकों/चार्टर कर्ताओं को कुल कितनी हानि हुई ।

(घ) बेईमान और भ्रष्ट व्यापारियों, कर्मचारियों और मजदूरों के बारे में लगातार निगरानी रखी जा रही है ।

वर्ष 1985 के दौरान रेल माल डिब्बों का आयात

1559. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल माल डिब्बों का आयात किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कितने और किस प्रकार के माल डिब्बे आयात किये गये हैं;

(ग) क्या माल डिब्बा निर्माण यूनिटों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इस समय कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आयात करने के बजाय मांग पूरी करने हेतु देश में रेल डिब्बों के निर्माण में वृद्धि करने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1985 के दौरान रेलों द्वारा कोई माल डिब्बा आयात नहीं किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) माल डिब्बा निर्माण यूनिटों की क्षमता का वर्तमान उपयोग उनकी संस्थापित क्षमता का लगभग 45% है । माल डिब्बा निर्माण के लिए अधिकाधिक अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ङ) जी नहीं । वर्तमान देशी क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । बोगियों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

शहडोल और बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम

1560. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहडोल और बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम अधूरा पड़ा है जबकि नर्मदा नदी पर एक ऊपरी पुल बनकर तैयार हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग के कब तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है; और

(ग) इसके अधूरा पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) शहडोल और बिलासपुर के बीच सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों की कमी

1561. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में इन पुस्तकों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बहुत अधिक कमी नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार और रा० शै० अनु० प्र० परि० पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सभी पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई जाएं ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को धनराशि का आवंटन

1562. **श्री चित्त महाता** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस आवंटन का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस आवंटन का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सातवीं योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 420.00 करोड़ रुपए है । सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदानों के अंतरिम आवंटन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

दोहद-महू बड़ी रेल सम्पर्क लाईन तथा इन्दौर-महू मीटर गेज रेल सम्पर्क लाईन

1563. **श्री सुभाष यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा दोहद-महू बड़ी रेल सम्पर्क लाईन तथा इन्दौर-महू मीटर गेज सम्पर्क लाईन के लिए एक प्राथमिक तथा यातायात सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस रेलवे लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) महू और इन्दौर के बीच मिले-जुले आमान की लाइन सहित दाहोद से महू तक बड़े आमान का एक नये रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कार्य हाल में ही पूरा हुआ है ।

(ग) रेल लाइन के निर्माण के संबंध में निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद योजना आयोग के परामर्श से किया जाएगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

माल गाड़ियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम

1564. **श्री शाम लाल यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल गाड़ियों में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) रेलवे को इससे हर वर्ष कितनी हानि हो रही है; और

(ग) क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए एक नये शक्तिशाली रेलवे सुरक्षा बल के दस्ते का गठन करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) पिछली तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चलती गाड़ियों, यार्डों, माल गोदामों तथा पार्सल प्लेटफार्मों से माल और पार्सलों के बुक किये गये परेषणों की चोरी/उठाईगीरी के कारण गुम हुई सम्पत्ति की कुल कीमत इस प्रकार थी :—

वर्ष	नुकसान की कुल राशि (रुपयों में)
1982-83	6,85,24,373/-
1983-84	6,63,21,555/-
1984-85	5.55,43,896/-

तथापि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हानि और पूरे पैकेजों/परेषणों की चोरी तथा बुक किये गये परेषणों की उठाईगीरी के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में भुगतान की गयी कुल राशि इस प्रकार थी :

वर्ष	हानि, चोरी और उठाईगीरी के सम्बन्ध में किये गये क्षतिपूर्ति के भुगतान की राशि (रुपयों में)
1982-83	15,43,75,000/-
1983-84	22,77,70,000/-
1984-85	24,12,19,000/-

उपर्युक्त आंकड़ों में माल गाड़ियों में चोरी तथा उठाईगीरी जैसे गलत भेजे गये माल डिब्बों तथा उनके मार्ग परिवर्तन आदि के अलावा अन्य कारणों की वजह से क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान शामिल है ।

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न रेलों पर रे० सु० ब० की आवश्यकताओं की समीक्षा की गई है और भर्ती पर प्रतिबंध हटाये जाने के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट होस्टल स्थापित करना

1565. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान ने पश्चिम बंगाल में एक स्पोर्ट होस्टल स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन० एस० एन० आई० एस०) पटियाला ने खेलछात्रावासों की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों से 1985-86 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे । इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से एन० एस० एन० आई० एस० को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइन्स में त्रुटिपूर्ण कम्प्यूटर

1566. **श्री नारायण चौबे** :

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इंडियन एयरलाइन्स का कम्प्यूटर अक्सर खराब हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयां होती हैं;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के दिल्ली कार्यालय में कम्प्यूटर कितनी बार खराब हुआ;

(ग) इसके खराब होने के क्या कारण हैं;

(घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कम्प्यूटरों को कहां से खरीदा गया था;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) कम्प्यूटर प्रणाली के निष्पादन का माप प्रत्येक वर्ष, इसके अपटाइम द्वारा प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। पालम में लगाए गए कम्प्यूटर में कोई गम्भीर खराबियां नहीं आई हैं, जहां कम्प्यूटर का अपटाइम 99.8% से अधिक है। कंचनजंगा भवन में मुख्य बुकिंग कार्यालय पर, अधिष्ठापित कम्प्यूटर का अपटाइम लगभग 97% है।

(ग) कंचनजंगा भवन में अपटाइम के कम होने का मुख्य कारण, कम्प्यूटर केन्द्र तथा मुख्य बुकिंग कार्यालय के बीच बिजली तथा संचार के सम्पर्क की खराबी है।

(घ) कम्प्यूटर अमरीका के मैसर्स स्पेरी यूनिवेक से प्राप्त किया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल के क्षेत्र में एशिया के देशों के साथ सहयोग

1567. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया के विभिन्न देशों के साथ खेल के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एशिया में विदेशों के साथ चल रही बातचीत के अन्तर्गत सहयोग का विस्तृत क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या हमारे खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सुधार करने के लिये विदेशों से प्रशिक्षण सुविधायें प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) विभिन्न एशियाई देशों के साथ खेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को ध्यान में रखकर भारत ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के अन्तर्गत 18 एशियाई देशों के साथ खेल कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर तदर्थ विनिमय भी किये जाते हैं।

(ख) अन्य 5 एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय खेल विनिमय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी प्रशिक्षक भारत में लाये जाते हैं। उदाहरणार्थ हाल ही में जी० डी० आर०, यू० एस० एस० आर०, एफ० आर० जी०, यू० एस० ए०, यू० के०, आस्ट्रेलिया और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया से प्रशिक्षक लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पुरुष/महिला खिलाड़ियों को उच्च कोटि का तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर, लगभग 100 अर्हता प्राप्त भारतीय खेल प्रशिक्षक विदेशों में समय-समय पर मुख्य तौर पर जी० डी० आर०, यू० एस० एस० आर० और एफ० आर० जी० में प्रशिक्षित किए गए हैं।

माल डिब्बों का अधिकतम प्रयोग न किये जाने के कारण नुकसान

1568. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग को रेल माल-डिब्बों का अधिकतम प्रयोग न किए जाने के कारण भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या वास्तविक लदान और माल-डिब्बों का उपयोग मांग पर उपलब्ध किए गए माल डिब्बों की संख्या से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या संसद की प्राक्कलन समिति ने भी इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और

(च) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। वस्तुतः माल डिब्बों के उपयोग में सुधार हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। कभी-कभी रेलों द्वारा सप्लाई किये गये माल डिब्बे परेषकों द्वारा लदान स्थलों पर अनुमेय निःशुल्क समय से अधिक समय तक रोक लिए जाते हैं।

(घ) संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 78वीं रिपोर्ट में, जिसे 11-4-84 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, कोयला खानों में "पीछे छूटे माल डिब्बों" की, अर्थात रेलों द्वारा सप्लाई किये गये माल डिब्बे का कोयला खानों द्वारा अनुमेय निःशुल्क समय के भीतर लदान न किये जाने की समस्या की ओर रेलों का ध्यान आकर्षित किया था।

(ङ) इस समस्या पर मंत्रालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय और फील्ड स्तर पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कोयला कम्पनियों ने तेजी से लदान करने के लिए कार्रवाई की है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कोयला खानों द्वारा अनुमेय निःशुल्क समय के भीतर माल डिब्बों का लदान न करने पर रेलों द्वारा सदैव विलम्ब शुल्क लिया जाता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

लकड़ी के स्लीपरों का आयात

1569. **डा० चंद्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेल की पटरियों को बिछाने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले लकड़ी के स्लीपरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार उनका आयात करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी देश से सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस देश का क्या नाम है जिससे इनका आयात किया जाएगा और कितने स्लीपरों का आयात किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। तथापि, 1978 में सरकार ने नेपाल सरकार के साथ स्लीपरों और लट्ठों की सप्लाई के लिए ठेके किये थे। इन ठेकों के प्रति कुछ मात्रा की सप्लाई की जानी अभी बाकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास के लिये निधियां

1570. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शिक्षा के लिए सामाजिक मूल संरचना के विस्तार के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर बहुत जोर देती है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य विशेष के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई कार्य प्रणाली अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सरकार, कार्यात्मक क्षमताओं के उन्नयन के माध्यम से देश के मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी सम्पति बनाया जा सके। सातवीं योजना में शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा कार्य तथा कला और संस्कृति सहित) के लिए 6,382.65 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई। सातवीं योजना में सामाजिक और महिला कल्याण के लिए 1012.36 करोड़ रुपए की राशि की भी व्यवस्था की गई है। कठिनाइयों का पता लगाने, नीतियों और दृष्टिकोणों को अन्तिम रूप देने, शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के निर्धारण का कार्य चल रहा है।

परिवार नियोजन अपनाने वालों को प्रोत्साहन के नियमित भुगतान की योजना

1571. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को मासिक अदायगी दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की वर्तमान योजनाओं से कार्यक्रम में वास्तव में सहायता मिली है; और

(ख) इसके प्रभाव को जानने के लिए क्या कोई प्रमाणिक अध्ययन किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) कुछ राज्यों ने ग्रीन कार्डों की एक योजना शुरू की है जो दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं जिससे वे मकान के आवंटन, ऋणों की मंजूरी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता पाने के पात्र हैं। कुछ राज्य लाटरी योजनाएं भी चला रहे हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संबंधित सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर एक विशेष वेतन वृद्धि और गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज में रियायत पाने के भी पात्र होते हैं। ऐसी ही योजनायें कुछ राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए भी शुरू की गई हैं। ऐसे प्रोत्साहनों से सामान्यता परिवार नियोजन की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ऐसे प्रोत्साहन के प्रभावों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

दिल्ली और महानगरों के बीच सीधे उड़ान

1572. **श्री आर० प्रभु** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की नीति है कि दिल्ली और अन्य तीन महानगरों के बीच सीधी उड़ानें की जाएं;

(ख) यदि हां, तो उन महानगरों के नाम क्या है; जिनके लिए दिल्ली से प्रतिदिन सीधी उड़ानें हैं;

(ग) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या हैं जो सीधी उड़ानों के माध्यम से दिल्ली से जुड़ी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी विमान उड़ानें बन्द कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सीधी उड़ानों को चालू करने के लिए दो नगरों के बीच यातायात की मांग एक मान-दण्ड है।

(ख) बम्बई, मद्रास और कलकत्ता महानगर दिल्ली से सीधी दैनिक उड़ान से जुड़े हुए हैं।

(ग) दिल्ली के साथ सीधी उड़ान से जुड़ी हुई राज्यों की राजधानियां निम्न प्रकार हैं :

1. अहमदाबाद	7. गुवाहाटी	12. लखनऊ
2. बंगलौर	8. हैदराबाद	13. मद्रास
3. भोपाल	9. इम्फाल	14. पटना
4. बम्बई	10. जयपुर	15. भुवनेश्वर
5. कलकत्ता	11. जम्मू/श्रीनगर	16. त्रिवेन्द्रम
6. चण्डीगढ़		

(घ) और (ङ) एक सीधी सेवा/एयर लिंक वह होती है जहां विमान या उड़ान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस संदर्भ में दिल्ली और मद्रास सीधे जुड़े हुए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स ने 1 नवम्बर, 1985 से शुरू शीतकालीन समय-सारिणी में, पहले की दिल्ली-मद्रास के बीच एक दैनिक बी-737 सेवा और दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास सैक्टर पर दूसरी दैनिक बी-737 सेवा के स्थान पर दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास सैक्टर पर प्रति सप्ताह 14 एयरबस उड़ानों की व्यवस्था कर दी है। ऐसा यात्रियों के लिए अधिक क्षमता वाले और आरामदायक विशालकाय विमानों की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

यमुना पार की कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना

1573. **श्री राज कुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुर, करतार नगर, न्यू उस्मानपुर, दयालपुर, करावल नगर और भजनपुरा जैसी यमुना पार की कालोनियों में अधिकतर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का कोई औषधालय नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) इस समय यमुना पार की कालोनियों में पांच एलोपैथिक औषधालय काम कर रहे हैं तथा तीन किलोमीटर की परिधि में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2000-2500 होने के बुनियादी मानदण्ड के पूरा होते ही इस क्षेत्र में और औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

रायबरेली में विमानचालन (फ्लाइंग) अकादमी की स्थापना

1574. **श्री ई० अय्प्पु रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानचालन (फ्लाइंग) अकादमी रायबरेली में स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) इस अकादमी का संविधान, संरचना तथा उद्देश्य क्या होगा; और

(घ) क्या इस अकादमी का नियंत्रण तथा संचालन नागर विमानन विभाग करेगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी" नामक राष्ट्रीय फ्लाइंग अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के राय बरेली जिले में फुरसतगंज में की जा रही है ।

(ख) अनन्तिम रूप से 659.86 लाख रुपए की राशि के अनुमान अनुमोदित किए गए हैं। परियोजना की अन्तिम लागत का हिसाब लगाया जा रहा है ।

(ग) अकादमी की स्थापना और प्रबन्ध इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान सोसायटी द्वारा किया जाएगा जो एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना इस उद्देश्य के लिए की गई है और जिसका पंजीकरण सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है ।

सोसायटी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(क) इसमें और इसके पश्चात निर्दिष्ट सभी अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना, संरचना, प्रबंध और संधारण;

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों सहित, आम जनता के हित के लिए भारत में वैमानिकी और नागर विमानन विज्ञान का संवर्धन और विकास;

(ग) ट्विन-इंजिन पृष्ठांकन/उपकरण रेटिंग में प्रशिक्षण सहित, नागर विमानन में निहित अथवा संबद्ध वाणिज्यिक विमानचालकों, उड़ान अनुदेशकों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण का संगठन और उसका आयोजन करना;

(घ) राज्य सरकार के विमानचालकों और वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस धारकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को तैयार करना और लागू करना;

(ङ) नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान के प्रोत्साहन और विकास के उद्देश्य से सम्मेलनों, व्याख्यानों, गोष्ठियों का आयोजन और अध्ययन समूहों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करना;

(च) सोसायटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका आयोजन करना;

(छ) उपरोक्त में से किसी भी उद्देश्य के लिए, भारत में अन्य सोसायटियों और संघों अथवा फ्लाइंग स्कूलों की सहायता और मार्गदर्शन करना; और

(ज) ऐसे अन्य कार्य-कलाप जो ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी से भी संबद्ध हों।

सोसायटी की सभी शक्तियां उसकी शासी परिषद में निहित हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :

(1) सचिव, नागर विमानन विभाग, (परिवहन मंत्रालय)—पदेन अध्यक्ष।

(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ—पदेन सदस्य।

(3) संयुक्त सचिव (प्रशासन), नागर विमानन विभाग, (परिवहन मंत्रालय)—पदेन सदस्य।

(4) वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन विभाग, (परिवहन मंत्रालय)—पदेन सदस्य।

(5) प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन एयरलाइन्स—पदेन सदस्य।

(6) प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया—पदेन सदस्य।

(7) नागर विमानन के महानिदेशक—पदेन सदस्य।

(8) रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित भारतीय वायु सेना से एक प्रतिनिधि—पदेन सदस्य।

(9) अध्यक्ष, एयरो क्लब ऑफ इण्डिया—सदस्य।

(10) अकादमी के निदेशक—पदेन सदस्य।

(घ) जी, नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे और मध्यम दर्जे के पत्तनों का बड़े पत्तनों के रूप में विकास करना

1575. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छोटे और मध्यम दर्जे के पत्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बड़े पत्तनों के रूप में विकास करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कांकीनाडा पत्तन का बड़े पत्तन के रूप में विकास करने के लिए प्रस्ताव भेजा था;

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसे सातवीं योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सातवीं योजना में किसी भी लघु या मध्यवर्ती पत्तन को महापत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार ने, संसाधन की कठिनाई होने के कारण, सातवीं योजना अवधि में किसी भी लघु या मध्यम पत्तन के स्तर को महापत्तन के रूप में उन्नत करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

भारत में "एडस" के मामलों का पता लगाने के लिए उठाये गए कदम

1576. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में "एडस" के मामलों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या भारत में अब तक किसी अस्पताल से ऐसे किसी मामले के पता चलने के समाचार हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीमारी की रोकथाम करने और भारत में इसे फैलने से रोकने के लिए निगरानी और देखरेख सम्बन्धी कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) बीमारी का मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों के साथ क्या समन्वित उपाय किए गए हैं तथा देश में इस क्षेत्र में यदि कोई अनुसधान कार्य किया गया है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारत में उपार्जित प्रतिरक्षण ह्रास लक्ष्य समूह रोग का कोई मामला रिपोर्ट किया गया हो, सरकार के ध्यान में नहीं आया है । लेकिन देश में इस रोग पर निगरानी रखी जा रही है । राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, देश में एस० टी० डी० क्लीनिकों, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों, तथा ब्लड बैंकों के प्रभारियों को बार-बार सावधान किया गया है कि वे इस रोग के चिह्नों तथा लक्षणों को ध्यान में रखें तथा जब कभी ऐसे सन्देहास्पद मामले हों, उनकी एक रिपोर्ट भेजें । लोगों में विशेषकर समलिंगकामी जैसे अधिक जोखिम वाले वर्गों तथा रक्त दाताओं में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों से अनुरोध किया जा चुका है कि वे एस० टी० डी० क्लीनिकों, ब्लड बैंकों आदि में आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करें । (I) चिकित्सा एवं अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को पर्याप्त रूप से साफ-सुथरे टीका उपकरण इस्तेमाल करने तथा (II) रक्त एवं प्लाज्मा संगठनों को स्वैच्छा से स्वतः बहिष्करण नीति को बढ़ावा देने और

प्रोत्साहित करने के लिये इच्छुक दाताओं को ए० आई० डी० एस० के बारे में संगत सूचना देने के लिये हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

(घ) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ सदस्य ने 24 अक्तूबर, 1985 को मुख्यालय में इस विषय पर हुई परिषद की टास्कफोर्स की पहली बैठक में भाग लिया। उसने परिषद की अनुसंधान सम्बन्धी नीति में सक्रिय सहयोग देने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की उत्कट इच्छा व्यक्त की। इस सम्बन्ध में प्रभावकारी तालमेल रखा जा रहा है।

अपर कृष्णा परियोजना का कार्य निष्पादन

1577. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अपर कृष्ण परियोजना चरण-दो के कार्य निष्पादन के लिये मूलत: कितनी राशि का आबंटन किया गया था;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए आबटित राशि में कितनी वृद्धि करने का विचार है;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) परियोजना कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) अपर कृष्णा परियोजना चरण-I का कार्य कर्नाटक द्वारा दो चरणों में अर्थात चरण I और II में निष्पादित किया जा रहा है। वर्ष 1978 में परियोजना का संशोधित अनुमान 283.65 करोड़ रुपये था। परियोजना को पूरा करने के लिए अद्यतन वित्तीय आवश्यकता लगभग 1040 करोड़ रुपये है। यह सूचित किया गया है कि मार्च, 1985 (छठी योजना के अन्त तक) परियोजना पर लगभग 328 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जिससे सातवीं योजना में 712 करोड़ रुपए की राशि आगे लाई गई है। सातवीं योजना में परियोजना के लिए 221 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना कार्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाया जायेगा।

कर्नाटक द्वारा इस समय निष्पादित किये जा रहे चरण-I के कार्य के विभिन्न भागों की भौतिक प्रगति इस प्रकार है :—

(i) नारायणपुर बांध : पूरा हो गया है तथा वर्ष 1982 में शुरू कर दिया गया था।

(ii) आलमती बांध : (चरण I में आंशिक ऊंचाई के लिये स्वीकृत) : कार्य चल रहा है और इसके जून, 1988 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(iii) नारायणपुर बायां तट नहर (78 किलोमीटर लम्बी): 67 किलोमीटर तक पूरी हो चुकी है और 68-78 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो रहा है और इसके जून, 1986 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(iv) शाहपुर ब्रांच नहर (45 किलोमीटर लम्बी) : 0 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य उन्नत अवस्था में है। 39 से 45 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य अधिकांशत: पूरा हो चुका है। शेष कार्य जून, 1986 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मार्ग में माल के गबन/उठाईगीरी/चोरी के लिए दिया गया मुआवजा

1578. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान मार्ग में माल के गबन उठाईगीरी/चोरी के परिणामस्वरूप मुआवजे के रूप में रेलवे द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामले पता चले हैं जिनमें अवैध गतिविधियों में रेलवे कर्मचारी सम्बद्ध पाये गये हैं; और

(ग) इन कदाचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1984-85 के दौरान पूरे पैकेजों/परेषणों की चोरी/हानि और उठाईगीरी के परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि 24.12 करोड़ रुपये थी तथा गबन के परिणामस्वरूप मुआवजे के रूप में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया था ।

(ख) जी हां । कुछ कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया है ।

(ग) सरकार द्वारा किए गये उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) जहाँ तक संभव होता है भेद्य खंडों में कीमती सामान की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों का रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा माग रक्षण किया जाता है ।

(2) भेद्य स्थलों पर रेलवे सुरक्षा बल की गश्ती टुकड़ियां तैनात की जाती हैं ;

(3) भेद्य यार्डों तथा यानान्तरण स्थलों पर अपराध आसूचना शाखा द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाते हैं ।

(4) अपराधों की रोक-थाम करने के लिये राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ।

(5) दावा निरोधक तथा सुरक्षा संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से अचानक जांच की जाती है ।

(6) आमान परिवर्तन वाले यानान्तरण स्थलों तथा पुनर्पैकिंग स्थलों पर कार्य-प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण ।

(7) खराब माल डिब्बों की पैनलों में पेबन्द लगाना ।

शरद् पूर्णिमा पर ताज महल को बन्द करना

157. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरद् पूर्णिमा के अवसर पर सूर्य छिपने के तुरन्त पश्चात् ताजमहल बन्द कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूर्य छिपने के पश्चात् पर्यटकों को ताजमहल देखने की अनुमति नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) शरद् पूर्णिमा को ताजमहल तो सूर्य छिपने के पश्चात् भी 7.30 बजे रात्रि तक खुला रहा और पर्यटकों को इसे देखने की अनुमति दी गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइनों के यात्रियों की संख्या में कमी

1580. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की वार्षिक संख्या में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी/करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"स्टोअवे" की घटना की एयर इंडिया द्वारा की गई जांच

1581. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1985 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "ए० आई०" प्राब इन्टु स्टोअवे इन्सीडेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त घटना के बारे में अब तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आयरिश मूल के बताए गए 10 और 12 वर्ष की आयु के दो बालकों ने, जो जम्मू और कश्मीर हवाई अड्डे के बाहर घूमते हुए पाये गये थे और जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, पूछताछ करने पर यह बताया कि उन्होंने डबलिन से लन्दन तक जल-स्थल मार्ग से यात्रा की और लन्दन से न्यूयार्क तक उड़ान से यात्रा की, जिसके विवरण एयर इंडिया उड़ान के अनुरूप हैं। ऐसा बताया गया है कि वे लन्दन में बिना किसी दस्तावेज लिए हुए आव्रजन और पुलिस प्राधिकारियों से बचकर निकलने में सफल हो गए और एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार हो गए, जिसने न्यूयार्क के लिए उड़ान भरी। यह भी बताया गया है कि बिना किसी रोक के वे अमरीकी आव्रजन और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से बचकर भी निकल गए।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस सम्बन्ध में एयर इंडिया द्वारा जांच की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक यातायात कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और अन्य दो अधिकारियों की पदावनति की गई है।

बकेट ड्रेजर के स्थान पर ग्रेब हुपर ड्रेजर का उपयोग किया जाना

1582. **श्री वक्कम् पुरुषोत्तमन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास 48 वर्ष पुराने अपने "बकेट ड्रेजर" के स्थान पर 1500 घन मीटर क्षमता वाले एक "ग्रेब हुपर ड्रेजर" स्वीकृत किये जाने के लिए सरकार से अनुरोध करता रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) पुराने ड्रेजर "लेडी विलिग्डन" के स्थान पर एक नया ड्रेजर खरीदने के बारे में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव की जांच की गई है और इस पर लोक निवेश बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कोचीन बंदरगाह पर शिपमेंट टैली क्लर्कों द्वारा हड़ताल

1583. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितंबर, 1985 के दौरान कोचीन बंदरगाह पर शिपमेंट टैली क्लर्कों द्वारा 15 दिन लंबी हड़ताल किये जाने के क्या कारण थे;

(ख) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तन कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़ताल किये जाने को रोकने के लिए कोई विधान लाने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कोचीन पत्तन में कलीयरिंग एंड फारवार्डिंग एजेंटों द्वारा नियोजित शिपमेंट टैली क्लर्क 12-9-1985 से 27-9-1985 तक हड़ताल पर थे । इनकी मांग यह थी कि इन्हें एक समान पूल के तहत लाया जाये ताकि इन्हें रोजगार के समान अवसर मिल सकें ।

(ख) हड़ताल के कारण, निर्यात होने वाले जनरल कारगो को जहाजों पर लदान और भरने का काम पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गया । 10 जहाजों को निकट के पत्तनों की ओर भेज दिया गया और दो जहाज पूरा माल लादे बिना पत्तन से चले गये । इससे माल भेजने वाले व्यापारियों और जहाजी एजेंटों को जो हानि हुई उसका अनुमान नहीं किया जा सकता ।

(ग) इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त है ।

रेलवे की संबद्ध गतिविधियों के निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशकों की अधिकतम सीमा

1584. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की संबद्ध गतिविधियों के निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशकों के लिए लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रेल विभाग एक लोकोपयोगी विभाग होने के नाते अपनी विभिन्न खरीदों के मामले में प्रतियोगी टेंडर आमंत्रित करने का सिद्धान्त अपनाता है । लाभ की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा मामलों पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है । यदि निवेदित दर अधिक समझी जाती है, तो कीमतें कम कराने के लिए बात-चीत की जाती है ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण

1585. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन की छठी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के मसौदा प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता की कुंजी शिक्षकों का प्रशिक्षण है और भारत में इस पहलू के सम्बन्ध में स्थिति असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में अन्य क्या सिफारिशें/टिप्पणियां की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में साक्षरता में प्रशिक्षण की योजना को कार्यान्वित करने हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को स्वयंसेवी शिक्षकों के रूप में रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) एशिया और प्रशांत महासागर बैंकाक में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 देशों की साक्षरता में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला, नई दिल्ली में 23-10-85 से 4-11-85 तक आयोजित की। इसका उद्देश्य अनुभवों में हिस्सा बटाना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बना तथा आयोजन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नीतियां, सामग्री और मूल्यांकन तकनीकों की रूपरेखा के विकास में सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना था। कार्यशाला में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्णायक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। इसने अपनी रिपोर्ट में नीतियों में क्षेत्र-पदाधिकारियों अर्थात् अनुदेशक, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने की सिफारिश की है।

(ग) कार्यशाला की रिपोर्ट में सिफारिश की गई नीतियों में से यह एक है।

(घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

रेल उपकरणों के चोरी तथा गुम होने के मामले

1586. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के दौरान तथा जनवरी, 1985 से अब तक उपकरणों की चोरी तथा गुम होने के लिए कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) उन उपकरणों का कुल कितना मूल्य था; और

(ग) क्या सरकार का रेलों की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने का कोई विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) 1984 और 1985 (जनवरी अगस्त, 1985) के दौरान रेलवे के उपकरणों की चोरी और उनके गुम हो जाने के मामलों की संख्या तथा उनकी लागत नीचे दी गई है :—

वर्ष	मामलों की सं०	चुराये गये और गुम हुए उपकरणों तथा फिटिंगों की लागत
1984	90,835	2,09,21,844/- रुपये
1985 (जनवरी-अगस्त, 85)	59,945	1,55,22,994/- रुपये

(ग) रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जाती है और उसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों द्वारा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा बिक्री

1587. **श्री रेणुपद दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की दुकानों पर बिक्री बहुत कम होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की कुल कितनी बिक्री हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तक दुकान में पुस्तकों की बिक्री इस तथ्य की दृष्टि से कम नहीं है कि दुकान आवासीय क्षेत्र तथा कार्यालय प्रांगण में स्थित है। पुस्तक-दुकान की 1984-85 के दौरान कुल बिक्री 2.24 लाख रुपये (लगभग) थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की बिक्री से प्राप्त कुल राशि वर्षवार निम्न प्रकार से है :

1982-83	26.27 लाख रुपये
1983-84	22.18 लाख रुपये
1984-85	23.68 लाख रुपये

कुछ कम्पनियों के जहाजों के संबंध में रेहन मोचन निषेध करना

1588. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ कम्पनियों के जहाजों के संबंध में रेहन मोचन निषेध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन जहाजों का प्रबन्ध किस प्रकार होगा;

(ग) क्या एक नया नौवहन संगठन बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायालय जब तक यह मामला उसके यहां विचाराधीन है तब तक नौवह विकास निधि समिति के आवेदन पर जहाजों के प्रबंध के लिए भारतीय नौवहन निगम/मुगल लाइन लिमिटेड अथवा किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी को आदाता नियुक्त करती है।

(ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान यात्री डिब्बों और माल डिब्बों का बदला जाना

1589. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में यात्री डिब्बे और माल डिब्बे के चलने और ढुलाई की उपयोग अवधि क्या है;

(ख) देश में प्रत्येक रेलवे जोन में कितने यात्री डिब्बे और माल डिब्बों के उपयोग की अवधि समाप्त हो गई और वह कब से समाप्त हो चुकी है;

(ग) सरकार ने इन डिब्बों को बदलने और रेलवे के कार्यरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल डिब्बों को बदलने के लिए कितने यात्री डिब्बों और माल डिब्बों की आवश्यकता होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की निर्धारित आयु इस प्रकार है :

सवारी डिब्बे	**माल डिब्बे**
इस्पात के ढांचे वाला—25 वर्ष	साधारण चौपहिया माल डिब्बा—35 वर्ष
लकडी के ढांचे वाला—30 वर्ष	बोगी माल डिब्बा—35 वर्ष
	टंकी माल डिब्बा —45 वर्ष

(ख) निर्धारित आयु के आधार पर गतायु सवारी तथा माल डिब्बों की 31-3-85 को स्थिति इस प्रकार है :

रेलवे	सवारी डिब्बे		माल डिब्बे (चौपहिया के हिसाब से)	
	ब. ला.	मी. ला.	ब. ला.	मी. ला.
मध्य	389	—	3976	—
पूर्व	555	—	4719	—
उत्तर	641	241	2458	187
पूर्वोत्तर	26	910	—	1865
पूर्वोत्तर सीमा	30	187	10	437
दक्षिण	207	194	1162.5	255
दक्षिण मध्य	88	80	452.5	605
दक्षिण पूर्व	122	—	2948	—
पश्चिम	197	374	1043	595
जोड़	2255	1986	16769	3944

(ग) आयु एवं हालत के आधार पर चल स्टाक को नकारा किया जाता है। धन की उपलब्धता के अनुसार नये माल डिब्बे खरीदे जाते हैं। जहां तक सवारी डिब्बों का सम्बन्ध है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित किया जा रहा है और सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्धारित आयु के आधार पर निम्नलिखित संख्या में सवारी तथा माल डिब्बों का बदलाव अपेक्षित होगा :

सवारी डिब्बे	माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)
ब०ला० 4195	18009.5
मी०ला० 3166	13341.0
जोड़ 7361	31350.5

डिपुओं में खड़ी दिल्ली परिवहन निगम की बसें

1590. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1985 को दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें बस डिपुओं और अन्य पार्किंग क्षेत्रों में खड़ी थीं;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि इन बसों के पुर्जे चोरी चले गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन वाहनों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 31.10.85 को कुल 4023 बसों में से 297 बसें डिपों और केन्द्रीय वर्कशापों में ही रहीं। इनमें वे बसें शामिल नहीं हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है और जिन्हें स्क्रैप किया जाना निश्चित किया गया है।

(ख) जो बसें डिपुओं और वर्कशापों में ही रही थीं, वे नेमी मरम्मत कार्यों और अन्य अनुरक्षण कार्य आदि के लिए थी जिससे कि उन्हें सड़क पर चलने लायक बनाया जा सके। किसी भी प्रकार की चोरी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) चूंकि ये मरम्मत कार्य नेमी होते हैं और इन्हें अल्पावधि में पूरा करना होता है और चूंकि इन बसों को सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार बदला जाता रहता है अतः मरम्मत कार्य के लिये आवश्यक धन राशि का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

कालीकट में स्टेडियम का निर्माण

1591. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेल-कूद के लिए कालीकट, केरल में स्टेडियम के निर्माण के लिए सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) केरल सरकार से वर्ष 1979-80 के दौरान कालीकट में एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इस प्रयोजनार्थ 1.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। कालीकट में स्टेडियम के निर्माण के लिए वर्ष 1985-86 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब कोच फैक्ट्री परियोजना

1592. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब कोच फैक्ट्री की प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है;

(ग) प्रस्तावित कोच फैक्ट्री की निर्माण क्षमता कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (घ) प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला रख दी गई है। पंजाब सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना भी कर दी गई है।

(ख) 1985-86 में इस कार्य के लिए 3.46 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(ग) पूरा होने पर कारखाने की प्रति वर्ष 1000 सवारी डिब्बे निर्माण करने की क्षमता होगी।

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया को 1984-85 के दौरान हुई हानि

1593. **श्री मानवेंद्र सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया को वर्ष 1984-85 (सितम्बर, 1985 तक) के दौरान हानि हुई;

(ख) यदि हां, उपरोक्त वर्ष के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को कितनी हानि हुई;

(ग) इस हानि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए 1985-86 में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान (1.4.84 से 31.3.85 तक) भारतीय नौवहन निगम ने 2.27 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया। तथापि, 1.4.1985 से 30.9.1985 तक भारतीय नौवहन निगम को लगभग 6.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(ग) 1.4.1985 से 30.9.1985 की अवधि में घाटे के मुख्य कारण हैं—माल-भाड़ा मार्केट में मन्दी, लाइनर संचालकों में भारी प्रतिस्पर्द्धा और संचालन लागत में वृद्धि।

(घ) भारतीय नौवहन निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) मार्केटिंग के लिए जोरदार प्रयास,

(ii) अपने जहाजों के लिए अधिकतम माल प्राप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति पर लगातार नजर रखना,

(iii) अलाभकर जहाजों का निपटान/स्क्रैपिंग,

(iv) लाइनर सेवाओं को युक्तिपरक बनाना जिसमें जहाजों को कंटेनरयुक्त करना भी शामिल है,

(v) कर्मचारियों पर खर्च और जहाजों की मरम्मत तथा रख-रखाव सम्बन्धी देखरेख और सख्त नियंत्रण।

[हिन्दी]

पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाना

1594. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पूर्व रेलवे की पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाने और पटना से जहानाबाद, पटना से बक्सर तथा पटना से मोकामा के लिए उपनगरीय रेल सेवा आरंभ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(क) पटना से जहानाबाद, बक्सर और मोकामा तक सुबह और शाम दोनों समय कई दैनिक-यात्री गाड़ियां उपलब्ध हैं। संसाधनों की कमी के कारण गाड़ी-सेवाओं में और वृद्धि करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। पटना क्षेत्र में लाइन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के पूरा होने तथा रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह निर्णय किया जायेगा कि लाइन क्षमता की वृद्धि दोहरी लाइन बिछा कर की जाए अथवा कम लागत वाले अन्य साधनों से की जाय, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

बच्चों की अधिकतम सीमा

1595. **श्री के० एस० राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जो परिवार नियोजन का पालन करके बच्चों की संख्या केवल दो तक सीमित रखते हैं, (एक) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (दो) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास स्थल, आवास ऋण, ब्याज की विभेदक दर पर ऋण तथा अन्य सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या बच्चों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या स्वास्थ्य गाइडों की परिलब्धियों तथा लक्ष्यों में वृद्धि करके उनकी सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कुछेक राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गयी ग्रीन कार्ड योजना के अन्तर्गत दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति आवास स्थलों के आवंटन, आवास ऋणों आदि जैसे मामलों में प्राथमिकता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की सेवाओं का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लेकिन, लक्ष्यों में वृद्धि हो जाने के कारण उसके अनुरूप उनके पारिश्रमिक में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण

1596. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षण चार्ट के मुद्रण तथा प्रदर्शन के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली आरम्भ की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली में ऊंचे दर्जे के आरक्षण कार्यालय में आरक्षण चार्टों का संगणकीकृत मुद्रण सितम्बर, 1985 से शुरू किया गया है। सम्प्रति, इस प्रणाली से बम्बई और कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ताज एक्सप्रेस और तूफान एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षण चार्ट मुद्रित किये जा रहे हैं। जिस दिन राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलती है, उस दिन वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी के चार्ट मुद्रित किये जाते है। आरक्षण पट्टों पर लगाने के लिए ये चार्ट द्विभाषी रूप में और वर्णक्रमानुसार तैयार किये जाते हैं। तथापि, जो चार्ट सवारी डिब्बों पर चिपकाये जाते हैं, वे सीट/शायिकाओं के संख्या के आरोही क्रम में मुद्रित किये जाते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु दिल्ली पुलिस के सुझाव

1597. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस से दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होने वाली प्रत्येक दुर्घटना की रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन को एक विस्तृत टिप्पणी भेजी है, जिसमें दुर्घटनाओं को कम करने हेतु अनेक सुझाव दिए गये हैं;

(ग) क्या उन्होंने भी इन सुझावों की जांच की है;

(घ) दिल्ली में डी० टी० सी० की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु सरकार द्वारा हाल में क्या कार्यवाई की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जो सुझाव दिल्ली परिवहन निगम को अक्तूबर, 1985 में पुलिस उपायुक्त से प्राप्त हुए उनकी जांच की गई है और उन्हें स्वीकार करने योग्य पाया गया। निगम ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं जिसका कार्यान्वयन वित्तीय तथा अन्य संचालनात्मक कठिनाइयों पर निर्भर है। नए ड्राइवरों की भर्ती के मामले में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का सहयोग लेने के सुझाव को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने दि० प० नि० की बसों के साथ दुर्घटनाओं की दर को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए हैं—

1. चालक दल के व्यवहार पर नजर रखने के लिए मोबाइल स्क्वाड लगाना।

2. ड्राइवरों को दुर्घटना रहित रिकार्ड रखने के लिए प्रोत्साहन योजना।

3. बसों की गति की जांच के लिये बसों में गति नियंत्रक लगाने की व्यवस्था ।
4. भारी वाहनों की ड्राइविंग का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रशिक्षित ड्राइवरों को लगाना ।
5. बसों के रख-रखाव शिडयूल का सख्ती से अनुपालन ।
6. यातायात नियमों और सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में ड्राइवरों को शिक्षित करने के सम्बन्ध में पुलिस की सहायता ।
7. सभी ड्राइवरों की 55 वर्ष से अधिक आयु हो जाने पर वार्षिक मेडिकल जांच ।

दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में विलम्ब

1598. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन अस्पतालों की अद्यतम स्थिति क्या है तथा उन्हें पूरा किये जाने की निर्धारित अवधि क्या है;

(ख) उनका निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका निर्माण कार्य शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) शाहदरा और हरी नगर, दिल्ली में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पतालों तथा मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर और जफ्फरपुर दिल्ली में 100-100 पलंगों वाले तीन अस्पतालों का निर्माण कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लिये जाने की संभावना है । निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि हो जाने, जिसमे अनुमानों में संशोधन किया जाना जरूरी था, के कारण विलम्ब हुआ है। संशोधित अनुमानों के लिए मंजूरी दे दी गयी है ।

बहरामपुर-मंडी-रामपुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1599. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के रास्ते बहरामपुर-मंडी-रामपुर के बीच वाई आकार के रेल लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश की पहल और उसकी लागत से कराए गए बकाया कार्य के प्रारंभिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं और स्थान के लिए पूर्ण सर्वेक्षण के आदेश कौन सी तारीख तक दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कौन सी तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है और मामले की अनुमति तथा मंजूरी के लिए योजना आयोग को कब तक भेजी जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं । बहरामपुर-बिलासपुर-रामपुर बड़ी लाइन के लिए व्यावहारिकता अध्ययन की रिपोर्ट को अभी तक रेलवे द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच करने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जायेगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

1600. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमांचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास तथा निर्माण के लिए कोई नई सड़कें मंजूर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन सड़कों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान आरम्भ किया जाएगा और इस कार्य हेतु कितना परिव्यय मंजूर किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की भारी कठिनाई के कारण संदर्भित चार राज्यों सहित किसी राज्य में किसी नए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना अभी संभव नहीं है ।

दूसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ मेलजोल का सुझाव

1601. **श्री आर० एस० भोये** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1985 में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि रेलवे के अधिकारी रेल राज्य मंत्री द्वारा दिये गये इस सुझाव का अनुपालन करने में असफल रहे हैं कि उन्हें दूसरे दर्जे के यात्रियों के साथ मिलकर यात्रा करनी चाहिए और उनकी शिकायतों पर की गई कार्यवाहियों से उन्हें अवगत कराना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों का रेल अधिकारियों द्वारा पालन न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि, अनुदेशों के निचले स्तर के अधिकारियों तक पहुंचने तथा सभी स्तरों के अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्टें प्राप्त होने में कुछ समय लगा । वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्टें तत्काल प्राप्त हुई थीं । अब अन्य अधिकारियों से भी नियमित रूप से रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं ।

"एड्स" पर निगरानी रखने के लिए कृतिक बल

1602. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने "हाई रिस्क," समूहों पर जिनके विदेशियों के साथ सम्पर्कों के कारण "एक्वायर्ड इम्यून डेफिशेन्सी सिन्ड्रोम" रोग से प्रभावित होने की संभावना रहती है, सतत् निगरानी रखने के लिए एक कृतिक बल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल का गठन तथा इसके कृत्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) टास्क फोर्स का गठन और उसके कार्य इस प्रकार हैं :

गठन :

प्रोफेसर वी० रामालिंगास्वामी
डा० एस० श्रीरामाचारी
ब्रिगेडियर आर० एन० दत्ता
डा० के० एम० पावरी
डा० भानु० एस० वर्मा
डा० एच० एम० भाटिया
डा० वी० एन० सहगल
डा० ए० एन० मालवीय
डा० एरिक सिमोस
डा० एन० के० शाह—दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (प्रेक्षक)

कार्य :

इस टास्क फोर्स का काम इस विषय से सम्बन्धित कला की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और सरकार को इस रोग का पता लगाने और उस पर निगरानी रखने के बेहतर तरीके तैयार करने के लिए उपयुक्त शोध नीतियों के बारे में सलाह देना है।

केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

1603. **श्री टी० बशीर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत समय में केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी भूमि प्रभावित हुई है;

(ग) सरकार का विचार केरल तट पर समुद्र द्वारा होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने छठी योजना के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की थी; और

(ङ) उनमें अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) छठे दशक में केरल सरकार द्वारा किए गये मूल्यांकन के अनुसार, राज्य में 560 किलो मीटर तट क्षेत्र में से लगभग 320 किलो मीटर क्षेत्र समुद्र द्वारा भूमि कटाव से असुरक्षित था। राज्य सरकार असुरक्षित भागों की सुरक्षा के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना से समुद्री दीवारों के निर्माण का कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और छठी योजना के अन्त तक 290 किलो मीटर तट क्षेत्र कवर कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार वर्ष 1972-73 से इन कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है।

छठी योजना (1980-85) के दौरान इन कार्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय इस प्रकार है :

	अनुमोदित व्यय	व्यय
	करोड़ रुपए में	
राज्य क्षेत्र	15.00	12.55
केन्द्रीय क्षेत्र (ऋण सहायता)	22.00	16.35
कुल	37.00	28.90

रेल मंत्रालय द्वारा रेलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु कदम

1604. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद की लोक लेखा समिति ने रेल मंत्रालय से अपनी वर्तमान परिसम्पत्तियों के इष्टतम और कुशल उपयोग द्वारा और अपने सभी फिजूल खर्च को कम करके अपने राजस्व से और अधिक संसाधन जुटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे विभाग ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उठाये गये उक्त कदमों से और कितने अधिक संसाधन जुटाये जा सके हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि रेलों को परिसम्पत्तियों का कुशल उपयोग करके और फिजूल खर्च को कम करके अधिक संसाधन जुटाने चाहिएं।

(ख) उठाये गये मुख्य कदम नीचे दिये गये हैं :—

1. कर्मचारियों की वृद्धि पर नियंत्रण,
2. भाप कर्षण समाप्त करना,
3. ईंधन की खपत में किफायत,
4. वस्तु-सूची पर बेहतर नियंत्रण,
5. सीधे छोर से छोर तक माल गाड़ियां चला करके परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग।

(ग) आयोजित निवेश में आन्तरिक घटक का प्रतिशत 1980-81 के 31.44 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 50.01 प्रतिशत हो गया है जिसमें उपर्युक्त कदमों का भी योगदान है।

एक भारतीय फर्म द्वारा कार्टरिज टेपर रोलर बीयरिंगस की सप्लाई

1605. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय फर्म जो कि सबसे कम बोली देने वालों में से थी, के पक्ष में 48000 कार्टरिज टेपर रोलर बीयरिंगस के लिए सरकार द्वारा एक जापानी फर्म के लिए की गई सिफारिश के प्रस्ताव को विश्व बैंक द्वारा अस्वीकार किये जाने के बावजूद भी सरकार ने दूसरी बार विश्व बैंक के लिए जापानी फर्म की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय फर्म का पक्ष लेते हुए विश्व बैंक ने दोबारा जब उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया था कार्टरिज टेपर रोलर बीयरिंगस की प्रारम्भिक मांग 48000 से कम करके 12000 कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह कदम उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में "ड्रंकन पायलटिंग"

1606. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में नशे की हालत में विमान चलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान (वर्ष-वार), एयरलाइनों के कमांडरों द्वारा उड़ान सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करके नशे की हालत में विमान चलाने के ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की हालत में उड़ान करने वाले कमांडरों के विरुद्ध तथा किसी प्रकार की दुर्घटना न होने देने के लिए सुरक्षा विनियमों की कड़ी क्रियान्वित और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया, किसी में भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की पेशकश

1607. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ कोरिया की मैसर्स ह्यून्दई कारपोरेशन द्वारा पूर्वी पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिये 115 मिलियन डालर के सम्पर्क प्रस्ताव की पेशकश की है, जिसमें यह शर्त है कि वापस भुगतान 10 वर्ष की अवधि में उस देश को लौह अयस्क के निर्यात के रूप में करना होगा;

(ख) क्या मैसर्स ह्यून्दई के तकनीकी दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया था तथा वह 10 अक्तूबर, 1985 तक विस्तृत प्रस्ताव भेजने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कब तक करार पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ङ) पराद्वीप पत्तन के विकास के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से दक्षिण कोरिया के मैसर्स हिन्दुई निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिससे इस पत्तन पर कच्चा लोहा ढोने वाले 2 लाख डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाज आने-जाने लगें। इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की और अधिक विस्तारपूर्वक जांच के लिए इस विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया

गया है जिसमें वित्त मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, योजना आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, खान विभाग, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, परादीप पत्तन न्यास और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मैसर्स हिन्दुई निगम के एक विशेषज्ञ दल के भारत आगमन और सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उनके साथ हुए विचार विमर्श के आधार पर, हिन्दुई निगम ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संशोधित प्रस्ताव में पहले के 2 लाख डी० डब्ल्यू० टी० जलयानों के बजाय 1,70,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों की हैंडलिंग के लिए सुविधाएं शामिल की गई हैं। कार्यदल संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से जांच के लिए यह प्रस्ताव परामर्शक को भी भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर कार्यदल की रिपोर्ट और परामर्शकों की तकनीकी जांच रिपोर्ट मिलने पर निर्णय लिया जाएगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षिक तथा प्रशासनिक एकरूपता

1608. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री पी० एम० सईद : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए शैक्षिक तथा प्रशासनिक मानदण्डों में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से व्यापक संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इनको कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इस समय शैक्षिक तथा प्रशासनिक मानदण्डों में परिवर्तनों के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि नई शिक्षा नीति पर वर्तमान विचार-विमर्श के भाग के रूप में उच्च शिक्षा पद्धति में सुधारों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण तथा सुझाव दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही परिवर्तन लाने के लिये विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

प्राइवेट पार्टियों द्वारा रेलवे की सहायक गतिविधियों में भाग लिया जाना

1609. **श्री बी० बी० देसाई : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी सहायक गतिविधियों के लिये गैर-सरकारी पूंजी आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरम्भ में, रेलवे ने प्राइवेट पार्टियों को दो इन्टरनल कन्टेनर डिपो स्थापित करने की अनुमति का निर्णय किया है;

(ग) क्या रेलवे ने साधनों की अत्यन्त कमी के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को रेलवे की सहायक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(घ) क्या रेलवे ने प्राइवेट पार्टियों से कहा है कि वे अपने पास माल डिब्बे रखे जो रेलवे अधिकारियों के प्रबन्ध के अन्तर्गत होंगे;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे प्राइवेट पार्टियों को उसकी किस सीमा तक सहायता करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(च) गैर-सरकारी क्षेत्र को रेलवे की सहायता करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ग) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) एक योजना तैयार की गई है जिसके तहत उन पार्टियों को भाड़े में उपयुक्त छूट देने का प्रस्ताव किया गया है जो निजी माल डिब्बे रखने की इच्छुक हों।

नई दिल्ली त्रिवेन्द्रम केरल एक्सप्रेस में अपर्याप्त सुविधाएं

1610. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 14 जुलाई, 1985 के मलयाला मनोरमा दैनिक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार को आरक्षित डिब्बों में भीड़भाड़, सफाई की कमी, अपर्याप्त सुविधाएं और रेल अधिकारियों आदि के उदासीन व्यवहार के सम्बन्ध में भी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 125/126 केरल एक्सप्रेस महत्वपूर्ण सुपरफास्ट गाड़ियों में से एक है और जैसे पानी, रोशनी, पंखे, सवारी डिब्बों की सफाई, शौचालयों, खान-पान, अनधिकृत कब्जे की रोकथाम के लिये आरक्षित सवारी डिब्बों में कर्मचारी तैनात करने आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं को ठीक से बनाये रखने के लिये उचित ध्यान दिया जाता है। अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा बहुधा अचानक जांच भी की जा रही है।

इडुक्की (केरल) में रेलवे आउट एजेंसी

1611. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में इडुक्की के लोगों की ओर से उस जिले में एक रेलवे आउट एजेंसी खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। इडुक्की जिला में परमाडे में एक आउट एजेंसी खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों की विस्तार से जांच की गई थी लेकिन ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया था।

नौवहन कम्पनियों से ऋणों की वसूली

1612. **डा० गौरीशंकर राजहंस :**

श्री मुकुल वासनिक :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में कार्यरत सभी नौवहन कम्पनियों से नौवहन विकास निधि समिति को देय ऋणों तथा उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं और 31 अक्तूबर, 1985 को उनमें से प्रत्येक कम्पनी पर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक नौवहन कम्पनी से ऋण वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां। नौवहन विकास निधि समिति ने, उन सभी नौवहन कम्पनियों को नियमों के अनुसार नोटिस जारी की है, जिन्होंने बकाया राशि के भुगतान के लिए नौवहन विकास निधि समिति को ब्याज सहित ऋण नहीं चुकाया है।

(ख) नौवहन कम्पनियों के नाम और 31 अक्तूबर, 1985 को उन प्रत्येक कम्पनी पर बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नौवहन विकास निधि समिति ने, ब्याज सहित ऋण नहीं चुकाने वाली नौवहन कम्पनियों से बकाया धन की वसूली करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें कम्पनियों के जहाजों पर उनका रेहननामा समाप्त करना और उन्हें न्यायालयों की सहायता से बेचना तथा भुगतान की राशि के सम्बन्ध में विक्रय प्रक्रिया को व्यवस्थित करना आदि शामिल है।

विवरण

क्रम सं०	कंपनी का नाम	बकाया राशि (रुपये)		बकाया राशि (गारंटी/प्रति गारंटी)		कुल
		मूल किश्त	अर्द्ध वार्षिक ब्याज	नौ० वि०नि०स० द्वारा दी गई धनराशि	नौ०वि०नि०स० द्वारा दी जाने वाली धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7
क : सरकारी क्षेत्र						
1.	शिपिंग कार्पो० आफ इंडिया लि०	1,23,91,73,636.45	48,84,08,840.69	—	—	1,72,75,82,477.14
2.	मुगल लाइन लि०	18,90,20,694.47	10,11,90,130.53	3,10,80,512.00	—	32,12,91,337.00
	कुल : क:	1,42,81,94,330.92	58,95,98,971.22	3,10,80,512.00	—	2,04,88,73,814.14
ख : निजी क्षेत्र						
3.	साऊथ इंडिया शिपिंग कार्पो० लि०	2,57,77,950.48	22,49,043.43	—	—	2,80,26,993.91
4.	सिंधिया स्टीम नेविगेशन कं० लि०	22,86,58,528.10	11,96,75,109.83	—	—	34,83,33,637.93
5.	चौगुले स्टीम शिप्स लि०	4,05,52,517.00	1,44,74,951.27	—	—	5,50,27,468.27
6.	दामोदर बल्क कैरियर्स लि०	15,95,34,838.00	5,87,91,186.14	—	—	21,83,26,024.14

1 2	3	4	5	6	7
7. सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०	5,23,88,766.00	1,49,14,392.45	—	1,74,98,487.15	8,48,01,645.60
8. सुरेन्द्रा ओवरसीज लि० (सागर नौव० कं० लि० सहित)	6,23,42,336.12	1,82,81,432.45	—	—	8,06,23,768.57
9. इंडिया स्टीम शिप्स कं० लि०	12,86,31,517.48	6,58,63,020.49	—	3,72,88,256.30	23,17,82,794.27
10. रत्नाकर शि० कं० लि०	6,97,18,385.31	4,03,41,375.49	6,67,47,572.81	—	17,68,07,333.61
11. इंडोसनिक शि० कं० लि०	45,17,000.00	19,72,502.88	62,25,657.11	98,40,000.00	2,25,55,159.99
12. डेम्पो स्टीम शिप्स लि०	8,66,87,873.99	2,65,95,303.37	—	13,71,06,820.48	25,03,89,997.84
13. ठाकुर शिपिंग कं० लि०	—	72,700.86	18,32,584.00	5,55,78,308.00	5,74,83,592.86
14. गरवारे शिपिंग कार्पो० लि०	—	—	—	4,07,57,503.84	4,07,57,503.84
15. स्ट्रीम लाइन शिपिंग कं० लि०	—	—	—	88,03,219.94	88,03,219.94
16. निरवान शिपिंग लि०	—	—	—	1,01,23,936.62	1,01,23,936.62
कुल ख :	85,88,09,712.48	36,32,31,018.66	7,48,05,813.92	31,69,96,532.33	1,61,38,43,077.39

1	2	3	4	5	6	7
ग.	जिन कंपनियों के मामले में कानूनी कार्रवाई की गई :					
17.	निलहट शि० कं० लि०	2,91,32,000.00	5,81,56,668.29	8,96,19,820.00	—	17,69,08,488.29
18.	आर०ए०जे० लाइंस लि०	7,00,000.00	28,68,983.77	1,15,43,297.00	—	1,51,12,280.77
19.	पंचशील शिपिंग कं० लि०	—	5,06,359.06	9,63,34,859.29	—	9,68,41,218.25
20.	सुज्वाला शिपिंग कं० लि०	—	32,54,945.61	11,09,637.00	84,19,000.00	1,27,83,580.61
21.	डेकन शिपिंग लि०	—	—	—	88,50,000.00	88,50,000.00
	कुल ग :	2,98,32,000.00	6,47,86,954.73	19,86,07,613.29	1,72,69,000.00	31,84,95,568.02
कुल योग : क + ख + ग :		2,31,68,36,043.40	1,01,76,16,944.61	30,44,93,939.21	33,42,65,532.33	3,97,32,12,459.55

[हिन्दी]

पंचेश्वर बांध के जल का बंटवारा

1613. **श्री हरीश रावत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल नरेश के हाल ही के भारत दौरे के दौरान जल संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई विचार विमर्श किया गया था;

(ख) क्या उक्त विचार विमर्श के परिणामस्वरूप पंचेश्वर बांध के नेपाल क्षेत्र में अनुसंधान/सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने की कोई संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो शारदा नदी के गहरे जल के उपयोग के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) नेपाल नरेश के दौरे के दौरान जल संसाधनों के उपयोग के संबंध में सामान्य बातचीत हुई थी तथा इस समय कोई अनुसंधान/सर्वेक्षण हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

जगरांव में उपरि रेल पुल

1614. **श्री हरीश रावत** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जगरांव में रेलवे उपरि पुल के निर्माण की मांग के बारे में जगरांव (पंजाब) के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) रेलें व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर करती हैं । इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाने अपेक्षित हैं ।

तदनुसार, उत्तर रेलवे ने पंजाब सरकार से प्रस्ताव प्रायोजित करने के लिए अनुरोध किया है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत और निर्माण

1615. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा इन दरारों की मरम्मत की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने पुलों की दरारों को भरने का कार्य पूरा होने और उनकी मरम्मत किए जाने की संभावना है; और

(घ) पुलों/दरारों पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) जी, हां । यातायात की अधिकता और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र में कमियों का पता लगाने और उन कमियों को, आन्तरिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए

कार्यक्रमबद्ध ढंग से दूर करना एक नियमित कार्य है। 1 अप्रैल 1985 तक निम्नलिखित पुल-कार्यों में कमियों का पता लगाया गया :

(एक) बड़े पुल—4	4
(दो) कमजोर और तंग बड़े पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करना	179
(तीन) सबमर्सीबल पुलों, डिप्स, बेंटेड कॉजवे आदि को बदलना	37
(चार) छोटे पुलों का निर्माण	2336

इन पुल-कार्यों के सुधार की संभावित लागत 800 करोड़ रु० (लगभग) होगी। 1985-86 के दौरान पुलों को निम्नलिखित संख्या में पूरा मरम्मत करने की आशा है।

(i) कमजोर या तंग बड़े पुलों का पुनर्निर्माण या उन्हें चौड़ा करना	18
(ii) सबमर्सीबल पुलों, डिप्स, वेन्टेड कॉजवे आदि को बदलना	3
(iii) छोटे पुलों का निर्माण।	80

इसके अतिरिक्त, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों में दरारें पड़ जाती हैं और यातायात के फिर से परिचालन के लिए तत्काल मरम्मत की जाती है।

"कोर" सेक्टर द्वारा भाड़े की पेशकश (फ्रेट आफरिंग)

1616. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों के लिए कोयला और कच्चे माल सहित महत्वपूर्ण क्षेत्र की पेशकश से रेलवे को भाड़े में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) "महत्वपूर्ण" क्षेत्र की 1 अप्रैल, 1985 से छः महीनों के दौरान भाड़े की क्या पेशकश थी और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान पेशकश कितनी थी; और

(ग) रेलवे की भाड़े की पेशकश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : जी नहीं। लेकिन, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल तथा कोयले के मामले में मामूली सी गिरावट आयी है।

(ख) पहली अप्रैल, 1985 से छः महीनें की अवधि तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र से माल की वास्तविक ढुलाई के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वस्तु	अप्रैल-सितम्बर, 1984 (आंकड़े मिलियन टन में)	अप्रैल-सितम्बर, 1985
1. कोयला	43.60	47.74
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल	11.03	10.57
3. कच्चा लोहा तथा इस्पात संयंत्रों से तैयार इस्पात	3.73	3.89
4. निर्यात के लिए लौह अयस्क	5.07	5.69
5. सीमेंट	8.09	8.33
6. खाद्यान्न	10.17	10.56
7. उर्वरक	4.84	6.38
8. पेट्रोल, तेल और स्नेहक	8.53	9.07

(ग) अन्तर्मंत्रालय तथा क्षेत्र दोनों स्तरों पर निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है।

रक्त चढ़ाने से उत्पन्न होने वाले रोग

1617. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ऐसे रोग हैं जो रक्त चढ़ाने से उत्पन्न होते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो रक्तदान करने वालों के रक्त को जाँच करने तथा बीमार व्यक्तियों का रक्त न लेना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमता मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षित रक्त की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच और प्रयोगशाला जांचें की जाती हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

1619. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हिन्दी भाषा को, जो देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, लोकप्रिय बनाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग अपनी संस्थाओं के माध्यम से तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देकर हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता रहा है। ये कार्यक्रम, जो हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में सहायक होंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखे जायेंगे।

2. जहाँ तक संस्थाओं का सम्बन्ध है, इसने हिन्दी में अनुसंधान विकास तथा विस्तार करने के लिए अनेक क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्र गठित किए हैं। इन संस्थाओं में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली तथा कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद तथा मद्रास स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा तथा नई दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद स्थित इसके केन्द्र भी शामिल हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

(एक) अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम।

(दो) गैर-हिन्दी भाषा-क्षेत्रों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विस्तार कार्यक्रम।

(तीन) हिन्दी पुस्तकों का आवंटन तथा प्रदर्शनी।

(चार) द्वि-भाषी, त्रि-भाषी, बहु-भाषी तथा पारिभाषिक शब्द-कोशों तथा वार्तालाप गाईडें आदि तैयार करना।

(पांच) "भाषा" "वार्षिकी" तथा "यूनेस्को दूत" जैसी मैगजीनों/पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन।

(छः) भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(सात) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा हिन्दी शिक्षण के प्रणाली-विज्ञान में अनुसंधान करना तथा सामग्री तैयार करना।

(आठ) अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय हिन्दी परिचर्चा करना।

(नौ) नव-हिन्दी लेखकों के लिए कार्यशाला का आयोजन, गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के लिए अध्ययन दौरे तथा हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों से गैर-हिन्दी-भाषी विश्वविद्यालयों में विख्यात हिन्दी अध्येताओं के लेकचर दौरे आयोजित करना।

(दस) गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लेखकों को पुरस्कार प्रदान करना।

(ग्यारह) हिन्दी-विदेशी भाषा शब्दकोशों/वार्तालाप गाइडें तैयार करना।

(बारह) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के मैट्रिक स्तर के बाद हिन्दी में अध्ययन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(तेरह) हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करना।

(चौदह) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए कार्यशाला आयोजित करना।

(पंद्रह) श्रव्य-कैसटों के माध्यम से हिन्दी का प्रसार।

(सोलह) राजभाषा के रूप में बोली जाने वाली हिन्दी का सर्वेक्षण करना।

3. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता दी गई है :

(क) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना, और

(ख) हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने तथा प्रकाशन के लिए ग्रन्थ अकादमी तथा विश्वविद्यालय पुस्तक विकास सेलों को सहायता।

4. हिन्दी शिक्षण तथा आशुलिपि तथा टंकण के लिए केन्द्रों/कक्षाओं को चलाने, पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद तथा हिन्दी में पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं और मैगजीनों के प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

बुनियादी शिक्षा के संसाधन तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण

1620. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का कितनी राशि के अतिरिक्त साधन जुटाने का विचार है; और

(ख) क्या व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए राज्यों को शिक्षा का व्यवसायिकरण करने के निदेश दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए की गई 2,524 करोड़ रु० की व्यवस्था के मुकाबले में, सातवीं योजना में शिक्षा, कला और संस्कृति तथा खेल और युवा कार्यों के लिए 6382.65 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें बुनियादी (प्रारंभिक) शिक्षा के लिए व्यवस्था भी शामिल है।

(ख) सरकार इस बात से सहमत है कि शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की तत्काल जरूरत

है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में साफ-साफ इस बात को स्पष्ट किया गया है । राज्यों से शिक्षा को तत्काल व्यावसायिक बनाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलनों आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से पहले ही बार-बार अनुरोध किया गया है और इसका अनुसरण करने का प्रस्ताव है ।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल का निर्माण

1621. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर टर्मिनल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ख) नये टर्मिनल भवन में कितने "एयरो-ब्रिज" का निर्माण किया जाएगा और क्या एक नई धावन-पट्टी का निर्माण करने का भी विचार है; और

(ग) क्या इस भवन का निर्माण पूरा होते ही इसे यातायात के लिए खोल दिए जाने की आशा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अंतस्थ भवन का निर्माण वास्तविक रूप से आगामी कुछ महीनों के दौरान पूरा हो जाने की आशा है । इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 95.00 करोड़ रुपए है ।

(ख) नये अंतस्थ में 13 एयरोब्रिज होंगे जिसमें 9 का प्रतिस्थापन पहले ही किया जा चुका है । शेष चार को विशालकाय विमानों के "पार्किंग बे" के सम्पर्क के लिए दूसरे सहायक के रूप में लगाया जायेगा । निर्माण के वर्तमान चरण में, दूसरे धावनपथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) पूरा हो जाने के पश्चात कुछ समय के लिए अभ्यास के रूप में गुजरने के पश्चात् विभिन्न प्रणालियों और सुविधाओं की जांच के पश्चात् अंतस्थ को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

बिहार में क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय

1622. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बिहार में नये जोन के गठन से सम्बन्धित मांग को विचारार्थ रेल सुधार समिति को भेजा गया था । समिति ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

[अनुवाद]

पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल

1623. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में गंगा नदी पर एक रेलवे पुल के निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 1974 से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण के उक्त प्रस्ताव को त्याग दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) पटना के निकट गंगा नदी पर प्रस्तावित रेल पुल के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगभग 80 प्रतिशत काम हो गया है। इंजीनियरी का क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है और यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य अगले वर्ष पूरा होने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच करने के बाद इस परियोजना के बारे में निर्णय बिहार सरकार के परामर्श से किया जायेगा, बशर्ते कि इसको योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाये और धन उपलब्ध हो।

भारतीय हेलीकाप्टर निगम द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद

1624. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने भारतीय हेलीकाप्टर निगम द्वारा तेल उद्योग, पर्यटन और गैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदे जाने वाले विभिन्न प्रकार के हेलीकाप्टरों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना द्वारा मूल्यांकन किए गए कौन से विभिन्न हेलीकाप्टर हैं;

(ग) भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम/निष्कर्ष क्या निकला;

(घ) भारतीय वायुसेना द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हेलीकाप्टर निगम द्वारा संचालन के लिए हेलीकाप्टर की उचित किस्मों के चयन के मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कलकत्ता में ड्रेजर मरम्मत यार्ड

1625. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता में ड्रेजर मरम्मत यार्ड की स्थापना का कार्य गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स जो इस परियोजना में दो वर्षों से सक्रिय रूप में कार्यरत हैं, की पेशकश की अवहेलना पर किसी अन्य फर्म को सौंपने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या करण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) भारत डच तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत संयुक्त क्षेत्र में कलकत्ता में एक ड्रेजर मरम्मत संगठन बनाने का निश्चय किया गया है। प्रस्तावित कंपनी के लिए विभिन्न संघटक सदस्यों के चुनाव के लिए गठित संचालन समिति ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अनेक जहाज मरम्मत संगठनों के साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के प्रस्ताव पर भी विचार किया और इस प्रस्तावित संयुक्त कंपनी में सहयोग देने के लिए मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग, बकर्स, बंबई की सिफारिश की।

एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेंटों के दिवालिया होने के कारण एयर इंडिया को घाटा

1626. **श्री भोलानाथ सेन :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेंटों, जिनका दिवाला निकल रहा है, के कारण एयर इंडिया को प्रति वर्ष अशोध्य ऋण के रूप में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया को हुये इस प्रकार के घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एजेंटों की जमानत राशि कितनी थी जिनका दिवाला निकल गया है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के घाटे से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) : जी, नहीं। एयर इंडिया कुछ देशों में जनरल सेल्स एजेंटों के दिवालिया होने के कारण अशोध्य ऋणों पर वार्षिक घाटा नहीं उठा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके किसी भी जनरल सेल्स एजेन्ट का दिवाला नहीं निकला है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों के अधिक मामले और स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली में कमियां

1627. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम :** क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपचारात्मक के स्थान पर प्रतिषेधात्मक स्वास्थ्य नीति अपनाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों के अधिक मामले हो रहे है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या यह सच है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में कमियां हैं जिससे फ्लूरोओसिस, लेथीरिज्म प्रतिरोधी कमी के कारण तथा ओयोडिन की कमी के कारण गलगण्ड जैसी बीमारियां हो रही हैं तथा विकलांगता के लिए दूसरे नम्बर पर उत्तरदायी बीमारी पोलियो भी है और यदि हां, तो क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में रुग्णता की घटना तथा रोग की व्यापकता विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। ये सारी

बातें केवल स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं होती। स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप चलाने के पीछे सरकार का प्रयास लोगों को उनके घरों के निकट रोग निवारक और स्वास्थ्य संवर्धक सुविधाएं उपलब्ध करना, सुनियोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ दृष्टिहीनता और कैंसर जैसी प्रमुख बीमारियों पर काबू पाना, लोगों को सेवाएं उपलब्ध करने के लिए अपेक्षित संख्या में चिकित्सा और परा चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और उन्हें तैनात करना तथा अनुसंधान संबंधी प्रयासों में तेजी लाना है ताकि इन्हें अधिक से अधिक कार्योन्मुख बनाया जा सके। यह प्रयास गरीबी दूर करने के लिए किए गए उन प्रयासों के अलावा है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में निश्चय ही प्रभाव डाल सकते हैं।

(ख) सरकार ने देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं तथा इसे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू किया गया है। स्वास्थ्य के संवर्धन तथा प्रतिरोधी कमी में कारण होने वाली फ्लूरोओसिस, लेथिरिजम, गलगण्ड जैसी बीमारियों और संचारी रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी देने के लिए देश के प्रचार साधनों को उपयोग में लाया जा रहा है। पोलियो प्रतिरक्षण राष्ट्रव्यापी शिशुरोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम का एक अंग है।

हवाई अड्डा सुरक्षा बल

1628. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हवाई अड्डा सुरक्षा बल की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा बल स्थापित करने का प्रयोजन क्या है;

(ग) इस प्रकार के बल के गठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे बल की कब तक स्थापना की जाएगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अलग हवाई अड्डा सुरक्षा बल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लम्बी मालगाड़ी को परीक्षण के तौर पर चलाना

1629. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दो इंजनों वाली मालगाड़ी को परीक्षण के तौर पर चलाने का काम सफलतापूर्वक किया है,

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में कितने माल डिब्बे होंगे और उनमें कितने अतिरिक्त माल का भार लादा जाएगा,

(ग) इस सुविधा को किन-किन क्षेत्रों में आरम्भ किया जाएगा, और

(घ) इसे कब आरम्भ किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) हाल में अधिक भार वाली माल गाड़ियों के सफलतापूर्वक प्रारम्भिक परीक्षण किए गए थे। परीक्षण गाड़ियों में 112 बी० ओ० एक्स "एन" माल डिब्बे लगे थे और ये दो रेल इंजनों द्वारा कर्षित की गई थीं। आय भार अब प्रचलित अधिकतम लगभग 3200 टन की तुलना में लगभग 6400 टन था। ऐसी अधिक भार वाली माल गाड़ियां उन अधिक घनत्व वाले मार्गों पर चलायी जायेंगी जहां कोयला, लौह

अयस्क आदि की ढुलाई की जाती है। चूंकि इस प्रकार की गाड़ियां चलाना अभी केवल परीक्षण अवस्था में है, अतः कोई निश्चित कार्यक्रम बताना कठिन है।

सहकारी क्षेत्र में वैगनों का निर्माण

1630. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री टी० बाल गौड : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे के लिए माल डिब्बा निर्माण उद्योग के आबंटन को बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितने माल डिब्बों के निर्माण के क्रयादेश दिये गये थे,

(ग) सरकार ने पूर्णतः गैर-सरकारी क्षेत्र के मुकाबले सहकारी क्षेत्र को, जिसके पास रेल माल डिब्बों के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है, प्राथमिकता प्रदान करना वांछनीय न समझने के क्या कारण हैं, और

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चौपहियों के हिसाब से जितने माल डिब्बों की खरीद के लिए निजी क्षेत्र को क्रयोदश दिये गये उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	माल डिब्बों की संख्या जिनके लिए क्रयादेश दिया गया (चौपहियों के हिसाब से)
1982-83	8160.00
1983-84	7319.5
1984-85	5532.0

(ग) और (घ) किसी भी सहकारी समिति ने माल डिब्बों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, रेलों द्वारा सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्र की माल डिब्बा निर्माण यूनिटों को माल डिब्बों के निर्माण के लिए क्रयादेश दिया जाता है।

अनुरोध प्राप्त होने पर उद्योग मंत्रालय द्वारा उनकी जांच करना अपेक्षित होगा।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की किस्तों का भुगतान

1631. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी गई अंतरिम राहत की दो किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें यह धनराशि वितरित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सभी सम्बन्धित पक्षों को ध्यान में रखकर दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों को जून, 1983 से संशोधित किया गया था। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू प्रणाली की तरह अंतरिम राहत के तौर पर

इन कर्मचारियों को भी दूसरी किश्त पूरा करने के बारे में उनकी योग्यता के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों के समय में परिवर्तनों से असंतोष तथा पुराने समय को पुनः लागू किया जाना

1632. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

श्री मूलचन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों के समय में परिवर्तन किये जाने के कारण लोगों में भारी असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो पुराने समय को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि लाभार्थियों के लिए वर्तमान समय की अपेक्षा पहले का समय अधिक उपयुक्त था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के समय में परिवर्तन करने से लोगों में कुछ असन्तोष है । वैसे, स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है ।

वर्ष 1984-85 के दौरान कुष्ठ रोग निवारण के लिये दी गई धनराशि

1633. **डा० कृपासिंधु भोई :**

श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) इस निधि में से प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बजट अनुदान के रूप में 1500.00 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है । इसमें से 1984-85 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नकद और सामग्री सहायता के रूप में 1178.15 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मंजूर किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण ।

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुदान	मंजूर की गई राशि	
		नकद	सामग्री के रूप में	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	123.00	59.37	182.37

1	2	3	4	5
2.	असम	23.13	1.89	25.02
3.	बिहार	25.00	37.21	62.21
4.	गुजरात	42.00	24.59	66.59
5.	हरियाणा	0.50	0.66	1.16
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	1.32	6.92
7.	जम्मू व कश्मीर	0.63	2.33	2.96
8.	कर्नाटक	59.00	27.53	86.53
9.	केरल	13.00	9.24	22.24
10.	मध्य प्रदेश	49.00	17.12	86.12
11.	महाराष्ट्र	85.00	76.59	161.59
12.	मणिपुर	7.04	1.95	8.99
13.	मेघालय	1.75	0.46	2.21
14.	नागालैंड	2.75	0.29	3.04
15.	उड़ीसा	58.75	61.11	119.86
16.	पंजाब	1.24	0.31	1.56
17.	राजस्थान	24.75	1.03	25.78
18.	सिक्किम	5.20	0.03	5.23
19.	तमिलनाडु	45.00	50.25	95.25
20.	त्रिपुरा	12.00	2.66	14.66
21.	उत्तर प्रदेश	63.00	27.17	90.17
22.	पश्चिम बंगाल	50.00	51.86	101.86
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.35	5.37
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	1.53	7 53
25.	दादर व नगर हवेली	—	0.24	0.24
26.	चंडीगढ़	—	—	—
27.	दिल्ली	3.00	0.10	3.10
28.	गोवा	2.00	2.62	4.62
29.	लक्षद्वीप	0.25	0.15	0.40
30.	मिजोरम	1.95	0.63	2.58
31.	पांडिचेरी	0.30	1.71	2.01
	योग	715.25	462.90	1178.15

डाक्टरों को जिगर के सिरोसिस की चिकित्सा के अध्ययन के लिए रूस भेजना

1634. **श्री डी० एन० रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिगर के सिरोसिस के इलाज के लिए हाल में रूस द्वारा खोजी गयी और अपनायी गई चिकित्सा पद्धति की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार किन्हीं विशेषज्ञ डाक्टरों को रूस की चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करने के लिये भेज रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर भारत सरकार तत्काल विचार कर रही हो।

बेगमपेट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देना

1635. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में बेगमपेट हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एयर इण्डिया द्वारा हैदराबाद से/को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल डिब्बों की कमी तथा पेरमबूर में डिब्बों की निर्माण क्षमता

1636. **श्री एस० एम० भट्टम** :

श्री आर० एम० भोथे : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल-डिब्बों की कितनी कमी है और आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इन्टेगरल कोच फैक्ट्री, पेरमबूर, मैसर्स जेसप्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में डिब्बों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो व्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) माल डिब्बों की मांग और सप्लाई में समग्र रूप से अन्तर है। तथापि, माल डिब्बों की कमी वास्तव में व्यस्त यातायात महीनों में, यथा-जनवरी से मार्च के दौरान महसूस की जाती है क्योंकि इसी अवधि में सभी क्षेत्रों से मांग बढ़ जाती है। यद्यपि अन्य आवश्यक अवसंरचनात्मक साधन-सामग्रियों सहित अतिरिक्त माल डिब्बों की खरीद के प्रबन्ध किये जा रहे हैं, तथापि रेलें चल-स्टाक, रेलपथ, सिगनल और दूर-संचार सुविधाओं आदि जैसी विभिन्न परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग करके अधिकतम यातायात की ढुलाई के लिए सभी सम्भव प्रयास करती हैं।

(ख) जी हां। सवारी डिब्बों के उत्पादन के वर्तमान स्तर को 750 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1000 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष करने का निर्णय किया गया है। तथापि, मैसर्स जेसप्स एण्ड कम्पनी, कलकत्ता और मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेगलूरू की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अतः 38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सवारी डिब्बा कारखाने में आवश्यक

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है । 31-3-86 तक इस कार्य का प्रत्याशित खर्च 1.10 करोड़ रुपये है ।

वाइरल रोगों के बारे में सर्वेक्षण

1637. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के प्राधिकारियों ने नए टीकों के प्रयोग से वाइरल रोगों का इलाज करने का निश्चय किया है; और

(ख) क्या वाइरल रोगों के बारे में यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि विभिन्न देशों में यह रोग कितने फैले हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन का वाइरल रोगों के लिए वैक्सीनों का एक कार्यक्रम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ वाइरल रोगों के लिए नई वैक्सीनों का क्लीनिकल मूल्यांकन किया गया है । जिन कुछेक वैक्सीनों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य कर रहा है, वे इस प्रकार हैं—

(1) डेंगू हैमरेजिक बुखार की रोकथाम के लिए वैक्सीन का परीक्षण ।

(2) वाइरल हेपाटाइटिस बी० की रोकथाम के लिए वैक्सीन ।

(3) नई जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की गुणवता; और

(4) एक नई टिशु-कल्चर एण्टी-रेबीस वैक्सीन ।

(ख) जी, नहीं ।

देशों को उनकी मूल सांस्कृतिक सम्पत्ति वापस करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन का संकल्प

1638. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने देशों को उनकी मूल-सांस्कृतिक सम्पत्ति की वापसी सुनिश्चित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन के संकल्प पर पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार के रुख का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सोफिया में 8 अक्टूबर से 9 नवम्बर, 1985 तक आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन में सर्व सम्मति से पारित एक संकल्प सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण के लिए यूनेस्को के कार्यकलापों के संबंध में था । इस संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ चल सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण और प्रस्तुतीकरण को सुदृढ़ करने और सांस्कृतिक सम्पदा को इसके अपने मूल देश को लौटाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के महानिदेशक को इसमें योगदान करने के लिए इस संकल्प में उनका ध्यान आकर्षित किया गया है । भारत सरकार ने सांस्कृतिक सम्पदा को उनके मूल देशों को लौटाने का सदा पक्ष लिया है, जिन्हें गलत ढंग से हटाया गया, गैर-कानूनी तौर पर आयात किया गया और गैर-कानूनी ढंग से अपनाया गया । भारत ने सांस्कृतिक सम्पदा के गैर-कानूनी आयात और निर्यात और उसके स्वामित्व के स्थानांतरण को समाप्त करने और उस पर रोक

लगाने के उपायों से सम्बन्धित यूनेस्को के समझौते की वर्ष 1977 में पहले ही पुष्टि कर दी है।

बोइंग-737 विमानों की सुरक्षा

1639. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग-737 विमान के ढांचे, डिजाइन और इंजन त्रुटिपूर्ण हैं;

(ख) क्या हाल ही में बोइंग-737 विमानों की दुर्घटनाएं इन्हीं त्रुटियों के कारण हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो नागर विमानन विभाग द्वारा बोइंग-737 विमानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) देश में बोइंग-737 विमान के प्रचालनों के दौरान, उसके ढांचे, डिजाइन और इंजन में कोई त्रुटि ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) इन्जन में त्रुटियों के कारण भारत में बोइंग-737 विमान की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तथापि, विदेश में तीन दुर्घटनाओं के होने की सूचना मिली है। विदेश में इन दुर्घटनाओं की प्रारम्भिक जांच से इंजन में कुछ त्रुटियों के होने के बारे में पता चला है और इसकी गहन जांच की जा रही है। इस बीच, इण्डियन एयरलाइन्स में निर्माताओं द्वारा सिफारिश किए गए निरीक्षणों को आवधिक रूप से किया जा रहा है। इन्जन के निष्पादन की मानीटरिंग को कड़ाई से अपनाया जाता है। छोटी से छोटी त्रुटि जब ध्यान में आती है तो उसे तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं और आंध्र प्रदेश को धनराशि का आवंटन

1640. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वयन करने वाली राज्य-वार संस्थाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के लिए योजनाओं को युक्तियुक्त बनाने और संस्कृत पर पड़े उसके कुप्रभाव के बारे में जानकारी है; और

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराकर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए उक्त कदमों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) संस्कृत की प्रोन्नति के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 1984-85 में जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई उनका राज्य-वार विवरण-2 संलग्न है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण-I

मंत्रालय के कार्यक्रमों को व्यापक रूप से निम्नलिखित तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा जा सकता है, जिनका उद्देश्य :

(क) संस्कृत की परम्पराओं का रख-रखाव :

(ख) संस्कृत के शिक्षण की विषयवस्तु तथा प्रणाली-विज्ञान का आधुनिकीकरण; तथा

(ग) इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाना ।

संस्कृत परंपराओं का रखरखाव

2. संस्कृत परम्पराओं के रख-रखाव के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) **संस्कृत साहित्य को तैयार करना, संस्कृत पुस्तकों की खरीद तथा दुर्लभ पांडुलिपियों का प्रकाशन** : इस योजना के अन्तर्गत लेखकों तथा प्रकाशकों को व्याख्या तथा अनुवाद सहित मानक संस्कृत कार्य तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है । दुर्लभ पांडुलिपियों के विवेचनात्मक संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी सहायता दी जाती है ।

(ii) **दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों की सूची तथा विवेचनात्मक संस्करण तैयार करना** : इस योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा लेखकों/सम्पादकों को उत्पादन तथा प्रकाशन की लागत की 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है । विवरणात्मक सूची तैयार करने के लिए भी सहायता दी जाती है ।

(iii) **संस्कृत पुस्तकों तथा अप्राप्य पुस्तकों के पुनः उत्पादन के लिए फोटो आफसैट की खरीद** : यह योजना लेखकों तथा प्रकाशकों की वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है क्योंकि संस्कृत को पढ़ने वाले कम हैं तथा संस्कृत के प्रकाशनों की अधिक बिक्री नहीं है । मंत्रालय ऐसे प्रत्येक प्रशासन की 25 से 100 प्रतियां खरीदता है, जब उसकी उपयोगिता के बारे में विशेषज्ञों द्वारा निर्णय ले लिया जाता है । इसके अलावा, अप्राप्य संस्कृत पुस्तकों को फोटो-आफसैट पुनः उत्पादन का एक बृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(iv) **शास्त्रों में युवा शिक्षकों को गहन शिक्षण देने के लिए विख्यात बड़े अध्येताओं की सेवाओं का उपयोग** : यह योजना शास्त्रों की परम्परा के अनुरक्षण के लिए किए गये प्रयासों के लिये विख्यात बड़े अध्येताओं को सहायता देने के लिए है । योजना-शास्त्र-चूड़ामणी-युवा शिक्षकों तथा अध्येताओं को गहन प्रशिक्षण देने के लिये पारम्परिक संस्कृत अध्येता को मानदेय का भुगतान करने के लिए है ।

(v) **राज्यों को सहायता** : राज्य सरकारों को संस्कृत के प्रसार तथा विकास के लिए अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । अन्य बातों के साथ-साथ अभाग्यस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के विख्यात अध्येताओं को सहयोग देने के लिये यह सहायता दी जाती है । इसके बदले में, ये अध्येता इच्छुक छात्रों को पारम्परिक तरीके से संस्कृत का अध्ययन कराते हैं ।

(vi) **वैदिक परंपरा के अनुरक्षण के लिए शिक्षकों को सहायता** : विभिन्न शाखा के

वैदिक पाठ से सुपरिचित शिक्षक को 6 वर्षों की अवधि के लिए 12 वर्षों की वायु से नीचे वाले दो छात्रों को सौंपा जाता है जिसके दौरान वे इन छात्रों को वैदिक पाठ का पारम्परिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये 26 वेद विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

आधुनिकीकरण

3. मंत्रालय संस्कृत शिक्षा की विषयवस्तु तथा इसके शिक्षण के लिए प्रणाली-विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है :

(i) **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान :** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अक्टूबर, 1970 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान के संस्कृत अध्ययन का अनुसंधान, विकास, पुस्तक तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा पांडुलिपियां तैयार करने जैसे विभिन्न कार्यकलाप हैं। यह एक जांच निकाय भी है तथा विभिन्न स्तरों, प्रथमा (मिडिल स्तर) से शास्त्री (बी०ए०) आचार्य (एम०ए०), विद्या वरिधि (पी०एच०डी०) तथा वाचस्पति (डी०लिट०) में परीक्षाएं भी आयोजित करता है। एक सम्बद्ध निकाय होने के नाते, संस्थान से 38 स्वैच्छिक संस्कृत संगठन सम्बन्धित हैं। इन परीक्षाओं को भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारत सरकार अनेक राज्य सरकारों तथा पूरे देश के 30 के लगभग विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगार के लिए/अथवा उच्च पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए मान्यता प्रदान की गई है। यद्यपि संस्थान 16 विभिन्न शास्त्रों में पारम्परिक प्रणाली से शिक्षा प्रदान करता है। इसकी पाठ्यचर्या में आधुनिक भारतीय भाषाओं, मानविकी, गणित आदि सहित प्रमुख आधुनिक विषयों का अध्ययन भी शामिल है। संस्थान के इस समय, दिल्ली, तिरुपति, जम्मू, पुरी, गूरूवायूर, इलाहाबाद तथा जयपुर स्थित सात घटक विद्यापीठ हैं।

संस्कृत को लोकप्रिय बनाना तथा प्रौन्नति

संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके कुछ प्रमुख कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) **स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता** : इस योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वेतन के भुगतान, छात्रवृत्ति, भवन की मरम्मत, फर्नीचर तथा पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद तथा प्रचारकों की नियुक्ति के लिए अनुमोदित व्यय की 75 प्रतिशत तक राशि दी जा रही है।

(ii) **संस्कृत कार्यों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता :** प्रत्येक लेखक की कागज की खरीद, छपाई तथा प्रकाशन के अनुमोदित व्यय का 60 प्रतिशत इस शर्त पर दिया जाता है कि वे विभिन्न संस्कृत संस्थानों में वितरण के लिए भारत सरकार को प्रत्येक प्रकाशन की 100 प्रतियां निःशुल्क देंगे।

(iii) **संस्कृत पत्रिकाओं को सहायता** : इस योजना के अन्तर्गत, संस्कृत पत्रिकाओं के लिए, उनकी कोटि तथा विषयवस्तु में सुधार के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

(iv) **अखिल भारतीय वाकतुता प्रतियोगिता तथा वैदिक सम्मेलन** : प्रत्येक वर्ष, एक अखिल भारतीय वाकतता प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें पारम्परिक संस्थानों के छात्र

भाग लेते हैं। इसी प्रकार एक अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है तथा मौखिक वैदिक परम्परा के अनुरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है।

(v) **संस्कृत छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण** : यह योजना अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है; क्योंकि यह 1982-83 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य पांडुलिपि-विज्ञान, पुरालेखशास्त्र आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए पारम्परिक संस्कृत संस्थानों के उत्तीर्ण छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

(vi) **छात्रवृत्तियां प्रदान करना** : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा दो तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। पहला शास्त्री और आचार्य छात्रों, परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के उत्तीर्ण छात्रों तथा संस्कृत में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के इच्छुक छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। दूसरा संस्कृत में अध्ययन जारी रखने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

(vii) **राष्ट्रपति पुरस्कार** : प्रत्येक वर्ष संस्कृत के 10 विख्यात अध्येताओं की उनके संस्कृत भाषा तथा साहित्य में योगदान तथा सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक मान प्रमाण-पत्र, एक शाल तथा जीवन-पर्यन्त 5000/- रु० प्रति वर्ष का मानदेय शामिल है।

विवरण-2

क्रम०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1984-85 में सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	असम	2
3.	बिहार	22
4.	गुजरात	9
5.	हरियाणा	28
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू और काश्मीर	4
8.	कर्नाटक	19
9.	केरल	35
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	15
12.	मणिपुर	2
13.	उड़ीसा	2
14.	पंजाब	5
15.	राजस्थान	24
16.	सिक्किम	

1 2	3
17. तमिलनाडु	61
18. उत्तर प्रदेश	139
19. पश्चिम बंगाल	234
20. चंडीगढ़	2
21. दिल्ली	17
22. पांडिचेरी	2
	651

कलकत्ता हवाई अड्डे पर यात्री तथा माल यातायात

1641. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 से 1984 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि की दर उसी अवधि के दौरान बम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर यातायात में वृद्धि की दर से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1978 से 1984 तक की अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) कलकत्ता में यातायात की वृद्धि की दर कम होने के क्या कारण हैं;

(घ) कलकत्ता हवाई अड्डे पर यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई हवाई अड्डों पर यात्री तथा माल यातायात के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई सुधार किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 1978-79 से 1984-85 की अवधि के दौरान तीनों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर यात्री और माल यातायात की औसत वृद्धि दर को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। यहां यह देखने में आयेगा कि कलकत्ता विमान क्षेत्र पर यातायात की वृद्धि दर अन्तर्देशीय माल यातायात के सिवाय बम्बई और दिल्ली विमान क्षेत्र की तुलना में कम रही है।

(ग) वृद्धि की कम दर यातायात के कम होने के कारण हुई।

(घ) नीति के मामले के रूप में एयरलाइनों के स्तर पर बातचीत के समय और अन्त: सरकारी विचार-विमर्शों के दौरान, देश के अन्य विमान क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर कलकत्ता हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने की पेशकश की जाती है। अधिक यातायात को संभालने की दृष्टि से इस विमान क्षेत्र पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है।

(ङ) 1981-82 की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन विमान क्षेत्रों पर यात्री और माल यातायात में बढ़ोत्तरी निम्न प्रकार है :

यात्री यातायात (लाख में)	कलकत्ता	दिल्ली	बम्बई
1981-82	14.53	39.20	54.77
1982-83	15.06	41.13	64.48
1983-84	16.53	45.68	71.81
1984-85	18.59	48.97	75.97
माल यातायात (हजार टनों में)			
1981-82	21.70	73.15	109.77
1982-83	22.30	78.84	119.20
1983-84	25.58	94 16	135.70
1984-85	29.07	110.81	162.52

विवरण

1978-79 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान तीन अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर यात्री और माल यातायात की वृद्धि दर

	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली
यात्री यातायात (प्रतिशत में)			
अंतर्राष्ट्रीय	7.5	5.0	8.1
अंतर्देशीय	8.9	5.3	10.2
माल यातायात (प्रतिशत में)			
अंतर्राष्ट्रीय	12.8	1.5	17.0
अंतर्देशीय	10.0	11.4	7.8

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और पोलिटेक्निक्स की स्थापना

1642. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 11 मई, 1983 को जारी किए गए निर्देशों, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि सरकार अथवा गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पोलिटेक्निक्स खोले जाने चाहिएं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इन संस्थानों में पर्याप्त संख्या में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पोलिटेक्नीक स्थापित किये जाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार ने

अल्पसंख्यक विकेन्द्रित क्षेत्रों में स्थित और पालिटेकनिकी को शामिल करने के लिए सामुदायिक पालिटेकनिक की केन्द्रीय योजना का विस्तार किया है। इन सामुदायिक पालिटेकनिकों से यह आशा की जाती है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित पर्याप्त संख्या में लोगों को दाखिले के लिए उत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यक विकेन्द्रित क्षेत्रों/मोहल्लों में अपने विस्तार केन्द्रों का गठन करेगा। इस कार्य के लिए दस सामुदायिक पालिटेकनिकों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है जिनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. जी० बी० पन्त पालिटेकनिक, नई दिल्ली।
2. विश्वविद्यालय पालिटेकनिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. लखनऊ पालिटेकनिक, लखनऊ।
4. राजकीय पालिटेकनिक, मुरादाबाद।
5. राजकीय पालिटेकनिक, अजमेर।
6. एस० वी० राजकीय पालिटेकनिक, भोपाल।
7. फादर ऐंजलस पालिटेकनिक, मार्गो, गोवा।
8. राजकीय पालिटेकनिक, रांची।
9. नई दिल्ली महिला पालिटेकनिक, नई दिल्ली।
10. एम० एस० पालिटेकनिक, किलाकराई, (तमिलनाडु)

प्रत्येक सामुदायिक पालिटेकनिकों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि वे योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं।

(घ) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कुछ नए संस्थान गठित किए जाने हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सातवीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भा० प्रौ० संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पालिटेकनिकों की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

कलकत्ता में जहाजों के फेरों में विलम्ब

1643. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसमें यह बताया गया है कि जहाजों के फेरों में अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए कुछ विदेशी और भारतीय नौवहन कंपनियां कलकत्ता पत्तन को छोड़कर अन्य पत्तनों की ओर मार्ग बदल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कलकत्ता पत्तन में जहाजों के फेरा लगाने में औसतन कितना समय लगता है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है कि कलकत्ता में माल लादने/उतारे जाने में अनावश्यक विलम्ब होने के कारण जहाज यहां न आकर किसी और पत्तन की ओर जा रहे हैं।

(ग) 1985 के प्रारम्भ से जहाजों के आने/जाने में लगे औसत समय (दिनों में) का ब्यौरा निम्नलिखित है :

जनवरी.....	11.18
फरवरी.....	11.34

मार्च..... 11.79
अप्रैल..... 13.33
मई..... 10.77
जून..... 12.20
जुलाई..... 12.27
अगस्त..... 13.48
सितम्बर..... 21.38
अक्टूबर..... 25.39

औषधि परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं

1644. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1982 में नियुक्त कृतिक बल ने देश में औषधियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(घ) देश में उत्पादित औषधियों में से कितने प्रतिशत औषधियों का परीक्षण किया जाता है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षण किये गये नमूनों में से कितने प्रतिशत नमूने घटिया पाए गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टास्क फोर्स की सिफारिशों में से एक यह थी कि देश में औषध परीक्षण की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों की औषध परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने में सहायता करे और इस प्रयोजन के लिए एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की जाए। तदनुसार राज्यों में परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी थी। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह योजना हटा ली गई।

(घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार निर्माताओं को उनके द्वारा तैयार की गई औषधि के प्रत्येक बैच का बिक्री के लिए रिलीज करने से पहले परीक्षण करना होता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषध के जांचे गये नमूनों की संख्या, घटिया पाये गये नमूनों की संख्या और उनकी प्रतिशतता के बारे में सूचना नीचे दी गयी है :

वर्ष	जांचे गये नमूनों की संख्या	घटिया पाये गये नमूनों की संख्या	प्रतिशतता
1981-82	18856	3457	18.3
1982-83	18571	3160	17.01
1983-84	16768	2535	14.98

सातवीं योजना के दौरान शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन

1645. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल ने सातवीं योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 6655 करोड़ रुपए की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या देश में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां तो सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में निरक्षरता किस सीमा तक कम किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) शिक्षा के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए, जिनमें कला तथा संस्कृति, खेल तथा युवा कल्याण शामिल हैं, योजना आयोग द्वारा स्थापित बारह कार्य दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उप-क्षेत्र में 9199 करोड़ रुपये की आवश्यकता निर्धारित की है ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3994 करोड़ रुपये को सातवीं योजना परिव्यय स्वीकृत किया है ।

(ग) और (घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रहेगी और सातवीं योजना अवधि के दौरान 15-35 आयु वर्ग में निरक्षर जनसंख्या को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

प्रौढ़ शिक्षा और नई शिक्षा नीति

1646. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री अमरसिंह राठवा : क्या **मानव संसाधन विकस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने उनके मंत्रालय से शिक्षा पर राष्ट्रीय वाद-विवाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जांच करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या देश में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार देश में विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम को दूरदर्शन पर दिखाने की सिफारिश करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा परिचालित "शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य" नामक दस्तावेज के आधार एक राष्ट्र व्यापी विचार-विमर्श आरम्भ किया गया है । शिक्षा विभाग के आग्रह पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली ने एक राष्ट्रीय सेमिनार 10-12 अक्तूबर, 1985 को आयोजित की है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के भाग लेने वालों के दृष्टिकोणों का पता लग सके तथा नई शिक्षा

नीति में शामिल करने के लिए विशिष्ट नीतियों की सिफारिश की जा सके। निदेशालय ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति आधुनिक, परम्परागत और लोक जन माध्यम का व्यापक प्रयोग करना है। प्रेरणात्मक तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिये दूरदर्शन का प्रयोग इस व्यापक नीति का एक भाग है।

भारतीय हवाई अड्डों पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

1647. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करने के लिए नए टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए पता लगाए गए हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) (i) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, दिल्ली।

(ii) बंगलौर एयरपोर्ट।

(iii) गौहाटी एयरपोर्ट।

(iv) गोआ एयरपोर्ट।

(ग) और (घ) प्रति स्थान, अनुमानित व्यय 3 लाख रुपए के लगभग है।

सामुदायिक पोलिटैक्निक योजना

1648. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक पोलिटैक्निक योजना के अन्तर्गत उन दस पोलिटैक्निकों के नाम और पते क्या हैं जिनमें केवल अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है;

(ख) उनमें से उन पोलिटैक्निकों के नाम क्या हैं जिन्हें दिशा निर्देश मिलने से पहले ही अनुदान प्राप्त हो गया था तथा प्रत्येक पोलिटैक्निक को कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या धर्म के आधार पर प्रवेश देने अथवा मना करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (एक) के उपबंधों का उल्लंघन होता है; और

(घ) इस संदर्भ में हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को तकनीकी योग्यता प्रदान करने के लिए सामुदायिक पालिटैक्निकों को योजना के अन्तर्गत शामिल अल्पसंख्यक विकेन्द्रित क्षेत्रों में स्थित दस पालिटैक्निकों के नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं। इन पालिटैक्निकों के अनुमोदन को तारीख से·····उनके द्वारा प्राप्त अनुदान उनके नामों के सामने दिये गये हैं :

क्रम सं० पालिटैकनिकों के नाम तथा पते	मुक्त किया अनुदान (लाख रु० में)
1. श्री बी० पन्त पोलिटेकनिक, नई दिल्ली ।	4.00
2. नई दिल्ली महिला पालिटेकनिक, नई दिल्ली ।	4.00
3. विश्वविद्यालय पालिटेकनिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।	4.00
4. लखनऊ पालिटेकनिक, लखनऊ ।	3.60
5. राजकीय पालिटेकनिक, मुरादाबाद ।	3.80
6. राजकीय पालिटेकनिक, अजमेर ।	4.00
7. फादर एजेंल्स पालिटेकनिक, मार्गो, गोवा ।	2.50
8. एस० बी० पालिटेकनिक, भोपाल ।	4.00
9. राजकीय पालिटेकनिक, रांची ।	4.00
10. एम० एस० पालिटेकनिक, किलाकराई (तमिलनाडु)	3.60
कुल :	37.50

सामुदायिक पालिटेकनिकों की योजना के अन्तर्गत इन पालिटेकनिकों के चयन के पश्चात् ही इनके प्रिंसिपलों की नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें योजना को सामान्य मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा इन नए सामुदायिक पालिटेकनिकों के विशेष उद्देश्यों के अनुसार इनकी संचालन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया ।

इनके अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्थित होने के साथ-साथ इन सामुदायिक पालिटेकनिकों से यह आशा की जाती है कि वे अल्पसंख्यक विकेन्द्रित क्षेत्रों/मोहल्लों में भी अपने विस्तार केन्द्रों की स्थापना करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके द्वारा सृजित सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा उठाया जा सके । तथापि, हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि अन्य समुदायों से संबंधित लोगों, यदि कोई हो तो, को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाए । इसका अर्थ है कि संस्थान, "केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही प्रतिबंधित" नहीं है, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किया गया है ।

[हिन्दी]

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा पर व्यय

1649. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री बाबु बन रियान : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय की कितने प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था और इन योजना अवधियों में इस पर वास्तव में कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई;

(ख) यदि कम धनराशि खर्च की गई तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत प्रावधान करने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या सलाह देने का विचार है;

(घ) क्या सरकार अपने कुल व्यय की कम से कम 10 प्रतिशत राशि शिक्षा के लिये नियत करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कुल केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय का शिक्षा के लिए योजनागत व्यय चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 3.05%, 2.03% और 1.55% था, जिसके विरुद्ध व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 3.08%, 2.06% और 1.06% (पूर्व अनुमानित) थी। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय पक्ष में बढ़ोतरी रही है। छठी योजना के लिए सूचना अस्थायी है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए 2.5% की व्यवस्था की गई है। राज्यों को अपने स्तर पर शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने और शिक्षा के लागत प्रभावी-नवीन माडल शुरू करने के लिए सलाह दी जाएगी।

(घ) और (ङ) समग्र अन्तर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए 10% तक परिव्यय निर्धारित करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भाप इंजनों का प्रयोग बन्द करना

1650. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने भाप इंजनों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने का निर्णय किया है ताकि इस शताब्दी के अन्त तक सम्पूर्ण रेलवे प्रणाली केवल डीजल या बिजली से ही चले;

(ख) क्या इसके लिए भाप लोकोमोटिव सैक्शन तथा सम्बद्ध वर्कशापों में बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहे कार्मियों को पुनर्नियोजित करना भी शामिल है;

(ग) क्या काफी संख्या में वर्कशापें भी फालतू हो जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो फालतू कार्मिकों की समस्या का किस तरह समाधान किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नीति यह है कि आयु एवं हालत के आधार पर मरम्मत कार्य गैर-किफायती पाये जाने पर, भाप रेल इंजनों को चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर समाप्त किया जाये और उनके स्थान पर डीजल या बिजली रेल इंजन लगाये जायें किन्तु इस शताब्दी के अन्त तक सभी भाप रेल इंजनों को समाप्त करना कदाचित संभव नहीं हो सकेगा।

(ख) चूंकि भाप रेल इंजनों को क्रमिक रूप से समाप्त किया जायेगा अतः भारी संख्या में कर्मचारियों के एक साथ पुनर्नियोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) और (घ) जी नहीं, क्योंकि भाप रेल इंजनों में कमी के कारण उपलब्ध कारखाना क्षमता का उपयोग वैकल्पिक मरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए किया जायेगा।

पंजाब में रेल डिब्बा कारखाने में बनाये जाने वाले डिब्बों का डिजाइन

1651. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में प्रस्तावित कारखाने में ऐसे डिजाइन के नये रेल डिब्बे बनाये जायेंगे जो बहुत तेज रफ्तार से चल सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विदेशी डिजाइन प्राप्त कर रही है;

(ग) क्या रेलवे का अपना डिजाइन संगठन अपेक्षित डिजाइन तैयार करने में असफल रहा है; और

(घ) क्या इन रेल डिब्बों का डिजाइन तैयार करते समय यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि वे यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक हों ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेलें अधिक रफ्तार वाले सवारी डिब्बों के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं तथा इन सवारी डिब्बों का पंजाब के सवारी डिब्बा कारखाने में निर्माण करने की योजना है। प्रारम्भिक उत्पादन मौजूदा अभिकल्प के अनुसार होगा।

(ख) रेलें विदेशी अभिकल्प प्राप्त कर रही हैं।

(ग) जी नहीं। अधिक रफ्तार वाले सवारी डिब्बों के बारे में अ० अ० मा० सं० में प्रारम्भिक अनुसन्धान करने का इरादा नहीं है। विदेशों में इस अभिकल्प का पूर्णतया सन्तोषजनक ढंग से विकास हो जाने पर ही अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन भारतीय आमान, रेलपथ तथा वातावरण की परिस्थिति के अनुसार इस अभिकल्प को अपनायेगा।

(घ) जी हां।

गुमशुदा भारतीय जहाजों का पता लगाये जाने में हुई प्रगति

1652. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष हिन्द महासागर में रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हुए दो भारतीय जहाजों का पता लगाये जाने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या समुद्र में उनकी यात्रा-योग्यता के बारे में की गई जांच में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) क्या मालिकों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) आगे भी की गई जांच से लापता जहाजों का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। यह जांच अभी भी हो रही है। इस बारे में वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 360 के तहत विधिवत चीफ मेट्रोप्लोटिन मजिस्ट्रेट की अदालतों में जांच भी हो रही है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास

1653. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने के लिए कितना व्यय होगा और यह हवाई अड्डा कब तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थिति मौजूदा चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भारत को/से अंतर्राष्ट्रीय यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। इसलिए सरकार इस समय अहमदाबाद सहित किसी भी अन्तर्देशीय हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं समझती।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य

1654. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का काम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। योजना आयोग में गुजरात के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में 690 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1985-86 के दौरान खोले जायेंगे। ये केन्द्र कहां-कहां और किस-किस स्थान पर खोले जायेंगे इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल परिवहन वित्त निगम

1655. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान देश की अन्तर्देशीय जल परिवहन की आवश्यकताओं पर निगरानी रखने और उनकी पर्याप्त पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय जल परिवहन वित्त निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है और उसमें कितना पूंजी परिव्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग शिक्षा नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

1657. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 से 12 अक्तूबर, 1985 तक नई दिल्ली में आयोजित इंजीनियरिंग शिक्षा नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय सेमिनार द्वारा अक्तूबर, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित इंजीनियरी शिक्षा नीति पर की गई सिफारिशें इनसे सम्बन्धित हैं : (i) संकाय तथा संकाय विकास, (ii) अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था, (iii) उभरते हुए क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी अन्तराल की

चुनौती (iv) विभिन्न प्रणालियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना (v) वित्तीय संसाधनों को जुटाना (vi) अप्रचलन को दूर करना (vii) प्रबन्ध ढांचे को सुदृढ़ बनाना और (viii) उत्कृष्टता के लिए खोज की प्रोन्नति ।

(ख) उपर्युक्त राष्ट्रीय सेमिनार, तकनीकी शिक्षा सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पहले ही आयोजित या आगे आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सेमिनारों की शृंखलाओं में एक है । इन क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न सेमिनारों की सिफारिशों को समाकलित करने के लिए इन्जीनियरी तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा से सम्बन्धित पिछला सेमिनार 6 से 9 नवम्बर, 1985 तक बंगलौर में आयोजित किया गया था । इन सेमिनारों द्वारा की गई सिफारिशों का लघु कार्य-दलों के माध्यम से, जो संबंधित क्षेत्रों के लिए गठित किए जा सकते हैं, आगे विश्लेषण किया जाएगा । विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए इन कार्य-दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर बाद में कार्रवाई की जाएगी ।

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचार पर खर्च की गई धनराशि

1658. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचार पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या प्रचार से इन दो संगठनों को हुए लाभ के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या प्रचार संचालन के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त दो एयरलाइनों द्वारा किए जाने वाले प्रचार कार्य से सामान्यतः लाभ प्राप्त करने वाली एजेंसियों/संगठनों के नाम क्या हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा विज्ञापन पर किए गये खर्चे की राशि निम्न प्रकार है—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइन्स
1982-83	310.20	45.87
1983-84	366.45	60.97
1984-85	482.36	57.88

(ख) यद्यपि इन दोनों एयरलाइनों को प्रचार से होने वाले लाभों का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि एयरलाइन मार्केट में व्याप्त प्रतिस्पर्धा और वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले राजस्व के लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष प्रचार माध्यम को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार हैं—

(1) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को अपने बजट में प्रचार पर होने वाले खर्च के लिए स्पष्ट

प्रावधान करना चाहिए और उनके निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों को इसके लिए निर्धारित की गई राशि की औचित्यता को सुनिश्चित करना चाहिए।

(2) आकाशवाणी और दूरदर्शन का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

(3) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को लाभ होगा यदि वे अपनी निविदाओं/भर्ती इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञापनों को, जहां तक संभव हो सके, दृश्य और विज्ञापन प्रचार निदेशालय के माध्यम से भेजें और उन अभिकरणों की सेवाएं ली जानी चाहिएं जो दृश्य और विज्ञापन प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकृत हों।

(ङ) दोनों एयरलाइनों द्वारा किए गए प्रचार कार्य का लाभ सीधे रूप से इन एयरलाइनों को और पर्यटक उद्योग को होता है। इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के पैनल पर विज्ञापन अभिकरणों के नाम निम्न प्रकार हैं—

इण्डियन एयरलाइन्स :

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान थामसन एसोसिएट्स लिमिटेड।

(2) मैसर्स क्लेरियन एडवरटाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड।

(3) मैसर्स अकशारा एडवरटाइजिंग।

एयर इण्डिया :

(1) **भारत** —हिन्दुस्तान थामसन एसोसिएट्स।

(2) **यूनाइटेड किंगडम**—कारनेल मे स्टीवेंशन।

(3) **कन्टीनेन्टल यूरोप**—क्रिएटिव कोलेब्रेशन।

(4) **अमरीका और कनाडा**—वान ब्रंट एण्ड कम्पनी।

(5) **हांग-कांग**—पीपल एण्ड ग्रे।

(6) **आस्ट्रेलिया**—लाकवूड एसोसिएट्स।

(7) **मध्य पूर्व**—पान गल्फ।

छोटी रेल लाइनों को बदलने का प्रस्ताव

1659. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरानी छोटी रेल लाइनों को बदलकर नई रेल लाइनें बिछाने का है,

(ख) क्या सरकार का विचार इन रेल लाइनों पर पुराने स्टीम इंजनों के स्थानों पर डीजल इंजन चलाने का है, और

(ग) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक संभव होगा ?

परिवहन मंत्री (श्रीबंसी लाल) :(क)जी हां। छोटे आमान की लाइनों की पुरानी पटरियों का नवीकरण विनिर्मुक्त पुरानी पटरियों द्वारा आयु एवं हालात के आधार पर किया जाता है।

(ख) पुराने भाप इंजनों को डीजल इंजनों तथा डीजल रेल कारों द्वारा बदले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों को दिया जाने वाला भोजन

1660. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में रोगियों को दिये जाने वाला भोजन घटिया किस्म का होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में इस बारे में सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इन अस्पतालों में कार्य कर रहे डाक्टरों को खाद्य वस्तुओं के परीक्षा के लिए उनके नमूने लेने का प्राधिकार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का डाक्टरों के कार्य और इन अस्पतालों में रोगियों को दिये जाने वाले भोजन का निरीक्षण करने के लिए एक मानीटरिंग दल गठित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : जी, नहीं।

(ख) इस बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सामान्यता, अस्पतालों में रसोई घरों की देखभाल करने के लिए अर्हक डाइटिशियन हैं।

(घ) चिकित्सा अधीक्षक यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सक्षम है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं में निरक्षरता

1661. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में महिलाओं में निरक्षता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उनकी क्या संख्या है और कितने राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम निरक्षर हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) दस वर्षों के अंतराल पर आयोजित जनगणना सर्वेक्षण अन्य बातों के साथ-साथ साक्षरता से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। निरक्षर महिलाओं की संख्या के विषय में अद्यतन सूचना 1981 की जनगणना रिपोर्ट में दी गई है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध अद्यतन आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। महिलाओं में अत्यधिक साक्षरता दर केरल की है और उसके बाद चण्डीगढ़, मिजोरम तथा दिल्ली आते हैं। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निरक्षरता दर बहुत ही कम है।

विवरण

1981 की जनगणना में निरक्षर महिलाओं की संख्या

क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निरक्षर महिलाओं की संख्या (लाखों में)	निरक्षर महिलाओं की प्रतिशतता
1. आन्ध्र प्रदेश	210.48	79.61
2. असम	जनगणना नहीं हुई	—
3. बिहार	203.54	86.38
4. गुजरात	111.92	67.70
5. हरियाणा	46.74	77.73
6. हिमाचल प्रदेश	14.47	68.54
7. जम्मू और काश्मीर	23.74	84.12
8. कर्नाटक	131.67	72.29
9. केरल	44.29	34.27
10. मध्य प्रदेश	213.66	84.47
11. महाराष्ट्र	198.05	65.21
12. मणिपुर	4.07	70.94
13. मेघालय	4.56	69.92
14. नागालैंड	2.37	66.11
15. उड़ीसा	103.02	78.88
16. पंजाब	52.07	66.31
17. राजस्थान	145.35	88.58
18. सिक्किम	1.12	77.80
19. तमिलनाडु	155.49	65.01
20. त्रिपुरा	6.79	68.00
21. उत्तर प्रदेश	447.36	85.96
22. पश्चिम बंगाल	181.49	69.75
23. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.48	57.86
24. हिमाचल प्रदेश	2.60	88.68
25. चंडीगढ़	0.79	40.69
26. दादर और नागर हवेली	0.42	83.22
27. दिल्ली	13.05	46.93
28. गोवा,दमन और दीप	2.82	52.44
29. लक्षद्वीप	0.11	55.35
30. मिजोरम	1.07	45.09
31. पांडिचेरी	1.63	54.29
कुल	2416.12	75.18

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड से गैस रिसने के कारण गर्भवती महिलाओं का गर्भपात

1662. श्री आर० एस० भोये :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1985 के "नवभारत" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 2 दिसम्बर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोनेट गैस के रिसने के कारण लगभग 400 गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हुआ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार ने यह समाचार देखा है। लेकिन, भोपाल के 10 क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के अनुसार 2 दिसम्बर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोनेट गैस के रिसने के कारण 30-10-1985 तक 366 महिलाओं का गर्भपात हुआ है।

[अनुवाद]

डलीराजहरा-जगदलपुर रेल सम्पर्क

1663. श्री सुभाष यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने डलीराजहरा-जगदलपुर रेल सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बस्तर जिला एक आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है और वहां औद्योगिक विकास की काफी सम्भावनायें हैं सरकार डलीराजहरा-जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय अनुमानित खर्च के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ इस समय इस सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और योजना आयोग के परामर्श से इसकी जांच करने के बाद, इस मामले में आगे कार्रवाई की जायेगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

सम्बलपुर-तालचेर रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण

1664. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर- तालचेर रेलवे लाइन के लिए कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त रेलवे लाइन के लिए पहले ही अधिग्रहण की गई भूमि के लिए कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) लगभग 1112 हेक्टेयर।

(ख) अक्तूबर, 1985 तक लगभग 14.19 लाख रुपये।

गीतांजलि एक्सप्रेस रेलगाड़ी के रुकने के स्थानों की संख्या बढ़ाने की मांग

1665. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीतांजलि एक्सप्रेस की रेलगाड़ी के रुकने के स्थानों की संख्या बढ़ाने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर रोकने की मांग की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) गोंदिया, चम्पा, खड़गपुर, चक्रधरपुर, नासिक रोड और बडनेरा आदि स्टेशनों पर इसके ठहराव की मांग की गई है।

(ग) किसी अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था करना वांछनीय नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंकरीट के स्लीपर लगाना

1666. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे लाइनों पर लगाए गए स्लीपरों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके स्थान पर कंकरीट के स्लीपरों को लगाने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या इससे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि तो नहीं होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) देश की वन सम्पदा के अभिरक्षण के लिए प्रकाष्ठ स्लीपरों के उपयोग को उत्तरोत्तर कम करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं। कंक्रीट स्लीपरों पर बिछाया गया रेलपथ सुरक्षित है और मौजूदा यातायात की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में एक कैंसर अस्पताल खोलना

1667. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में एक कैंसर अस्पताल खोलने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है और यह अस्पताल कितने बिस्तरों वाला होगा; और

(ग) इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मंगलौर बम्बई के बीच स्टीमर यात्री सेवा आरम्भ किया जाना

1668. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** :

श्री मुल्लापल्लीरामचन्द्रन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और बम्बई के बीच स्टीमर यात्री सेवा आरम्भ करने के बारे में भारी मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बसों में भारी भीड़-भाड़ और बस किरायों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस मौसम के दौरान मंगलौर और बम्बई के बीच स्टीमर यात्री सेवा आरम्भ करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सम्बन्धित समुद्रवर्ती राज्य सरकारों से अथवा यात्रियों ने इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) इस समय बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरों में मेट्रो/सरकुलर रेल व्यवस्था

1669. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शहरों के नाम क्या हैं जहां द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था विद्यमान हैं और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है; और

(ख) प्रत्येक द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था को शहर-वार केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) द्रुत परिवहन प्रणाली कलकत्ता मेट्रो रेलवे के दो आंशिक खंडों यथा एस्प्लेनेड-भवानीपुर और दमदम-बेलगछिया खंडों में कार्य कर रही है। मार्च, 1986 तक इन सेवाओं का विस्तार भवानीपुर से टालीगंज तक करने का कार्यक्रम है। इस समूची द्रुत परिवहन प्रणाली को वाणिज्यिक परिचालन के लिए खोलने का लक्ष्य दिसम्बर, 1989 रखा गया है बशर्ते आगामी वर्षों में धन उपलब्ध हो। कलकत्ता मेट्रो रेलवे परियोजना पर मार्च, 1985 तक खर्च की गयी राशि 305.60 करोड़ रुपए है। वर्ष 1985-86 के लिए आवंटित राशि 81 करोड़ रुपए है। निम्नलिखित महानगर परिवहन परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

ब्यौरा	मार्च, 1985 तक खर्च की गयी राशि	वर्ष 1985-86 के लिए आवंटन
	(करोड़ रुपयों में)	
1. **बम्बई**		
(क) मानखुर्द से बेलापुर तक लाइन का विस्तार	2.71	2.00

(ख) बान्द्रा से अंधेरी तक लाइन की अतिरिक्त जोड़ी	1.79	0.10
2. कलकत्ता		
कलकत्ता सर्कुलर रेलवे	10.40	4.00
3. मद्रास		
मद्रास बीच से मुज परियोजना	4.45	3.50

होस्पैट-वास्को रेल सम्पर्क

1670. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय कर्नाटक और मारमागोआ पतन के बीच समुचित रेल सम्पर्क नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वास्को में कर्नाटक से मारमागोआ पतन के लिये माल की ढुलाई हेतु होस्पेट और वास्को अथवा मिराग और वास्को के बीच रेल लाइन की व्यवस्था करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मारमागाओ मीटर लाइन प्रणाली पर कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है।

(ख) वास्को मीटर लाइन प्रणाली पर होस्पेट और मिरज दोनों से पहले ही जुड़ा हुआ है और वर्तमान तथा प्रत्याशित यातायात के स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीटर आमान की मुख्य लाइनों की लाइन क्षमता पर्याप्त है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

1671. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में कितनी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : संसाधनों की कमी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को सातवीं योजना में शीघ्र पूरा करने पर दिए गए बल को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को नई परियोजनाओं को हाथ में लेने पर विचार करना होगा।

"स्कटलिंग शिप्स एट ए प्रोफिट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1672. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 1985 के स्टेट्समैन, नई दिल्ली में "स्कटलिंग शिप्स एट ए प्रोफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि जहाजों को जानबूझकर डुबाकर बीमे की राशि का दावा करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में उल्लिखित नौवहन फर्मों द्वारा जहाज डुबाने के विभिन्न अपराधों की उत्पत्ति कहां से हुई; और

(ग) भारतीय उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां। तथापि, भारतीय जहाज में छेद कर उसे डुबाने का कोई मामला आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है।

(ग) ऐसे अपराधों के लिए मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 और क्रिमिनल प्रौसिजर कोड में उचित प्रावधान पहले से मौजूद है। इसके अलावा साधारण बीमा निगम ने, देश से निर्यात होने वाले माल को ले जाने वाले जहाजों की जाँच करनी शुरू कर दी है और सिंगापुर तथा मलेशिया आदि सुदूरपूर्वी पत्तनों से माल के आयात के लिए जहाजों का चुनाव करने के बारे में मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए आवंटन

1673. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस संबंध में तैयार किए गये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है; और

(ख) इस कार्य के लिए आवंटित कुल धनराशि में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सातवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/ग्राम स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1096.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए 33 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

वर्ष 1985-86 के लिए धन का योजनावार आवंटन इस प्रकार है :—

योजना का नाम	1985-86 के लिए कुल व्यवस्था	(रुपये लाखों में) उत्तर प्रदेश का हिस्सा
1. पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	250.00	39.20
2. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	140.00	6.05
3. सतत शिक्षा योजना	150.00	16.00
4. विशेषज्ञों और परा-चिकित्सकों का प्रशिक्षण	150.00	16.00

सातवीं पचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के समग्र विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

आजमगढ़ जिले में धकमा बाजार के समीप नई रेल लाइन

1674. **श्री राजकुमार राय** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लालगंज किसी भी रेल लाइन से 30 किलोमीटर से कम दूर नहीं है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में थकमा बाजार के समीप एक नई रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) उपलब्ध मानचित्रों के अनुसार निकटतम रेलवे लाइन से इसकी दूरी 30 कि० मी० से कम है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

[अनुवाद]

हैदरबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करना

1675. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हैदरबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और इस समय इस हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय माल तथा यात्रियों की यातायात संभाव्यता की जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने हैदराबाद सहित, किसी भी अन्तर्देशीय हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं समझी है । तथापि, एक यातायात सर्वेक्षण के आधार पर, दिसम्बर, 1985 से एयर इंडिया द्वारा हैदराबाद से/को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान चालू करने का निर्णय किया गया है ।

कृष्णा कावेरी नहर का आधुनिकीकरण

1676. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नूल कुड्डापट जिले में कृष्णा-कावेरी नहर के आधुनिकीकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस संबंध में समुचित विचार किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण

1577. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ख) इस हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इसे भारत सरकार की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति जारी की जानी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार, स्थल के विकास और परियोजना के अन्य सिविल तथा बिजली सम्बन्धी कार्यों, और भूमि सम्बन्धी कार्यों जिन्हें अभी किया जाना है, पर अनुमानित 436.82 लाख रुपए खर्च करेगी।

(ग) इस कार्य के पूरा होने पर, इसके शुरू होने के बाद से 48 मास लग जाने की संभावना है।

(घ) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह इस योजना पर उनके द्वारा 1981-82 में स्थल के विकास पर किए गए खर्च सहित, इस परियोजना की सम्पूर्ण लागत को वहन करे। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा पहले से किए गए कार्य की जिम्मेदारी उठाने की सहमति नहीं दी है। लेकिन, उसने परियोजना की शेष लागत को पूरा करने की सहमति दे दी है।

(ङ) 517.03 लाख रुपए।

दार्जिलिंग मेल का विलम्ब से चलना

1678. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान दार्जिलिंग मेल के सियालदह से न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह के बीच कितनी बार समय पर न चलने का पता चला है;

(ख) क्या यह सच है कि यह रेलगाड़ी सदैव विलम्ब से चलती है और यह अनियमित है जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अगस्त से अक्टूबर, 1985 तक की पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान 43/44 दार्जिलिंग मेल जलपाईगुड़ी तथा सियालदह में क्रमश: 56 तथा 54 दिन देर से पहुंची।

(ख) और (ग) दार्जिलिंग मेल की समय-पाबंदी संतोषजनक नहीं है। इसके मुख्य कारण दुर्घटनाएं, उपस्कर की खराबी और उनके परिणामस्वरूप इकहरी लाइन के खण्ड पर निर्धारित मार्ग से हटकर चलना है जिनसे समय-पाबन्दी पर प्रभाव पड़ता है। दार्जिलिंग मेल की समय-पाबन्दी पर मंडल, क्षेत्रीय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर नजर रखी जा रही है और स्कौनी के परिहार्य कारणों की जांच की जाती है और इस गाड़ी की समय-पाबंदी सुधारने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है।

माल्दा-रानीनगर रेल लाइन को दोहरा बनाना

1679. **श्री अमरराय प्रधान :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में माल्दा से रानीनगर रेल लाइन को दोहरा बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर बहुत अधिक भीड़ रहती है जिससे यात्रियों को काफी कठिनाई होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में माल्दा से रानीनगर तक दोहरी लाइन बिछाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ङ) मालदा-रानीनगर-न्यू बोंगाइगांव खंड पर लाइन क्षमता की तंगी है। यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस खंड की लाइन क्षमता बढ़ाने हेतु कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने संबंधी कार्य/यातायात सुविधा संबंधी अन्य कार्य चरणों में किए जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध होते रहें। इकलाखी-बालूरघाट नयी लाइन के निर्माण के अंश के एक रूप में मालदा-इकलाखी खंड पर दोहरी लाइन बिछाना, इकलाखी-कुमेदपुर खंड पर दोहरी लाइन बिछाना और कुमेदपुर-न्यू जलपाईगुड़ी खंड पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना अनुमोदित कार्य हैं। इन कार्यों की तथा यातायात सुविधा संबंधी अन्य कार्यों की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यकरण के बारे में सिफारिश करने हेतु समिति की नियुक्ति

1680. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यक्रम के बारे में सुझाव देने और सिफारिश करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय युवा सेवा

1681. **श्री टी० बशीर :** क्या **मानव ससाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में निरक्षरता उन्मूलन के काम में शिक्षित युवाओं और छात्रों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा सेवा गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में छात्रों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में एक राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास

1682. **श्री टी० बशीर :**

श्री पी०ए० एन्टनी : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में एक नए राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित होने वाले पांच जल मार्गों में से एक वेस्ट कास्ट कैनाल (क्विलन-कोचीन खंड) भी है। इन जलमार्गों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(ग) और (घ) केरल सरकार से वेस्ट कास्ट कैनाल सिस्टम के क्विलन-कोचीन प्रखंड (146 कि०मी०) के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में ड्रेजिंग, नौचालन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रावधान, टर्मिनल सुविधाएं आदि शामिल हैं। केरल सरकार ने जल मार्ग के इस प्रखंड पर जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक कार्य पूरा करने का अनुरोध किया है।

बैंकाक में एयर इण्डिया जम्बो जेट ईंजन के हिस्सों का गिरना

1683. **श्री धर्मपाल सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर, 1985, के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि बैंकाक से हांगकांग के लिए उड़ान करने के थोड़ी देर बाद ही एयर इंडिया जम्बो जेट के इंजन के हिस्से एक मैदान में गिर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) घटना की जांच की जा रही है।

भारतीय जहाजों में नियुक्ति के लिये नियम बनाना

1684. **श्री सुधीर राय** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों में बेरोजगारी सम्बन्धी एडमिरल एस० एम० नन्दा (सेवा-

निवृत्त) समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 (44 से 1958 तक) को धारा 88 में संशोधन कर प्रत्येक भारतीय ध्वज पोत में नाविकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) भारतीय जहाजों रैटिंगों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए नन्दा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

1685. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे में चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है और प्रत्येक रेलवे में की गई भर्ती का वर्ष-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी नियुक्तियों में से कितनी नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में भर्ती करने के लिए रोजगार कार्यालयों से अनुरोध करता है यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक रेलवे में रेलवे-वार कितने प्रतिशत भर्ती की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुराने माल डिब्बों को बदलना

1686. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने और खराब हो गये माल डिब्बों को बदलने के लिए 7000 माल डिब्बों का हाल ही में आर्डर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन माल डिब्बों की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) प्रत्येक रेलवे जोन में और गेज-वार पृथक-पृथक कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हाँ, इस वर्ष 7000 माल डिब्बे और खरीदने का प्रस्ताव है ।

(ख) लगभग 155 करोड़ रुपये ।

(ग) इन 7000 माल डिब्बों में से सभी माल डिब्बे बड़े आमान के बी० ओ० एक्स "एन" टाइप के हैं । रेलवे-वार अनन्तिम आवंटन नीचे दिया गया है—

रेलवे	संख्या
उत्तर	1428
मध्य	1265
पूर्व	2163
दक्षिण	573
दक्षिण पूर्व	1571
जोड़	7000

नये खरीदे गये माल डिब्बों का क्षेत्रीय रेलों में वितरण उनके प्राधिकृत स्टाक के आधार पर किया जाता है जबकि यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार इनका उपयोग सभी भारतीय रेलों पर किया जाता है।

सम्बलेवाड़ी एक्सप्रेस को बलांगीर तक बढ़ाया जाना

1687. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा सम्बलपुर सम्बलेवाड़ी एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस स्टेशन पर बढ़ाया जायेगा;

(ग) क्या इसको बलांगीर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा।

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल): (क) 5/6 हावड़ा-सम्बलपुर एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों पर निवारण कक्ष

1688. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की समस्याओं के तुरन्त निवारण हेतु एक सैल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसे सैल कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर ऐसे सैल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे सैल कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) उन स्टेशनों के नाम जहां जनता शिकायत कक्ष काम कर रहे हैं, नीचे दिये गये हैं :—

दिल्ली, नयी दिल्ली, हवड़ा, सियालदह, बम्बई सेन्ट्रल, बम्बई वी०टी०, नागपुर, भुसावल, सिकन्दराबाद, हैदराबाद, विजयवाडा, गुन्तकल, हुबली, काचेगुडा, तिरुपति, मद्रास सेंट्रल, मद्रास एगम्बूर और बेंगलूर सिटी।

(ग) और (घ) देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर जनता शिकायत कक्ष की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे कक्ष कुछ और स्टेशनों पर शीघ्र खोलने का प्रस्ताव है।

अजमेर डिवीजन फ्लैग स्टेशनों पर टिकटों की अनुपलब्धता

1689. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को यह जानकारी है कि पश्चिम रेलवे की अजमेर डिवीजन पर फ्लैग स्टेशनों के एजेंटों और उनके निकट के स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के अनुपालन के लिए विशिष्ट निर्देशों के अभाव में अपनी इन फ्लैग स्टेशनों से अथवा यहां तक यात्रा करने वाले यात्रियों को इन स्टेशनों पर टिकट कम उपलब्ध होने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अजमेर और चित्तौड़ गढ़ स्टेशनों ने अभी इसके लिए मांग पत्र भी नहीं भेजे हैं तथा इन फ्लैग स्टेशनों, विशेषकर टांकरवाड फ्लैग स्टेशन के लिए एक भी टिकट नहीं लिया है और इसलिए अजमेर और चित्तौड़ गढ़ के स्टेशन मास्टर इन फ्लैग स्टेशनों की बजाए कम अथवा अधिक दूरी के स्टेशनों का टिकट जारी करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप यात्री टिकट निरीक्षक को 10 रुपये जुर्माना देने के लिए मजबूर हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन दो जंक्शनों के बीच स्थित फ्लैग स्टेशनों के लिए टिकट उपलब्ध करेगी, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) हाल्ट और फ्लैग स्टेशनों हेतु टिकटों के लिए मांग-पत्र भेजने और टिकटों की सप्लाई करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। चूंकि अजमेर और चित्तौड़गढ़ स्टेशनों द्वारा टांकरवाड़ स्टेशन की टिकटों के लिए कोई मांग नहीं की गई थी, इसलिए कार्ड टिकटों के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजे गए थे। यातायात में वृद्धि होने पर अजमेर स्टेशन टांकर- वाड़ की टिकटों के लिए मांग-पत्र पहले ही भेज चुका है और चित्तौड़गढ़ स्टेशन भी मांग-पत्र भेज रहा है। अजमेर और चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर टांकरवाड़ फ्लैग स्टेशन के लिए टिकटें बहुत जल्दी ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

हावड़ा डिविजन के गैर-लाइसेंस शुदा फेरी वालों की मांगें

1690 **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा डिविजन के गैर लाइसेंस शुदा फेरी वालों से कोई ज्ञापन अथवा मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार उन्हें विक्रेता लाइसेंस देगी;

(ङ) यदि हां, तो कब तथा कैसे देगी, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) रेलवे से अनधिकृत फेरीवालों को तब तक न हटाया जाये जब तक कि उनको लाइसेंस देकर या उन्हें वेंडर के रूप में अथवा रेल कर्मचारी के रूप में नियुक्त करके रेलवे द्वारा वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर दी जाती।

(2) सभी वेंडिंग ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किये जायें,

(3) वर्दवान रेलवे स्टेशन के विस्थापित फेरीवालों को बहाल करना;

(4) अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई रोकी जाये।

(ग) ये मांगें स्वीकार नहीं की गई हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) अनधिकृत रूप से फेरी लगाना भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है उनके लिए किसी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है ।

रेल गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तरीके

1691. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल की पटरियों का उपयोग बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं यदि हां, तो इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए गए तरीकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेल पटरियों के इस प्रकार अधिक उपयोग द्वारा गाड़ियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, (i) अधिक डिब्बे ले जाने वाली लम्बी गाड़ियां चलाकर,

(ii) ब्लाक स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करके, और

(iii) सिगनल और दूर संचार सुविधाओं में सुधार करके ।

(ख) और (ग) जी नहीं । रेल पथ का उपयोग बढ़ाने के तरीकों पर निर्णय लेते समय संरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ।

मेट्रो रेलवे, कलकत्ता द्वारा दिया गया ठेका

1692. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत रेल के संबंध में इस समय निर्माणाधीन कार्यों अथवा मेट्रो रेलवे कलकत्ता द्वारा ठेके पर दिए जा चुके कार्यों और ऐसे निर्माण कार्यों का विस्तार तथा मूल्य क्या है, ठेकेदारों के नाम क्या हैं और ठेकों का निष्पादन किस अवधि तक पूरा किया जाना है;

(ख) प्रत्येक कार्य के बारे में कितनी प्रगति हुई है और क्या यह प्रगति कार्य के समय पर पूरा होने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) उन ठेकेदारों के मामलों में जो संभावित प्रगति प्राप्त करने में विफल रहे हैं यदि कोई कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तारीख

1693. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मेट्रो रेलवे ने परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तारीख बदल कर दिसम्बर, 1989 कर दी है, यदि नहीं, तो इस परियोजना को पूरा करने की वर्तमान निर्धारित तारीख क्या है, और

(ख) पुनरीक्षित निर्धारित तारीख के अनुसार विभिन्न सैक्शनों को पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) धन की तंगी और विभिन्न अन्य समस्याओं के कारण इस परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा है । अब कार्य की प्रगति संतोषजनक रूप से हो रही है और इन सेवाओं को मार्च, 1986 तक भवानीपुर

से टालीगंज तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो, इस समूची परियोजना को दिसम्बर, 1989 तक खोलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

दवाइयों का उत्पादन

1694. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में औषध तैयार करने वाली कुछ इकाइयां एक ही दवाई की दो किस्में तैयार करती हैं जिनमें से एक शहरों में तथा दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो दवाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जाती हैं वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती अथवा उनमें मिलावट होती है; और

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं, ऐसा काम करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में किस तरह दंड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 का प्रवर्तन

1695. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1984 को प्रवृत्त करने और इसका समुचित प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो पत्रों का सार क्या है;

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

युवा कार्य तथा खेलकूद और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पत्र के संक्षेप में संशोधित अधिनियम के उपबन्धों की व्याख्या की गई है और उन क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है जहां राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। जिन मदों पर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया गया है वे, निम्न प्रकार हैं :—

(1) दुल्हा या दुल्हन या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के संबंध में दी गई या दी जाने वाली कोई सम्पति या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति दहेज मानी जायेगी।

(2) दहेज लेने या देने के लिए दंड बढ़ा दिया गया है और यह दण्ड 6 मास से दो वर्ष तक

का कारावास और मूल अधिनियम में रखे जुर्माने की 500 रु० की राशि को बढ़ाकर 10,000/- रु० कर दिया गया है।

(3) संशोधित अधिनियम से मान्यताप्राप्त कल्याण संस्थाओं या संगठनों के लिए दहेज संबंधी अपराधों के बारे में शिकायतें दर्ज करना तथा ऐसी शिकायतों पर न्यायालयों में सुनवाई करना संभव हो गया है।

(4) यह अधिनियम सभी व्यक्तियों को लागू है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हों।

(5) अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मुख्य दस्तावेज विवाह के समय दुल्हे या दुल्हन को दिए उपहारों की सूची है और इसे भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 19-8-85 में अधिसूचित अधिनियम के अन्तर्गत नियमों के अनुसार अनुरक्षण करना है।

(6) नियमों के अनुसार उपहारों की सूचियां न बनाना या सूची में किसी उपहार को दर्ज न करने का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यह होगा कि "दहेज" सूची में सभी उपहार दर्ज नहीं किये गए और दहेज देने या लेने वाले को दहेज लेने और देने के लिए सजा दी जा सकती है।

(7) उपहारों की सूचियां पंजीकरण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दर्ज की जाएं।

(8) नियमों के अन्तर्गत दुल्हे के लिए ऐसी सूची बनाना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण, उसका लगभग मूल्य, व्यक्ति का नाम जिसने उपहार दिया है, और जहां पर उपहार दुल्हे और दुल्हन के सम्बन्धी द्वारा दिया गया है, वहां संबंधी का विवरण दिया गया हो।

(9) राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे उपहारों की सूचियों के आसानी से पंजीकरण की सुविधा के लिए समय-समय पर सचल-पंजीकरण कार्यालय खोलने की सम्भावना का पता लगाएं।

(10) दहेज एक गम्भीर बुराई है और केवल सावधानीपूर्वक और सुनियोजित ढंग से ही इसका उन्मूलन करना सम्भव होगा।

(घ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

(ङ) महिला कल्याण विभाग ने संशोधित अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा है और इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से राज्यों में प्रचार करने के लिए भी आग्रह किया है ताकि संशोधित अधिनियम के विषय वस्तु के बारे में उनके राज्यों के सभी व्यक्तियों को जानकारी हो सके।

खाद्य पदार्थों में प्रयोग किये जाने वाले रंगों/रंग सामग्रियों का मानव शरीर पर प्रभाव

1696. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रंगों के प्रयोग को रोकने अथवा सीमित करने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों

में प्रयोग किये जाने वाले रंगों/रंग सामग्रियों का मानव के शरीर पर पड़े प्रभावों के बारे में कोई सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का खाद्य पदार्थों में हानिकारक रंगों के प्रयोग पर रोक लगाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति, जो सरकार का एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, ने एक विशेषज्ञ उप-समिति गठित की है जिसने खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले रंगों/रंग सामग्री के इस्तेमाल से मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों संबंधी प्रश्न की छान-बीन की थी। इस विशेषज्ञ उप-समिति ने खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति को सिफारिश की है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून के अन्तर्गत अनुमत रंगों/रंग सामग्री की स्वीकृत सीमाओं को कम किया जाए और खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति को इस मामले की जानकारी है।

भारत-गंगा मैदानों में बाढ़ से नुकसान

1697. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गंगा मैदानों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने के लिए नेपाल और भूटान के साथ घनिष्ठ सहयोग प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी प्रणालियों में समन्वित जल विभाजक प्रबन्धक के लिए ब्यौरा तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए भूटान में जल मौसम वैज्ञानिक स्टेशन प्रचालनाधीन हैं तथा भारत-गंगा मैदानों में बाढ़ से हुए नुकसानों को कम करने सहित बहु-उद्देशीय लाभों के लिए सामान्य नदी जल संसाधनों को काम में लाने के वास्ते नेपाल तथा भूटान के सहयोग हेतु बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग) कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छठी योजना के दौरान बाढ़-प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एक समन्वित जल विभाजक प्रबन्ध स्कीम शुरू की गई थी तथा यह स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है।

सातवीं योजना के दौरान यात्री डिब्बों का निर्माण

1698. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान कितने यात्री डिब्बों का निर्माण करने का लक्ष्य है; और

(ख) गत वर्ष (1984-85) के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने यात्री डिब्बों का निर्माण किया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता, बिजली गाड़ी डिब्बों और मेट्रो डिब्बों सहित, अनुमानतः 8100 सवारी डिब्बे हैं। सवारी डिब्बों का वास्तविक उत्पादन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) बिजली गाड़ी के डिब्बों के, निर्यात के लिए सवारी डिब्बों और मेट्रो डिब्बों सहित

सवारी डिब्बों का कुल उत्पादन 1308 डिब्बे हुआ था जबकि लक्ष्य 1342 सवारी डिब्बों के निर्माण का था।

बाढ़ आयोग

1699. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "योजना आयोग" अथवा "वित्त आयोग" के ढांचे पर "बाढ़ आयोग" गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित किया था जिसने मार्च, 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा इसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क

1700. **श्री ई० अय्युप्पु रेड्डी :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था करने हेतु एक राज्य में 16 पैसे प्रति गैलन की दर से कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता;

(ख) क्या सड़कों तथा पुलों में सुधार करने के लिए भारी मात्रा में कार्य करने हेतु 16 पैसे की इस दर को अपर्याप्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस 16 पैसे प्रति गैलन की दर को 50 पैसे प्रति गैलन करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मोटर स्पिरिटों पर अतिरिक्त शुल्क लेवी में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों ने मोटर स्पिरिट पर शुल्क बढ़ाकर केंद्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने की मांग की है, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

सातवीं योजना में रेलवे का आधुनिकीकरण

1701. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना में रेलवे के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान उक्त आधुनिकीकरण के अन्तर्गत किन-किन रेल मार्गों को शामिल किया जाएगा;

(ग) इस योजनावधि में उपरोक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) रेलों का आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं यथा चल स्टाक, कर्षण, रेलपथ, अनुरक्षण अवसंरचना, सिगनल और संचार।

प्रत्याशित यातायात के आधार पर भिन्न-भिन्न मार्गों पर सुधार करने के लिए योजना बनायी जाती है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने वाले मार्गों तथा कोयला व खनिज मार्गों को जहां भारी यातायात ढोया जाता है, प्राथमिकता दी जाएगी।

सातवीं योजना में 12,334.30 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

प्रमुख पत्तनों में भीड़-भाड़

1702. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख भारतीय पत्तनों में भारी भीड़-भाड़ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पत्तनों में भीड़-भीड़ के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पत्तनों में जमाव की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है।

(ख) (1) पत्तन क्षमता से अधिक जहाजों को बड़ी संख्या में पहुंचना।

(2) हैंडलिंग एजेंट्स की अपर्याप्त क्षमता।

(3) एक साथ अनेक जहाजों का आ जाना।

(4) हाइड्रोस्कोपिक होने के कारण बरसात के दौरान उर्वरक सामग्री का जम जाना।

(5) बरसात आदि के कारण परिचालन में बाधा।

(6) पर्याप्त मेकेनिकल हैंडलिंग उपकरणों का अभाव।

(ग) (1) नये घाटों में विकास कर पत्तन क्षमता में वृद्धि।

(2) यांत्रिकृत हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि।

(3) नियमित आधार पर प्रतीक्षारत जहाज की मंत्रालय/पत्तनों के अध्यक्षों द्वारा निगरानी।

(4) बम्बई पत्तन में मध्य धारा में माल चढ़ाने/उतारने के लिए प्रोत्साहन को जारी रखना।

(5) पत्तनों पर माल के लादने उतारने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु अतिरिक्त भूमि

1703. **श्री हरीश रावत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितनी अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि क्षेत्र के सिंचित करने का विचार है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य की टिहरी बांध सहित कई बहुद्देश्यीय बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश में 4.237 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है । योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय 1932 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था तथा उनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है जो समग्र अनुमोदित योजना परिव्यय के भीतर अलग-अलग परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करते हैं । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं को, जो उन्नत अवस्था में हैं, पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करें ताकि सातवीं योजनावधि के दौरान इनसे लाभ प्राप्त किए जा सकें ।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में संशोधन

1704. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : **क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अपर्याप्त होने के कारण अन्तर्राज्यिक जल विवाद दशकों से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधान लाने का है ताकि लम्बित जल विवादों को शीघ्र निपटाया जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में एक नई राष्ट्रीय जल नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत की प्रक्रिया के जरिए हल किया जाता है जिसके विफल होने पर अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिनिर्णय का तरीका अपनाया जाता है । इस अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) परिषद द्वारा विचार करने के लिए छः महीने के अन्दर एक राष्ट्रीय जल नीति प्रलेख तैयार करने के वास्ते केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने एक दल गठित किया है ।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबन्ध संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

1705. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अक्तूबर, 1985 को जयपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबन्ध संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त सम्मेलन में दिए गये अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी किस सीमा तक जांच की गई है; और

(ङ) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध अनुसंधान संस्थान नामक संगठन ने 25 और 26 अक्तूबर, 1985 को जयपुर में एक दो द्विवसीय सम्मेलन आयोजित किया था । इस सम्मेलन में तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई ।

(क) मानव संसधनों का प्रबन्ध

(ख) सूचना की व्यवस्था तथा

(ग) प्रभावकारिता का आयोजन ।

(ग) से (ङ) इस सम्मेलन में की गई कोई भी सिफारिश अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

बेपोर पत्तन का मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकास करना

1706. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन और मंगलौर के बीच एक अच्छे मध्यवर्ती पत्तन के रूप में बेपोर पत्तन का विकास करने की क्षमता की जानकारी है;

(ख) क्या केरल सरकार से इस पत्तन के विकास के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) लघु मध्यम पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

(ख) सातवीं योजना में पत्तनों के विकास के लिए गठित कार्यदल के उपदल द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करने पर केरल सरकार ने 11.50 करोड़ रु० की अनुमनित लागत पर बेपोर पत्तन के विकास का एक प्रस्ताव भेजा था ।

(ग) यदि बेपोर पत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी है, तो इस बारे में अन्तिम योजना आबंटन के उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को दिखाये जाने की स्वीकृति दिया जाना

1707. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फ़िल्मों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सेंसर बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान आम प्रदर्शन की स्वीकृति नही दी है; और

(ख) इन फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पंचाग वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा जिन फिल्मों के लिए स्वीकृति देने से इंकार किया गया, उनकी सूची ।

क्र. सं.	फिल्मों का शीर्षक	स्वीकृति न दिए जाने के कारण	कैफियत
	वर्ष 1982		
	भारतीय फीचर फिल्में		
1.	नान सूतिया मलार (तमिल)	कालेज छात्रों का महिला से छेड़-छाड़, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और महिलाओं की बदनामी ।	संशोधित रूपान्तर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया ।
2.	चंबाबाल्काडु (मलयालम)	हिंसा, पाशविकता, क्रूरता, अश्लीलता और अशिष्टता	संशोधित रूपान्तर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया ।
3.	तीरथ विलायातू (पिल्लै) (तमिल)	अशिष्टता, अश्लीलता, भ्रष्टता	—वही—
4.	लीना मीना रीना (तमिल)	अपराध, अशिष्टता, अश्लीलता, भ्रष्टता	पुनः संशोधित रूपान्तर को "ए" प्रमाण-पत्र दे दिया गया है ।
5.	सुगंध (हिन्दी)	अश्लीलता, अनैतिकता और अपराध करने के लिए उत्तेजित करना	संशोधित रूपान्तर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया
	विदेशी फीचर फिल्में		
6.	जेवरा फोर्स (अंग्रेजी)	हिंसा, पाशविकता, यातना और आतंकवाद	संशोधित रूपान्तर को "ए" प्रमाण-पत्र दे दिया गया है ।
7.	शोगन्स निनजा (अंग्रेजी)	हिंसा, क्रूरता और वीभत्सा	—वही—
8.	द फोग (अंग्रेजी)	विनाश प्रभाव, हिंसा और वीभत्सा के साथ आलौकिक तत्व	—
9.	इनफरनो	हिंसा और वीभत्सण	—
10.	एगजिट दि ड्रैगन इंटर दि टाईगर (पुनः संशोधित) (अंग्रेजी)	हिंसा, पाशविकता और परपीड़न कामुकता	पुनः संशोधित रूपांतर को 'ए' प्रमाण-पत्र दिया गया है ।
11.	हेयर (अंग्रेजी)	औषध व्यसन, धार्मिक भावना और ठेस और अश्लीलता	—
12.	वायलेंट स्ट्रीट्स	हिंसा और अपराध	—

13. फिस्ट आफ फयूरी	हिंसा और क्रूरता	पुनः संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
14. हाई रिस्क (अंग्रेजी)	हिंसा और क्रूरता	—
15. चाकू मास्टर (अंग्रेजी)	हिंसा, पाशविकता और हत्या	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
16. नम्बर 1. आफ दि सीक्रेट सर्विस (संशोधित) (अंग्रेजी)	हिंसा, पाशविकता और हत्या	संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
17. फेसस आफ डेथ-2 (अंग्रेजी)	मृत्यु को वीभत्स और डरावना चित्रित करना, हत्या और घोर विपत्ति आदि के कारण हत्या और अपराध करने के लिए उत्तेजित करना।	—
विदेशी लघु फिल्में		
18. एबोर्शन ए वुमेन्स डिसीजन (अंग्रेजी)	यह एक गर्भपात विरोधी फिल्म है और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावशाली नहीं है।	

वर्ष 1983

भारतीय फीचर फिल्में

1. कयामत (हिन्दी)	हिंसा, अपराधों और अशिष्टता की कार्य प्रणाली	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
2. माफीचा सक्षीदर (मराठी)	अपराधों की कार्यप्रणाली और अपराधों की होड़	संशोधित रूपांतर को भी प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया। फिल्म अपील न्यायाधिकरण प्रमाणन ने काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र देने के लिये आदेश दिए। तथापि सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत फिल्म जांच के लिए लम्बित पड़ी है।
विदेशी फीचर फिल्में		
3. डैथ विश II (अंग्रेजी)	हिंसा, अपराधों, क्रूरता, भ्रष्टता की कार्य प्रणाली	
4. स्प्रिंग ब्रेक (अंग्रेजी)	मदिरापान का गुणगान करना, अशिष्ट मनोरंजन, अनुज्ञात्मकता और भ्रष्टता	फिल्म अपील न्यायाधिकरण प्रमाण ने काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र देने के लिए आदेश दिए।

5. पारकीज (अंग्रेजी)	मदिरापान का गुणगान, अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता	

वर्ष 1984

भारतीय फीचर फिल्में

1. माफीचा सक्शीदर (संशोधित) (मराठी)	अपराध, हिंसा और भ्रष्टता	फिल्म अपील न्यायाधिकरण प्रमाणन ने काट के साथ "ए" प्रमाण पत्र देने के लिए आदेश दिए। तथापि सिनेमाटोग्राफ अधिनिययम 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत फिल्म जांच के लिए लम्बित पड़ी है।
2. कानून क्या करेगा (हिन्दी)	हिंसा, अपराध और भ्रष्टता	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
3. आज की आवाज (हिन्दी)	अपराध, हिंसा, अशिष्टता भ्रष्टता और मानहानि	परिशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
4. रेप (हिन्दी)	अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता	संशोधित रूपांतर शीर्षक "औरत का इन्तकाम" को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
5. भीमा (हिन्दी)	हिंसा, अपराध, राज्य की सुरक्षा, जन आदेश इत्यादि	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
6. मेरी इज्जत बचाओ (हिन्दी)	अशिष्टता और हिंसा	परिशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
7. हवेली (हिन्दी)	हिंसा, वीभत्स, अशिष्टता और भ्रष्टता	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
8. पत्थर (हिन्दी)	हिंसा, अपराध और भ्रष्टता	पुनः परिशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
9. फूलन देवी (बंगाली)	हिंसा, अपराध, अशिष्टता और भ्रष्टता	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
10. सरदार (तेलगू)	हिंसा	संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया
11. नीरावाराती (तमिल)	अशिष्टता, भ्रष्टता और अपराध	संशोधित रूपांतर को हटाये गए हिस्से के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया
12. रक्षा (मलयालम)	अपराध और अन्ध-विश्वास	फिल्म सर्टीफिकेशन एपलेट ट्रिबूनल ने हटाये गए हिस्से के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया
13. इधु इंगा भूमि (संशोधित) (तमिल)	अपराध और विदेशों के साथ मैत्री सम्बन्ध	फिल्म सर्टीफिकेशन एपलेट ट्रिबूनल ने हटाये गए हिस्से के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया

विदेशी फीचर फिल्में

14.	वारियरस टू (अंग्रेजी)	हिंसा और क्रूरता	संशोधित रूपांतर और "यू ए" प्रमाण-पत्र दिया गया
15.	दि वारियरस (अंग्रेजी)	अपराध गिरोह और हिंसा	—
16.	दि हिमालयान (अंग्रेजी)	हिंसा और अपराध	1985 में संशोधित रूपांतर प्रमाणन के लिए आवेदन किया गया
17.	दि फन हाऊस (अंग्रेजी)	अपराध और अशिष्टता	—
18.	डेडली डुयल (अंग्रेजी)	हिंसा	संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया
19.	स्मुराइ/रिइन-कार्नेशन (अंग्रेजी)	हिंसा, घृणा, भ्रष्टता अपराध भ्रष्टता इत्यादि	संशोधित रूपांतर को काट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया।
20.	फिस्ट आफ फ्यूरी II (संशोधित) (अंग्रेजी)	अपराध और हिंसा	पुनः संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया

कार्नफ्लोर सोयाबीन मिल्क पाउडर का सेवन करने से आदिवासियों की मृत्यु

1708. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी एजेंसी द्वारा देश में मिशनरी संगठनों के माध्यम से आदिवासियों को वितरित करने हेतु कार्नफ्लोर सोयाबीन मिल्क पाउडर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष जुलाई और अगस्त के मध्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्नफ्लोर सोयाबीन मिल्क पाउडर का सेवन करने के पश्चात् कुछ आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

युवा कार्य तथा खेलकूद और महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) कोर्न सोया मिलक, "केयर" (को-आपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर) तथा सी० आर० एस० (कैथोलिक रिलीफ सर्विसस) दोनों द्वारा आयात किया जाता है। "केयर" कार्यक्रम खाद्य का वितरण राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। सी० आर० एस० कार्यक्रम खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों का वितरण प्राप्तकर्ता संगठनों के जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदत हैं, माध्यम से किया जाता है। "केयर" या सी० आर०एस० द्वारा लाए गए सी० एस० एम० (कार्नसोया मिलक) के सेवन से देश में किसी आदिवासी की मृत्यु हो जाने की सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसी लाल जी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, उनको बुलाने से पहले मैं समझता हूं कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। परसों मैंने श्री अग्निवेश के पासपोर्ट को सरकार द्वारा जब्त किये जाने का प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने कहा था कि यह नवीकरण के लिए है। उन्होंने आपको एक पत्र दिया है कि उन्होंने इसका नवीकरण करा लिया है। पासपोर्ट का नवीकरण 1990 तक हो गया है, उन्होंने विशेषाधिकार को भंग किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, उस वक्तव्य को ठीक करने के लिए मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

प्रो० मधु दंडवते : यह उनके लिए उचित नहीं है कि नियम 115 के अन्तर्गत वह विशेषाधिकार नोटिस को उलझा दे। यदि मैं अध्यक्ष महोदय के निर्देश 115 के अन्तर्गत पेश करता तो वह वक्तव्य को ठीक कर सकते हैं। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने यह कहते हुए सदन को गुमराह किया कि श्री अग्निवेश ने नवीकरण करने के लिए पासपोर्ट दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, कृपया.....

प्रो० मधु दंडवते : पासपोर्ट का नवीकरण 1990 तक हो गया है और वह जेनेवा चले गए हैं। उन्होंने सदन को पूरी तरह से गलत सूचना दी है तथा जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। उन्हें उसके लिए अपना खेद व्यक्त करना चाहिए। अन्यथा विशेषाधिकार पर कार्यवाही करो..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी जानकारी ली है।

प्रो० मधु दंडवते : एक प्रक्रिया है। यदि शुद्धि की जानी है तो हमें अध्यक्ष महोदय के निर्देश 115 के अन्तर्गत नोटिस देना होता है और तब आप इसे कार्य सूची में रखें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आज यही किया है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या किसी ने आज 115 के अन्तर्गत नोटिस दिया है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने आप में यह किया है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या उन्होंने स्वयं 115 के अन्तर्गत नोटिस दिया है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : सरकार ने..... है। **(व्यवधान)***

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? देखिए, कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है तथा कोई गलती भी नहीं है। गलती का प्रश्न ही नहीं है। आप केवल प्रश्न पूछें। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरक उत्तर के बारे में सुना है। कुछ नहीं। जी, नहीं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : सरकार·····**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप रास्ते में क्यों आ रहे हैं ? आप अपनी सीट से क्यों नहीं बोल सकते ? परेशानी की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सब अच्छे लोग हैं। चिंता मत कीजिए। कुछ नहीं किया जा रहा है। चिंता मत कीजिए। प्रत्येक के हित की रक्षा की जाएगी।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है कि कुछ गलत नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आगे फिर आ रहे हैं।

श्री एन० वी एन० सोमू : मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

(व्यवधान)*

(इस समय श्री एन० वी० एन० सोमू सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पी० कुन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : श्रीलंका में जातीय समस्या के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। पिछले दिनों इस सदन में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ 9 दिसम्बर को बातचीत की जायेगी। लेकिन आज एक समाचार है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे दीजिए और मैं इसका पता लगाऊंगा। प्रधानमंत्री जी भी इस समय तक यहां होंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने आपको दिल्ली में 20 नवम्बर की घटना के बारे में लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जानकारी मांगी है। लेकिन यह कानून और व्यवस्था की समस्या है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका पत्र उन्हें भेज दिया है । बस ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वह एक वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता ।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैंने····· बारे में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री पी० एन० भगवती ने एक वक्तव्य दिया है कि उच्चतम न्यायालय सहित न्यायपालिका का ढांचा चरमराने को है । हम वास्तव में नहीं जानते है कि उन्होंने यह वक्तव्य क्यों दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दंडवते : आपने पहले से ही मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा है···

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देंगे ।

श्री शांताराम नायक : मुख्य न्यायाधीश ने एक वक्तव्य दिया है कि न्यायपालिका का ढांचा चरमराने को है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में कुछ नहीं करना है । यह एक लोकतंत्रीय देश है और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है । सरकार इस पर ध्यान देगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं कि आप सदन का समय क्यों ले रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक कालिंग अटेंशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई बात है तो मैं देखूंगा ।

श्री रामस्वरूप राम : बिहार के बारे में ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं दी जाती है । मैं यहां ध्यानाकर्षण के बारे में नहीं सुनना चाहता ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : महाशय, कुछ नहीं सुना जाएगा ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सदन से बाहर चले जायेंगे । आप हास्यास्पद बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बातचीत कीजिए। इस तरह से कालिंग अटेशन यहां डिस्कश नहीं होगा। मैंने देख लिया है। मेरे ऐनक लगी हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। मैं पढ़ लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर हमला हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बदमाशों को छोड़ दिया गया है।...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। आप लिख कर दे दीजिए। आप बोलिए।

11.54 म० पू०

[अनुवाद]

स्वामी अग्निवेश के पासपोर्ट के बारे में वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : 26 नवम्बर 1985 को सदन में वाद विवाद के दौरान श्री अग्निवेश के पासपोर्ट को वापस लिए जाने के बारे में प्रो० मधु दंडवते के निवेदन पर मैंने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

"महोदय,

मैं सदन को सूचना देता हूं कि पासपोर्ट को जब्त नहीं किया गया है। इसे नवीकरण के लिए भेजा गया है और यह विचाराधीन है। तथा इसकी जांच हो रही है। स्वामी अग्निवेश ने सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं और विदेश मंत्रालय ने उन्हें चर्चा करने के लिए बुलाया है।"

उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैंने उपर्युक्त वक्तव्य दिया था। और वाद-विवाद की कार्रवाई देखने पर तथा और सत्यापन करने पर मुझे पता लगा कि उक्त वक्तव्य में गलती है। "नवीकरण" शब्द प्रयोग किये जाने के संबंध में गलती है। स्वामी अग्निवेश का पासपोर्ट जांच के लिए भेजा गया है न कि नवीकरण के लिए जैसा कि मैंने कहा था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमन् आपसे एक निवेदन है। जब कभी कोई सदस्य विशेषाधिकार की सूचना देता है तो मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय को उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। हो यह रहा है कि यह जानते हुए कि विशेषाधिकार की सूचना दी है, मंत्री महोदय आकर अपना वक्तव्य सही कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इससे पहले वे मेरे पास आए थे। आपकी सूचना मिलने से पहले वे मुझसे मिले थे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वक्तव्य देने से पहले उन्होंने इसे भेजा था ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप कृपया मुझे एक मौका और दीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने आपको पाँच वर्ष के लिए मौका दिया है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे संसद सदस्य बने अभी पांच वर्ष नहीं हुए हैं । मैं आपको बताता हूं क्या हुआ । कल, श्री अग्निवेश ने एक पत्रकार सम्मेलन किया । मुझे उस समाचार की कुछ कतरनें मिलीं । मुझे इससे काफी चिन्ता हुई है और मैंने शीघ्र इस बात की जांच कराई कि यह जानकारी क्यों दी गई । जांच और नवीकरण दो अलग-अलग बातें हैं । अतः, शीघ्र ही मैंने विदेश मंत्रालय से सलाह की और तत्काल ही मैंने यह शुद्धि-पत्र भेज दिया ।

प्रो० मधु दंडवते : एक मिनट, महोदय । जब गलत वक्तव्य दिया जाता है—माफ करें, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता —संबंधित मंत्री, मान्य परंपरा के अनुसार उन्हें कम से कम सभा में दिए गए अपने गलत वक्तव्य के लिए खेद तो व्यक्त करना ही चाहिए । यह सभा की परंपरा है । जब गलत वक्तव्य दिये जाने के कारण विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी गई है तो उन्हें "मुझे खेद है" कहना चाहिए । श्री गोखले ने कहा था, "मैं सभा में दिये गये गलत वक्तव्य के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं ।" उन्होंने खेद भी व्यक्त नहीं किया । शायद वह खुश हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि मुझे इससे काफी चिन्ता हुई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने ऐसा कब कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी उन्होंने कहा है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्या आप मुझे बोलने का अवसर देंगे ? अगर आप 'खेद' ही चाहते हैं, तो मैं कई दफा व्यक्त कर सकता हूं । लेकिन आप देखिए कि सारी समस्या पासपोर्ट को जब्त करने और उसका नवीकरण करने की थी जोकि एक उलझी हुई बात है··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कभी भी 'जब्त' (इम्पाउंड) शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे जब्त नहीं किया गया । मैंने कहा था 'पासपोर्ट को कब्जे (सीजर) में ले लिया गया है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक मेरा संबंध है, आप विश्वास कीजिए किसी को गुमराह करने की मेरी कोई मंशा ही नहीं थी । अगर आप को ऐसा लगा तो, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है ।

11.57 म०पू०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकॉनौमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकॉनौमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकॉनौमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 1504/85]

वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 1985

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमन्, श्री जगदीश टाइटलर की ओर से मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 1985, जो 29 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 816(अ) में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा-पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1505/85]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) का०आ० 825(अ), जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 27(1) के प्रयोजनार्थ स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की "छोटी मात्रा" ऐसी औषधि या पदार्थ की उतनी मात्रा होगी जो प्रत्येक मामले में संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(दो) का०आ० 826(अ), जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा कतिपय स्वापक पदार्थों और निर्मितियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 (ग्यारह) (ख) के अन्तर्गत विनिर्मित औषधियां घोषित किया गया है।

(तीन) का०आ० 827(अ), जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 27(1) के प्रयोजनार्थ "छोटी मात्रा" के रूप में अधिसूचना में उल्लिखित स्वापक औषधि के संबंध में मात्रा विनिर्दिष्ट की गई है ।

(चार) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 837(अ), में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल०टी० 1506/85]

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन योजना, 1985

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमन श्री राजेश पायलट की ओर से मैं डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन योजना, 1985, जो 26 अक्टूबर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 4958 में प्रकाशित हुई थी, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1507/85]

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 नवम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 19 नवम्बर, 1985 को पारित किए गए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

[अनुवाद]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

पहला प्रतिवेदन

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : श्रीमन्, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं ।

11.58 म०पू०

लाभ के पदों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

कुमारी कमला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार, श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य चुने तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार चुने गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य चुने तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार चुने गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

11.58½ म०पू०

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा 26 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.59 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के बारे में दृढ़ निर्णय लेने की आवश्यकता

श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): विजय नगर इस्पात संयंत्र को लेकर कर्नाटक के लोगों में बहुत क्षोभ है।

भारत सरकार ने 1970 में विशाखापत्तनम सलेम और विजय नगर में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई थी।

वास्तव में विजय नगर इस्पात संयंत्र का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था। कर्नाटक सरकार ने यथा संभव प्रयास करके परियोजना के लिए अपेक्षित लगभग 9,000 एकड़ भूमि अर्जित की और उसे भारत सरकार को सौंप दिया।

जहां विशाखापत्तनम और सलेम परियोजनाओं पर भारी निवेश किया जा चुका है वहां विजयनगर परियोजना पर जहां उच्च कोटि का लौह अयस्क बहुतायत में उपलब्ध है, कोई काम नहीं किया गया है। अगर यह संयंत्र नहीं लगाया गया तो वहां एक विशाल इस्पात संयंत्र के स्थान पर हम पायेंगे कि उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बेकार पड़ा रहेगा और बेलारी जिले (कर्नाटक) की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी आजीविका खानों के खनन पर निर्भर करती है।

भारत सरकार बार-बार कहती रही है कि इस परियोजना को स्थगित नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रधान मंत्री द्वारा बंगलौर में हाल में इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में दिए वक्तव्य से कर्नाटक की जनता में निराशा व्याप्त हो गई है।

ऐसा पता चला है कि विजयनगर इस्पात परियोजना अभी तक इसलिए आरंभ नहीं की गई है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक निवेश की जरूरत है। अगर इस्पात बनाने की परम्परागत प्रौद्योगिकी को अपनाया गया तो इससे लगातार नुकसान होगा। स्थापित किए गए अन्य इस्पात संयंत्र पर भी यही मापदंड क्यों नहीं लागू किया गया ? मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में कोई ठोस निर्णय ले।

(दो) उड़ीसा के नयागढ़ और खुर्दा उपमंडल क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बूतांग सिंचाई परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा के पुरी जिले में खुर्दा से दासपल्ला का सारा क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत 14 सामुदायिक विकास खंड आते है, बहुत समय से सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। चूंकि पिछले दो दशकों से 1966 से 1984 तक इस क्षेत्र में होने वाली सालाना वर्षा का औसत 51 इंच से घटकर 38 इंच रह गया है, इसलिये एक तरह से यह वृष्टि छाया क्षेत्र बन गया है।

लेकिन ब्रुतांग क्वानरिया, दहुका, कुसुमी और एच०ए० डी० ए० नदियों का 95% पानी वर्षा ऋतु के दौरान महानदी में चला जाता है और तबाही मचाता है। यदि इन नदियों का 70 प्रतिशत पानी इकट्ठा कर लिया जाये तो उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण सारे सूखा ग्रस्त क्षेत्र में, अधिकाधिक उत्पादन किया जा सकता है। महानदी पर प्रस्तावित गणि भद्रा सिंचाई परियोजना द्वारा इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन इस परियोजना को अभी शुरू नहीं किया गया है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि सातवीं परियोजना में ब्रुतांग सिंचाई परियोजना को शामिल किया जाए जिससे नयागढ़ और खुर्दा उपमंडल क्षेत्रों में, जोकि बहुत समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, लगभग 1.25 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

(तीन) बम्बई में पुराने टूटे-फूटे मकानों के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : बम्बई में मकान गिरने की समस्या ने काफी गंभीर रूप धारण कर लिया है। बम्बई शहर में कुल मिलाकर 19,642 पुरानी इमारतें हैं जिनमें से 16,500 का निर्माण सितम्बर, 1940 से पहले हुआ था। बम्बई आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार ने 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इनकी मरम्मत करने और जहां मरम्मत करना किफायती नहीं है वहां उनका पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी ली है। मरम्मत शुल्क इन पुरानी इमारतों के किरायेदारों और मकान मालिकों पर लगाया जाता है। अनुमान है कि इससे सालाना 6 करोड़ रुपये इकट्ठे होंगे। सांविधिक तौर पर राज्य सरकार और बम्बई नगर निगम को हर साल 3.60 करोड़ रुपये का योगदान करना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार हर साल 2 करोड़ रुपये का तदर्थ योगदान देती है। बहरहाल यह काम राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से परे है। अतः केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के आवास विभाग से मेरा अनुरोध है कि वह बम्बई के इन जीर्ण शीर्ण मकानों के पुनर्निर्माण के लिये एक व्यापक योजना तैयार करें।

(चार) देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में तत्काल संशोधन करने और उनके लिए पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : सारे देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों में सामान्य रूप से और दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं काश्मीर तथा हरियाणा के अध्यापकों में विशेष रूप से भारी निराशा और रोष व्याप्त है। अध्यापकों के बहुत से संघ हड़ताल करने को सोच रहे हैं। बहुत से अध्यापकों में इस बात को लेकर असन्तोष है कि वे अपने वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंच गये हैं लेकिन 1972-73 में लागू हुए इन वेतनमानों में पिछले 10 सालों में कोई संशोधन नहीं किया गया है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आश्वासन दिया था कि हर दस साल बाद इनमें संशोधन किया जाएगा। वेतनमानों में संशोधन के लिए गठित की गई मेहरोत्रा समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। बहुत से अध्यापकों में इस बात को लेकर असन्तोष है कि उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं दिए गए। मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा

अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन अध्यापकों के वेतनमानों में शीघ्र संशोधन किया जाएगा और पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनमें व्याप्त निराशा और रोष समाप्त हो और अत्याधिक मूल्य के कारण जीवन निर्वाह में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी किया जाये तथा समाज में अध्यापकों का दर्जा बढ़े ।

(पांच) दक्षिण पूर्व रेल के पंसकुरा और खड़गपुर स्टेशनों के बीच स्वचालित सिगनल प्रणाली लगाने का कार्य तेजी से करने और ई० एम० यू० रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मध्य पूर्व रेलवे (उपनगरीय खंड) के खड़गपुर डिविजन में पंसकुरा और खड़गपुर बीच के किसी भी स्टेशन में अर्थात् खराई हाल्ट, हौड़, राधामोहन पुर, बालीचक, श्यामचक, मादपुर तथा जाकपुर में यात्रियों के लिए पिछले दो सालों से कोई नई ई० एम० यू० रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है ।

यद्यपि हावड़ा और खड़गपुर से भारी संख्या में यात्री आते-जाते हैं, इस उपनगरीय खंड के अधिकांश अन्य स्टेशनों में जितनी गाड़ियां उपलब्ध हैं उसकी तुलना में इन स्टेशनों पर बहुत कम गाड़ियां उपलब्ध हैं ।

यद्यपि मैं दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के साथ इस मामले को लगातार उठाता रहा हूं, वे अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं । उनका कहना है कि स्वचालित सिगनल प्रणाली का कार्य पहले पूरा करना होगा । काफी समझाने के बाद सिगनल प्रणाली पर काम अभी हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन मेरे विचार से तारें कम पड़ रही हैं ।

इस मामले को लेकर रेल यात्रियों में असन्तोष स्वाभाविक ही है । और इसकी अभिव्यक्ति रेल-सड़क यातायात को तत्काल रोक कर की गई है ।

इन स्टेशनों में से बालीचक एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह बहुत सी सड़कों से जुड़ा हुआ है । इसके लिये हावड़ा से आने वाली और हावड़ा को जाने वाली कम से कम दो तीव्र गति की रेलगाड़ियों की जरूरत है ।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि :—

(1) स्वचालित सिगनल प्रणाली के काम को शीघ्र पूरा किया जाये और तारों (केबल) की सप्लाई की गारंटी दी जाए;

(2) काम के पूरा हो जाने तक इन स्टेशनों के लिए कम-से-कम एक 'अप' और एक 'डाउन' ई०एम०यू० गाड़ी चलाई जाए; और

(3) बालीचक से रेल यात्रियों के लिए तीव्र गति से चलने वाली एक 'अप' और एक 'डाउन' रेल गाड़ी चलाई जाए ।

12.07 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(छ) दूरदर्शन पर दिन में भी समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : दूरदर्शन पर रात को .40 और 9.30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में खासकर समाचारों के दृश्य दिखाने के कारण

दिन प्रति दिन सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विशेष रूप से पहल करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। अतः दूरदर्शन अधिकारियों को अब अधिक बार अधिक समाचार प्रसारित करने चाहिये।

यह एक बड़ी कमी महसूस की जाती है कि दूरदर्शन द्वारा दिन में कोई समाचार बुलेटिन प्रसारित नहीं किया जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आल इण्डिया रेडियो दिन में अनेक बार समाचार प्रसारित करता है, लेकिन दूरदर्शन पर भी दिन में समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाने चाहिए क्योंकि लोग टी०वी० में दिए जाने वाले समाचार बुलेटिनों को सुनने और खासकर समाचारों के दृश्य दिखाने के कारण, देखने के आदी हो गये हैं।

अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालयों को मेरा सुझाव है कि वह दूरदर्शन को दिन में एक बजे और दो बजे के बीच दो तथा पाँच और छः बजे के बीच 10-10 मिनट के दो समाचार बुलेटिन हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित करने के निर्देश दें।

(सात) केरल के पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में एक-एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाकर वहां दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : देश के सभी हिस्सों को एक सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय तथा भाषात्मक एकता को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप केरल को भी टेलिविजन नेटवर्क के अन्तर्गत शामिल किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में टेलिविजन नेटवर्क के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाए गये कल्पनाशील दृष्टिकोण के कारण केरल की लगभग 70% जनता आज दूरदर्शन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकती है। इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं।

केरल के दो जिलों में अभी भी दूरदर्शन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। ये जिले हैं पथनमथिट्टा और इडुक्की जो न केवल राज्य बल्कि सारे देश के लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। 90 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली नकदी फसलों की खेती इडुक्की जिले में की जाती है।

पथनमथिट्टा जिले से खाड़ी के देशों में जाने वाले लोगों की संख्या शायद सर्वाधिक है। ये लोग काफी विदेशी मुद्रा भेजते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है।

जब केरल के विभिन्न स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा रहे थे तो इन जिलों के लोगों ने भी इस आशा से टेलिविजन खरीद लिए कि वहां भी केन्द्र स्थापित किए जायेंगे, लेकिन उनको निराश होना पड़ा और आज तक वहां दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है। बार-बार यह अनुरोध किया जाता रहा है कि इनमें से प्रत्येक जिले में उपयुक्त स्थान पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जायें।

लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस बात को लेकर जनता में काफी असन्तोष है।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस जिले की जनता के इस स्वप्न को साकार करने के लिए पथनमथिट्टा और इदुक्की जिलों में कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

(आठ) देश के गलीचा उद्योग को संरक्षण देने के लिए ऊन का निर्यात बन्द करने और देश में उसका उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोही में बड़े पैमाने पर हाथ से कालीन बनाया जाता है। यह एक गृह उद्योग है। देश में जितना कालीन का उत्पादन होता है इसका 3 से 4 भाग हमारे मिर्जापुर, भदोही क्षेत्र में होता है। इस कार्य में लगभग आठ लाख लोग रोजगार हमारे ही क्षेत्र में पा रहे हैं और सारे देश में कालीन उद्योग में कम से कम पचास लाख लोग रोजगार पाते हैं और कालीन से कई करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। कालीन के लिए ऊन मुख्य कच्चा माल है, किन्तु इस समय ऊन मंहगा होने तथा ऊन की उपलब्धता में कमी होने के कारण कालीन उद्योग के समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऊन की उपलब्धता में कमी तथा उनकी महंगाई के निम्नलिखित कारण हैं :

1. ऊन का निर्यात किया जाने लगा है।
2. राजस्थान मुख्य ऊन का उत्पादक राज्य है और वहां भी कालीन का काम प्रारम्भ हो गया है।
3. राजस्थान और देश के अन्य भागों में भेड़ों और भेड़ों के मांस का बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा है।
4. देश के अन्य भागों में भेड़ों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यदि यही स्थिति बनी रही तो हस्तनिर्मित कालीन का उद्योग समाप्त हो जायेगा। कई करोड़ विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं हो सकेगा तथा देश के बीसों लाख लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार से निम्न कदम उठाने की मांग करता हूं जिससे कि कालीन उद्योग को बचाया जा सके।

1. ऊन का, भेड़ों का भेड़ों की मांस का निर्यात बंद किया जाये।
2. उ० प्र०, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश के जंगली पहाड़ी इलाकों में तथा जिलों में बड़े पैमाने पर भेड़ पालन और ऊन के उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जाये।
3. ऊन का आयात करके किफायती दर पर कालीन निर्माताओं को उपलब्ध कराया जाये।

12.12 म० प०

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव (-जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 को लेते हैं— डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार । श्री सुमन बोल सकते हैं । मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य केवल 8 मिनट ही ले ।

[हिन्दी]

श्री नर्सिंह मकवाना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण अभी शेष है, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं । हम दूसरी बार के लिए अनुमति नहीं दे सकते ।

[हिन्दी]

श्री नर्सिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज भी कंटीन्यू करने के लिए कहा था, इसलिये मुझे आज भी बोलने का अवसर दिया जाये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान गृहण कीजिए । आपने अपने भाषण के लिए पहले ही 18 मिनट ले लिये हैं, मैं आपको इससे अधिक समय नहीं दे सकता । कृपया बैठ जाइये ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी और चौथी रिपोर्ट पर अपने विचार रखने का मौका दिया ।

मान्यवर यद्यपि इस रिपोर्ट पर बहुत पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बहुत विलम्ब से इस पर चर्चा कर रहे हैं । चर्चा पर अपने विचार रखने से पहले मैं, 1-2 जो कि मुख्य मुद्दे हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसलिये इस रिपोर्ट को बहुत गम्भीरता से लेना होगा । हमारे देश के जो महान राजनेता हुए हैं, उनका यह सपना था कि देश की गरीबी समाप्त करें और गरीबों की सेवा करें । इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने एक विशेष आयोग का गठन किया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि समाज का जो गरीब तबका, पिछड़ा तबका और शोषित तबका है, उसको आगे बढ़ाया जाये और देश की तरक्की में उसको भी शामिल कर, देश का विकास किया जाये । इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन एक विशेष प्रावधान किया गया कि इसके लिए एक विशेष अधिकारी या आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का होगा, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1981 से लेकर आज तक इस पद को भरा नहीं गया । इससे ऐसा

लगता है कि कोई ऐसा विशेष कारण है जिसकी वजह से सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है।

अब मैं इस आयोग की जो तीसरी-चौथी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के पेज दो पर जो कुछ लिखा है उसका उल्लेख कर रहा हूं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि पहले हम यह देखें कि इस आयोग का अधिकार क्या है और इसका कर्तव्य क्या है, इस आयोग को कितना काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और कितना काम किस तरीके से करना है? इसको आप देखें पृष्ठ 2 पर लिखा गया है :

"आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। जांच आयोग अधिनियम 1952 के अधीन कोई अधिकार नहीं दिया गया तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में तथा केन्द्र और राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति को परिनियंत्रण और मूल्यांकन करने में शामिल नहीं किया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों पर इस आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।"

तो हम पहले यहीं से शुरू करना चाहते हैं कि ऐसे आयोग का क्या महत्व है जिस आयोग से पूरे देश का एक चौथाई हिस्सा प्रभावित होता है, कितनी विशाल इनकी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की इतनी विशाल जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है उसके कल्याण के काम को इसे देखना है और इस आयोग का इतना भी महत्व नहीं है कि इससे परामर्श भी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है, तो फिर तो इस आयोग की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले तो हम यह देखना चाहते हैं कि इस आयोग का महत्व कितना है, अधिकार कितना है? यह मंत्रालय पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना के समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में की है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और बाकई उनको इससे दिलचस्पी भी है जिस तरह से उन्होंने विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया है और वहां जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है। मैं चाहूंगा कि जो इस विभाग के मंत्री हैं या अन्य मंत्रिगण, मुख्य मंत्रिगण और सांसद-गण हैं उनका सब का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पिछड़े इलाकों में जाकर सरकार की और योजनाएं उन गरीबों की झोंपड़ियों तक, उनके घरों तक पहुंच रही हैं या नहीं, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको देखें। मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्री और अन्य मंत्रिगण भी विशेष रूप से इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और देखें कि काम किस तरह से हो रहा है।

एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है—मैं आयोग के महत्व पर ही अभी चर्चा कर रहा था, इसके महत्व के बारे में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसी आयोग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है जो पृष्ठ ~~95 और 96~~ पर है। इसमें लिखा है कि :

"आयोग ने भारत सरकार के 37 मंत्रालयों और विभागों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति सम्बन्धी जानकारी चाही थी लेकिन ~~37~~ मंत्रालयों में से मात्र 3 मंत्रालयों ने रिपोर्ट दी और ~~3~~ ने रिपोर्ट नहीं दी।"

इस बात का स्पष्ट उल्लेख है और लिखा है कि भारत सरकार के 37 मंत्रालयों और विभागों में से 24 ने अपने मंत्रालयों के अधीन केन्द्रीय सेवाओं का कोई विवरण नहीं भेजा है।

तो यह तो इस आयोग का महत्व है कि आयोग जब कोई सूचना भी चाहता है तो कोई विभाग इसको सूचना देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता है। पृष्ठ 96 में उल्लेख है कि सूचना न देने वालों में गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय भी है।

आयोग ने परीक्षण के तौर पर 1981-82 की ऐसी दस रिपोर्टों की जांच की। जांच से पता चला कि गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालयों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को प्राप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े दर्शाने की कोई परवाह नहीं की। तो जब गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय की यह हालत है तो हम क्या उम्मीद करें कि इस मंत्रालय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जायेंगे? जो मंत्रालय रिपोर्ट भेजने की भी परवाह नहीं करते वे इनके लिए क्या कार्य करेंगे? लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिगण हैं, वे इस मामले में दिलचस्पी लेंगे। और दिलचस्पी लेकर उसमें गतिशीलता लायेंगे और काम तेजी से चलेगा।

जिस रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं इसके अगर हम प्रत्येक पृष्ट को देखें तो बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है और वह यह है कि जिस भावना के अनुरूप इस आयोग का गठन किया गया था और जिस भावना को लेकर आयोग ने अपनी अनुशंसायें की हैं उन पर सरकार ने कितनी गम्भीरता से विचार किया है, यह भी देखने की बात है। आजकल एक बड़ा मुद्दा आरक्षण का चल रहा है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि पूरे देश में 15 फीसदी वह तबका जो समाज का अगला तबका है, वह नौकरियों में 80 फीसदी है और 85 फीसदी वह तबका देश का और समाज का जोकि हरिजन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का है, उसके खिलाफ आज देश में आरक्षण को लेकर एक उत्तेजना का वातावरण फैलाया जा रहा है कि अगर आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया तो देश में आग लगने की बात कही जा रही है। क्या देश का 85 फीसदी जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है? लेकिन आप देख रहे हैं कि जिसको ज्यादा मौका दिया गया है वही आज ज्यादा चिल्ला रहा है, ज्यादा शोर कर रहा है और एक तमाशा खड़ा कर रहा है। मैं कोट कर रहा हूं :

> "अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए 22.5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन आजादी के 38 सालों बाद भी प्रथम श्रेणी की सेवाओं में इन दोनों का प्रतिनिधित्व 5.68 फीसदी है।"...

38 सालों की आजादी के बाद भी, आज जो 22.5 प्रतिशत का प्रथम श्रेणी की सेवाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वह केवल 5.68 फीसदी तक ही पहुंच सका है। इसी हिसाब से आंकड़ा लगायें तो सम्भवतः सौ, दो सौ या चार सौ साल में 22.5 फीसदी तक हम पहुंच सकेंगे।

इसी प्रकार से 1982-83 में सिविल सेवाओं में कुल 963 उम्मीदवार चुने गये जिनमें पिछड़े जाति के सिर्फ 26 उम्मीदवार सफल हुए। तो आज ये सारी बातें हैं। जिन भावनाओं

को लेकर ये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने की बात थी उसकी ओर हम तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका हमें खेद है।

अब मैं चौथी रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। तीसरी रिपोर्ट को छोड़ रहा हूं क्योंकि समय कम है। आप चाहे भूमि सुधार के मामलों को लें, चाहे भूमि आवंटन के मामलों को लें, चाहे कब्जा दिलाने के मामलों को आप लें या न्यूनतम मजदूरी के मामलों को लें, हर एक मामले में आप देखें, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, यह साबित किया गया है कि जो शासन की मंशा थी वह फलीभूत नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। आप किसी भी आधार पर कहीं भी देखें करीब 48 से 50 फीसदी तक के झगड़े कब्जे के मामलों को लेकर हैं। टोटल 68 फीसदी झगड़े हैं उसमें 12 फीसदी जाति के आधार पर झगड़े हैं। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 23 फीसदी झगड़े हैं। इन आंकड़ों को आप देखें। रिपोर्ट में स्वयं इन बातों को स्पष्ट किया गया है जिसको पढ़कर बड़ा खेद होता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पूरे देश में श्रमिकों की संख्या को देख लें उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रमिक सबसे अधिक हैं। किस तरह से उन श्रमिकों की उपेक्षा की जा रही है उस पर यह माननीय सदन गौर करने की कृपा करें ··(व्यवधान) मेरा निवेदन है थोड़ा समय आप और दें। अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

मैं यह कह रहा था कि कामगारों की जो संख्या 81.80 प्रतिशत है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के श्रमिकों की संख्या 92.97 प्रतिशत है। और जो खेतिहर मजदूर हैं उनमें से 72 फीसदी केवल इसी कास्ट के हैं। इस तरह से आप देखें कि इन लोगों की समस्याओं को जिस गंभीरता के साथ लेना चाहिए था वह नहीं लिया गया है। मेरा निवेदन है कि मन्त्रालय इसको गम्भीरता से लेकर सख्ती से इस संबंध में कार्यवाही करे। अनुसूचित जाति में शैक्षिक दर पुरुषों में 14.7% और महिलाओं में 6.44%, अनुसूचित जन-जाति में शैक्षिक दर पुरुषों में 11.30% और महिलाओं में 4.65% व अन्य की दर 22.5% है। आवासीय स्तर के विद्यालयों को शुरूआत के लिए आयोग ने सिफारिश की थी, लेकिन वह शुरूआत जिस पैमाने पर होनी चाहिए थी, उस पैमाने पर नहीं की गई। अगर की जाती, तो वास्तव में अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का कल्याण हो जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिपोर्ट में जो अनुशंसायें की गई हैं और जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को सरकार गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद उन पर कार्यवाही करे।

अत्याचार के मामलों को भी अगर आप देखें तो 1981-82 में अ० जा० और अ०ज०जा० के लोगों पर दो गुना वृद्धि हुई है। 1982-83 में, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है, 112 फीसदी अत्याचारों में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अत्याचारों में कमी हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मासले को वह गम्भीरता से ले, नहीं तो जितने कांड हो रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी होती जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं, उसके आधार कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें खास तौर से 22.5 % आरक्षण का मामला है, उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा

किया जाना चाहिए। उसमें किसी भी तरह कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था, उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको चालू किया जाना चाहिए। इस पर सख्ती से कार्य किया जाना चाहिए, ताकि बाहर जो असंतोष बढ़ रहा है, वह बढ़ने न पाए। इस असंतोष के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। चौथी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 102 पर लिखा है—भारतीय स्टेट बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या 1.1.81 को 22.46% से घट कर 1-1-82 को 18% रह गई थी।

ये सब चीजें इस बात का प्रमाण हैं, अपने आप में, कि इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इसको गम्भीरता से ले, ताकि बाहर सड़कों पर जो असंतोष बढ़ रहा है, वह न बढ़े और शासन की मंशा फलीभूत हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

*श्री बाजुबन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हम आज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की तीसरी एवं चौथी रिपोर्टों पर चर्चा कर रहे हैं। ये रिपोर्टें कमीशन द्वारा देश के बहुत से हिस्सों का गहन दौरा करने के बाद, तथा सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र करने के बाद और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करने के बाद, 1980 एवं 1981 में तैयार की गई हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह अधिक उपयुक्त होता कि इन रिपोर्टों पर इस सदन में बहस उस समय की गई होती जब ये तैयार की गई थीं। इससे उनके कार्यान्वित होने में मदद मिलती। रिपोर्टें 1983 में प्रस्तुत की गईं। लेकिन हम उन पर 1985 में बहस कर रहे हैं। 1983 की तुलना में देश की 1985 की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर आ गया है। राज्यों में सरकारों में परिवर्तन हो चुका है। कई मन्त्री बदल चुके हैं और उनके विभाग बदल चुके हैं। कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिए कई राज्य सरकारों एवं केन्द्र की योजनाओं एवं नीतियों के कार्यान्वयन की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो चुका है। मैं आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का जो कि उन्होंने बड़ी कठिनाइयों और कठिन परिश्रम करने के बाद तथा कई क्षेत्रों का दौरा करने के बाद तथा कई संस्थाओं में स्थितियों का अध्ययन करने के बाद तैयार की हैं, पूरी तरह समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफल रही है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी जिन्होंने मुझसे पहले भाषण दिया, कहा है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों का पढ़ाई का स्तर काफी नीचे गिर गया है और शिक्षा प्रगति नहीं कर रही है और उसका विस्तार नहीं हो रहा है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पास जो जमीन थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है और उनको आजीविका के नए साधन नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा यही तस्वीर प्रस्तुत की गई है। अपनी चौथी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है—मैं उनकी चौथी रिपोर्ट के पहले अध्याय से उद्धृत कर रहा हूं—यह

* बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कहा गया है कि "आयोग का कार्य इस तथ्य के कारण बहुत परिसीमित हो गया है कि आयोग की कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं हैं और इसे अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक/आर्थिक प्रगति के लिए बनाई गई योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सम्मिलित नहीं किया जाता। यह बात केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों दोनों के बारे में लागू होती है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे नीति के मुख्य मुद्दों पर आयोग से मशविरा करें", आदि-अादि।

यह बहुत खेद की बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि आयोग की कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। उन्हें योजना की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता। कोई भी राज्य सरकार उन्हें कोई सम्मान नहीं देती। केन्द्र सरकार भी उन्हें सम्मान नहीं देती। शायद इसी कारण हम इनकी रिपोर्ट पर पूरे 2 वर्ष बाद बहस कर रहे हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार उन्हें कोई आदर या महत्व नहीं देती। लेकिन आयोग ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों को होने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाने के और उन्हें सरकार के ध्यान में लाने के लिए बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। वे बस यही कर सकते हैं। हम लोग जो कि इस सदन में बैठे हैं, केवल इन विभिन्न समस्याओं को उजागर कर सकते हैं और सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर खींच सकते हैं लेकिन इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को लागू करने तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सरकार के हाथों में है, जो कि सत्ता में है।

(1)

तीसरी रिपोर्ट के तीसरे अध्याय के पृष्ठ 12 के परिशिष्ट 3 में जमीन की समस्या पर विचार किया गया है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में लागू भूमि सुधार कानूनों, जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा एवं उनकी जमीन का हस्तांतरण रोकना है, का उल्लेख किया है। विभिन्न राज्यों में इस संबंध में जो स्थिति चल रही है उसका भी कमीशन ने उल्लेख किया है। इस विषय पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि किस प्रकार विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जो भूमि थी वह अवैधानिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई है, और उनसे ले ली गई है, उसे किस प्रकार उन्हें वापस दिलाया जा सकता है और भविष्य में सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए कानून तो हैं लेकिन कहीं भी उनको प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। आयोग ने इसलिए सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार को बड़ी चौकसी रखनी चाहिए जिससे कि राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए। ऐसे कानून त्रिपुरा में भी लागू हैं। ऐसा तीसरी रिपोर्ट में पृष्ठ 23 की मद संख्या 10 में उल्लिखित है। लेकिन यहां दी गई सूचना पूरी नहीं है। यहां तो त्रिपुरा में कांग्रेस शासन के दिनों में बनाए गए एक पुराने कानून का उल्लेख है। त्रिपुरा में वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद उस कानून में यह सुधार किया गया कि अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन, जिसे आदिवासियों आदि को वापस किया जायेगा, के लिए सरकार पूरा मुआवजा देगी। किस प्रकार की जमीन के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा यह सब संशोधित कानून में दिया गया है और मैं उसके विस्तार

में नहीं जाऊंगा। मैं सुझाव दूंगा कि अन्य राज्य भी त्रिपुरा का उदाहरण लेकर चलें और ऐसे ही कानून वहां बनाएं यदि उन्हें यह लगता है कि इससे हालात सुधरेंगे। उस जमीन की जो कभी आदिवासियों की थी, सुरक्षा करने में यह कानून बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। रिपोर्ट इस बात का भी उल्लेख करती है कि कितनी 'खास' जमीन और कितनी सीमा अधिकतम जमीन का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और कितनी का सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकी है। ऐसी जमीन के आवंटन के विषय में भी लगभग प्रत्येक राज्य में ऐसे कानून हैं जिनमें प्रावधान है कि ऐसी जमीन के आवंटन के समय अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लोगों को ही उसे लेने का सबसे पहला अधिकार एवं प्राथमिकता दी जाएगी। यह रिपोर्ट बताती है कि आवंटन के मामले में उन्हें ऐसी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और जितनी जमीन उन्हें मिलनी चाहिए, उससे बहुत कम जमीन उन्हें दी जा रही है। आयोग ने इसलिए सुझाव दिया है कि बची हुई जमीन का तुरन्त अधिग्रहण किया जाए और उसे केवल अनुसूचित जातियों/जनजातियों को ही बांटा जाए।

रिपोर्ट संविधान की पांचवीं और छठी सूचियों के प्रावधानों के विषय में भी उल्लेख करती है। छठी सूची त्रिपुरा में और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ और राज्यों में भी लागू है। पांचवीं अनुसूचि में आदिवासी सलाहकार परिषद की व्यवस्था है। यह रिपोर्ट कहती है कि यह आदिवासी सलाहकार परिषद की साल में एक या दो बार बैठक होती है और कहीं-कहीं ये बिल्कुल भी नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस ढीलेपन का कारण यह है कि राज्य सरकारें इस परिषद को पर्याप्त पैसा नहीं दे रही हैं जो कि उसे अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए दिया जाना चाहिए। छठी अनुसूचि के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक राज्यों में जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण कुछ राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय तथा असम क्षेत्र के भागों में जिला परिषदें भी ऐसी ही कमजोर हालत में हैं। लेकिन त्रिपुरा में बामपंथी सरकार के आने के बाद जिला परिषदें छठी अनुसूचि के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं। वहां बामपंथी सरकार छठी अनुसूचि की सारी शक्तियां इन परिषदों को देकर, आदिवासियों की प्रगति और कल्याण के कार्यों को पूरी तरह इन परिषदों को सौंपने का प्रयत्न कर रही हैं।

प्राथमिक शिक्षा से लेकर सारे विकास कार्य परिषद द्वारा किए जा रहे हैं। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि सभी आदिवासी सलाहकार परिषदों, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को जो कि देश के विभिन्न राज्यों में पांचवीं और छठी अनुसूची के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, पूरी वित्तीय एवं अन्य सहायता, जिसकी उन्हें जरूरत पड़े, दी जाए ताकि वे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के बीच निरन्तर झगड़े तथा संघर्ष होते रहते हैं। इनमें से अधिकांश जमीन को लेकर होते हैं। ये झगड़े अधिकतर अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य जातियों के बीच होते हैं। इस रिपोर्ट ने 1980 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के राज्य-वार आंकड़े एक कथन में बताए हैं। इससे पता चलता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में अत्याचारों की घटनाओं की संख्या 4279 है जो कि पूरे देश में

कुछ अत्याचारों की घटनाओं की संख्या का 37.13% है। मध्य प्रदेश में संख्या 3877 है जो कुल का 28.21% है। बिहार में अत्याचारों की संख्या 1890 है जो कि 15.53% है। लेकिन श्रीमान, पश्चिम बंगाल में कुल संख्या केवल 33 है। त्रिपुरा में कोई घटना नहीं हुई। यह दिखाता है कि सभी राज्यों में जहां बामपंथी सरकार सत्ता में है, अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार की संख्या बहुत कम, लगभग नगण्य है। त्रिपुरा में संख्या शून्य है। हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी ज्यादतियां बहुत हद तक सत्तारूढ़ सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं।

कल के 'स्टेट्समैन' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि उत्तर प्रदेश में 108 हरिजनों की हत्या उस समय कर दी गई जब कि वर्तमान वित्त मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि सरकार ने इसका खण्डन किया है। लेकिन यही खबर प्रकाशित हुई है। इन सब ज्यादतियों और हिंसक घटनाओं का मूल कारण अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य उच्च जातियों और वर्गों के बीच भूमि के झगड़े को लेकर है। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं पर निगाह रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य कमजोर तबकों को कानून द्वारा प्रदत्त सभी सुरक्षाएं दी जायेगी और उनकी जमीन की सुरक्षा की जायेगी।

इन लोगों की शिक्षा के विषय में मैं यह आग्रह करूंगा कि प्राथमिक अवस्था में आदिवासियों को स्वयं उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और उनके बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इस दिशा में कदम उठाये गये हैं। जहां कहीं भी बामपंथी सरकार सत्ता में है ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप निचली कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए देशभर में केवल 5% स्थानों का आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये लोग हमारी पूरी जनसंख्या का लगभग 7% हैं। अत: मेरी मांग है कि इसके अनुरूप कम से कम 7% स्थान उनके लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षित किए जायें जैसी कि आयोग ने सिफारिश की है। सरकार को ऐसा करना चाहिये। यह रिपोर्ट छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार की गई थी।

रिपोर्ट ने उल्लेख किया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों और आदिवासी स्त्री पुरुष का साक्षरता का प्रतिशत 1982-83 और 1984-85 के वित्त वर्षों के बीच क्या था। यह बताती है कि इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 4.85% था तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं में यह 6.44% था। आयोग ने सिफारिश की कि इसे 10% तक बढ़ा दिया जाये। अनुसूचित जातियों के पुरुषों के विषय में साक्षरता का प्रतिशत 22.34% था और अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों में साक्षरता 17.63% थी। आयोग ने सिफारिश की थी कि इसे बढ़ा कर 30% कर दिया जाय।

अब मैं रोजगार के क्षेत्र में आता हूं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों को रोजगार के क्षेत्र में दिया गया आरक्षण कहीं भी—न तो राज्यों में और न केन्द्र सरकार के अन्तर्गत—भरा नहीं जा रहा है। नियुक्ति एवं प्रोन्नति के विषय में उनके न्यायोचित अधिकार की हर जगह अवहेलना

की जा रही है, लेकिन श्रीमान्, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए रोजगार के विषय में अपना पूरा हक प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें उनके सभी न्यायोचित हक दिये गये हैं। ऐसा हर स्थान में किया जा सकता है यदि ऐसा करने की दृढ़ इच्छा हो। संसद की हरिजन एवं गिरिजन समिति के सदस्य के नाते मैंने देश के कई स्थानों का दौरा किया है। वर्तमान प्रभारी मंत्री भी उस समिति के सदस्य थे और हमने अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समिति के साथ ही मिलकर कई स्थानों के दौरे किये और हमने पाया कि अर्धसरकारी संस्थाओं और प्रतिष्ठानों जैसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित कहीं भी आरक्षण कोटा नहीं भरा जा रहा है। आज श्री गोमांगों सत्ता में हैं और इस विभाग के प्रभारी हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इस विषय पर उचित ध्यान देंगे। हरिजन/गिरिजन वर्ग के कई शिक्षित एवं अर्हताप्राप्त उम्मीदवार सुलभ हैं परन्तु इसके बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। यह एक दुःखद स्थिति है क्योंकि इच्छा की कमी है। यदि सरकार की इच्छा होती तो यह आरक्षित कोटा भरा जा सकता था। कम से कम चतुर्थ श्रेणी के पदों में यह कोटा हर जगह भरा जा सकता था। चतुर्थ श्रेणी का कोटा भी नहीं भरा गया है। मैं पूरे दिल से इन रिपोर्टों का समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार सिफारिशों को लागू करने में असफल रही है और सरकार की असफलता के कारण देश भर में झगड़े और फिसाद और संघर्ष हो रहे हैं। एक ओर अनुसूचित जातियों/जनजातियों, आदिवासियों तथा दूसरी ओर अन्य वर्गों एवं जातियों के बीच संघर्ष हो रहे हैं, अहमदाबाद में आरक्षण के पक्षधरों और आरक्षण विरोधियों के बीच दीर्घ समय तक चलने वाले झगड़ों को हमने देखा है, यह दरअसल अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि और दूसरों के मध्य की लड़ाई है। ये लड़ाई सरकार की असफलता के कारण हुई है, सरकार इसके लिए दोषी है। यदि सरकार सही (दिशा में) सही ढंग से कार्य करती है और इन गरीब लोगों को उनका न्यायोचित हक दिलाती है, तब ही इन झगड़ों को और इन गरीबों पर होने वाली ज्यादतियों को रोका जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन पर उचित ध्यान देगी। श्रीमान्, अब मैं समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री साइमन तिग्गा (खूंटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन की तृतीय और चतुर्थ रिपोर्ट के संबंध में विचार-विमर्श के लिए सरकार की तरफ से यह मौका मिला है। मेरे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी हैं इसलिए मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक प्रश्न है जिसका सदस्यों ने जिक्र किया है। कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति कमीशन को सरकार की योजनाओं के अनुसार जो भी हरिजन और आदिवासियों के विकास के संबंध में खामिया पाई जाती हैं, उन खामियों के लिए उस एक्ट के तहत उनको यह संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए कि इसकी योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में जो भी आफिसर्स दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ उनकी रिपोर्ट एक एवीडेंस के रूप में प्रस्तुत की जाए। मैं समझता हूं इम्प्लीमेंटेशन में ये खामियां काफी हद तक रुक जायेंगी। जहां तक आदिवासियों की सूची का सवाल है, उस संबंध में मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से एक बात की ओर खींचना चाहूंगा। भारत में हम देखते हैं कि आदिवासी

और हरिजन बहुत मास स्केल पर मजदूरी के लिए इधर से उधर जाते हैं और सैटल हो जाते हैं। लेकिन सरकार उस लिस्ट में संशोधन नहीं करती है। जैसे—ट्राइबल्स की, छोटा नागपुर से गये आदिवासियों की आसाम में भी चालीस से पैंतालिस लाख संख्या हो गई है। आसाम में तो सिर्फ टी गार्डन में काम करने के लिए गए हुए हैं। उनकी स्थिति गरीबी रेखा से ऊपर उठने की नहीं है। इस प्रकार दूसरे राज्य की सीमा से बाहर जाने पर ऐसे आदिवासियों को आदिवासी सूची से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह अन्डमान में भी पूरे भारत से लोग गए हैं। वे लोग सिर्फ मजदूरी के लिए गए हैं न कि बिजनेस करने के लिए। वहाँ भी पिछड़े वर्गों की संख्या उतनी ही है जितनी कि यहां और राज्यों में है। उन्हें भी इस सूची में लाना चाहिए। आदिवासी अगर पंजाब में या किसी और राज्य में जाते हैं तो उनको भी आदिवासी लिस्ट में इंक्लयूड करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। आसाम में भी आन्दोलन चल रहा है। खुशी की बात है कि असम सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में लाने की सिफारिश की है। सरकार ने सन् 78 में कमीशन का गठन किया है, आदिवासी और हरिजनों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन सरकार बहुत गम्भीरता से इसको नहीं ले रही है। सरकार खुद यह दिखाती है : जब 1950 में हमारा संविधान शुरू हुआ तो उसके बाद आज तक उनको इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। इससे लगता है कि सरकार सचमुच में इस मामले को गम्भीरता से लेना नहीं चाहती है क्योंकि इतनी देर से उसने कुछ नहीं किया। अब सरकार के सामने यही है और मैं यह बात कहकर खत्म करूंगा कि कमीशन ने सारे मामलों के विषय में जो सिफारिशें की हैं, जैसा उनकी रिपोर्ट से भी जाहिर होता है, इन लोगों के विकास, आर्थिक उत्थान और शिक्षा आदि क्षेत्रों में, कहीं भी हरिजनों और आदिवासियों की संतोषजनक तरक्की नहीं हुई है। अब सरकार को कोई ऐसा रास्ता ढूंढ़ना चाहिए कि कमीशन के सुझावों के अनुसरण में, राज्यों के स्तर पर या केन्द्र के स्तर पर कोई ऐसी शक्तिशाली मशीनरी बनाई जाए जो सचमुच में इन सारी योजनाओं को ठीक तरीके से क्रियान्वित करे और जो पैसा उनके उत्थान के लिए दिया जाता है, उसको सही तरीके से व्यय किया जाए ताकि उनको इन योजनाओं का फायदा मिल सके।

हम लोग देखते हैं कि आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० आदि जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उन सबके पीछे सरकार की मंशा ठीक है, वह रुपया भी देती है लेकिन उसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उन योजनाओं को ठीक ढंग से इम्पलीमेंट करने की दिशा में सरकार को उपाय खोजने चाहिए। हम लोग यह भी अनुभव करते हैं और कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने से भी ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने सुझाव भी दिए थे कि आदिवासी इलाकों में कमजोर वर्ग के लोग अधिक संख्या में बसते हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए उन इलाकों का उत्थान किया जाना जरूरी है। आप वहां ऐसे आफिसरों को बहाल कीजिए जो सचमुच में इन लोगों के उत्थान में विश्वास रखते हैं और उनके हित में काम करना चाहते हैं, समाज सेवक की तरह काम करना चाहते हैं। ऐसा ढेभर कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया है लेकिन जैसा हम छोटा नागपुर इलाके में देखते हैं कि वैसे आफिसरों को वहां से जल्दी-जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों को वहां नियुक्त कर दिया जाता है। सरकार का कहना यह है कि हम इस ख्याल से उन भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे हरिजन और आदिवासी इलाके में नियुक्त करते हैं क्योंकि हम उन्हें

सजा देना चाहते हैं लेकिन वे अधिकारी वहां आकर फिर से अपनी झोली भरने का काम करने लगते हैं और वह स्थान उनके लिए स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं और ढेभर कमीशन तथा अन्य कई कमीशनों की ओर से यह सुझाव सरकार को दिया गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को इन इलाकों में तैनात न किया जाए बल्कि जो अधिकारी समाज-सेवा करना चाहते हैं, उनके उत्थान में विश्वास रखते हैं, ऐसे अधिकारियों को उन स्थानों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, उसमें काफी नीचे के स्तर के लोग धांधली करते हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार की इच्छा नहीं है। इनको उचित रिजर्वेशन देने के लिए कई तरह के कानून बने हुए हैं और सरकार चाहती है कि इन लोगों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले लेकिन सरकार के निर्देशों के अनुसार जो लोग वहां इन्हें इम्पलीमैंट करने के लिए होते हैं, उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स करके, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन अधिकारियों के ठीक तरह से काम न करने के कारण ही इनको रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिल पाता। दूसरी ओर बड़े-बड़े लोग आन्दोलन करते हैं कि अब रिजर्वेशन की प्रथा बन्द होनी चाहिए। इसलिए अब हमारे देश में क्लास वार की स्थिति पैदा हो रही है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम)** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयोग के वर्ष 1980-81 और 1981-82 के प्रतिवेदनों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इन दो प्रतिवेदनों में आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति को इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। मद्रास स्थित आयोग के शाखा कार्यालय ~~ने सलेम, तिरुचिरापल्ली और तंजावूर~~ जिलों का हाल ही में सर्वेक्षण किया था। इस अध्ययन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के श्रमिक न्यूनतम मजदूरी कानून के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। ऐसा केवल तमिलनाडु के इन जिलों में ही नहीं है, अपितु अन्य राज्यों में भी अनुसूचित जाति के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अस्तित्व का पता नहीं है और उन्हें भी इस कानून के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस कानून के उपबंधों का रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार करना चाहिये। दुर्भाग्य से, इस आयोग को अनुसूचित जातियों के कामगारों द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी प्राप्त न करने के बारे में प्रस्तुत की गई याचिकाओं की जांच करने की शक्ति नहीं है। इस आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तभी आयोग इन लोगों की उचित शिकायतों पर ध्यान दे सकेगा और उनको दण्डित कर सकेगा जो उनको न्यूनतम मजदूरी देने से इन्कार करते हैं। मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मन्त्री महोदया को इस मामले पर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति के कृषक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले।

भूमि हद बन्दी से सम्बद्ध मामलों और भूमि के अभिलेखों को आज के दिन तक पूरा करने के काम को नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जब तक राज्य सरकारें इन दो मामलों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं देती हैं तब तक भूमिहीन अनुसूचित जाति के खेतीहर मजदूर अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं करेंगे। यदि आयोग द्वारा इन दो मामलों में की गई सिफारिशों को राज्य सरकारें कार्यान्वित नहीं करती हैं तो आयोग मूक दर्शक बनकर रह जायेगा। यह आयोग केवल संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद और आदेशात्मक शक्तियां प्राप्त करने के बाद प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि इस आयोग को आदेशात्मक शक्तियां प्रदान करने के लिए मन्त्री महोदय को शीघ्र ही संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, सामाजिक कायाकल्प के क्षेत्र में तमिलनाडु का मुख्य स्थान है। ~~सर्वश्री सत्यमूर्ति,~~ ~~सत्यमूर्ति, कामराज और~~ हमारे वर्तमान उप-राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन जैसे विशिष्ट नेताओं ने तमिलनाडु में हरिजनों के मन्दिर प्रवेश हेतु धर्मयुद्ध लड़े थे और इस देश के आजाद होने से बहुत पहले ही उन्होंने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया था। वे तमिलनाडु में समाज सुधार के अगुआ थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि छुआछूत अधिनियम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन्त्री महोदया तमिलनाडु में छुआछूत उन्मूलन को देखना चाहती हैं तो उन्हें वहां के कुछ प्रसिद्ध मन्दिरों में जाकर देखना चाहिए।

यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के जीवन में प्रगति लानी है तो वह केवल समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा इसी प्रकार के अन्य ग्रामीण मूलक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करके ही लाई जा सकती है। राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले के विधायकों, सांसदों को सम्मिलित करके एक मूल्यांकन दल बनाना चाहिए और इस दल को इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी चाहिए। इस दल को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति के सम्बन्ध में आयोग को तिमाही प्रतिवेदन भेजना चाहिए। यदि इन योजनाओं की इस प्रकार से निरन्तर निगरानी होती रहे तो निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की जीवन पद्धति में प्रगति होगी। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने चाहिए।

मद्रास स्थित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के निदेशक ने तमिलनाडु के दक्षिण आर्कोट और रामनाथपुरम जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में बहुत सी सिफारिशें भी की गई हैं। मन्त्री महोदय को इन सिफारिशों के बारे में सभा को अवगत कराना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्हें लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु के थन्जावुर और चेन्गलपट्टू जिलों में खेतीहर मजदूरों को फालतू पड़ी भूमि के आवंटन के बारे में भी एक अन्य प्रतिवेदन आया है। इस सभा को इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाए।

महोदय, देश भर में बहुत से सामाजिक अनुसंधान संगठन जिनमें सामाजिक विचारक और सुधारक हैं। उन्होंने अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च शक्ति प्राप्त अनुसंधान सलाहकार समिति होनी चाहिए जो इन सामाजिक अनुसंधान संगठनों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करे।

हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री राजीव गाँधी जी कथनी और करनी के बीच की गहरी खाई को पाटने की आवश्यकता पर निरन्तर बल देते रहे हैं। कथनी और करनी की इस चौड़ी खाई को जब तक बन्द नहीं कर दिया जाता है तब तक हम अपने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसा हो।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह बात देना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना सारा जीवन पद दलित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी यादगार के रूप में केन्द्र को उनकी उन झोपड़ियों के बदले में इन दलित और कुचली हुई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को पक्के मकान देने का प्रयास करना चाहिये जिनमें वे पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव [—जारी]

*** श्री आर० अण्णानम्बी** (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं तथा मैं कुछ शब्द बोलूंगा। यह बड़ी ही अच्छी बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1980-81 और 1981-82 के प्रतिवेदनों पर चर्चा आरंभ की गई है। महोदय, मैं प्रारंभ में ही यह बता देना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां कुल जन संख्या का 25% हैं। इन समुदायों को, किसी दल को सत्तारूढ़ करने तथा सत्ताच्युत करने की शक्ति सहज में प्राप्त है। ऐसा मैं इसलिए

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कह रहा हूं क्योंकि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें उनके उद्धार हेतु सार्थक उपाय करने होंगे।

यह खेद की बात है कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। 1978 में जब केन्द्र में जनता पार्टी सत्ता में थी, तो इस आयोग का गठन सरकार के एक संकल्प के आधार पर किया गया था। संविधान के निर्माताओं ने स्वयं संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ अलग से एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया था। अब उसे इस आयोग का सदस्य बना दिया गया है जिसकी संविधान अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार इस विशेष अधिकारी के संवैधानिक अधिकार को वास्तव में जब्त कर लिया गया है। भारत सरकार ने भी आयोग को संवैधानिक प्राधिकार प्रदान करने के लिये आवश्यक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य से आयोग के अध्यक्ष का पद गत कई वर्षों से रिक्त पड़ा है। इसी प्रकार विशेष अधिकारी का रिक्त पद भी नहीं भरा गया है और इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य सदस्य का स्थान भी रिक्त पड़ा है। आप बिना अध्यक्ष के, बिना विशेष अधिकारी के और एक अन्य सदस्य के बिना कैसे यह आशा कर सकते हैं कि यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ प्रभावी ढ़ंग से कार्य करेगा? मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिये कि इन पदों को शीघ्र भरा जाये जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को यह आयोग प्रभावी ढ़ंग से देख सके। इसी प्रकार इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मन्त्री महोदय को आवश्यक संविधान (संशोधन) विधेयक लाना चाहिए।

सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हताओं में कुछ छूट दी जाती रही है। यदि उच्च वर्गों के लिए प्रथम श्रेणी स्नातक निर्धारित अर्हता रही है तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए तृतीय श्रेणी। मैं समझता हूं कि हाल ही में सरकार ने इस छूट को वापिस ले लिया है। सरकारी नौकरियों में आने के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अब शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाती है। स्वाभाविक है कि इससे अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे। मैं मांग करता हूं कि यह छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये फिर बहाल कर दी जाए।

इन पददलित लोगों को छूट प्रदान करने से इंकार कर देने के फलस्वरूप गत वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई व्यापक सूचियां नहीं बनी हैं। मैं तमिलनाडु के एक या दो दक्षिणी जिलों में वन्नान (धोबी) समुदाय को अनुसूचित जाति माने जाने के उदाहरण का उल्लेख करूंगा। धोबी समुदाय की यह दीर्घकालीन मांग रही है कि तमिलनाडु में इस समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया जाए। मैंने इसका उल्लेख संसद के गत सत्र के दौरान भी किया था। एक दूसरा उदाहरण यह भी है कि देश की राजधानी में रह रहे अनुसूचित जाति के तमिलों को वे राहतें देने से इंकार कर दिया जाता है जिनके वे संवैधानिक रूप से अधिकारी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली प्रशासन उन अनुसूचित जातियों को केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जातियां नहीं मानता है। देश के अनेक भागों में इस प्रकार की बहुत सी

असंगतियां व्याप्त हैं। इन विसंगतियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की एक व्यापक अखिल भारतीय सूची तैयार करके दूर किया जाना चाहिये। छठी संसद और सातवीं संसद के दौरान इस दिशा में प्रयास किया गया था। परन्तु संसद के भंग होने के कारण उसे सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की इसप्रकार की एक व्यापक अखिल भारतीय सूची तैयार करने हेतु विधान बनायें, जिससे कि सारे देश में ये लोग अपने उत्थान के लिए संवैधानिक छूट प्राप्त कर सकें।

तमिलनाडु में, हमारे मुख्य मंत्री डा० एम० जी० रामाचन्द्रन जी ने पददलित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। उन्होंने अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर एक पूर्णतया समर्थ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम बना दिया है। यह निगम अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को पट्टे आवंटित करने, उनके लिए मकान बनाने और इसी प्रकार की अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में जुटा हुआ है। तमिलनाडु सरकार जब इन झोंपड़ियों में बिना किसी लागत के बिजली प्रदान कर रही है तो मुझे आश्चर्य होता है कि केन्द्रीय सरकार को देश के 73 करोड़ लोगों के लिए इस प्रकार के कल्याणकारी उपाय क्यों नहीं करने चाहिए। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार की योजनाएं बनाएं।

तमिलनाडु में 'कुरावन' नाम का समुदाय जो अनुसूचित जाति का है, वास्तव में राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है। वे पहाड़ों पर पक्षियों और जानवरों का शिकार करके ही जीवन चलाते हैं। पहाड़ों में उनका मुख्य भोजन होता है मोटा अनाज। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि ये लोग सदियों से पहाड़ों की गुफाओं रहते चले आए हैं। बदलती परिस्थितियों के दबाव के कारण उन्होंने अपनी बस्तियां शहरी क्षेत्रों में बसा लीं। उनकी संख्या लगभग 15 लाख है। वे बांस की टोकरियां बनाकर जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जीवन कष्टमय है और उन्हें अपने व्यवसाय से बहुत कम आय होती है। मैंने मांग की थी कि कुरावन जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया जाये जिससे उन्हें भी अनुसूचित जनजाति को मिल रही रियायतें सुलभ हो सकें।

तमिलनाडु में डा० एम० जी० रामचन्द्रन की सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि को तेजी के साथ पूर्ण निष्ठा से कार्यान्वित करती रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत गृह निर्माण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त भूमि का आवंटन, पेय जल की सप्लाई आदि कार्य चलाये जा रहे हैं। किन्तु धन के अभाव में राज्य सरकार आदिवासियों की आवश्यकता के अनुरूप गृह निर्माण नहीं करा पाती है। इन योजनाओं के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। गृह निर्माण के लिए 6000 रुपये की रकम पर्याप्त नहीं है। एक घर बनाने के लिये कम से कम 10,000 रुपये दिये जाने चाहिए। इसी प्रकार एक खण्ड के लिये 25 घरों की सीमा निर्धारित करने की बजाय एक खंड में कम से कम 100 घरों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार को और अधिक धन देना चाहिए। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पेय जल की व्यवस्था करना, बिजली के कनेक्शन देना, सार्वजनिक सुविधाओं, सड़कों आदि की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु की जनता की ओर से माननीय

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन योजनाओं के लिए और अधिक धन का आवंटन किया जाये। इस समय, ये कार्य ठेके पर किये जा रहे हैं। ठेके देते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची का उदाहरण देता हूं जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास और राज्य द्वारा प्रायोजित समाज कल्याण योजनायें कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोंगालूर खण्ड में, हाल ही में हमारे राज्य के धार्मिक कार्य मंत्री थीरू राम वीरप्पन और मैंने ऐसी सात विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। इन योजनाओं में सुरक्षित जल की सप्लाई, हरिजनों और आदिवासियों के लिए घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण आदि शामिल हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग विशेषकर निराश्रित और विधवा आदि द्रविड़ महिलाओं के हित के लिए विद्युत करघा यूनिट आरम्भ करना है। इन बेसहारा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाये गये हैं। आदि द्रविड़ महिलाओं के लिए विद्युत करघा यूनिटों की स्थापना करने के लिए दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों की मैं प्रशंसा करता हूं। इन यूनिटों से लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु की सरकार के लिए और अधिक धन का नियतन किया जाये जिसने अनुसूचित जाति की महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति की बेसहारा और विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए इस प्रकार की विकासशील परियोजनाओं को तेजी के साथ कार्यान्वित किया है।

महोदय, दुर्भाग्यवश स्कूलों और कालेजों में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केन्द्रीय छात्रवृति और स्वीकृत अनुदान राशि नहीं मिल पाती है। स्कूल और कालेज में प्रवेश के छः महीने बाद उन्हें वित्तीय सहायता मिल पाती है। स्वाभाविक है कि इन बेचारे छात्रों को प्रवेश के समय बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इस धन को प्राप्त करने के पूर्व ही उनकी छमाही परीक्षायें समाप्त हो जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्कूल और कालेजों में प्रवेश के समय ही छात्रवृति और अनुदान प्राप्त हो जाए।

तमिलनाडु में हाल ही में जो त्रासदी हुई है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। तमिलनाडु में अप्रत्याशित वर्षा हुई थी। बाढ़ का पानी ऐसे हजारों घरों और झोंपड़ियों को बहा ले गया जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे। वस्तुतः बाढ़ का पानी माननीय मुख्य मंत्री के आवास में भी घुस गया था और उन्हें पांच दिन तक कोन्मेमारा होटल में शरण लेनी पड़ी थी। मद्रास की माउन्ट रोड जो अन्नासलाई के नाम से प्रसिद्ध है तथा जहां विदेशी पर्यटकों का जमघट रहता है, भारी वर्षा से नष्ट हो गई थी। अन्नासलाई में अनेक स्थानों पर गड्ढे हो गये हैं और जिससे सामान्य परिवहन भी अवरुद्ध हो गया है। अन्नासलाई की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अपने घरों से उजड़े लोगों के पुनर्वास के लिये और 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तमिलनाडु के तन्जावुर दक्षिण अरकोट, चेंगलेपुट जिलों में और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। हाल में हुई वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिये हमें 200 करोड़ से भी अधिक रुपयों की

आवश्यकता है । दया की मूर्ति हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री के साथ हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था । केन्द्रीय दल भी आया और उसने नुकसान का अनुमान लगाया है । वर्षा से हुए नुकसान को हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री ने स्वयं देखा है । मेरी माँग है कि बाढ़ राहत कार्य को लागू करने के तमिलनाडु सरकार को तत्काल 200 करोड़ रुपये दिये जायें । प्रधानमंत्री राहत कोष मे राहत कार्य के लिये तत्काल 15 लाख रुपया स्वीकृत करने के लिए मैं तमिलनाडु की जनता की ओर से तथा अपने मुख्य मंत्री डा० एम० जी० रामाचन्द्रन की ओर से माननीय प्रधान के प्रति अभार प्रकट करता हूं । मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु को बाढ़ राहत कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायेंगे । बाढ़ राहत कार्य से प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को ही अधिक लाभ होगा । पुनः इस बात को दोहराते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इस प्रकार के कल्याणकारी कार्यों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की जो 1980-81 और 1981-82 की रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, उनके बारे में सदन में चर्चा हो रही है ।

पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि जितनी भी रिपोर्टें प्रस्तुत होती हैं, उन पर समय पर डिस्कशन किया जाना चाहिए क्योंकि समय पर डिस्कशन करने से ही उसके परिणाम निकलते हैं । कमीशन के जो अधिकार हैं, वे बहुत ही सीमित हैं और और उसका न तो कोई कांस्टीट्यूशनल स्टेट्स है और न उन्हें कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं और न किसी प्रकार का केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने का अधिकार है । यह इस प्रकार का कमीशन है, जिसके अधिकार बहुत ही सीमित हैं और कमीशन के पास इतना स्टाफ भी नहीं है कि वह सुचारू रूप से कार्य कर सके । इससे कोई विशेष लाभ नहीं है । अगर वास्तव में कमीशन स्थापित करना है, तो उसके पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए । यहां केन्द्र में लोक सभा में और राज्यों में विधान सभाओं में इसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है और मैंने विधान सभा के मैम्बर की हैसियत से देखा है कि इसका परिणाम न के बराबर निकलता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर इस प्रकार की बॉडी बनानी है, तो उसको कांस्टीट्यूशन शेष देनी चाहिए और पर्याप्त अधिकार देने चाहिए और उसकी रिकमेंडेशन्स को मान्यता देनी चाहिए जितनी भी इसकी रिकमेंडेशन्स साल व साल प्रस्तुत की जाती हैं, उन रिकमेंडेशन्स के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ।

दूसरी बात मुझे इस अवसर पर यह कहनी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए संविधान में जो अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को अधिकार दिये गये हैं, उन्हें जो रिजर्वेशन दिया गया है, उससे अवश्य ही उनकी तरक्की हुई है, उनका राजनीतिक उत्थान हुआ है, सामाजिक और आर्थिक उत्थान हुआ है । आर्थिक उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उनका उनको लाभ मिला है । कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उनको लाभ मिला है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स सब-कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उनको लाभ मिला है । आई० आर०डी०पी० की

जो योजना बनी है, उससे उनको लाभ पहुंचा है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जो 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उस राशि को तीन गुना बढ़ा दिया जाए, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी । इसी प्रकार से एम०आर०ई०पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के जो प्रोग्राम हैं, उसमें इन लोगों के लिए और प्रोग्राम बनाने चाहिए और उनकी राशि को बढ़ाया जाना चाहिए । इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम महाराष्ट्र में इम्पलीमेंट हो रही है । मैं चाहता हूं कि सभी प्रांतों में एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम का इम्पलीमेंटेशन हो ताकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को एम्पलायमेंट मिल सके । आज देश में जितने परिवार हैं, उनमें एक व्यक्ति को एम्लायमेंट देने की बात कही जाती है । अगर हम सभी परिवारों के एक व्यक्ति को एम्पलायमेंट नहीं दे सकते, तो कम से कम अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि उनके परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को एम्पलायमेंट मिल जाए । इस प्रकार की स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में प्रगति हो सके ।

उनके सामाजिक उत्थान के लिए हमने बहुत प्रयास किये हैं परंतु सामाजिक उत्थान जिस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं हुआ है । अभी तक मैला सिर पर उठाने की कुप्रथा मौजूद है । इसको समाप्त करने के लिए प्रयास जरूर किए गए हैं मगर इसको दूर करने के लिए जो पैसा रखा गया है, वह अपर्याप्त है । और यह कुप्रथा हमेशा के लिए बन्द हो । इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किए जाने चाहिए । इसके लिए म्युनिसिपलिटी को भी सहायता देनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी सहायता देनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को भी सहायता देनी चाहिए ताकि यह जो मैला ढोने की कुप्रथा है यह समाप्त हो सके । आज के जमाने में हमें कुछ ऐसे इम्पलीमेंट्स वगैरहः तैयार करके उनको देने चाहिए जिससे कि इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सके । इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि लैंड रिफार्म्स में जो लैंड सीलिंग का लेजिस्लेशन बना और उसको लागू किया गया तो उसके अन्तर्गत जो जमीनें, दी गईं वे सब अनइकोनोमिक होल्डिग्स दी गईं । इसके लिये जो कानून बनाये, जितने भी राज्यों में बनाये गये, हमारे राज्य में भी बनाये गये, उन सबमें इन्हें जमीनें देने के प्रावधान किए गये लेकिन सबसे रद्दी जमीनें इन्हें दी जाएं, इस बात का प्रयास किया गया । इस प्रकार रद्दी से रद्दी जमीनें इन्हें दी गईं ।

जो अनइकोनोमिक होल्डिंग इन्हें दी भी गईं उनका भी इन्हें कहीं-कहीं पोजेशन भी नहीं मिला है । पोजेशन देने के लिए डायरेक्शंस है परन्तु उन्हें पोजेशन नहीं मिला है । इनको पुलिस की मदद से पोजेशन प्राप्त होना चाहिए ताकि ये लोग जमीन प्राप्त करके कुछ काम धंधा कर सकें । इनको उन जमीनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई लीगल एड नहीं मिलती है । इन्हें इन जमीनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए लीगल एड मिलनी चाहिए । लीगल एड का कोई प्रावधान ठीक तरह से मिलता नहीं है और ये लोग जो सुविधाएं इन्हें दी गई हैं उनसे भी वंचित रह जाते हैं । उन सुविधाओं का कोई लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है । इस बारे में भी सोचना चाहिए ।

शिक्षा की दृष्टि से इन अनुसूचित जातियों और जनजातियोंकी कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है । विशेष तौर से महिलाओं की तरक्की नहीं हुई है । एक दफा हम अपने जिले में जानकारी हासिल कर

रहे थे कि हमारे जिले में कितनी लड़कियां मैट्रिक पास हैं। बहुत ही कम संख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कन्याएं पढ़ती हैं। इनके लिए रेजीडेंशियल स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए। हर विद्यालय में इनके लिए रेजीडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। होस्टल के बारे में जो प्रबंध है वह मिनिमन नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कर देना चाहिए और यह तय कर देना चाहिए कि प्रत्येक ब्लाक में अनुसूचित जाति और जनजाति का होस्टल रहेगा। अगर यह प्रोविजन किया जाता है तो उन्हें शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे कि उन्हें स्कूलों में रेजीडेंस की फेसिलिटी मिल सके।

इसके साथ-साथ मेरा यह कहना भी है कि अभी 19 नवम्बर को फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरियाज में 1.50 रुपये के हिसाब से उन लोगों को गेहूं देने का प्रावधान किया जायेगा। यह बहुत ही बढ़िया और सुन्दर कदम है। यह कदम हमारे क्षेत्र में भी जो कि डेजर्ट से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें भी उठाया जाना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जैसे ट्राइबल एरियाज के लोगों को आप लाभ दे रहे हैं कि उन्हें 1.50 रुपये के हिसाब से गेहूं मिलेगा उसी प्रकार से उन क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी यह लाभ दिया जाना चाहिए जो कि भयंकर डेजर्ट एरियाज हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप डेजर्ट एरियाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी यह मदद दें। इससे उनका बहुत भला होगा।

आपकी ड्रिंकिंग वाटर और बिजली की जो स्कीमें हैं उनको भी इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उनका स्पष्ट लाभ इनकी बस्तियों तक पहुंच सके। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। अब तक यह होता है कि सोशल वेल्फेअर डिपार्टमेंट को कह देते हैं और वह इन स्कीमों के लिए कुछ पैसा दे देता है उससे कुछ काम हो जाता है। इससे सुचारू रूप से इनके लिए ड्रिंकिंग वाटर और बिजली का प्रबंध नहीं हो पाता है। यह कम्पलसरी कर देना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम बनायी जाएगी, बिजली पहुंचाने की स्कीम बनायी जाएगी, उनमेंअनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा और वे इस लाभ से वंचित रह जायेंगे।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत प्रचलित है। आज भी ग्राम पंचायतों और ग्राम-सभाओं की मीटिंग होती है, उसमें हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अलग बैठते हैं। अभी तक उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, अभी तक उनको कुंए से पानी नहीं भरने देते। अभी तक यह स्थिति है, इसके अन्तर्गत जो सालों-साल हम कार्यक्रम बनाते हैं, उसके अन्तर्गत राज्यों को ये डायरेक्शंस दिए जाने चाहिए कि उन कार्यक्रमों का सुचारू रूप से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए और छुआछूत को समाप्त करना चाहिए। एजूकेशन के बढ़ने से छुआ-छूत कम होती जा रही है, लेकिन इसके बारे में और अधिक विजिलेंट रहना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 1981-82 की जो रिकमण्डेशंस हैं, उनमें से कितनों को इम्प्लीमेंट किया गया है? इससे पता लगेगा कि जो रिकमण्डेशंस की जाती हैं, उनको मान्यता दी जाती है।

आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और डा०अम्बेडकर ने कांस्टीट्यूशन बनाकर बहुत ही सक्रिय कार्य किया, इस समय मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम प्रयास करेंगे, कांग्रेस प्रयास करेगी और सभी पार्टियां प्रयास करेंगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हरिजनों की उन्नति करेंगे, उनकी तरक्की करेंगे। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, 1980 और 1982 की थर्ड और फोर्थ रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत है, उस पर मैं चन्द शब्द निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सोशल वेलफेयर और हरिजन कल्याण सम्बन्धी एक अलग महकमा ही भारत सरकार में बनाया है। बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए। उन्होंने इस बार यह महकमा एक खास व्यक्ति के हाथ में सौंपा है जो स्वयं काफी विजीलेंट हैं हरिजन और आदिवासी प्राब्लम की तरफ।

1981-82 में इस कमीशन ने 78 रिकमण्डेशंस सरकार के सामने रखीं, जिसमें आर्थिक विकास सम्बन्धी रिकमण्डेशंस हैं, सोशल डेवलपमेंट के बारे में रिकमण्डेशंस हैं, रिजरवेशन पर रिकमण्डेशंस हैं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी रिकमण्डेशंस हैं। यदि इन सारी 78 रिकमण्डेशंस में से कम से कम 50 परसेंट भी मान ली गई होतीं तो मैं समझता हूं कि इनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता। आज आप देख रहे हैं कि लैण्ड रिफार्म्स के पैमाने पर गांव में खासकर बिहार की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिहार में लैंड रिफार्म के बारे में एक जागृति झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों के अन्दर आई है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली से एक रोशनी डाली गई कि हिन्दुस्तान के तमाम गरीबों और बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को हम जमीन देंगे, उनको वसीयत का दर्जा देंगे, उनको घर बनाकर देंगे और एक ऐसा कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा गया था जिससे अवेकनिंग आई गरीबों के बीच में जमीनें दी गयीं, परन्तु पता नहीं किस अवेकनिंग के कारण गांवों में खासकर बिहार में हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं। हरिजन बेचारा आपके प्रोग्राम को लेकर ब्लाक में और जिलाधिकारी के पास जाता है कि मुझे जमीन दीजिए क्योंकि सरकार ने मेरे लिए डायरेक्शंस दी हैं। हम भूमिहीन हैं, हमको सीलिंग की बिहार सरकार की और जो फालतू जमीन करोड़ों एकड़ की संख्या में है, वह हमको दीजिए। लेकिन आज तक उसे जमीन नहीं मिली। अगर जमीन मिल भी गई तो उसे प्रापर हक नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं कि चालीस लाख 82 हजार 36 एकड़ जमीन सरकार ने राष्ट्रीय पैमाने पर एक्वायर की है। दूसरी बार चालीस लाख, 43 हजार 823 एकड़ जमीन एक्वायर की। कब्जे में बांटने लायक जमीन 27 लाख 23 हजार 976 एकड़ थी। लेकिन 18 लाख 96 हजार 42 एकड़ जमीन ही वितरित की गई। यह डाटा राष्ट्रीय स्तर पर है। मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने 18 लाख एकड़ से अधिक गरीबों में बांटी है तो सदन को इस बात से आश्वस्त करें कि आखिर इस जमीन पर उनका कब्जा है या नहीं। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और लोगों से बात करता हूं तो वे अपनी पाकेट में पर्चा लेकर घूमते रहते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि उनकी जमीन कहां पर है। लेकिन जब

वह जमीन पर जाते हैं तो कई तरह की सेनाएं बन गई हैं जिनमें लोरिक, भ्रमर्शि आदि हैं जो हरिजनों पर अटैक करके उनकी हत्याएं करती हैं। आपने जैतीपुर (गया), कछयारपुर(नालन्दा) और लखीनपुर (मुंगेर) की घटनाएं देखी होंगी। कमीशन की जो रिकेमण्डेशंस आपके पास आई हैं, उनमें इस बात का जिक्र है कि 90 परसेंट घटनाएं भूमि विवाद के कारण होती हैं।

मिनिमम वेजेस प्रोग्राम का भी एक कारण है। ये सारी चीजें हैं। माननीय मंत्री जी या तो इस प्रोग्राम को बन्द कर दें और यदि सही मायने में चलाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम दीजिए कि इतने दिनों के अन्दर हर राज्य सरकार को यह कहें कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जमीन नहीं है इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट देने के लिए कहें और यह कहें कि देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। इस बात का एश्योरेंस हाऊस में देना चाहिए। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है। देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तीस करोड़ तीस लाख है। आई० आर० डी० पी० के शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल प्लान के अन्तर्गत जो प्रोग्राम हैं, उनकी प्रधानमंत्री जी ने मानिटरिंग की है और यह कहा है कि पांच वर्षों में हमने गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग थे उनको ऊपर उठाया है। 17 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे है। अगर प्रधानमंत्री जी को सही रूप में यह आंकड़ा दिया गया है तो मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। लैण्ड रिफार्म के बारे में अदब से कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को तेजी से चलाया जाए। एक आन्दोलन के रूप में चलाएं ताकि इसका एक इम्पैक्ट पड़े और लोगों को अहसास हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज हरिजनों में शिक्षा कितनी है। आपका नेशनल एवरेज एजूकेशन का 29.45 है जबकि बिहार में 6.5, राजस्थान में 9.14, उत्तर प्रदेश में 10.20 और आन्ध्र प्रदेश में 10.66 है। जम्मू और काश्मीर में 11.97 प्रतिशत, हरियाणा में 12.60 प्रतिशत, कर्नाटक में 13.89 प्रतिशत है। यदि बिहार में महिलाओं की साक्षरता-दर को देखा जाए तो वह केवल 1.03 प्रतिशत है। इससे आप सोच सकते हैं कि एजूकेशन के सवाल पर हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति कितनी शोचनीय है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इरोजन का कारण बन गया है। एक तो प्राइमरी स्कूलों में उनका नामांकन हो जाता है, यह नामांकन 90 प्रतिशत होता है जो के० जी० से लेकर कक्षा 3 तक होता है लेकिन जब वही बच्चा मिडिल ऐज में पहुंचता है तो उनकी ड्रौप-आउट संख्या बढ़ जाती है। सरकार ने सही तरीके से उसको ऐनेलाइज नहीं किया है। मैं समझता हूं कि ड्रौप-आउट के पीछे कुछ इकानामिक रीजन्स हैं और वह यह हैं कि जब कोई हरिजन का बच्चा 8 या 10 साल का हो जाता है तो वह देखता है कि उसके घर में खाने-पीने की सामग्री नहीं है, अन्न नहीं है, दोनों टाइम खाने के साधन नहीं हैं। उसका नतीजा यह होता है कि वह किसी न किसी जगह जाकर बाल श्रमिक बन जाता है, गांव में जानवर चराने का काम करने लगता है या किसी के यहां नौकरी करके अपने पिता के आर्थिक-उपार्जन में सहायक होने लग जाता है। मैंने कई बार कहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी निवेदन किया है कि कम से कम आप फूड फार एजूकेशन चलाईये। उसका मतलब यह है कि आप बहुत तेजी से एजूकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और उसे जो 10 रुपये का स्टाइपेंड देते हैं, उसे बन्द कर दीजिए। यदि हरिजन और आदिवासी लोगों के बच्चे

स्कूल जाएं तो उनको गुरु जी एक किलो गेहूं दे दें। इससे उनको भारी इन्सैन्टिव मिलेगा और मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रति रुझान भी होगा।

ड्रौप-आउट का दूसरा कारण यह है अनएम्पलायमैंट। आज हम देखते हैं कि हरिजन-आदिवासियों के बच्चे बी० ए० और एम० ए० पास करके अपने पिता के साथ एग्रीकल्चरल में मदद करके अपनी जिन्दगी बिताते हैं। उसके बगल वाले हरिजन का बच्चा जब यह देखता है कि फलां आदमी का लड़का बी० ए० या एम० ए० पास करके अपने खेत में काम कर रहा है तो मैं आगे क्यों पढ़ूं। इसलिए इरोजन के दो ही कारण हैं : पहला इकानामिक और दूसरा अन-एम्पलायमैंट। कई लोग कहते हैं कि जगह भरी ही नहीं जातीं, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि 1980 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1980 में बेरोजगार हरिजन एवं आदिवासियों की संख्या 18,15,284 थी जो अनुसूचित जातियों से संबंध रखते हैं और एजूकेटिड हैं। इसके अलावा 4,75,407 लोग अनुसूचित जाति के ऐसे हैं जो मैट्रिक या उससे ज्यादा हैं और अनएम्पलायड हैं। एक ओर सरकार डाटा देती है कि योग्य कैंडीडेट्स नहीं मिलते और इसलिए हम उन्हें नौकरी नहीं दे सकते और दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या के बारे में जो डाटा दिया गया है, उसके अनुसार 18,15,284 व्यक्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग बेकार पड़े हैं। इन दोनों आंकड़ों में कितना विरोधाभास है। इसलिए मैं चाहता हूं चूंकि रिजर्वेशन इज नॉट दी सौल्यूशन फार शेड्यूल्ड कास्टस एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स—उनके लिए आप जौब गारन्टी की व्यवस्था कीजिए और उसके लिए यदि जरूरत पड़े तो संविधान में भी संशोधन होना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों के जो बच्चे मैट्रिक या उससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त हैं उनको हम सेंट-परसेंट नौकरी देंगे। एक सर्कुलर निकाल कर भी इस काम को किया जा सकता है। मैंने इसी ऑगस्ट हाउस में, सातवीं लोक सभा में, एक प्राइवेट रिजौल्यूशन मूव किया था जिसमें सरकार से अर्ज की थी कि जैसा आप समझते हैं, रिजर्वेशन कोई बहुत बड़ा इंसट्रूमेंट नहीं है जिससे यह प्रौब्लम सुलझ सके बल्कि उसके स्थान पर आप जौब-गारन्टी की व्यवस्था कीजिए और संविधान में संशोधन कीजिए। हम देखते हैं कि आज आरक्षण के सवाल पर देश में बहुत विषाक्त वातावरण बनता जा रहा है। इसके पीछे कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, तरह-तरह की उसके सम्बन्ध में बातें कही जाती हैं। मैं कहता हूं कि यदि रिजर्वेशन की पौलिसी को आप इन-टोटो लागू करना चाहते हैं तो कीजिए अन्यथा रिजर्वेशन को स्टौप कर दीजिए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो चाहते हैं कि देश में विषाक्त वातावरण तैयार किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के कारण अमुक वर्ग काफी तरक्की कर गया। मैं समझता हूं कि यदि रिजर्वेशन की पौलिसी को इन-टोटो मान लिया गया होता तो इन 22 लाख हरिजन और आदिवासियों को रोजगार मिल गया होता और उनका इकानामिक डेवलपमैंट हो गया होता।

अभी यहां पर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिक्र आया और कहा गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए इसे बढ़ाकर 145 रु० कर दिया जाय लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देहातों में मिडिल क्लास स्टैन्डर्ड तक आप छात्रवृत्ति के स्थान पर "फूड फार एजूकेशन" कर दीजिए या "ग्रेन फार एजूकेशन" कर दीजिए। जो भी छात्र पोस्ट मैट्रिक या उससे आगे की पढ़ाई करता है उसको 150 रुपये का स्टाइपेंड कर दीजिए।

आठवीं क्लास के स्तर तक जो पैसा आप उसको छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, उस पैसे के स्थान पर आप उसको अनाज के रूप में सहायता दीजिए। आपकी जो ड्राउट की समस्या है वह बहुत कम हो जाएगी और मैं समझता हूं कि इसको राज्य सरकारें पूरी रेस्पांसिबिलिटी के साथ करें, तब यह ज्यादा सफल हो सकता है।

अब मैं अस्पृश्यता निवारण के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे तेलुगु देशम के मित्र बहुत अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं और वकालत करते हैं कि हम यह करेंगे और वह करेंगे तथा एम० जी० रामचन्द्रन साहब तमिलनाडु में यह करेंगे। ठीक है, मैं रामचन्द्रन साहब के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मगर आप उनके ही प्रदेश तमिलनाडु के बारे में देखिए वहां पर आज भी सवर्णों और हरिजनों के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है। वहां जिस रोड से सवर्ण जाएगा उस रोड से हरिजन नहीं जा सकता है। सवर्णों की रोड अलग है और हरिजनों की रोड अलग है। वहां पर सवर्णों के कुए पानी भरने के लिए अलग हैं और हरिजनों के कुए अलग हैं। सवर्णों के कुओं से हरिजन पानी नहीं भर सकते हैं। मैं डागा साहब के साथ एक बार तमिलनाडु गया, तो मैंने सोचा कि मैं वहां के गांवों में जाकर देखूं कि वहां पर गांवों में हरिजन और आदिवासियों का सोशल स्टेटस कैसा है। जब मैं इसकी परमीशन लेकर गांवों में गया तो मैंने पाया कि वहां पर हरिजनों के गांवों के बीच में एक डिमार्केशन लाइन लगी हुई है जिसमें यह लिखा हुआ है कि यह हरिजन या आदिवासियों, यानी अछूत व्यक्तियों का गांव है। वहां पर कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर सवर्ण लोग अपने कुओं से हरिजनों को पानी नहीं भरने देते हैं। वहां पर अभी भी छुआछूत की इतनी समस्या है जितनी बिहार में या उत्तर प्रदेश में मैं नहीं पाता हूं। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि उत्तर भारत में अब इतनी छुआ-छूत की समस्या नहीं है जितनी कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है।

तमिलनाडु में आज भी हरिजनों को चप्पल पहनना अलाऊ नहीं है। जब वे लोग अपनी स्थानीय मीटिंग में या जिले की मीटिंग में भाग लेते हैं, तो वे खड़े-होकर बोलते हैं। इस प्रकार देश में एक ओर से तो ऐसी स्थिति है तथा दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी ताकतें यह कहती हैं कि रिजर्वेशन को रिव्यू करो।

महोदय, यहां पर इस देश में जाति की पूजा होती है व्यक्ति की या व्यक्ति के गुणों की पूजा नहीं होती है। इसलिए जब तक जातीय व्यवस्था इस देश में कायम है, जब तक मनुस्मृति पर सामाजिक व्यवस्था आधारित है तब तक हमें हरिजन और आदिवासियों के लिए इस आरक्षण व्यवस्था को कंटीन्यू करना चाहिए। हमारी पार्टी के नेक इरादे हैं, हमारी पार्टी हरिजनों के उद्धार के लिए पैदा हुई है। गांधी जी, पं० जवाहर लाल जी नेहरू जिनकी रहनुमाई में इस देश का सामाजिक और राजनैतिक ढांचा बना आज भी हमारे नौजवान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के निर्देशन में हरिजन और आदिवासियों का उद्धार हो रहा है। इस पार्टी के कुछ बुनियादी कार्यक्रम हैं जिनके अन्दर ही हरिजन और आदिवासियों का उद्धार हो सकता है और हो रहा है।

हम तो इस देश में दूसरी पार्टी की व्यवस्था भी देख चुके हैं। बीच में कुछ समय के लिए इस देश की बागडोर जनता पार्टी के हाथ में चली गई थी। उस समय श्री चरण सिंह, गृह मंत्री थे, उनके समय में काफी इस प्रकार की घटनाएं हुईं तथा उनके समय से ही हरिजनों

को जिन्दा जलाने की आदत शुरू हुई। उनके समय में ही बेलछी में हरिजनों को जिन्दा जलाया गया। उस समय तो एक प्रशिक्षण ग्राउण्ड बन गया और यह सोचा और समझा जाने लगा कि जो आदमी जितने हरिजनों को मारेगा वह उतना ही ज्यादा ताकतवर कहलाएगा। आप बिहार में जाइए, मैं देखता हूं कि—

[अनुवाद]

कांग्रेस हमेशा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा करने में तत्पर रही है।

[हिन्दी]

मैं अर्ज के तौर पर कहना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज पर जो रिकमैंडेशन कमीशन ने दिया है, उस पर आपको माइन्यूटली सोचना चाहिए। आज मिनिमम वेजेज को लेकर बहुत बड़ी हिंसा हमारे गया और नालन्दा जिले में हो रही है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसकी बात मैं कह रहा हूं।

पुलिस कहती है कि नैक्सलाइट है। हरिजन को पुलिस सेना, भूमि सेना, लौरिक सेना और ब्रमर्शि सेना सभी मारती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन सेनाओं का सैंडविच हम कब तक बने रहेंगे? यह बहुत अहम सवाल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हमारी झोंपड़ी तो सुरक्षित कर दीजिए ताकि हम इतमिनान से उसमें रह सकें, कम-से-कम रात में हम पर कोई अटैक न करे, कोई हत्या न करे। अगर यही आप कर देंगे तो हरिजनों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

आप जॉब-ओरिएन्टेशन की व्यवस्था संविधान में लाइए। प्रतिक्रियावादी ताकतें, जनता पार्टी के श्री चन्द्रशेखर गुजरात में कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। जॉब-ओरिएन्टेशन की व्यवस्था देश में लाकर 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप एक भी पढ़े-लिखे हरिजन को बेरोजगार नहीं रहने देंगे; ऐसा आश्वासन दीजिए, तो मैं समझता हूं कि इस डिस्कशन का बहुत फायदा होगा।

कांग्रेस सोशलिस्टिक पैटर्न की पार्टी है, समाजवाद लाना चाहती है, छूतछात हटाना चाहती है। वह चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसका शोषण हो। तीसरे और चौथे कमीशन ने जो रिकमैंडेशन आपके सामने रखी हैं, अगर उनको इम्पलीमैंट कर दें तो देश के गरीबों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी०एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को एक खुशहाल राष्ट्र के रूप में 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। किन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, हम लोग उन्हें 19वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भाग्य का सुधार करने के बारे में हम लोग न केवल इस गरिमामयी सभा में, जो देश की उच्चतम विधायी निकाय है, ही चर्चा करते रहे हैं अपितु अन्य विधानमण्डलों में भी करते रहे हैं। किन्तु इसके बारे में हम जितनी अधिक चर्चा करते हैं उतने ही वे लोग पिछड़ते जा रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 38 वर्ष बीत चुके हैं। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति यथावत है जैसी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थी। मैं यह नहीं कहता कि हमारी उपलब्धि कुछ नहीं है। किन्तु हमारी क्या-क्या उपलब्धियां होनी चाहिए थीं, उसकी तुलना में हमारी आज की उपलब्धि बहुत ही कम है।

आज हम लोग वर्ष 1980-81, और 1981-82 के लिए आयोग के प्रतिवेदनों की चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में अनेक सदस्य इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किसी प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय उसका अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका है। तथापि, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्रालय के प्रभावी दो योग्य नेता हैं—एक तो बहुत ही योग्य महिला है और दूसरा एक युवक है और मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का भाग्य सुधारने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा।

जहां तक इस आयोग का संबंध है, मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार के आयोगों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यह कोई सांविधिक निकाय नहीं है। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। जब तक इसके पास कोई शक्ति नहीं होगी, तब तक इस आयोग को रखने का कोई लाभ नहीं है। जहाँ तक निर्णयों और सिफारिशों का सम्बन्ध है, वे केवल सिफारिशें हैं। आयोग इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करा सकता है। इसलिए, आयोग ऐसा होना चाहिए जो अपनी सिफारिशों के कार्यान्वित न किए जाने की स्थिति में कार्यवाही कर सके। ऐसा होने पर ही आयोग कारगर हो सकता है।

महोदय, मेरे विचार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें शिक्षित करना होगा। इसके बारे में अनेक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं पिछले दस वर्षों से अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए एक छात्रावास चला रहा हूं। वहाँ 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के 125 विद्यार्थी रहते हैं। मेरा अनुभव है कि प्रत्येक वर्ष जब दुबारा लौट कर आते हैं तो उनमें से केवल 50 प्रतिशत छात्र ही लौट कर आते हैं। जब ये लड़के गांवों को लौटते हैं तो अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने के बाद भी दुबारा लौट कर नहीं आते। हम लोग उन्हें हर प्रकार की सुविधा देते हैं यथा निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क भोजन तथा बराबर की छात्रवृति। हम लोग सब कुछ करते हैं किंतु कोई भी इस बात की चिंता नहीं करता कि लड़कों के साथ क्या हो रहा है। यहां तक कि मैं भी इसका कारण पता नहीं लगा सका हूं। यद्यपि मैंने कुछ लड़कों के माता-पिता से पत्र व्यवहार करने की भी चेष्टा की किन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरम्भिक शिक्षा दिलाने की ओर निगरानी रखी जाए। हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो निगरानी रख सके। वस्तुतः समाज कल्याण कार्यकर्त्ता, निरीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी आदि की फौज तो है किंतु वे लोग इस बात कीं निगरानी करने में असमर्थ हैं। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकारों को इस प्रकार के अनुदेश जारी करने के आदेश दिए जाएं कि यदि कोई छात्र विशेष छात्रावास में वापस नहीं लौटता है तो उसके लिए किसी को

उत्तरदायी ठहराया जाए। प्रभारी व्यक्ति से जवाब तलब किया जाए कि यह विशेष लड़का पुनः वापस क्यों नहीं आया। मुझे पता है कि आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता घरेलू अथवा खेत पर काम करने के लिए अपने बच्चों को घर पर रोक कर रखने के लिए विवश होते हैं।

महोदय, अनुसूचित जाति में औसतन 22 प्रतिशत पुरुष पढ़े-लिखे हैं और महिलाएं प्रायः निरक्षर हैं जबकि औसतन राष्ट्रीय साक्षरता 35 प्रतिशत है। इसलिए, वे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि उन्हें शिक्षित किया जाए, तो मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जाति के लड़के बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आजकल मैं अपने राज्य में देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति के लड़के तकनीकी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं में यदि 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर भी लेते हैं; तो भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है।

महोदय, मेरे विचार से यदि इन लड़कों का पालन-पोषण और अच्छे वातावरण में किए जाये तो वे उच्च वर्ग के परिवारों से संबंधित लड़कों से अच्छे निकलेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति के प्रत्येक लड़के और लड़की को कम से कम 10वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाए।

महोदय, यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे भूतपूर्व मैसूर राज्य में एक महान व्यक्ति, एक समाज सुधारक श्री गोपालस्वामी अय्यर हुए थे। वे गांव-गांव जाते थे, अनुसूचित जाति के लड़कों का पता लगाते थे और उन्हें स्कूल के स्थान तक लाते थे। वे उन्हें प्रवेश दिलवाते थे और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देते रहते थे कि वे लोग मैट्रिकुलेशन स्तर तक शिक्षित हो जायें और इसके बाद वे उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करते थे।

3.00 म०प०

इसी प्रकार स्वयंसेवी संगठन होने चाहिएं और जो समाजसेवी होने का दावा करते हैं; उन्हें इसे भले कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महान सेवा कर सकेंगे। यह मेरी सुदृढ़ राय है कि केवल शिक्षा ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान और सुधार कर सकती है।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आवास का संबंध है इस समय उनके लिए जो कम लागत वाले मकान बनाये जा रहे हैं, वे कुछ महीनों तक भी नहीं टिक पायेंगे। हमें उनके लिए पक्के मकान बनवाने चाहिए और उन्हें देने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके राज्य में शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे व्यक्ति गंदी बस्तियों में रहते हैं और उनमें अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं। मेरे राज्य, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात् बंगलौर में 500 से अधिक गंदी बस्तियां हैं और उन गंदी बस्तियों में रहने वालों में 90 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। आपको पता है कि वे किस दशा में वहां रहते हैं। इसलिए आवास और गंदी बस्तियों को हटाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गंदी बस्तियों को हटाने के कार्यक्रम में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए और ऐसा करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को मदद मिलेगी।

जहां तक भूमिहीन व्यक्तियों का संबंध है, मेरे कर्नाटक राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी गई है और भूमि देने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को प्राथ-

मिकता दी गई है। किन्तु अपनी ही भूमि में वे लोग भूमिहीन श्रमिक बन गये हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उन्हें केवल भूमि दे दी जाये।

जब तक आप उन्हें कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुएं देकर सचमुच का भूस्वामी नहीं बनाते तब तक उन उन लोगों को भूमि बांटने का उद्देश्य निरर्थक ही होगा। राज्यों में बिचौलिये तथा जमींदार इस स्थिति से फायदा उठा रहे हैं। भूमिहीन व्यक्तियों को सिर्फ 10 प्रतिशत उपज मिलेगी तथा उपज का 90 प्रतिशत बिचौलियों तथा अन्य उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया जायेगा। इसलिए, महोदय केन्द्र सरकार इस बात को देखने की कोशिश करे कि राज्य सरकारें इस निदेश का पालन करें कि प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को भूमि मिले, तथा साथ ही उस भूमि पर खेती करने के लिए खेती में काम आने वाली आवश्यक सामग्री दी जाये।

मेरा अगला मुद्दा है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लिया जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है अगर सरकार स्वय ही संविधान में दिए गए नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं करती है और अगर सरकार स्वयं ही संविधान का उल्लंघन करती है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिये ? कितने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों का कोटा भरा गया है ? कितने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने इन आरक्षित पदों को भरा है। कितने बैंकों ने इन व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरा है ? कुछ एक विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने इस कोटे को भरा है वह भी खास तौर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर। तथा यह भी 18 प्रतिशत नहीं है। अतः भारत सरकार को इस बात पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए। जब तक आप राज्य एवं केन्द्र स्तर पर उन व्यक्तियों को जो इन आरक्षित पदों की भर्ती न करने के लिए उत्तर-दायी हैं सजा नहीं देते तब तक आप उनके लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में अमर्थ नहीं हो सकते। जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है वह पिछले बचे आरक्षित पदों पर भर्ती करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 25 प्रतिशत पदों को आरक्षित कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे यहां काफी आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं। जहां तक विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए धन के आवंटन का संबंध है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार को पर्याप्त मात्रा में धन का नियतन करना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि जो अधिकारी इस धन का दुरुपयोग करें उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए, चाहे वे राज्य सरकार या फिर केन्द्र में ही क्यों न काम करते हों। इस संदर्भ में, मुझे यह कहते हुए खेद है कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि दक्षिणी राज्य इस बारे में बुरी तरह असफल रहे हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के सदस्य पहले ही इस विषय में कह चुके हैं। इन राज्यों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए काफी कार्य किए हैं। मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जहां तक आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी०पी० आदि द्वारा धन राशि दिये जाने का संबंध है, योजना आयोग ने कर्नाटक राज्य को 'ए' सर्टिफिकेट दिया है। मुझे यह सुझाव देने में जरा भी हिच-किचाहट नहीं है कि जो भी व्यक्ति इस धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपको यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि धन का समुचित उपयोग हो।

अंत में मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति विकास निगमों के बारे में कुछ कहूंगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिन कार्यों के लिए इन निगमों का गठन किया गया था वह कार्य ये निगम कर नहीं रहे हैं। यहां तक कि मेरे राज्य में इन निगमों ने कुछ ही लोगों को ऋण दिया है जिनकी संख्या 100 या 120 है। इन निगमों को ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इन निगमों का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाना था। केन्द्र सरकार से इन्हें धन मुहैया कराया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार इस बात को देखने की कोशिश करे कि इन्हें ज्यादा प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जाये। मुझे विश्वास है कि माननीय महिला मंत्रीजी के योग्य नेतृत्व से यह विभाग इन व्यक्तियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास करेगा। जब तक हम प्रभावी उपाय नहीं करते, इन समस्याओं को सुलझाना नामुमकिन है।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह सिर्फ अकेले सरकार—केन्द्र या राज्य का उत्तरदायित्व नहीं है, इन लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम सब लोग भी उत्तरदायी हैं। हम अकेले सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते।

जैसे हम स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हैं उसी तरह हमें युद्ध स्तर पर इस समस्या के लिए लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की स्थिति में सुधार हो तथा वे भी तथाकथित उच्च वर्गीय व्यक्तियों के बराबर ही समझे जायें।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आयोग के तीसरे एवं चौथे प्रतिवेदन, यहां चर्चा के लिए लाये गये हैं। सरकार ने समय-समय पर जो आयोग नियुक्त किए हैं उनमें से इस आयोग का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमारे समाज के काफी बड़े समुदाय से संबंधित है। परन्तु दुख की बात है कि इस आयोग को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। कतिपय राज्यों ने भी इसे उचित सम्मान नहीं दिया है। अतः जैसा मेरे साथी श्री कृष्ण अय्यर ने अभी-अभी बताया है कि उनकी खिंचाई की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, मैं आयोग के चौथे प्रतिवेदन में से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा :—

> आयोग ने राज्य सरकारों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी थी जिसमें भूमि सुधार नीति के विभिन्न पहलुओं और फालतू भूमि के वितरण, आवास-स्थलों और आवास इत्यादि की व्यवस्था करने में हुई प्रगति के बारे में जानकारी मांगी गई थी। आयोग को खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस परिपत्र में यह महत्वपूर्ण सूचना मांगी गयी थी उसका उत्तर केवल (1) उत्तर प्रदेश, (2) कर्नाटक, (3) केरल और (4) हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली तथा चंडीगढ़ से ही प्राप्त हुआ है।

3.08 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जब आयोग किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो राज्य सरकार कोई जवाब नहीं देती है। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। यह बहुत ही अजीब बात है। अगर किसी

योजना विशेष को लागू नहीं किया गया है तो वह ऐसा कह सकते हैं, परन्तु आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें देनी चाहिए ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं गोआ का रहने वाला हूं । मैं स्पष्ट रूप में इस बात को स्वीकार करूंगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित समस्याएं वहां पर इतनी नहीं हैं । हमने हरिजनों पर अत्याचार, घरों को जलाना आदि—इस तरह की घटनाओं को कभी नहीं देखा और हम जानते भी नहीं कि ये सब क्या होता है । परंतु इस सब की जिम्मेदारी उन नेताओं या लोगों पर भी है जिन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों का ख्याल है, उन्हें उन व्यक्तियों का भी समाधान करना है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से प्रभावित नहीं हैं । गोआ जैसी जगहों में इन लोगों की समस्याओं के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं होगी । वे इस बात को कह सकते हैं कि आरक्षण जैसी चीजों की पुनःरीक्षा की जानी चाहिए तथा आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए । इसका कारण है गोआ आदि जैसे कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्या जैसी कोई समस्या नहीं है । अतः इन लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को जारी रखने के बारे में सम्पूर्ण देश को जानकारी देने का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नेताओं का है । जहां तक गोआ का संबंध है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गोआ में जो कुछ भी थोड़ी बहुत इस तरह की समस्या थी वह कांग्रेस (आई) सरकार के सत्ता में आने के बाद सुलझ गई है । पिछले पन्द्रह वर्षों में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं सुलझाई गई थी । आंकड़े इस बात के साक्षी हैं । सिर्फ पिछले चार या पाँच वर्षों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की समस्याएं सही ढंग से सुलझायी जा रही है ।

इस समय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है इन्हें अपने कार्यक्रमों को लागू एवं क्रियान्वित करने के लिए ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिए । संघ शासित क्षेत्र की किसी भी फाइल को पहले दिल्ली भेजा जाएगा, कई और जगह जायेगी और तभी दो वर्षों के बाद यह वापस संघ शासित क्षेत्र में आयेगी । अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये कार्यक्रम सिर्फ एक कारण यानि विलम्ब के कारण ही प्रभावित होते हैं । अतः इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए संघ शासित क्षेत्रों को ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिए ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के सम्बन्ध में मुख्य समस्या भर्ती संबंधी पद्धति से शुरू होती है । जहां तक भर्ती का संबंध है इसमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता है । इसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति का उम्मीदवार यह बात नहीं समझ पाता कि वह ही वह व्यक्ति है जिसे अमुक पद पर भर्ती किया जाना है । नौकरी में भर्ती के नियमों एवं शर्तों में स्पष्टता होनी चाहिए कि नियमों के अनुसार किस व्यक्ति को इस पद विशेष के लिये भर्ती किया जायेगा । इसमें किसी भी तरह की अफसरशाही गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए । अगर हम ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों को जो कड़वाहट अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के प्रति है वह समाप्त हो जायेगी क्योंकि यह स्पष्ट रूप में बताया गया होता है कि उनकी आरक्षित प्रतिशतता क्या है । आजकल हमारे यहां अनिश्चितता की स्थिति होती है । अंतिम क्षणों में एकदम से कुछ किया जाता है तब

जो व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है वह इसके लिए कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों पर गुस्सा व्यक्त करता है। इस तरह की दुश्मनी या कड़ुवाहट नहीं होनी चाहिये। अगर यह बात स्पष्ट होगी तो कोई भी व्यक्ति शोर नहीं मचायेगा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि नियम के अनुसार यह नौकरी उसी व्यक्ति को मिलनी थी।

आजकल हम देखते हैं कि आरक्षण की प्रतिशतता के कतिपय पहलुओं को न्यायतंत्र निश्चित करता है। सच तो यह है कि विद्यानमण्डल के सामने यह मूलभूत समस्या है। न्यायपालिका प्रतिशतता निर्धारित ही क्यों करती है ? इसका कारण है हम कई चीजों को अस्पष्ट रखते हैं। अतः कई बातों की व्याख्या करते समय वे इनका अनुपात 60 : 40 या 50 : 50 अथवा 40 : 60 निर्धारित करने का फैसला करते हैं। विधान मण्डल अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर देते हैं इसलिए न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है बल्कि इसमें भूमिका निभाती है।

जब हम जानते हैं कि बात का फैसला अदालत से होना है तो इसे तुरन्त ही कानूनी रूप दे देना चाहिए। मान लीजिए एक मामले में न्यायपालिका निर्णय लेती है कि इनकी प्रतिशतता 60 : 40 होगी और अगर हमारे भर्ती नियमों में वह प्रतिशतता नहीं है तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि भर्ती नियमों में इस 60 : 40 के अनुपात को रखा जाये। हमें यह सब बातें न्यायपालिका पर नहीं छोड़ देनी चाहिए बल्कि हमें उन्हें निष्पादित करना चाहिये।

यह अच्छी बात है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सेवा संबंधी मामलों को इन न्यायाधिकरणों द्वारा सुलझाया जायेगा, चाहे वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग के कर्मी हों उनके सेवा संबंधी मामलों को इससे जल्दी न्याय दिलाया जायेगा। अतः मैं सरकार से अपील करूंगा कि जहाँ भी मुमकिन हो सम्पूर्ण देश में ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने के लिए वह तीव्रता से कार्य करे।

जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा हमारे पास अधिकार हैं। किन्तु जब तक उन अधिकारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक उन अधिकारों के होने का कोई अर्थ नहीं है। अतः कानूनी सहायता की आवश्यकता है। सामान्य न्यायालय में तो कानूनी सहायता उपलब्ध है। परन्तु जहां तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि सम्बन्धी एवं अन्य समस्याएं हैं, उन्हें कानूनी सहायता देने के लिए यदि विशेष सेल नहीं बनाये जाते हैं तो यह अधिकार मात्र कागजों तक ही सीमित रहेंगे। अतः इन अधिकारों को अदालत के माध्यम से प्रभावी बनाये जाने के लिए कोई न कोई तंत्र होना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विधिक प्रकोष्ठ होने चाहिए। जहां तक शिक्षा का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं। किन्तु मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उस शिक्षा के सम्बन्ध में नई शिक्षा नीति में एक विशेष टिप्पणी और एक विशेष पैराग्राफ होना चाहिए जिस पर हम विचार कर रहे हैं। किसी नीति में अथवा पैरा में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैं आरम्भ में ही स्वीकार कर चुका हूं, मेरे प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। किन्तु पूरे देश में अभी तक अस्पर्शयता की समस्या आज भी व्याप्त है। जहाँ तक मेरा विचार है, यदि कोई व्यक्ति 'क' किसी दूसरे

व्यक्ति 'ख' को थप्पड़ मारता है; तो मेरे विचार से उसका वह अपराध अस्पर्शयता के अपराध से छोटा अपराध है। यदि उसे छूने से उसे घृणा होती है तो मेरे विचार से उसका यह अपराध अधिक गम्भीर है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे व्यक्ति को एक या 6 महीने की ही सजा अथवा आर्थिक दंड दिया जाना चाहिये, बल्कि जो व्यक्ति अस्पर्शयता का व्यवहार करता है उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिये। मैं यह कहने से भी नहीं हिचकता कि ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना चाहिये। मैं इस हद तक कहने को तैयार हूं। क्योंकि मेरे विचार से एक चांटा मारना अथवा चोट पहुंचाना भी अन्य अपराधों से छोटे अपराध हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिये आरक्षण की सुविधा प्रदान कर रही है; तथापि हमारे नेताओं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मित्रों को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये कि ये सब अस्थायी उपाय हैं। एक दिन आयेगा जब वे लोग स्वयं महसूस करेंगे तथा ऐसा उपदेश देंगे कि हम लोगों को स्वयं इस निर्णय को त्याग देना चाहिये और हम भी समग्र समाज के साथ हैं। वह दिन दूर नहीं है। वे लोग इस बात को स्वयं महसूस करते हैं कि नेतागण भी उनको यह बता दें और सरकार जब तक उन्हें ये सुविधायें दे रही है तब तक उसका लाभ उठायें और अन्य नागरिकों के स्तर तक उठने की चेष्टा करें।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (राजापुर) : सभापति जी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की 1980-81 और 1981-82 की रिपोर्टें हमारे सामने प्रस्तुत हैं और उन पर डिस्कशन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए, तो आयोग ने काफी मेहनत की और बड़ी गहराई में वह गया और हरिजनों से संबंधित हर बात को उसने दर्शाया लेकिन मेरा कहना यह है कि इस में कुछ गति आनी चाहिए। 1980-81 की रिपोर्ट पर हम 1985 में चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर होना हरिजनों और आदिवासियों के काम में एक तरह की डिले हम मानते हैं।

रिपोर्टों को देखने के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी करनी चाहिए, दूसरे उन को अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए और तीसरे उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। आज हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस के लोगों ने छुआछूत को मिटाने के लिए जी-जान से कोशिश की है और उनके लिए चन्दा इकट्ठा करके छुआछूत को हटाने के लिए अथक प्रयास किए हैं लेकिन 38 साल के बाद भी जिस तरह से छुआछूत खत्म होना चाहिए था, वह वास्तव में नहीं हो पाया है और हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि हरिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वे शिक्षित होंगे और उन के रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा, तो निश्चित रूप से छुआछूत समाप्त हो जाएगा। 38 साल के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी, अभी हमको इसमें सफलता नहीं मिली है। वे जो काम करते हैं, उस काम में परिवर्तन करना होगा। उनके पिछड़ेपन के तीन कारण हैं, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रहन-सहन का स्तर। हमने देखा है कि अगर एक हरिजन लड़का या लड़की आई०ए०एस०

आफीसर हो जाता है, तो फिर छुआछूत नहीं रहता है। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० कोई जाति नहीं देखता है। केवल यही देखा जाता है कि यह आई०ए०एस० या आई०पी०एस० है और शादी हो जाती है और कोई छुआछूत की भावना नहीं रहती है। अगर ये लोग पढ़-लिख जाएंगे और होशियार हो जाएंगे, तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं निश्चित रूप से छुआछूत समाप्त होगी।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम देखें कि कहीं भी उन्हें प्रवेश करने से रोका जाता है। होटलों में, मन्दिरों में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। उन्हें दबा कर रखा जाता है। यह छुआछूत क्यों है? छुआछूत होने के क्या कारण हैं? गांवों के पैसे वाले लोग, गांवों के जमीन वाले लोग हरिजनों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर रखना चाहते हैं ताकि वे उनके घरों पर, उनके खेतों पर काम करते रहें। अगर हरिजन और आदिवासी आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठ जाएंगे तो उनके खेतों पर, उनके घरों पर काम कौन करेगा, ऐसा उनका ख्याल है। इसलिए वे आर्थिक दृष्टि से उन्हें ऊंचा उठने नहीं देते।

सबसे बड़ी बात यह है कि हरिजनों को आर्थिक दृष्टि से दबा कर रखा जाता है। यहां तक कि अगर कोई हरिजन अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, उसकी फसल अच्छी हो गई है, उसके पास अच्छा मकान है तो उसको जला दिया जाता है। अगर कोई हरिजन उठने की कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ झूठा पुलिस केस चला कर दबा दिया जाता है। यह भावना गांवों के लोगों में है और इसी भावना के कारण उन लोगों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर रखा जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से उनकी कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। जब गांवों के लोग, हरिजन लोग मजबूत होंगे, निश्चित रूप से तरक्की करेंगे, वे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो जो अस्पृश्यता है वह दूर हो सकेगी।

जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि शासन ने रिजर्वेशन दिया है, हमारे संविधान में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है और गवर्नमेंट भी इस बात का प्रयास करती है कि रिजर्वेशन के कोटे की पूर्ति हो। मगर यह हो नहीं रहा है। इसके क्या कारण हैं? उनको हमको देखना है। जब हरिजनों और आदिवासियों को अधिकार दिए गए हैं तो उनको अधिकार मिल क्यों नहीं पा रहे हैं?

सर्विसिज में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, चपड़ासी की पोस्ट होती है। उस पोस्ट के लिए आठवीं पास बहुत से हरिजन लोग मिल जाते हैं। क्या कारण है कि चतुर्थ श्रेणी की जगहों में भी रिजर्वेशन के कोटे की पूर्ति नहीं हो सकी है? हम देखते हैं कि जब पोस्ट एडवर-टाइज होती है तो उनके लिए असेंशल क्वालिफिकेशन रखी जाती है। असेंशल क्वालिफिकेशन होने पर जब हरिजन और आदिवासी एप्लाई करते हैं तो यह शर्त लगा दी जाती है कि तीन साल का अनुभव होना चाहिए। अब हरिजन और आदिवासी बिचारे तीन साल का अनुभव कहां से लाएं? यह शर्त इसलिए लगाई जाती है जिससे कि उन जगहों पर दूसरे लोगों को रखा जा सके। यह पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया जाता है। इस तरीके को हटाया जाना चाहिए जिससे कि तमाम हरिजनों और आदिवासियों की भर्ती हो सके।

इसी प्रकार से हम प्रमोशन के मामले में देखते हैं। हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों की प्रमोशन का प्रश्न आता है और प्रमोशन के लिए उनका अधिकार बनता है तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशनों के माध्यम से नीचे के लोग ऊपर आ जाते हैं और हरिजन और आदिवासी लोगों के ऊपर सुपरसीड हो जाते हैं। हमको इस बात की जांच करनी चाहिए कि हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों के ऊपर अन्यों को क्यों सुपरसीड किया जा रहा है, क्यों उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? हमको यह देखना पड़ेगा कि डी०पी०सी० समय पर क्यों नहीं बैठती है? डी०पी०सी० को समय पर मीट करना चाहिए और जिन लोगों को प्रमोशन देना जरूरी है उनको प्रमोशन दी जानी चाहिए।

जहां तक मैं समझता हूं कि और भी ऐसी बातें हैं। असेंशल क्वालिफिकेशन के बाद जब कम्पीटीशन होता है, नौकरियों में लेने का कम्पीटीशन होता है तो उसमें काफी गड़बड़ी होती है। ओरल टैस्ट में गड़बड़ होती है। हरिजन-आदिवासी अधिकारियों के इतने नजदीक नहीं रहता है कि वह कह सके कि मैं योग्य हूं या चेहरा देखकर समझा जाए कि कितना स्मार्ट है, काम कर सकता है, लेकिन क्या होता है, वहां भी दूसरे जरिए से काम होता है और हरिजन-आदिवासी पीछे रह जाता है और उसके पीछे जोड़ दिया जाता है कि यह योग्य नहीं है। हमने प्रदेशों में भी देखा है कि हरिजन-आदिवासी विभाग है, सेंटर में भी हरिजन-आदिवासी विभाग है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वहां पर भी हरिजन-आदिवासी अधिकारियों को नहीं रखा जाता। वहां पर तो कम से कम हरिजन-आदिवासियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, चाहे आप कुछ प्रतिशत निश्चित कर दीजिए, हम यह नहीं चाहते कि सभी हरिजन-आदिवासी उस विभाग में रहें, लेकिन हम यह चाहते हैं कि कम से कम कुछ प्रतिशत हरिजन-आदिवासियों का होना चाहिए। आज हरिजन-आदिवासियों के मन में यह भावना बन गई है कि जिन अधिकारियों को हमारे कल्याण के लिए रखा गया है वे ही आज हमारी तरक्की में दीवार बने हुए हैं, ऐसे लोग विभाग में बैठे हैं, वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। इसलिए यह देखना चाहिए कि हरिजन-आदिवासी विभाग में योग्य हरिजन-आदिवासी लोगों को वास्तव में मौका देना चाहिए या ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हरिजन-आदिवासियों से प्रेम रखते हों, चाहे किसी भी जाति के हों। ऐसे लोगों को हरिजन-आदिवासी विभाग में बिठाना चाहिए, अगर हरिजन-आदिवासियों के एंटी रहने वाले लोगों को हरिजन-आदिवासी विभाग में बिठा देते हैं तो वे उनके तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन कर रह जाएंगे, इस बात पर बड़ी गहराई से विचार करना चाहिए। हमको उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए।

जहां तक अत्याचारों का संबंध है, मैं समझता हूं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मैं समझता हूं कि शैक्षणिक दृष्टि से भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। इस बारे में हम सभी संसद-सदस्यों के विचार एक साथ मिलते हैं। आज हम हरिजनों को वास्तव में आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, उनकी अनेक समस्याएं हैं। शासन इस ओर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करता। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? आज हम यह देखते हैं कि सौ किलोमीटर की एक सड़क बनानी होती है तो वह 6 महीने या एक साल में बन जाती है और वहां की

समस्या हल हो जाती है, लेकिन हरिजन और आदिवासियों की समस्या 38 साल से नहीं सुलझ सकी। इसलिए सरकार को एक टारगेट बनाना पड़ेगा और गहराई से विचार करना पड़ेगा। जब दूसरे काम हम बहुत जल्दी पूरे कर देते हैं तो क्या कारण है कि हरिजन-आदिवासियों की समस्याएं हल नहीं हो पातीं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और जो आयोग की रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर तत्काल निर्णय होना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका एग्जीक्विशन तत्काल होना चाहिए, शासन से मेरा यही निवेदन है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन, अव्वल बात मैं आपके माध्यम से यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बारे में सदन में लाई गई है, इसका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि यह 1980-81, 1981-82 की रिपोर्टों से ताल्लुक रखती है। होना तो यह चाहिए था कि इस वक्त सदन के सामने सरकार जो काम कर रही है और पिछले दो साल में जो काम हुए 1984-85 जो चल रहा है, चालू माली साल है, इसमें हरिजन और आदिवासियों के बारे में सरकार ने जो काम किए हैं, उसको जहरे बहस होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1980-81 और 1981-82 की रिपोर्ट इतने पुराने वक्त की हो गई है कि सदन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है और इन मुद्दों पर अच्छी तरह से गौर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सामने जो आंकड़े आएंगे और जिन पर बहस की जाएगी, उनका कोई फायदा नहीं होगा। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि अव्वल बात जो है, जो हरिजन-आदिवासियों का मसला है न्याय का, हमारे यहां का एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ इन्साफ नहीं कर रहा। सरकार कितने ही कमीशन बिठाए, यह सदन कितने ही कानून पास करे और स्टेच्युड बुक में कितने ही कानूनों को लाएं, लेकिन जब तक यह नहीं होगा, इस पिछड़ी जाति के साथ इंसाफ ईमानदारी के साथ नहीं होगा तब तक इनकी हालत सुधर नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि आजादी के 38 वर्ष के बाद भी जब हम भारत में हरिजन-आदिवासियों की हालत देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं कहता हूं कि आज भी यह देश सारी दुनिया में रहनुमाई कर रहा है चाहे साऊथ अफ्रीका में या जहां पर भी इन्सानियत का गला घोटा जा रहा है और जहां पर भी नाइन्साफी, भेदभाव, काली और सफेद चमड़ी के नाम पर जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे अपने देश में जो हमारे भाई हैं, जिनकी आबादी बीस करोड़ से कम नहीं है, उनकी हालत को देखते हैं तो हमें दुख होता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन्स में और बाकी मुल्कों में हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए हम उनके साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं। आप जमींदारी का मामला ले लीजिए, अभी एक ऑनरेबल मैम्बर ने ठीक कहा कि लैण्ड-लार्ड्स का पूरा जोर है। यहां पर बड़े-बड़े पूंजीवादी, सरमायेदार और जो जमींदार हैं, उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है हमारी जरात पर। और हमारी जरात पर ही हमारी तरक्की निर्भर है क्योंकि अस्सी परसेंट आबादी गांवों में रहती है। गांवों में जो लैण्ड-लार्ड्स और बड़े-बड़े जमींदार हैं उनका गल्बा है। हमने इस मुल्क में यह दावा किया है कि हम सोशलिजम लाना चाहते हैं और यही एक इलाज है। इसके सिवाय इस मुल्क का कोई इलाज नहीं हो सकता। हमारे यहां जो सोसायटी में टकराव है, जहां पर बड़ा

आदमी गरीब का खून चूस रहा है, जमींदार बेजमीन किसान का गला घोट रहा है तो उसका यही इलाज हो सकता है कि हम यह बीच की खाई खत्म करें और इस पिछड़े हुए तबके की रहनुमाई करें और उसके हकूक उसे दिलवाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को कौन सी अड़चन आ रही है। आज हम गांवों में देखते हैं कि आप कोई कानून पास करते हैं या आप कोई इन्साफ देना चाहते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट्स को जमीन तकसीम करना चाहते हैं तो लैण्ड लार्डस उनके ऊपर गरजते हैं। उनका गला घोटते हैं, उनको मारते हैं, उनकी झोंपड़ियां जलाते हैं, उनकी औरतों की इज्जत लूट लेते हैं। यह रोजमर्रा का मामला है। सारे अखबारात में इस तरह की चर्चा होती रहती है। कोई दिन शायद ही ऐसा गुजरता हो जब पूरे मुल्क में तुलो-अर्ज में इस किस्म के वाक्यात रोनुमा नहीं होते। अफसोस तो यह है कि जमींदार का गलबा जारी है। वह गरीब का खून चूसना चाहता है, उसको दबाना चाहता है। लैण्ड लार्ड्स उसका सबसे बड़ा मददगार है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही वह मजलूम तबका इन्साफ मांगने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस खुद ही व्यस्त है। हरिजन के मामले में यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन उस लाईन पर नहीं चल पाया है जिस मार्ग पर हमने कांस्टीच्युशन को तलाश किया, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जिन्दगीभर हमें तालीम दी और जिसके लिए बड़े-बड़े विद्वानों ने, समाज सुधारकों ने सारी जिन्दगी गुजार दी। इन 38 वर्षों में साइंस और टैक्नोलोजी ने इतनी तरक्की की है, इसके बावजूद भी हमने हरिजन और आदिवासियों के साथ कोई इन्साफ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि कौन सी अड़चन आ रही है। जम्मू-काश्मीर एक छोटी रियासत है, जहां से मैं आया हूं। सन 48 में वहां की सरकार ने जमींदारों की जो जमीन थी वह किसानों में बांट दी। लैण्ड-लार्ड्स को कोई मुआवजा नहीं मिला। जब वह कानून कांस्टीट्युशन का हिस्सा बना तो जम्मू-काश्मीर में फिर बड़े-बड़े लैण्ड-लार्ड्स चीखे और चिल्लाए। लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। यह बात मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जम्मू-काश्मीर में जो हरिजन थे या जो भी रिलिजियस कम्युनिटी के किसान लोग थे, वे जमीन के मालिक बन गए। आज वे खुशहाल हैं। उनकी हालत बहुत सुधर गई है। पूरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हुआ। जम्मू-काश्मीर के इस माडल को पूरे मुल्क में क्यों नहीं अपनाया गया। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जब सरकार चाहे, उसके लिए ऐसा रास्ता भी नहीं छोड़ना चाहिए कि कानून तो बना देंगे लेकिन जब उस जाति के साथ ना-इंसाफी हो, न कानून उनका साथ दे, न पुलिस उनका साथ दे और न रिवैन्यू डिपार्टमेंट उनका साथ दे तो ऐसा कानून पास करने का क्या मतलब रह जाता है।

इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में हमें कुछ जरूरी बातों की तरफ ख्याल रखना चाहिए। अव्वल बात तो यह है कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की लिखा-पढ़ाई करें। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा घपला हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन यह समझती है कि ये हरिजन हैं, बेजुबान हैं और उनकी पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ बड़े-बड़े साहूकार और जमींदार हैं। तो वह तरफदारी करती है। हमारी बदकिस्मती यह है कि आज भी हरिजनों को बराबरी का हक हमारी सोसायटी में हासिल नहीं है। इस आधार पर जब एक आफिसर सोचने लगता है, एक मजिस्ट्रेट सोचने लगता है, सुपरीटेन्डेंट ऑफ पुलिस सोचने लगता है

और आपके रिवैन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार के दिमाग में भी यह बात आती है तो वह कम्यूनिटीज के बीच में तफरीक करता है और हरिजनों को दबाता है। वह समझता है कि हरिजनों का हक उसके मुकाबले में कुछ ज्यादा नहीं है। इससे छूआछूत की प्रौब्लम बढ़ती है और इस तरह सरकार के सारे कामों को तथा संविधान में जितने प्रावधान हैं उसको सैबोटाज किया जाता है और हमारा परपज डिफीट हो जाता है। मैं समझता हूं कि बावजूद कानन बनाने के या रिपोर्ट लाने के, सरकार को चाहिए कि आप गम्भीरता से इस मसले पर ध्यान दें और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आपके कामों को सैबोटाज कर रहे हैं हरिजनों का हक छीनते हैं और बड़े-बड़े लैंडलोर्डस का साथ देकर या जो जाबिर, हमारा जालिम तबका है, उनका साथ देकर, दूसरे तबकों के हक तोड़ते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। इसके लिए हमारी मरकज की सरकार, केन्द्रीय सरकार को एक सैल बनाना चाहिए जो देखे कि तमाम स्टेटस में क्या हो रहा है और जहां से भी इस किस्म की शिकायत आये, इस सदन और सरकार को पूरा हक है कि संविधान में अमेंडमैंट लाये और उसे दुरुस्त करे। ऐसे लोगों के साथ सख्ती का और जबर्दस्ती का रवैया अख्तयार किया जाए जो इन सारे कामों को नहीं होने देते, नुकसान पहुंचाते हैं और हरिजनों के लिए मुसीबत का सामां हैं और जो भी प्रोग्राम सरकार बनाती है, उसमें रुकावटें डालते हैं, उसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जहां तक लीगल ऐड का ताल्लुक है, देश में अभी तक जबानी जमा-खर्च ही होता रहा है। मैं तमाम मुल्क के हालात को देख रहा हूं और इस मामले में सरकार सीरियस नजर नहीं आती। जब कुछ लोग वौलेंटरीली आ जाते हैं तो सरकार उनकी मदद जरूर करती है। कुछ वकीलों के जरिए इमदाद की जाती है, कुछ कानूनी इमदाद की जाती है और कुछ हरिजन, आदिवासी या पिछड़े तबके के लोगों की इमदाद की जाती है लेकिन असल में जब हमारे समाज में, सोसायटी में, बड़े-बड़े बैरिस्टर हैं और बड़ी-बड़ी फैसिलिटीज हों तो दूसरी तरफ आप जिस तरह से मांगे-ताँगे के वकील फराहम करते हैं, इससे उनके साथ इंसाफ नहीं होता। यह तो काग़जों की चीज है और इस पर अमल नहीं हो रहा है और प्रैक्टिकली वह चीज अभी नहीं हो पा रही है, जो आपकी मंशा है। यदि सरकार वाकई हरिजनों और आदिवासियों को लीगल-ऐड देना चाहती है तो फिर उसी आधार पर दे जिस आधार पर बड़े-बड़े लैंडलौर्डस या जिमींदार सारी ज्यूडीशियरी और सारे वकीलों की ताकत का इस्तेमाल करके उसके मुकाबले आ जाते हैं। इस कारण बेसहारा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि देयर शुड बी कमिटमैंट ऑफ दी ज्यूडीशियरी। हमारी ज्यूडीशियरी को क्लिअर-कट कमिटमैंट में होना चाहिए। उनका रुख होना चाहिए कि ये जो अण्डर-डौग हैं, सफरर हैं, बिल्कुल दबी हुई, कुचली हुई कम्यूनिटीज हैं उनकी तरफ आ जाएं। सदन को भी चाहिए कि हमें कौंसटीट्यूशन में बिल्कुल सही तौर पर निशानदेही करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक आप एग्रेरियन रिवोल्यूशन नहीं लायेंगे, हमारे गांवों में और पूरे भारत में जो तौर-तरीका है, उसमें जस्टिस नहीं है, हरिजनों के लिए जस्टिस नहीं है इसलिए आपको इस मर्तबा एग्रेरियन रिवौल्यूशन लाना चाहिए जिसमें सबसे पहले आपको जिमींदारी खत्म करनी होगी। यदि आप जिमींदारी को खत्म नहीं करेंगे तो यह मुसीबत कभी खत्म होने वाली नहीं है।

असल में यही बात है कि वे लोग चाहते हैं कि उनको बड़े-बड़े जमींदार मिलें जो जमीन ले सकें और वे लोग काश्तकारों से सस्ते रेट पर मजदूरी करवा सकें। उनको ऐसे सस्ते मजदूर मिलें जिनसे वे मजदूरी का काम निकालते रहें। इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि आप सारी जमीन को किसानों को दे दीजिए और बड़े-बड़े लैंड लार्ड्स हैं, उनको समाप्त कर दीजिए। इससे समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) جناب چیئرمین - اول بات میں آپ کے مادھیم سے یہ دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ شیڈیول کاسٹ اور ٹرائبس کے بارے میں سدن میں لائی گئی ہے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ۸۱-۱۹۸۰ء ۸۲-۱۹۸۱ء کی رپورٹ سے تعلق رکھتی ہے - ہونا تو یہ چاہیئے تھا اس وقت سدن کے سامنے سرکار جو کام کر رہی ہے اور پچھلے دو سال میں جو کام ہوئے ۸۵-۱۹۸۴ء چل رہا ہے - چالو مالی سال ہے اس میں ہریجن اور آدی واسیوں کے بارے میں سرکار نے جو کام کئے ان کو زیر بحث ہونا چاہیئے تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ۸۱-۱۹۸۰ء اور ۸۲-۱۹۸۱ء کی رپورٹ پر بحث کرنے وقت کی ہو گئی ہے - کہ سدن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے اور ان مدعوں پر غور اچھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے - کیونکہ ہمارے سامنے جو آنکڑے آئینگے اور جن پر بحث کی جائے گی - ان کا فائدہ نہیں ہوگا - جناب چیئرمین - میں سمجھتا ہوں کہ اول بات تو یہ ہے جو ہریجن آدی واسیوں کا مسئلہ ہے نیائے کا - ہمارے یہاں کا ایڈمنسٹریشن ان کے سات انصاف نہیں کر رہا - سرکار کتنے ہی کمیشن بٹھائے یہ سدن کتنے ہی قانون پاس کرے اور اسٹیچیوٹ بک میں کتنے ہی قانونوں ہوں لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا اس پچھڑی جاتی کے ساتھ انصاف ایمانداری کے ساتھ نہیں ہوگا - تب تک اِن کی حالت سدھر نہیں سکتی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے ۳۸ ورش بعد بھی جب ہم بھارت میں ہریجن آدی واسیوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے - میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ دیش ساری دنیا میں رہنمائی کر رہا ہے چاہے ساؤتھ افریقہ میں یا جہاں پر بھی ناانصافی اور بھید بھاؤ - کالی اور سفید رنگ کے نام پر ظلم ہو رہا ہے یا جہاں پر بھی انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے دیش میں جو ہمارے بھائی ہیں - جن کی آبادی بیس کروڑ سے کم نہیں ہے - ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ یونائیٹڈ نیشنس اور باقی ملکوں میں ہم لوگ چرچا کرتے ہیں - اس لئے ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں - آپ زمیں داری کا معاملہ لے لیجئے - ابھی ایک آنریبل ممبر نے ٹھیک کہا کہ لینڈ لارڈس کا پورا زور ہے - یہاں پر بڑے بڑے پونجی داری سرمایہ دار اور جو زمیندار ہیں ان کی گرفت بہت مضبوط ہے - ہماری زراعت اور ہماری زراعت پر ہی ہماری ترقی نربھر ہے - کیونکہ ۸۰ فیصدی آبادی گاؤں میں رہتی ہے - گاؤں میں جو لینڈ لارڈس اور بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کا غلبہ ہے - ہم نے اس ملک میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں

اور یہی ایک علاج ہے۔ اس کے سوائے اس ملک کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں جو سوسائٹی ٹکراؤ ہے۔ جہاں پر بڑا آدمی غریب کا خون چوس رہا ہے۔ زمیندار بے زمین کسان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ کا یہی علاج ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بیچ کی کھائی ختم کریں اور اس پچھڑے ہوئے طبقے کی رہنمائی کریں ا کے حقوق اسے دلوائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو کون سی اڑچن آ ہے۔ آج ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی قانون پاس کرتے ہیں یا آپ کوئی انصاف دینا چاہ ہیں یا شیڈیولڈ کاسٹس کو زمین تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو لینڈ لارڈ ان کے اوپر گرجتے ہ ان کا گلا گھونٹتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کی جھونپڑیاں جلاتے ہیں۔ ان کی عورتوں کی ع لوٹ لیتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے۔ سارے اخبارات میں اس طرح کی چرچا ہوتا ہے۔ کوئی دن شاید ہی ایسا گذرتا ہو جب پورے ملک میں طول و عرض میں اس قسم واقعات رونما نہیں ہوتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ زمیندار کا غلبہ جاری ہے وہ غریب خون چوسنا چاہتا ہے۔ اس کو دبانا چاہتا ہے۔ لینڈ لارڈ اس کا سب سے بڑا مدا ہے۔ پولیس ایڈمنسٹریشن کے پاس ہی وہ مظلوم طبقہ انصاف مانگنے کے لئے جاتا لیکن پولیس خود ہی دلیست ہے۔ ہریجن کے معاملے میں یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کا ایڈمنسٹریشن اس لائن پر نہیں چل پایا ہے۔ جس مارگ پر ہم نے کانسٹی چیوشن کو تیار جس کے لئے مہاتما گاندھی نے زندگی بھر ہمیں تعلیم دی اور جس کے لئے بڑے بڑے ودوانوں نے سماج سدھار کرنے کے لئے ساری زندگی گذار دی۔ ان ۳۸ ورشوں میں اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے ہریجن اور آدی واسی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون سی اڑچن آ رہی ہے۔ جموں کشمیر ایک چھوٹی ریاست ہے۔ جہاں سے میں آیا ہوں۔ ۴۸ء میں وہاں کی سرکار زمینداروں کی جو زمین تھی وہ کسانوں میں بانٹ دی۔ لینڈ لارڈس کو کوئی معاوضہ نہیں جب وہ قانون کانسٹی چیوشن کا حصہ بنا تو جموں کشمیر میں پھر بڑے بڑے لینڈ لارڈ چیخے اور چلائے۔ لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ بات میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جموں میں جو ہریجن تھے یا جو بھی ریجس کمیونٹی کے کسان لوگ تھے وہ زمین کے مالک بن گئے۔ آج خوشحال ہیں ان کی حالت بہت سدھر گئی ہے۔ پورے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوا۔ جموں کے اس ماڈل کو پورے ملک میں کیوں نہیں اپنایا گیا۔

میں آپ کے مادھیم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار چاہے اس کے لئے ایسا

بھی نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ کہ قانون تو بنا دیں گے لیکن جب اس جاتی کے ساتھ ناانصافی ہو نہ قانون ان کا ساتھ دے نہ پولیس ان کا ساتھ دے اور نہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کا ساتھ دے تو ایسا قانون پاس کرنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے اس لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ ضروری باتوں کی طرف خیال رکھنا چاہیئے۔ اول بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کی کھائی پڑھائی کریں۔ ایڈمنسٹریشن میں سب سے بڑا گھپلا ہو رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہریجن ہیں بے زبان ہیں اور ان کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف بڑے بڑے ساہوکار اور زمیندار ہیں تو وہ طرف داری کرتی ہے۔

ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہریجنوں کو برابری کا حق ہماری سوسائٹی میں حاصل نہیں ہے۔ اس آدھار پر جب ایک آفیسر سوچنے لگتا ہے ایک مجسٹریٹ سوچنے لگتا ہے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سوچنے لگتا ہے اور آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تحصیل دار کے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے تو وہ کمیونٹیز کے بارے میں تفریق کرتا ہے اور ہریجنوں کو دباتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہریجنوں کا حق اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس سے چھوا چھوت کی پرابلم بڑھتی ہے اور اس طرح سرکار کے سارے کاموں کو تتھا سنویدھان میں جتنے پراویدھان ہیں اس کو سبوتاژ کیا جاتا ہے اور ہمارا پریزیڈینٹ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود قانون بنانے کے بارے میں رپورٹ لانے کے سرکار کو چاہیئے کہ آپ گمبھیرتا سے اس مسئلے پر دھیان دیں۔ اور ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ آپ کے کاموں کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ ہریجنوں کا حق چھینتے ہیں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈس کا ساتھ دے کر یا جو جابر ہمارا ظالم طبقہ ہے ان کا ساتھ دے کر دوسرے طبقوں کو حق توڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیئے۔ اس کے لئے ہماری مرکزی سرکار کیندریہ سرکار کو ایک سیل بنانا چاہیئے جو دیکھے کہ تمام اسٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے اور جہاں سے بھی اس قسم کی شکایت آئے اس سدن اور سرکار کو پورا حق ہے کہ سنویدھان میں امینڈمینٹ لائے اور اسے درست کرے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کا اور زبردستی کا رویہ اختیار کیا جائے جو ان سارے کاموں کو نہیں ہونے دیتے۔ نقصان پہنچاتے ہیں اور ہریجن کے لئے مصیبت کا سامان ہیں اور جو بھی پروگرام سرکار بناتی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اس کو ناکام بنانے کی کوشش

کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لیگل ایڈ کا تعلق ہے دیش میں ابھی تک زبانی جمع خرچ ہی ہوتا رہا ہے۔ میں تمام ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور اس معاملہ میں سرکار سیریس نظر نہیں آتی۔ جب کچھ لوگ وا لینڈ ٹریلی آجاتے ہیں تو سرکار ان کی مدد ضرور کرتی ہے۔ کچھ وکیلوں کے ذریعہ امداد کی جاتی ہے کچھ قانونی امداد کی جاتی ہے اور کچھ ہریجن آدی واسی یا پچھڑے طبقہ کے لوگوں کی امداد کی جاتی ہے۔ لیکن اصل میں جب ہمارے سماج میں سوسائٹی میں بڑے بڑے بیرسٹر ہیں اور بڑی بڑی فیسلٹیز ہوں تو دوسری طرف آپ جس طرح سے مانگے تانگے کے وکیل فراہم کرتے ہیں اس سے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ تو کاغذوں کی چیز ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی وہ چیز ابھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ جو آپ کی منشا ہے۔ یدی سرکار واقعی ہریجنوں اور آدی واسیوں کو لیگل ایڈ دینا چاہتی ہے تو پھر اسی آدھار پر جس آدھار پر بڑے بڑے لینڈ لارڈس یا زمیندار ساری جیوڈیشری اور سارے وکیلوں کی طاقت کا استعمال کر کے اس کے مقابلے آجاتے ہیں۔ اس کارن بے سہارا آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا اس لئے میں کہتا ہوں کہ دیگر تشدد بھی کمٹمینٹ آف دی جوڈیشری، ہماری جیوڈیشری کو کلیئر کٹ کمٹمنٹ میں ہونا چاہئے۔ ان کا رخ ہونا چاہئے کہ جو انڈر ڈاگ ہیں۔ سفرر ہیں بالکل دبی ہوئی کچلی ہوئی کمیونیٹز ہیں ان کی طرف آجائیں۔ سدن کو بھی چاہئے کہ ہمیں کانسٹی ٹیوشن میں بالکل صحیح طور پر نشاندہی کرنی چاہئے۔

دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ایگریرینٹن ریوالیوشن نہیں لائیں گے ہمارے گاؤں میں اور پورے بھارت میں جو طور طریقہ ہے اس میں جسٹس نہیں ہے ہریجنوں کے لئے جسٹس نہیں ہے اس لئے آپ کو اس مرتبہ ایگریرینٹن ریوالیوشن لانا چاہئے جس میں سب سے پہلے آپ کو زمینداری ختم کرنی ہوگی۔ یدی آپ زمینداری کو ختم نہیں کریں گے تو یہ مصیبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔

اصل میں یہی بات ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے زمیندار ملیں جو زمین لے سکیں اور وہ لوگ کاشتکاروں سے سستے ریٹ پر مزدوری کروا سکیں۔ ان کو ایسے سستے مزدور ملیں جن سے وہ مزدوری کا کام نکالتے رہیں۔ اس کا ایک ہی اتر ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زمین کو کسانوں کو دے دیجئے اور جو بڑے بڑے لینڈ لارڈس ہیں۔ ان کو سماپت کر دیجئے۔ اس سے سمسیا اپنے آپ ہی حل ہو جائے گی۔

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, कल शाम को मैं टी०वी० देख रहा था और मुझे मालूम हुआ कि हमारी भारत सरकार के युवा प्रधानमंत्री राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को देखकर के आए उस चीज को कल कुछ लोगों ने टी०वी० पर देखा, हम लोगों ने भी उसको टी० वी० पर देखा। जिसको देखने से पता लगा कि सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री की आंखों में भी क्या कर सकती है। यह मंत्री जी के ध्यान में लाने की बात है। एक तो मंत्री हैं, जो बड़े अनुभवी हैं और काफी उम्र के हैं और एक मंत्री जवान हैं और युवा भी हैं। किस प्रकार उन्होंने नालियां बनाईं, जो सीमेंट की नहीं थीं, बल्कि चूने की बनाई थीं।

सभापति जी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उनकी क्या हालत थी, वह आप कल के टी०वी० पर देखते तो आपको उनकी प्रतिक्रियाएं पता लगतीं। भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र में जाए और वहां की समस्याओं की तरफ मुख्य मंत्री की मौजूदगी में यह बात बतलाए कि किस प्रकार की हालत हो रही है, उसके बाद कुछ चन्द दिनों के बाद जब लोगों ने उसकी हालत को देखा, तो मालूम हुआ अभी उसी तरह है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिली है। जब ऐसा ही होगा और होता रहा है, तो इस कमीशन की रिपोर्ट का क्या फायदा है। इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आप क्यों मैम्बरों की मेहनत और कसरत करवा रहे हैं। ये रिपोर्टें कई सालों से सदन में आती रही हैं और चर्चा होती रही है। यह 1981 की रिपोर्ट है जिस पर अब 1985 में सदन में विचार हो रहा है।

श्रीमन्, इस कमीशन को पॉवर क्या है, श्रीमन्, इस कमीशन को कोई अधिकार नहीं है और उस कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

"आयोग का कोई संवैधानिक स्तर नहीं है, इस तथ्य से पता चलता है कि आयोग का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है।"

एक बात यह है।

"जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन इसके पास कोई शक्ति नहीं है।"

यह दूसरी बात है।

"यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में संलग्न नहीं है तथा न ही कार्यक्रमों पर निगरानी रखने या मूल्यांकन करने तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में।"

यह तीसरी बात है।

"केन्द्र तथा राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में आयोग से परामर्श लें।"

यह चौथी बात है।

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट क्या है ? हमारी ए० आई० सी० सी० के सचिव के पद पर रही हैं, वह किस पोस्ट पर हैं, क्या वे इसमें कुछ जान डालेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि न यह स्टेट्यूटरी बॉडी है, न

कांस्टीट्यूशनल कोई राइट है । न यह कोई फाइल मंगा सकती है, न किसी की ग्रिवेंसेस को सुन सकती है, न किसी मुख्य मंत्री के कान खींच सकती है, न वेलफेयर मिनिस्टर को पकड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती है । मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी है, इस रिपोर्ट का क्या फायदा हो सकता है, आज 30, 40 साल के बाद भी सभी पार्लियामैंट के सदस्यों को अपनी गर्दन नीची करनी पड़ेगी क्योंकि आज भी हैड-लौड चल रहा है, अभी भी लोग सिर पर मैला ढो रहे है । समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग, जो कार्यालय में बैठते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या काम है ? 4-5 साल के बाद आज 1985 में अगर हम लोग यह कहें कि हमारे हरिजन लोग, भारतवर्ष का पिछड़ा आदमी, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हैड-लौड सिर पर ढो रहा है, मैला ढो रहा है तो इससे किसकी गर्दन नीची होगी ? इसके लिए कौन जिम्मेदार होग ? नगर पालिकाओं ने अभी तक इस धन्धे को अपनाया हुआ है या नहीं ? आप क्या करना चाहते हैं ?

शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों की जमीन के बारे में बातें होती हैं । लड सीलिंग की बातें, समाजवाद की बातें हमारे श्री रंगा साहब बड़ी गति से करते हैं, हिम्मत के साथ करते हैं । मैं रंगा साहब से कहना चाहता हूं कि यह समाजवाद कहीं ऊपर तो नहीं लटक गया है, यह कभी जमीन पर आयेगा या नहीं ?

मैंने जब जमीन के आंकड़े पढ़े, तो मुझे दुःख होता है कि जमीन किस प्रकार वितरित होती है । अभी तक कुछ ही लोगों के पास जमीन है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

आपके पास केरल में भूमि नहीं है, आप केरल में अधिक से अधिक 1 या 2 बीघा जमीन रख सकते हैं । आपको नारियल के मूल्य के बारे में भी नहीं पता है ।

महोदय, मैं 'डिस्मल फेल्योर आफ लैण्ड रिफोर्म' भूमि सुधारों में निराशाजनक असफलता शीर्षक के अन्तर्गत लिखे गये लेख से पढ़ रहा हूं । मैं उद्धरित करता हूं :—

1971 की कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एक हेक्टेयर तक भूमि की जोत वाले सीमांत कृषकों तथा एक से दो हेक्टेयर तक की भूमि के जोत वाले छोटे किसानों को मिलाकर इस 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास केवल 20 प्रतिशत ही भूमि है । दूसरी ओर अति यह है कि केवल 4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में, प्रत्येक परिवार के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है जो कुल भूमि का 31 प्रतिशत भाग है···

[हिन्दी]

यह जमीन का बंटवारा हुआ है ।

आज भी राजस्थान में जमीन उन सामंतवादियों के पास है । लेंड रिफार्म तो सिर्फ कागजों में ही रह गया है । समाजवाद लाने का, जमीन का बंटवारा करने का, गरीब की गरीबी हटाने, अमीर को नीचा लाने का, जो अमीर आज ऊपर चढ़ गया है कुतुब मीनार पर, उसको नीचे लाने का कोई काम नहीं हुआ है । काश्मीर की धरती का आनन्द केवल धनवानों के लिये नहीं था, गरीबों के लिए भी है ।

1983 की रिपोर्ट इनकी खुद की है, इसमें लिखा है कि राजस्थान ने भी जमीन का बंटवारा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आप जमीन नहीं दे सकते तो आप क्या सुधार करना चाहते हैं इस मुल्क में ?

हमारे मुल्क में किस प्रकार की प्लान बनती है, कम्पोनेन्ट प्लान बनती है। प्लान में सरकार की तरफ से फाइनेन्सिंग होता है, सेंट्रल बोर्ड स्पेशल फाइनेन्सिंग करता है।

एक कम्पोनेंट प्लान के लिए स्टेट गवर्नमेंट और बैंक इंस्टीट्यूशन फाइनांस करते हैं, लेकिन उस प्लान में पूरा पैसा नहीं लगता है। आपके जो बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिज्ञ लोग हैं, वह इस पैसे को खा जाते हैं।

अब मैं एक ऐसी कोटेशन पढ़ना चाहूंगा जिसमें पी०एस० अप्पू, मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने वर्तमान भ्रष्टाचार के वातावरण के लिए अफसरशाही को दोषी ठहराते हुए लिखा है कि—

"देश की समस्यायें सुलझाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में उसकी वचनबद्धता और व्यावसायिक कार्यकुशलता को चुनौती दी है। उनका मत है कि योजना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में व्याप्त स्तरहीनता तथा भ्रष्टाचार केवल इसीलिए है कि उच्च अधिकारियों सहित अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपने राजनैतिक आकांक्षाओं से अधिक भ्रष्ट हैं।"

इसी प्रकार मैल्कम एस० आदिशेषैया, अध्यक्ष, मद्रास इंस्टीच्यूट आफ डेवलपमेंट स्ट्डीज लिखते हैं कि "भयानक गरीबी की समस्या का मुकाबला करने के लिए अगर राहत कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं और बीच में से कुछ ऐसे लोग इनमें से कुछ हिस्सा बटोरने लगते हैं जिनके लिये ये कार्यक्रम नहीं हैं। ये राहत कार्यक्रम साल-दर-साल और एक योजना से दूसरी योजना तक चलते रहते हैं। वास्तव में उनसे एक भी व्यक्ति को गरीबी की हालत से उबरने में मदद नहीं मिलती।"

सभापति जी, आप मेरी यह बातें बड़े आराम से सुनें। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए जरा ध्यान से सुनें। सभी मामलों में सरकारी अधिकारियों का कर्त्तव्य होता है कि अच्छे और बुरे दोनों कामों की समीक्षा करें। आपकी जो रिपोर्ट है, यह भी बताती है कि किस प्रकार लोग काम करते हैं। गरीबी की समस्या का मुकाबला करने के लिए अगर राहत कार्य शुरू किए जाते हैं तो कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, जो कि पैसों आदि का हिसाब नहीं रखते हैं। मंत्री जी, इस सब को आपको देखना होगा।

मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप जो पैसा कम्पोनेंट प्लान के लिए देते हैं, उसमें यह देखें कि वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग रहते हैं, उसी के आधार पर आप वह पैसा दें। यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आज 50-60 परसेंट पैसा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दिया जाता है, बाकी के जो 40 परसेंट लोग रहते हैं उनके लिए वह पैसा नहीं दिया जाता है। यदि आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो वह पैसा 40 परसेंट लोगों को भी दें। उस पैसे से सड़क, बांध और इंडस्ट्री लगेंगी जिससे क्षेत्र का विकास होगा।

आप जब आदिवासी इलाकों में प्रोजैक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजैक्ट को बनाने से पहले आप उस आदिवासी को मकान बनाने के लिये जगह दें। फिर उससे कहो कि निकल जाओ। वह बेचारे भाग्य को रोते हैं। आप यह बतायें कि आप चाहते क्या हैं। उन्हें मकान बना कर दीजिये। यह उस प्रोजेक्ट का ही भाग होना चाहिये। मैंने पूछा कि आदिवासी जमीनकी क्या कीमत होगी, मंत्री जी कृपा करके नोट करेंगे और उत्तर देंगे, कहते हैं आदिवासी इलाके में मार्केट वैल्यू होती है।

कानून बना हुआ है, टेनंसी एक्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जमीन शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी ही ले सकता है। तो वहां मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की एरिया के अन्दर बहुत कम वैल्यू जमीन की होती है। मेहरबानी करके इस मार्केट वैल्यू के आधार पर दिल्ली में दीजिए। लेकिन नहीं, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का एरिया है वहां मार्केट वैल्यू देते हैं। मेहरबानी करके उसको पहले रिहेबिलिटेट कीजिये और उसको पूरी कीमत उस जमीन की दीजिए। लेकिन यह नहीं होता और यह न होने के कारण वे ऐसे ही रह जाते हैं।

यह हमारे सुल्तानपुरी जी, शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के वेलफेयर की कमेटी के सभापति बैठे हैं, बहुत बड़े मजबूत आदमी हिमाचल प्रदेश के हैं, इनसे पूछिये कि कब किस फाइल को मंगा कर इन्होंने देखा, किसके कब कान खींचे ? इस कमीशन को पावर ही नहीं है फाइल मंगाने का···(**व्यवधान**)···वह तो कमीशन और है, वह तो सुशील कुमार जी चले गये, उसके बाद दूसरा कोई आया ही नहीं। पता नहीं कोई और हिन्दुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ ···(**व्यवधान**)···, सभापति जी, घंटी क्यों बजा रहे हैं ? सवाल आकर यहां यह पैदा होता है कि फाइल भी मंगाने का अधिकार नहीं है।

मैंने यह देखा है कि पढ़ने में शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग होशियार नहीं होते। मेहरबानी करके उनको टेकनिकल एजूकेशन दीजिए, जाब ओरियेंटेड एजूकेशन दीजिए। टेकनिकल एजूकेशन देंगे तो उनका काम होगा। आदिवासी एरिया में आप किन अधिकारियों को लगाते हैं ? एक तो पोस्ट-पनिशमेंट वाले को लगाते हैं। कहते हैं कि इस आदमी ने गलत काम किया, इसको आदिवासी एरिया में लगाओ। या फिर बूढ़े, रिटायरिंग आदमी को लगाते हैं या जो बिलकुल राटेन अधिकारी होते हैं उसको आदिवासी इलाके में लगाते हैं। मेरा यह कहना है कि आदिवासी एरिया में उसी अधिकारी को लगाएं जो डेडिकेटेड हैं, सेवा करने की भावना रखते हैं, निष्ठावान हैं और काम करने वाले हैं। मगर आप उनको लगाते हैं जो लोग अपनी जिन्दगी को एक सजा समझते हैं। मैं फिर कहता हूं कि पटवारी से लेकर ऊपर तक—यह प्रोसीजरल बात है, आदिवासी एरिया के लिए पटवारी तस्दीक करेगा, फिर तहसीलदार के पास जायेगा और फिर बैंक के पास जायेगा, यह उसके लिये मुश्किल बात है। सारा प्रोसीजर बदल दीजिए। मेहरबानी करके कोर्ट्स वहीं लगाइए। तहसीलदार वेरिफाइ करने के लिए समय-समय पर वहां जाये और उनका काम वहीं करे और जितने केसेज हों, रेवेन्यू केसेज, फारेस्ट केसेज, एक्साइज केसेज या और दूसरे जितने केसेज होते हों सारे केसेज वहीं वह करे। उनके लिए कोर्ट्स में जाने की नौबत न आये। वे कोर्ट्स में या बाम्बे हाई कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। ···(**व्यवधान**)···सभापति महोदय आप तो वहां के काफी दिनों तक अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए आपसे मैं यही आशा करता हूं कि आप घंटी नहीं बजायेंगे। मैं तो कान्क्रीट सजेश्चंस दे रहा हूं। मेरा सुझाव यह है कि कोर्ट्स को उन्हीं के पास जाकर उनको न्याय देना चाहिए क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जो रहते हैं उनके पास आने-जाने के साधन नहीं हैं। जो भी साधारण केसेज हों, चाहे रेवेन्यू के हों, एक्साइज के हों या जंगलात के हों उन सारे केसेज में आप मेहरबानी करके वहीं पर उनको न्याय दिलाइये। जब तक कोई हीनियस आफेन्स न हो तब तक आप इन लोगों को कोर्ट में मत लाइये।

जैसा कि मैंने कहा है आप डिस्ट्रिक्ट-वाइज कमेटीज बनाइये। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए हर लेवल पर एक कमेटी होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जिलों में जो कलक्टर बैठे हुए हैं उनको इनके नाम से भी चिढ़ होती है। वे तो सवर्ण हैं। जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं वे सरकारी नौकरों से अपने घरों में काम लेते हैं लेकिन आज भी जो सवर्ण हैं वे छुआछूत में विश्वास करते हैं। इसलिये आप हर लेवल पर इनके लिये कमेटीज का गठन कीजिए।

आज म्युनिसिपल बोर्ड्स की क्या हालत है? वहां पर अगर तीन सौ सफाई कर्मचारी होते हैं तो कह देंगे कि हमारे यहां तो इनका कोटा पूरा हो गया है। लेकिन वहां पर जो काम करने वाले अधिकारी हैं, क्लर्क हैं उनमें भी इनका कोटा पूरा हुआ या नहीं—इसको देखना चाहिए। इसी तरह से पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में, प्राइवेट सैक्टर में भी यह बाउन्डेन ड्यूटी होनी चाहिए कि इनको वहां पर लगाएं तभी कुछ होगा वरना काम नहीं चलेगा।

इसी प्रकार से यदि हम वास्तव में इनका उत्थान चाहते हैं तो आई०आर०डी०पी०, आर०एल०ई०जी०पी०में जितना इनका परसेन्टेज का कोटा है उसका मूल्यांकन किया जाये। समय की कमी वरना मैं तो सुझाव देना चाहता था कि जो हमारे मुख्य मन्त्री हैं उनके यहां भी एक कमेटी होनी चाहिए। वैसे तो कमेटी भी होती है, वेलफेयर मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर सभी होते हैं लेकिन कई रिपोर्टें हमारे सामने नहीं आती हैं न उन पर चर्चा हो पाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्टेट लेवल पर कमेटी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी होनी चाहिए, तालुका लेवल पर कमेटी होनी चाहिये, ब्लाक लेवल पर कमेटी होनी चाहिए और उनको पूरे अधिकार देकर काम होना चाहिए। इतने सालों के बाद आज हम देखते हैं कि इनका विकास नहीं हो रहा है और अगर इनकी हालत गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर आयेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इनके विकास के लिए सब-प्लान बनायें। (**व्यवधान**)

अब मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी के सम्बन्ध में कहकर समाप्त कर दूंगा। मेरा जिला पाली है, वहां पर सब-प्लान है लेकिन मैं चाहूंगा आप स्वयं चलकर उस सब-प्लान की हालत देख लें कि आदिवासियों के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि आप जो प्लान बनायें वह, जो हमारा संविधान है और उसकी भावना है, उसके अनुरूप बनायें और उसको ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करायें तभी इनकी स्थिति में सुधार आ सकता है।

चूंकि आपने समय कम दिया इसलिये मैं न्याय नहीं कर सका, मैं अपने बहुत से सुझाव रखने में असमर्थ रहा जिसके लिये क्षमा चाहता हूं।

सभापति महोदय . इस अवस्था पर उपमंत्री महोदय चर्चा में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। में उन्हें अनुमति देता हूं।

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : सभापति महोदय, इस अवस्था पर हस्तक्षेप करके मैं उन उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं जो सरकार ने किये हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे वरिष्ठ साथी उनका उत्तर देंगे। मैं अनुसूचित जाति संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और गांवों के विकास के लिये सरकार द्वारा किये गये नीति संबंधी उपायों का उल्लेख मात्र करूंगा।

महोदय, जैसा कि आपको विदित है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के विकास के लिए एक जन जतीय उप-योजना आरम्भ की थी जो एक नया विचार था परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक संघटक योजना आरम्भ की थी।

महोदय इस संघटक योजना के अन्तर्गत देश के 390 जिले लिये गये थे। जन जातीय उप योजना में 181 समन्वित जन-जातिय विकास योजनाएं देश में शामिल की गई हैं। प्राचीन आदिवासी ग्रुपों से 72 जिलों को शामिल किया है और परिमार्जित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण कार्यक्रम में उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर, सम्पूर्ण देश के 486 जिले शामिल किये गये हैं क्योंकि उन जिलों में आदिवासी लोगों की घनी आबादी है इसलिये उन्हें जन-जातीय उप योजना में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, राज्यों को जो विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी, वह राज्यों के लिए उपयुक्त अनुदान नहीं था। किन्तु यह राशि अनुसूचित जाति संघटक योजना और जन जातीय उप योजना के लिए राज्य योजना को पूरक राशि के रूप में दी गई थी। इस उप योजना और संघटक योजना के लिये, उप योजना का अर्थ जन जातीय क्षेत्र की राज्य योजना के अन्तर्गत बनाई गई योजना से है तथा अनुसूचित जातीय संघटक योजना का अर्थ अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों का तथा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों का संघटित प्रयास करने से है। हम लोग नीतियाँ निर्धारित करते हैं और उन नीतियों के आधार पर कार्यक्रम बनाते हैं; हम उनकी निगरानी भी रखते हैं किन्तु उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकार का है। हमने नीतियों, कार्यक्रमों तथा परियोजना स्तर तक एवं राज्य स्तर तक के कार्यान्वयन अभिकरणों से सम्बन्धित मार्ग दर्शक सिद्धान्त भेज दिए हैं। नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य भी कदम उठा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण के लिये राज्यों को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता को पांचवीं योजना के दौरान बढ़ा दिया गया है और राज्य योजना आवंटन भी पर्याप्त बढ़ा दिया गया है। किन्तु मैं जनजातीय और संघटक योजना के लिये संसाधनों के बारे में कहना चाहूंगा। राज्य योजना आवंटन से पता चलता है कि जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में प्रथम संघटक राज्य योजना परिव्यय का है। दूसरा संघटक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का है। तीसरा संघटक केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों का है। मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुसार वे निधियों का आवंटन करती है। चौथा संघटक इन दो जातियों के लिये बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की गई संस्थागत वित्तीय सहायता का है।

हमने यह किया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण के लिये न केवल कल्याण मंत्रालय को अपितु सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को उत्तरदायी ठहराया है। यह बात सदस्यों में भी परिचालित की गई है। यह नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। माननीय सदस्यों के हितार्थ में कार्य नियतन नियमावली, 1961 और जनवरी, 1982 में संशोधित भागों को पढ़कर सुनाता हूं।

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और इन समुदायों की विकास योजनाओं के संबंध में इन जातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति योजना और सहयोग के लिए कल्याण मंत्रालय मुख्य मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। (व्यवधान) नीति बनाना, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि तथा उनके समन्वयन का उत्तरदायित्व भी सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों का होगा। मैं माननीय सदस्यों के लाभ के लिये केवल प्रक्रिया बता रहा हूं इसलिये प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में मुख्य मंत्रालय या विभाग के रूप में कार्य करेगा। अब तक भारत सरकार के 15 मंत्रालय तथा विभाग कार्यक्रम और योजना निर्धारित कर चुके हैं और अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वे सब धनराशि भी निर्धारित कर चुके हैं तथा अन्य मंत्रालय भी मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धनराशि निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं...

श्री मूलचंद डागा : वे कौन-कौन से मंत्रालय हैं ?...

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं यह कहना चाहूंगा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय धन की व्यवस्था कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जन जाति क्षेत्रों में दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से प्रसारण कर रहा है। इस प्रकार अन्य मंत्रालय भी अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर धनराशि निर्धारित कर रहे हैं। मेरे पास सूची भी उपलब्ध है किन्तु मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि मैं आपको इस बात का ब्यौरा नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने कितनी धनराशि की व्यवस्था की है किन्तु मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास का उत्तरदायित्व केवल इस मंत्रालय का ही नहीं अपितु अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का भी उसके प्रति उतना ही उत्तरदायित्व है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि किसी भी योजना की सफलता के लिये पर्याप्त धन का नियतन करने की आवश्यकता है। इसके अनन्तर सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता होती है। लोगों की आवश्यवता के अनुसार दिशा परिवर्तन करना पड़ता है। इन लोगों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये प्रशासन राज्य सरकारों को एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का मार्गनिर्देश दे रहा है। इसके बाद मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। स्वैच्छिक एजेन्सियों और सरकार द्वारा सभी का मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इन सब बातों से बढ़कर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है और वह है इन लोगों के प्रति अपनाये जाने वाला रवैया।

जनसंख्या के इन वर्गों के प्रति, न केवल सरकारी एजेंसियों का, बल्कि अन्य उन लोगों का भी जो उनके साथ रह रहे हैं सहानुभूति वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल तभी उनकी बेहतरी तथा विकास के लिये कुछ किया जा सकेगा, जैसी कि सरकार तथा इस देश के लोगों की इच्छा है।

इस समय वास्तविक आवश्यकता नीतियों को लागू करने की है और खास तौर पर जनजाति क्षेत्रों में। अगर पूर्व अपनायी गयी नीतियां अच्छी नहीं हैं और माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना

चाहते हैं तो उन पर सरकार विचार करेगी। जनजातियों से संबंधित नीतियों में वन नीति, उत्पाद शुल्क नीति, कार्मिक नीति, शिक्षा नीति एवम् पुनर्वास नीति सम्मिलित हैं, जिनका उल्लेख श्री डाया ने किया है। सहकारी उद्देश्य से हम केन्द्रीय स्तर पर जनजातियों के वनीय उत्पाद तथा कृषि उत्पाद के विपणन हेतु टी० आर० आई० एफ० ई० डी० (ट्राइफेड) बनाने पर विचार कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शिखर संस्था होगी जो राज्य स्तर की शिखर संस्थाओं के साथ समन्वय करेगी ताकि उचित ढाँचा तैयार हो सके।

माननीय सदस्यों ने योजना तथा कार्यक्रमों संबंधी बहुत से सुझाव दिये हैं, परन्तु जब इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रश्न आता है तो हमें उनके क्रियान्वित करने में आने वाली रुकावटों का पता लगाना होता है। हम क्रियान्वयन मशीनरी में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु हम माननीय सदस्यों से तीन बातों के बारे में और सुझाव आमंत्रित करना चाहेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें। उन्हें अपनी बात पूरी कहने दें।

श्री गिरिधर गोमांगो : पहली बात कम्पोनेंट योजना तथा जनजाति उप-योजना को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने से संबंधित है। आप इस बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। दूसरी बात जनजातियों की शिकायतों को परियोजना तथा जनपद स्तर पर हल करना है जो कि अधिकारियों या व्यक्तियों के विरुद्ध न होकर उन योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में होगी जिन्हें सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर आवश्यकता हो तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को जाना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर परियोजना स्तर पर कोई प्रक्रिया क्रियान्वयन में देरी का कारण है तो भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

योजनाओं एवम् कार्यक्रमों को लागू करके वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे विचार में एक नई विचारधारा है। अगर आप उनके क्रियान्वयन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप और अधिक सुधार हेतु अपने सुझाव दे सकते हैं। जब हम उन्हें लागू करने की बात करते हैं तो उन्हें क्रियान्वित करने संबंधी ढाँचा हमारे दिमाग में होना चाहिए। बुनियादी ढांचे से मेरा मतलब बाहरी ढांचे से नहीं है, बल्कि भीतरी ढांचे से है। अब, क्रियान्वित करने के उपकरण क्या हैं ? प्रथम, हमें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से पूर्व उन्हें समझाना होगा। दूसरे, हमें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के परिणामों को देखना होगा। तीसरी बात है कि जिन लोगों के लिए इन्हें बनाया गया है, उन पर इसका क्या असर है। चौथे हमें सरकार द्वारा इस वर्ग के लोगों के लिए चालू किये गये कार्यक्रमों और योजनाओं की महत्ता को समझना होगा। उसके बाद आवश्यक पूंजी निवेश की बात आती है। अब, पूंजीनिवेश करने के बाद, उन लोगों में, जो इन योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे, उन्हें इनको लागू करने में ईमानदारी और निष्ठा दिखानी चाहिए। महोदय, हम सभी सरकार की वास्तविक मंशा को जानते हैं। जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाये गये हैं हमें उन्हें भी इसमें शामिल करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० पेंचलैय्या (नैल्लोर) : सभापति महोदय, हमने इस सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बहुत बार चर्चा की है। हम एक बार फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के तीसरे एवम् चौथे प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु इन लोगों के लिए काम बहुत कम किया गया है। यह एक कर्मकाण्ड सिद्ध होता जा रहा है कि हम आयोग नियुक्त करते हैं, उनके प्रतिवेदनों पर चर्चा करते हैं और अगले दिन ही उनको भूल जाते हैं।

आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अनुसूचित जातियों एवम् जनजातियों का आर्थिक एवम् सामाजिक स्तर उठाने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी सिफारिशें की गई हैं। फिर भी उनके लिए बहुत ही कम काम किया गया है। तीसरे प्रतिवेदन में यह मत व्यक्त किया गया है कि अनुसूचित जातियों का आर्थिक स्तर उठाने और आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन सामाजिक असमानताओं तथा उस अपमान का उन्मूलन करना एक मूलभूत पूर्वापेक्षा है जो उन्हें सहना पड़ता है। परन्तु आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आयोग ने भी यह राय व्यक्त की है कि धनराशि का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक होना चाहिए ताकि शेष कार्य को पूरा किया जा सके। परन्तु हम देखते हैं कि जो आवंटन किए जाते हैं वे न केवल उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही नहीं होते बल्कि उस अनुपात से बहुत कम होते हैं। यह प्रतिवेदन का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। हमारे वित्त मंत्री की आजकल विश्व के प्रथम तीन उत्तम वित्त मंत्रियों में गिनती होती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अगले बजट में अनुसूचित जातियों एवम् अनुसूचित जनजातियों के साथ न्याय करेंगे।

महोदय, अगर हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आर्थिक दशा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करना अपरिहार्य है। भूमि हदबन्दी कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए तथा फालतू भूमि को इन लोगों में बांट देना चाहिए। इससे इन असहाय गरीब लोगों का उत्थान करने में बहुत सहायता मिलेगी।

यह सरकार देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करती है। परन्तु देश के अधिकांश गांवों और शहरों में शुष्क शौचालय हैं और जो लोग इन्हें साफ करते हैं वे अनुसूचित जाति के ही लोग हैं। इन शुष्क शौचालयों को फलश वाले शौचालयों में बदलने के लिए कोई गंभीर प्रयास अभी तक नहीं किये गये हैं। अब कम से कम इस कार्य को करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं; और इन कार्यों में व्यस्त लोगों को इसके बदले में किसी दूसरे कार्य पर लगाना चाहिए। अगर इस व्यवसाय और छुआछूत को एक साथ समाप्त कर दिया जाये तो अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों की समाजिक दशा स्वतः ही सुधर जायेगी।

हममें से प्रत्येक सदस्य जानता है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक रूप से और समाजिक रूप से इतना अधिक पिछड़े होने का कारण यह है कि वे अनपढ़ हैं। फिर भी इस सरकार ने इन लोगों को शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है। आयोग के चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्त्री वर्ग में कम से कम 10 प्रतिशत और पुरुष वर्ग में कम से कम 30 प्रतिशत शिक्षा दर को चौथी योजना के अन्त तक बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध एवं सामूहिक रूप से प्रयास किये जायें।

परन्तु क्या सरकार ने अभी तक अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्त्री-पुरुषों को अधिक शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

चौथे प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई थी कि देश के प्रत्येक जनपद में पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक-एक आवासीय स्कूल होना चाहिए। ऐसे कितने आवासीय स्कूल अब तक बनाये गये हैं ? वास्तव में इसका उत्तर नकारात्मक है।

बहुत से उच्च जातियों के लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके लाभों को प्राप्त कर लेते हैं। वे व्यवसायिक महाविद्यालयों में भी प्रवेश ले लेते हैं और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित रोजगारों को भी प्राप्त कर लेते हैं। सरकार को उचित अधिकारियों से यह पता लगाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रमाण पत्र सही हैं अथवा जाली। अन्यथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लड़के लड़कियों को प्राप्त इन न्यूनतम सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ेगा।

रोजगारों में आरक्षण प्रणाली को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थीं कि मंत्रालय एवं विभाग वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में हुई प्रगति के आंकड़ों के अतिरिक्त अपने-अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में उनके द्वारा किये गए अन्य उपायों जैसे विशेष कक्षों की स्थापना, संपर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों की जांच, विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के लिए शुरू किए गए समालोचना और अनुकूलन पाठ्यक्रमों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण इत्यादि को भी दर्शाना चाहिए। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है यद्यपि उम्मीदवार उपलब्ध हैं। हाल ही में, मैंने मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया था। पोर्ट ट्रस्ट का मुखिया अनुसूचित जाति समुदाय का है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पदों को वहां भर दिया गया है। वहाँ पर इस अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इन पदों को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरा जाये। हमें ऐसे गंभीर अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिए और उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। केवल ऐसे ही लोगों को, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ न्याय कर सकते हैं, शीर्ष पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और अगर विभाग के प्रमुख भी इन समुदायों के हों तो वे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ बेहतर न्याय कर सकते हैं।

सिर्फ चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। हम जो चाहते हैं वह है इन प्रतिवेदनों का सख्ती से पालन हो। अन्यथा इन प्रतिवेदनों से कोई मकसद हल नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि कम से कम सातवीं योजना में इन प्रतिवेदनों में की गई कई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा। भारत का भविष्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भविष्य पर निर्भर है। देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि हमारे ये असहाय भाई विकसित न हों। मैं आशा करता हूं कि सरकार कम से कम अब इनके साथ न्याय करेगी।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : इस समय सदन में वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 की अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की तीसरी और चौथी रिपोर्ट्स पर विचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर 5 जातियों के लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जी, को एक मैमोरेंडम भी दिया है। दूसरी तरफ जो लोग वास्तव में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, और उनको रिजर्वेशन से जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो हमारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी भारत सरकार को इस विषय में लिखा गया है कि इन 5 जातियों का चयन गलत आधार पर हुआ है जो वास्तव में शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं लेकिन ट्राइब्स होने का फायदा उठा रही हैं और यह बंद होना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो लोग ट्राइबल नहीं हैं, वे कैसे सूची में शामिल हो गए। जो भी नौन-ट्राइबल लोग उस सूची में शामिल हो गए हैं, उनको अविलम्ब सूची से निकाल बाहर कर देना चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी सुविधायें दी जा रही हैं, वे बहुत ही कम हैं, नगण्य हैं। जैसा यहां पर हमारे बहुत से साथियों ने भी कहा कि किसी स्टेट में जमीनों के झगड़े हैं। वैसे तो जमीनों के झगड़ों को निपटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत से कानून बनाये हुए हैं, लेकिन उन पर सही तरीके से अमल नहीं होता है। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे जमीनों के सैकड़ों झगड़े हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और उन में बड़े-बड़े जिमींदार लोगों को स्टे मिला हुआ है। उन झगड़ों का फैसला कई-कई सालों तक नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या की ओर भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा और बहुत सी कठिनाइयां हैं, जिनके सम्बन्ध में मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। मुझे सूचना मिली है कि उनकी जांच का काम किया जा रहा है लेकिन किसी भी मामले में जांच होना और उस पर कोई निर्णय करना, यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। हमारे यहां रिवैन्यू डिपार्टमेंट, सोश्यल वैल्फेयर डिपार्टमेंट और ट्राइबल वेल्फेयर डिपार्टमेंट तो है ही, इसके अलावा हर स्टेट में एक और डिपार्टमेंट होता है, जिसे जी० ए० डी० कहते हैं और यह विभाग हर मसले का हल निकालने में बहुत देरी लगाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए हमारी सरकार जो भी करना चाहती है, उनके हित के लिए योजनाएं बनाना चाहती है, ऐसी तमाम स्कीमों को सही तरह से इम्पलीमेंट किया जाए। आज हम देखते हैं कि ये योजनाएं सही रूप से इम्पलीमेंट नहीं हो पातीं, जिस तरह से उन पर अमल किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की आवश्यकता है, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है।

आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, इस सदन में परसों और आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन की जो रिपोर्ट सरकार ने रखी है, उस पर चर्चा

चल रही है। मैं समझता हूं कि अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर अमल हुआ होता तो आज तक इन जातियों के लोगों की हालत सुधर गई होती। जैसा माननीय सदस्य डागा जी ने कहा, कल मैंने भी टी० वी० पर एक इंटरव्यू देखा जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में चल रहा था। उसमें अधिकारियों ने एक वहां के लिए ऐसी योजना बनाई जिसके अन्तर्गत वहां के निवासियों को सिंचाई के साधन के रूप में और पीने के पानी के रूप में पानी मिले, इस के लिए एक पाइप लाइन जो दो किलोमीटर तक डलनी थी, दिखाई गई, लेकिन वह पाइप लाइन दो किलोमीटर तक न डालकर सिर्फ दो सौ मीटर तक डाली गई और उसमें जो पानी का पाइप था जिसके द्वारा पानी आ रहा था वह उसी खड्ड म से आ रहा था और उसी खड्ड में वापस जा रहा था। इस प्रकार की योजना बनाने से कैसे देश के ये गरीब आदिवासी और हरिजन लोग ऊपर उठ सकेंगे, यह देखने की बात है।

महोदय, आदिवासी और हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, किन्तु उन पर ठीक तरह से अमल नहीं हो पा रहा है जिसके कारण ये लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत जो सहायता इनको मिलनी चाहिए वह इन तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि हम देखते हैं आज बैंकों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी रहती हैं और बहुत ही कम कर्जा लोगों मिल पाता है जिससें उनकी उदरपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन गरीब हरिजन और आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा बैंकों से मिलना चाहिए और इन लोगों की एप्लीकेशंस जो पेंडिंग पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से सर्विस में भी हम देखते हैं जो इनका रिजर्वेशन का कोटा है उसको पूरा नहीं किया जाता है और कहा ये जाता है कि हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे डिटेल को पढ़ें तो देखेंगे कि जिस तरह से कोटा सर्विसेस में दिया गया है उसको पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना भी कोटा इन लोगों को सर्विस में दिया जाए उसकी पूर्ति की जाए।

मंत्री जी, आप हमारे महामंत्री भी रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके कल्याण को देखें। इनका कल्याण आपके सुपुर्द है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य राजनीतिज्ञों का जो सपना है, उसको आपको पूरा करना है। इन महान नेताओं ने अपने समय में ट्रायबल लोगों के क्षेत्रों का दौरा किया था और वहां पहुंचकर गरीब लोगों की बात सुनी थी। यही कारण है कि आज ये गरीब लोग महसूस करते हैं कि हमारी सरकार इनको इंसाफ देगी। इसलिए मेरा कहना है कि जितने भी निगम और बोर्ड हैं—चाहे वह बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, चाहे एयरफोर्स का या कोई और बोर्ड है, उनमें सब में एक-एक सदस्य हरिजन या ट्राइब का होना जरूरी है। इन लोगों के सेफगार्ड के लिए एक-एक मैम्बर का नामिनेशन होना बहुत जरूरी है।

महोदय, जो रोस्टर मेंटेन करते हैं, उनके खिलाफ भी कम्पलेंट्स आती रहती हैं, चाहे वे रोस्टर बैंकों के हों या अन्य विभागों के, जो लोग कंपलेंट करते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस प्रकार की

एप्लीकेशंस कई प्रदेशों से आती हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

महोदय, यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं जिनमें से एक बात भूमि सुधार के बारे में कही गई है। यह भूमि सुधार का कानून भी इस देश में तब पास हुआ जब हमारी प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात कही थी। यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था। लेकिन इस पर अमल कैसे हो रहा है इसको देखा जाए, आप किसी भी प्रदेश में जाइए इस कार्यक्रम के तहत जो जमीनें इन लोगों को अलॉट हो रही हैं वे ऐसी जगहों पर हो रही हैं जिससे वे उनमें काश्त नहीं कर पाते हैं और न उससे इनका गुजारा होता है, केवल 5 बीघा जमीन ही अलॉट होती है और जो जगह इन्हें दी गई हैं वे ऐसी जगहों पर हैं जो या तो बिलकुल ढांक हैं या काबिले काश्त नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन लोगों को ऐसी जमीनें दी जाएं जो काबिले काश्त हों।

इस देश में आज बीस करोड़ लोग हरिजन और आदिवासी हैं अगर आप वाकई इनका विकास करना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी के साथ आज इस माननीय सदन में निर्णय करना पड़ेगा कि हम उन्हें फायदा पहुंचाएं और जो कायदे कानून उनको फायदा पहुंचाने में बाधक बनते हैं उनको हटाना पड़ेगा तभी उनका फायदा हो सकेगा। यह जो कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है, यह बहुत पुरानी है और मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत कम बातों पर अमल हुआ होगा। यह बात सही है कि इसका अमल भी कम होना है क्योंकि वही हमारा 20-सूत्री प्रोग्राम है और वही आई०आर०डी०पी० का प्रोग्राम है। उसमें जो गाय भैंस दी जाती हैं, 5 बीघा जमीन दी जाती है, उसका क्या लाभ लोगों को मिलता है यह देखने की बात है।

मैं हिमाचल से आता हूं। अगर वहां पर किसी को 5 बीघा जमीन एलाट कर दी जाए तो उससे न पशुपालन का काम वह कर सकता है और न उसमें खेती पैदा कर सकता है। चाहिए यह कि जितनी जमीन हमारे पास है, जिसका हम बंटवारा करना चाहते हैं, मैं सिर्फ हरिजनों की बात ही नहीं करता, वहां हरिजन भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनका तो बुरा हाल है ही, साथ ही जो दूसरी जाति के गरीब लोग हैं, चाहे बनिया है, ब्राह्मण है या राजपूत हैं, सबका यही हाल है। कौमें तो तब बन जाती हैं जब उनको नौकरी मिल जाती है। आज गांव का गरीब आदमी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। इस तरफ हमें तवज्जह देनी होगी।

आई०आर०डी०पी० का रुपया तो देने वाले लोग ही चाट जाते हैं क्योंकि आई०आर०डी० पी० का नाम मैंने सुना है जो कि लोगों ने रखा है कि आया रुपया, डकार। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा जरूरी है।

आप बिजली की बात ले लीजिए, कम्पोनेन्ट प्लान की बात लीजिए, इनके तहत ट्राइब्ज के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन होता यह है कि एक स्विच लगा दिया, वहां लाइन पहले ही लगी होती है। इस तरह से रुपया मिस-यूज हो रहा है।

आपको देखना है जिस तरह से श्री राजीव जी ने कदम उठाया है, वह राजस्थान गये, शहडौल के इलाके, मध्य प्रदेश के धार के इलाके और झाबुआ के क्षेत्र में गये जहां कि ट्राइब्ज के

लोग रहते हैं और उन्होंने उसमें अन्दाजा लगाया कि गरीबों को मदद पहुंचती है या नहीं। यह अन्दाजा तो आप लगायेंगी ही, लेकिन जो आज अखबारों में निकला है कि वहां किस तरह की धांधली पाई गई, यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह से इस काम को करने के योग्य हैं और करने का इरादा रखती हैं। मुझे आशा है कि आप इस मुताल्लिक पूरे ठोस कदम उठायेंगी।

ट्राइब्ज के क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं हैरान हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में भी उनकी जमीन पर दूसरे लोग बंटे हुए हैं और आदिवासियों को डंडे से मार-मार कर किनारे कर दिया जाता है। यह मेरी चश्मदीद बातें हैं। यहां पर कह दिया जाता है कि 100 परसेंट इलैक्ट्रीफाइड कर दिया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर दिया, लेकिन वहां पर पूरी तरह से उसका फायदा नहीं होता है। ऐसे बहुत से गांव हैं। आप राज्य सरकारों से सम्पर्क कर के मालूम करें, राज्य सरकारें इस पर पूरी तरह यत्न नहीं करती हैं, डिफाल्टर रहती हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह वह गरीबों के साथ, समाज के साथ अन्याय करती हैं।

हमारी भारत सरकार और उसके नेता कोशिश करते हैं कि गांव के लोग ऊपर उठें, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि वे लोग ऊपर उठ रहे हैं या पीछे पड़ रहे हैं ? आज जहां भी नौकरी का सवाल आता है, वहां पर कह दिया जाता है कि इनमें लियाकत कम है। एम्प्लायमैंट एक्सचेंज से लियाकत वाली लिस्ट लेते हैं तो हजारों की तादाद में ऐसे लड़के हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है, जो कि बेकार हैं।

हम यहां पार्लियामेंट में क्वेश्चन करते हैं कि कितने ग्रेजुएट्स को एम्प्लाय कर लिया तो कह दिया जाता है, टैक्नीकली जवाब आ जाता है कि इतने बेकार हैं लेकिन जब ये इन्टरव्यू में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास इस क्वालीफिकेशन का आदमी नहीं आया। मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है। अगर देश में गरीबों को उठाना है तो लाजमी है कि गरीबों की मदद करने के लिए लैंड रिफार्म कानून बनायें।

एक तरफ ये गरीबों को डंडे मार रहे हैं कि अगर तुमने जमीन हथियाने की कोशिश की तो तुमको गांव में नहीं रहने दिया जायेगा। इसमें गरीब आदमी क्या कर सकता है। उनकी कौन-सी मदद की जायेगी ?

उनको आपस में धांधली से मार दिया जाता है, इसके लिए आप उचित कदम उठायें ताकि गरीब लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनको खत्म कर दिया जाए।

आज गुजरात के अन्दर जो दूसरे प्रदेशों के लोग भी आरक्षण के बारे में आवाज उठाते हैं, वह क्यों उठाते हैं, इसका क्या मतलब है ?

महात्मा गांधी जी ने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काफी प्रयत्न किया। वह चाहते थे कि समाज का जो गरीब तबका है वह ऊपर उठे। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें इन गरीबों को ऊपर उठाना होगा। जो अन्याय इनके ऊपर हो रहा है, उस अन्याय से उस गरीब तबके को बचाना होगा और कोई बुनियादी या ठोस कदम उठाना होगा।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि अगर हम हरिजन और आदिवासियों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा जिससे देश की तरक्की होगी। जहां पर हरिजनों और आदिवासियों की आबादी अधिक है वहां पर अधिक ध्यान रखना होगा तभी यह समस्या हल हो सकेगी। अभी भी यह गरीब तबका सर्विस में नहीं है और न ही उनको जमीन उपलब्ध है। इस सब कामों को देखने के लिए आप एक सैल बनायें जो कि निगरानी का काम करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : सभापति महोदय, आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तीसरी और चौथी रिपोर्ट सदन में है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। रिपोर्ट काफी लम्बी है, इसलिए सभी बातों पर कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कम समय में मैं लैंड रिफार्म, मिनियम वेज और बांडिड लेबर के बारे में कहूंगा।

जहां तक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है, 1981-82 की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

[अनुवाद]

संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानून के कार्यान्वयन में प्रगति दर्शाने वाला विवरण।

[हिन्दी]

सीलिंग लॉ की चौथी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसमें सारे देश में जो एस्टीमेटिड लैंड सीलिंग से उपलब्ध करने की है, वह है 49 लाख 94 हजार 882 एकड़, जिस में एरिया डिक्लेयर किया गया सरप्लस 39 लाख 89 हजार 832 एकड़, उनके द्वारा जो पोजैशन लिया गया जमीन है 27 लाख 23 हजार 976 और जो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया वह है 18 लाख 96 हजार 42 एकड़ और टोटल 13 लाख 66 हजार 317 एकड़ लैंडलेस को जमीन दी गई है।

देश की आजादी के बाद संविधान में यह व्यवस्था हुई कि हमारे देश में जो बीकर सैक्शन है विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का, उनकी जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी उनको शिक्षा-दिक्षा नहीं मिलती तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

करीब 20 करोड़ लोग हरिजन और आदिवासी इस देश में रहते हैं। ऐसे बहुत से देश दुनिया में हैं जो बहुत कम संख्या में हैं, जहां 20 करोड़ हरिजन और आदिवासी रहते हों। 38 साल की आजादी के बाद भी उनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। उनके लिए जो शिक्षा और विकास का काम होना चाहिए था वह भी नहीं हो पाया है। जब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जन प्रतिनिधि उनकी हालत के बारे में कहते हैं तो हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हम उन्हें क्या जवाब दें।

जहां तक बांडिड लेबर का सवाल है। लैंड सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन ली गई है, मैं कहूंगा कि आपने रिपोर्ट में दिया जरूर है कि इतनी जमीन डिस्ट्रीब्यूट की गई लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें कितनी जमीन हरिजन और आदिवासियों के दखल में आई और जो दखल में आई उसके बाद कितने लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। कितने लोगों के केसेज आज अदालत में हैं? अगर जमीन का बंटवारा कागज में कर देते हैं तो उससे उनको जमीन तो नहीं मिल जाती

है। उस जनसंख्या को देखें कि एक तरफ तो 20 करोड़ लोग हरिजन आदिवासी हैं, उसमें 90 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। तो आप कागज में जरूर बांट देते हैं कि इतनी जमीन बांट दी, लेकिन कितने लोगों को वह उपलब्ध हो रही है। वह जमीन दखल करने के लिए जाते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जितने माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं सभी ने हरिजन और आदिवासियों के ऊपर एट्रासिटीज के ऊपर कहा है, भूमि वितरण पर कहा है और वांडेड लेबर के बारे में कहा है। तो आज के जमाने में भी अगर जमीन का बटवारा करके उनको गोली से मरवा देते हैं, डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं, उनके बच्चों को मरवा देते हैं तो इससे तो बेहतर यही था कि हमारे लोग बिना भूमि के थे और दूसरों की मजदूरी करके खाते थे। अगर आज उनकी जान इसके लिए जाती तो इससे तो अच्छा वही था।

आज वह मिनिमम वेजेज मांगते हैं तो बड़े लोग और जमीन वाले लोग कहते हैं कि अच्छा, तुम सरकार के द्वारा बताए गए मिनिमम वेजेज की बात करते हो? पहले अगर किसी के पास एक हजार एकड़ जमीन थी तो आज भी किसी न किसी रूप में अपने किसी रिश्तेदार के नाम या गांव के दूसरे लोगों के नाम बोगस रजिस्ट्रेशन वह कराए हुए हैं और आज भी वे एक हजार एकड़ जमीन के मालिक हैं। वह मिनिमम वेज मांगने वाले गरीब हरिजनों से कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादे तो एक रुपये और दो रुपये में हमारे यहां काम करते थे और तुम आज सरकारी कानून के हिसाब से मिनिमम वेज मांगते हो? हम तुमको गोली मार देंगे अगर तुम हमारे खेत पर काम करने नहीं जाओगे। बिहार में लाल सेना है, भूमि सेना है, लोग कहते हैं कि वहां नक्सलाइट्स हैं। मैं आप से बिहार की बात बताता हूं कि वहां हरिजनों पर एट्रासिटीज हो रही हैं, दूसरे लोग उनको मार रहे हैं। आज भूमि सेना बनाने का कारण क्या हुआ? मात्र कारण यह है कि जो हरिजन मिनिमम वेज मांगता है उसको गोली मार देते हैं। आप यह सारी रिपोर्ट देखें, जो हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं और वह मारे गए हैं, उनमें कितने लोगों के ऊपर केसेज चले और कितने लोगों को फांसी हुई या और सजा हुई तो यह आपको इसमें कहीं मिलने वाली नहीं है। आज भूमि सेना की बात करते हैं, लाल सेना की बात करते हैं या नक्सलाइट्स की बात करते हैं, मैं बिहार की बात कहता हूं कि वहां कोई भी हरिजन या गरीब आदमी नक्सलाइट नहीं है। अगर वह कुछ मांगते हैं तो मिनिमम वेज मांगते हैं। उसके बदले में उनको गोली मारी जाती है या डंडे खाने पड़ते हैं। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि अगर सही मानों में आप उनको बचाना चाहते हैं तो कानून तो अपनी जगह पर रहने दें, वास्तव में सही माने में हमारे गांवों के लोग भी इसमें आगे बढ़ें तभी उनको राहत मिल सकती है।

वांडेड लेबर की जो रिपोर्ट है उसमें एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में इस स्कीम के अन्तर्गत स्टेटवाइज एलोकेशन और कितने वांडेड लेबर को 1978-79 से लेकर 1980-81 तक रिहैबिलिटेट किया गया है उसका एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में एलोकेशन इन लारस दिया हुआ है—350.19 और एक्सपेंडीचर जो बताया गया है वह है 128.43। परसेंटेज आफ यूटिलाइजेशन है 34.96। तो आप देखिए, वांडेड लेबर की बात करते हैं आप, मगर जितना रुपया भी उनके लिए एलाट किया जाता है वह रुपया भी सही-सही उनके काम में खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो केवल यह कहूंगा कि जहां तक गरीबों की मदद करने का सवाल है, कानून

भले ही आप बना दें लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन के लिए जब तक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को अनिवार्य रूप से उसके इम्पलीमेंटेशन में नहीं रखेंगे तब तक उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और न ही उनको दखल मिलने वाला है ।

जहां तक मिनिमम वेजेज का सवाल है आज के जमाने में भी आप देख लें अलग-अलग जगह अलग-अलग मिलता है । आन्ध्र प्रदेश में 4 रुपये 25 पैसे से लेकर दस रुपये तक मिलता है । इसी तरह से बिहार का है । आप साढ़े चार या पांच रुपया देंगे और वे कहेंगे कि इसमें हम काम नहीं कर सकते तो उनको मारने की कोशिश की जायेगी । तब आपके मिनिमम वेजेज ऐक्ट का क्या मतलब हुआ ? हम चाहेंगे कि आप मिनिमम वेजेज एक्ट को सही रूप में इम्प्लीमेन्ट करवायें ।

मैं आपको बताऊं हमारे यहां एक गांव में एक लड़का था जो पढ़ने वाला था, मैट्रिक तक पढ़ा था और आये आई. ए. में पढ़ना चाहता था । उसके परिवार में 6-7 लोग थे । उसने धान के खेत में जाकर मजदूरी की । आई०ए० में 50-60 रुपये फीस के लगने थे । वह अपने रुपए मांगने के लिए गया तो गांव के लोगों ने उससे कहा कि तुम पढ़ने वाले हो गए हो, तुम पढ़कर आगे यहां के लोगों को बहकाओगे । उन लोगों ने उसके परिवार के सभी लोगों को बन्द करके गोली मार दी । मैं स्वयं भी उस गांव में गया था । तो इस तरह की स्थिति है । अगर कोई पढ़ने वाला लड़का कहता है कि मुझे मिनिमम वेजेज दो और वह पढ़ने वाला लड़का है इसलिए उसके घर वालों को बन्द करके गोली से मार दिया जाता है । मुख्य मन्त्री के पास भी जाकर इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि अब आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी लेकिन दूसरे ही रोज 6 आदमी और मार दिए गए । अगर इस तरह की बातें होंगी तो कैसे काम चलेगा ?

हमारे नेताओं ने देश की तरक्की के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन करने वाले कौन लोग हैं ? वे वही लोग हैं जोकि हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं । चाहे वे पदाधिकारी हों, पुलिस आफिसर हों, जुडीशियरी में हों या एग्जीक्यूटिव में हों, वे बड़े-बड़े अधिकारी सभी जमीन वाले हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उन योजनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन हो क्योंकि उससे वे भी अपनी जमीन से बेदखल हो जायेंगे । इसलिए वे अफसर चाहे एग्जीक्यूटिव में हों जुडीशियरी में हों या और कहीं हों उनके इन्ट्रेस्ट हैं और इसीलिए हमारे लोगों को मारा जाता है ।

यहां पर अन्य माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है और डागा जी ने भी सही कहा है कि आज 38 साल के बाद भी हमारे लोगों पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं (**व्यवधान**) मैं दो मिनट और लूंगा ।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, वह इसीलिए किया गया था कि हमारे जो लोग पढ़-कर निकलेंगे उनको सर्विसेज में प्रोटेक्शन दी जायेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहां तक सेन्ट्रल सर्विसेज की बात है आप देख लें इस रिपोर्ट में है पेज 85 पर :

[**अनुवाद**]

"भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रित 37 केन्द्रीय सेवाएं हैं । आयोग को खेद है कि 37 केन्द्रीय सेवाओं में से केवल 4 के बारे में 3 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने पूरी सूचना दी है जो इस प्रकार है ।"

[हिन्दी]

इसमें बताया गया है कि एक्सटर्नल अफेयर्स में 1-1-81 को टोटल स्ट्रेन्थ 562 है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के 60 लोग हैं यानि जितना कोटा उनका होना चाहिए था उससे कम है। इसी तरह से 1-1-82 को टोटल स्ट्रेन्थ 596 थी जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट 66 थे। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या 1-1-81 को 28 की स्ट्रेन्थ में केवल एक थी। इसमें केवल तीन विभागों ने ही अपनी फीगर्स दी हैं।

ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज, डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपैंडीचर, मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स में 60 और 59 की स्ट्रेन्थ पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या केवल 5-5 और 1-1 ही थी। इस तरह से जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, सेन्ट्रल सर्विज में तो हम लोगों को कुछ मिल जाता है और प्रमोशन एवेन्यूज भी मिल जाते हैं लेकिन आप देखिए कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में क्या हो रहा है ? एयर इंडिया या अन्य अण्डरटेकिंग्ज हैं जैसे कोल इंडिया उसमें तो यह कहकर नहीं रखा जाता है कि वे काबिल ही नहीं हैं।

5.00 म० प०

हमारे लोग मैरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर भी उनको नहीं लिया जाता है। जब प्रमोशन की बात आती है तो कह दिया जाता है कि तुम मैरिट में नहीं हो। आई०ए०एस० की बात है, मैं आपको बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर 2250-2700 कैडर का स्पेशल स्केल देने की बात है, इस पर सरकार ने फैसला किया है कि स्पेशल स्केल में किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं देंगे। जो मैरिट में होगा, उसी को करेंगे। चाहे प्रमोशनल एवेन्यूज की बात हो, चाहे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, मिनिमम वेजेज का मामला हो, एट्रीसिटीज का मामला हो, जब तक कमेटी बनाकर हमारे लोगों को उस में अनिवार्य रूप से नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लोगों का कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमारे लोगों को वहां पर रखें, फिर देखिए काम किस तरह से चलता है।

5.02 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक स्पेशल-कम्पोनेंट-प्लान की बात है। इस बारे में भारत सरकार की स्पष्ट नीति है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं होता है। अगर सही मायनों में डवलपमेंट में रखे गए रुपयों का उपयोग हो जाए, तो हरिजनों और आदिवासियों के लिए किसी भी दूसरे फण्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तव में स्पेशल-कम्पोनेंट-प्लान में रखे गए रुपयों का सही रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ट्राइबल सब-प्लान की भी यही स्थिति है। कहा जाता है कि कानून बना दिया, सब को जमीनें दी जायेंगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। शिक्षा की भी यही स्थिति है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें, जैसा कि हमारे अन्य सदस्यों ने भी कहा है, ताकि हमारे हरिजन-आदिवासियों का कल्याण हो।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जी, को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी एक बहुत पुरानी मांग जो बरसों से चली आ रही थी, हरिजनों और आदिवासियों के अलग मंत्रालय की, उसको उन्होंने पूरा कर दिया

है। सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने एक विदुषी महिला को इस मंत्रालय का इंचार्ज बनाया है, जिसका दरिद्रनारायण और विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों से पुराना संबंध रहा है। उनके प्रति इनके दिल में करुणा की भावना है। यह चीज शुरू से उत्तर प्रदेश एसेम्बली में भी और यहां पर भी मैंने देखी है।

बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1967 से ही इस सदन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को रेशन्लाइज करने के लिए बिल आया था और फिर उस बिल पर ही एक प्रवर समिति बनी थी और उसके बाद एक कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी। 1976 में फिर एक बिल आया वह पास नहीं हुआ। एरिया रिस्ट्रिक्शन बिल पास हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों को लाभ हुआ। उसमें न किसी जाति को शामिल किया गया और न कोई ऐसी जाति जो अच्छी हो गई थी, जो लिस्ट में आ गई थी, उसको अलग किया गया। उसमें यह भी है कि अगर एक जाति एक प्रदेश में ट्राइब है, तो दूसरे प्रदेश में वह शेड्यूल्ड कास्ट है। आप जानती हैं कि बूंदी, इलाहाबाद और मिर्जापुर—यह सारा इलाका ट्राइबल बेल्ट है। केवल पांच जातियों को विशेष नोटिफिकेशन से, जो पहाड़ों में रहती हैं, उनको ट्राइब कर दिया गया, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश व और प्रदेशों में जो उनके रिश्तेदार हैं, वे वहां शेड्यूल्ड कास्ट हैं। इसलिए मैं पहली मांग करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। इस बारे में काफी बात आगे बढ़ चुकी है, केवल एक-दो राज्यों ने अपनी संस्तुतियां नहीं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, इस दिशा में आप कदम उठाकर अगले बजट सत्र में आप कैटागोरिकली उत्तर देंगी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क लोग छूट गए हैं, उनको फिर से लाने के लिए या जो ऐसे हैं, सम्पन्न हो गए हैं उनको दूर करने के लिये एक बिल अवश्य लायेंगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां बियार जाति है, वह मध्य प्रदेश में ट्राइब है लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में न वह ट्राइब है और न शेड्यूल्ड कास्ट है जबकि उनकी आबादी बहुत अधिक है। उसको सूची में शामिल होना चाहिए। निशाद, मल्लाह दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट हैं और सारे हिन्दुस्तान में करोड़ों में उनकी आबादी है। वे करीब 101 से ऊपर विभिन्न नामों से विभिन्न प्रदेशों में जाने जाते हैं। कहीं उनको केवट कहते हैं, कहीं मल्लाह कहते हैं, कहीं निशाद कहते हैं, कहीं केवर्त कहते हैं और कहीं गंगापुत्र कहते हैं। हमारे जिले में उनको मल्लाह और केवट कहते हैं। वे उन सारी सुविधाओं से वंचित हैं जो उनको मिलनी चाहिएं।

दूसरी बातों का जहां तक प्रश्न है जैसे उनके आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और सामाजिक विकास का प्रश्न है, सभी माननीय सदस्य इनके बारे में बोल चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो नीतियां हैं, वे ठीक हैं लेकिन उनका जो कार्यान्वयन है, वह विभिन्न स्तरों पर सही नहीं है। समयबद्ध कार्यक्रम न होने के कारण उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं क्योंकि नीतियों का कार्यान्वयन और आज्ञाओं का परिपालन नहीं हो रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जिला एवं प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीय सरकार की तरफ से मानीटरिंग सैल हो, जिसके ऊपर कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व हो जिससे जो नीतियां हैं और जो गाइडलाइन्स हैं, उनके अनुसार काम हो सके।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी-अभी हमारे उप मंत्री जी ने क्वांटीफिकेशन की बात कही और यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में एक नीति बनाई है और मिनिस्ट्रीज को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित के लिए, उनके कल्याणार्थ योजना बनाने के लिये कहा है। अभी केवल 15 मंत्रालयों ने इसको बनाया है और अन्य मंत्रालयों ने नहीं बनाया है। जिन्होंने इसको नहीं बनाया है, उनके विरुद्ध कौन सा एक्शन लिया गया। जो समय पर हमारी गाइडलाइन्स का और हम जो नीति बनाते हैं, उनका परिपालन नहीं करते, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, यह मैं जानना चाहता हूं। मुझे याद है कि 1980 में स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे ही दोबारा सत्ता में आईं, उन्होंने हर राज्य को लिखा और इन लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए गाइडलाइन्स दी और यह बताया कि क्या-क्या काम करना है। मुझे यह कहते हुई दुख होता है कि उन गाइडलाइन्स का परिपालन नहीं किया गया और शायद प्रदेश की सरकारों की अलमारियों की वे शोभा बढ़ा रही हैं। उनको सख्ती से कार्यान्वित करने के आदेश देने चाहिएं।

हमारे माननीय सदस्य मजदूरों की बात कह रहे थे और मिनीमम वेजेज की बात उन्होंने कही। लेबर मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। सरकार ने कई बार यह निर्देश दिये हैं कि जो मिनीमम मजदूरी है, हर दूसरे साल उसमें सशोधन होना चाहिए क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं। 5-7 राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया और उसमें बिहार भी शामिल है। बिहार ने सन 1976 के बाद कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई। इस तरह से मजदूरों की हालत आज भी खराब है। उनकी हालत में सुधार होना चाहिए। बहुत से राज्यों ने संशोधन नहीं किया है और जिन राज्यों ने किया भी है, तो उनका कार्यान्वियन नहीं किया क्योंकि उनके पास इसके लिए अलग से मशीनरी नहीं है। बीस-सूत्री कार्यक्रम में यह शामिल है। न इसके लिए कोई इंस्पैक्टर है और न कोई अधिकारी है वैसे कागजों पर नाम के लिए क्रियान्वयन दिखा दिया जाता है। इसलिए समय की आवश्यकता यह है कि जो भी नियम, जो भी गाइडलाइन्स आप भेजते हैं, जो नीति आप बनाते हैं, जो भी बजट आप बनाते हैं, उसका सही-सही परिपालन हो और इसके लिए आपको समयबद्ध कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस समय यह विभाग मजबूत हाथों में है। यदि आप बैठ कर हम लोगों को बुला लें, तो हम बात कर सकते हैं। आपने एक बार मीटिंग की भी थी। एक साथ बुला लें और परामर्श कर लें कि किस प्रकार कौन सा कार्यक्रम चलाना है और फिर एक निर्णय पर पहुंचने के बाद उसका कार्यान्वियन ढंग से हो।

जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के बहुत से ऐसे विभाग हैं, जहां पर इसका कार्यान्वियन नहीं किया गया है। इसलिए बहुत सी केटेगिरीज में रिजर्वेशन पूरा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग रिजर्वेशन पालिसी के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं, उनको सख्त सजा देगी चाहिए। अभी तक किसी भी अधिकारी को दंड नहीं दिया गया है। जो अधिकारी गलती करें, उनको दंड मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कर्मचारी और अधिकारियों के प्रोमोशन के अवसर आते हैं, और एक वर्ष पहले ही उनका करेक्टर रोल खराब कर दिया जाता है। इसलिए इसको देखने के लिए हर विभाग में एक समिति **हैड आफ दी डिपार्टमेंट** की अध्यक्षता में बना दी जाए,

जिससे कि किसी की हिम्मत गलत एन्ट्री देने की न हो। इस चीज को लेकर हमारे देश के शेड्यूल्ड कास्ट्स के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है। जितने भी विभाग हैं चाहे बैंक के हों या रेलवे के हों या डाक कर्मचारी हों, उन लोगों ने हमारे पास रेप्रेजेन्टेशन भेजी है कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए आप यहां पर आवाज उठाएं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का समयबद्ध प्रोमोशन हो और उनके जो करेक्टर रोल खराब कर दिये जाते हैं, वे न हों।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्टों पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी अगर उन पर विचार रखूं तो हो सकता है कि समय कुछ ज्यादा लग जाएगा, इसलिये मैं उनसे सम्बन्धित कुछ सुझाव ही प्रस्तुत करूंगा।

सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए जितनी भी सुविधाएं संविधान से हमें प्राप्त हैं, जितने प्रावधान उसमें दिये गए हैं अगर उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ होता तो 35 साल के बाद भी यह मौका नहीं आता और न यह मांग की जाती कि हमें संरक्षण दिया जाये, हमें नौकरियों में लिया जाए। क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ इसीलिए हम आज भी उसी हालत में हैं जिस हालत में हम 38 साल पहले थे। हमारी हालत में कुछ परिवर्तन तो आया है पर जैसा चाहिए वैसा नहीं।

मेरे पास महाविद्यालयों के कुछ आदिवासी और हरिजन छात्र आये। उन्होंने मुझे बताया कि महाविद्यालयों में उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। वे कहते थे कि हम इसलिए नहीं पढ़ पाते कि ऊंची जातियों के छात्र उन्हें काफी परेशान करते हैं। तंग आकर कुछ लोगों ने तो पढ़ना तक छोड़ दिया है। यह कालेजों में होता है और आरक्षण के कारण होता है। वे छात्र उनको ताना देते हैं। इस ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि आदिवासी हरिजन छात्र शांति,पूर्वक पढ़ सकें।

परीक्षाओं के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थीं उनमें आदिवासी और हरिजन विद्यार्थी पास होते थे। लेकिन जब से पी०एम०टी० और पी०ई०टी० जैसी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं एस०सी०/एस०टी० लिखा आने लगा है कि तब से परीक्षाओं में आदिवासी और हरिजन छात्र पास नहीं हो रहे हैं। पहले कापियों पर यह नहीं लिखा होता था। कापियां एकसमान होती थीं। मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षाओं की कापियों पर भविष्य में अब ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। सब विद्यार्थियों की कापियां एक समान होनी चाहिएं ताकि आदिवासी और हरिजन छात्रों के साथ कोई किसी प्रकार गड़बड़ी न कर सके।

महोदय, जहां तक हरिजन और आदिवासियों की जमीनें न खरीदने का सवाल है, शासन ने तो यह रोक लगा रखी है कि दूसरी जाति के लोग इनकी जमीन नहीं ले सकते बिना कलेक्टर की मंजूरी के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गैर-आदिवासी लोग हैं वे आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर उनके नाम से जमीन खरीद लेते हैं। इस तरह से उनका

शोषण किया जाता है, जमीन ले ली जाती है। कुछ लोग आदिवासियों को नौकर-चाकर रख कर फिर उनके नाम जमीनें खरीद लेते हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, जो बांध बनते हैं वे अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में बनते हैं। बांध के निर्माण में अधिकतर जमीन आदिवासियों की फंसती है, उसके लिये शासन ने यह नियम बना रखा है कि जिन लोगों की जमीनें बांध में फंसे उन लोगों को कमांड एरिया में जितनी जमीन उनकी फंसती है उसका एक बटा दस भाग जमीन दें। मैं कहना चाहता कि कमांड एरिया की जो सिंचाई वाली जमीन है वह जमीन नियमानुसार उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी जमीन डूब में आई हो। किन्तु कार्यरूप में यह कुछ नहीं हो रहा है।

महोदय, यह ध्यान देने की बात है जिन लोगों को यहां से हटाया जाता है, अलग किया जाता है, उनके घर बरबाद होते है, उनकी जमीनें चली जाती हैं और उनके बदले में उनको कुछ नहीं मिल पाता है, जबकि शासन के नियमों के अनुसार उनको हर्जाना मिलना चाहिए।

महोदय, इन बातों की ओर ध्यान देना होगा, इसी तरह से उनकी जमीनों में सागौन जैसे कीमती पेड़ लगे रहते हैं जिनको बिचौलिये 50-50 रुपए देकर खरीद लेते हैं और 5-5 हजार में उसको आगे बेचते हैं। इस तरह से उनका शोषण होता है।

महोदय कुछ समय से उसमें सुधार किया गया है। वन विभाग के माध्यम से होने लगा है। परन्तु उनको मिलने वाले पैसे को बिचोलिए बीच में ही छुड़ा लेते हैं। हमारे यहां वह पैसा डाकघर में जमा सेविंग बैंक में जमा रकम को भी बिचौलिये उनको डरा-धमका कर उनसे अंगूठा लगवाकर उनका पैसा निकलवा लेते हैं।

महोदय, भील सेवक संघ, इंदौर के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि स्व० जवाहर लाल नेहरू ने भील पलटन के लिए 50 एकड़ जमीन दी थी, परन्तु उसमें से 12 एकड़ जमीन जल प्रदाय पी०एच०ई० विभाग को दे दी गई है। दस एकड़ में उनके लिए पक्के मकान बना दिए गए हैं, यह तो ठीक बात है। दस एकड़ में झुग्गी-झोंपड़ियां हैं यह भी उनके हित में है किंतु जो 8 एकड़ जो जमीन बची है, उसकी वे लोग बसने हेतु मांग रहे हैं, लेकिन शासन उनको नहीं दे रहा है। मेरा निवेदन है कि उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उस जमीन को उन्हें बसने हेतु देने की दया करें।

महोदय, इसी तरह बीस सूत्रीय कार्यक्रम समितियों में बहुत सी जगहों में जिला स्तर पर विशेषकर आदिवासी लोगों को सदस्यता नहीं दी गई है। इस ओर भी ध्यान देने का कष्ट करें। गर्ल्स होस्टल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, यह हर क्षेत्र में, हर जिले में होना चाहिए ताकि सभी शिक्षा में विकास हो। महोदय, पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास मेरे जिले में यह 5 साल से स्वीकृत है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। एक प्रीमेट्रिक कन्या छात्रावास बनाया गया है, उसमें एजूकेशन विभाग का आफिस लगने लगा है। इस तरह से इन लोगों का हक मारा जाता है। अब वहां लड़कियां पढ़ने के लिए कैसे कहें, कहां जायें। पढ़ने के लिए छात्रावास का ठिकाना नहीं है, इस तरह से हमारा शोषण होता है। सरकार चाहती है, राज्य शासन चाहता है, आदिवासियों को शिक्षित करने हेतु छात्रावास खोले जायें किन्तु क्रियान्वयन में गड़बड़ होती है, जिससे शिक्षित होने में बाधा उत्पन्न होती है। कृपया इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, विधि सहायता के बारे में कोई दो मत नहीं हैं कि इस ओर भी कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत जब लोगों की सहायता की बात करते हैं तो उन लोगों में आज रुचि का अभाव पाया जाता है वे कहते हैं कि हमको सहायता नहीं चाहिए। आपकी सहायता ने हम लोगों को कर्जे में फंसा दिया है। फायदा अफसर और बैंक वाले उठाते हैं। हमें क्या लाभ है। अब तो वे आई० आर० डी० पी० या अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता लेने से हिचकिचाते हैं। बैंकों में उनको लूटा जाता है, उनको पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता है। इससे न तो किसानों को पूरा फायदा मिल पाता है न शासन की योजना सफल हो पा रही है। आदिवासी हरिजन कर्ज से लदे जा रहे हैं।

अतः निवेदन है कि इस ओर शासन गहराई से विचार करें।

महोदय, मुझे तो बहुत कुछ कहना था परंतु आपने घंटी बजा दी है। पर एक निवेदन और है, गत वर्ष हमारे क्षेत्र में 22 बैगा जाति के लोगों की मृत्यु हुई दस्त की बीमारी से। इस साल भी 16 आदिवासी बच्चों की मृत्यु खूनी दस्त की बीमारी से मेंसवाही क्षेत्र में हुई। ये दोनों घटनाएं बरसात की ऋतु में हुई हैं। होता यह है कि बरसात के कारण चारों तरफ से नदी नाले आ जाते हैं और बीमारी फैलने पर न खबर बाहर जाती है और न ही प्रशासन कोई मदद कर पाता है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। आज इतने साल हो गए हैं, प्रशासन ने भी हमारे जिले को आदिवासी जिला घोषित किया है, लेकिन वहां परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों में वहां पर हर तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिएं, विशेषकर परिवहन की सुविधा को प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस तरह 22 लोग पिछले वर्ष खूनी दस्त से मेंसवाही क्षेत्र में और इस वर्ष 16 लोग मरे हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। साधनहीन होने की वजह से जो अकारण मौत हो जाती है, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी वास्तव में हमें रक्षा करनी है। परिवहन और सड़कों की सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर काफी सदस्य बोल चुके हैं। करीब-करीब सभी आसपेक्ट्स पर यहां बोला जा चुका है। मैं उन विषयों को रिपीट न करके कुछ ऐसे मुद्दों पर निवेदन करना चाहता हूं जिन पर बहुत कम सदस्य बोले है। इस रिपोर्ट में काफी लंबा चैप्टर लैण्ड रिफार्म्स के ऊपर दिया हुआ है। यह बताया गया है कि करीब 39 लाख एकड़ भूमि सीलिंग कानून के तहत सरप्लस हुई है। उसको भूमिहीनों में बांटना है। 39 लाख में से 27 लाख गवर्नमेंट के पजेशन में आ चुकी है और 27 लाख में से 18 लाख एकड़ भूमिहीनों में बांटी जा चुकी है। जो जमीन सरकार के कब्जे में आ चुकी है. उसके न बंटने के लिए कौन जिम्मेवार है। सरकारी मशीनरी है या काश्तकार हैं जिनसे जमीन ली गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट मशीनरी को चुस्त किया जाए ताकि सही रूप से जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। कल भी बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों ने यह बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के सब ट्राइब्स सदस्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके पास जायदाद है और वही लोग इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसमें मेरी आठ एसेम्बली सीट में से तीन रिजर्व्ड

सीट्स हैं। शेड्यूल्ड कास्ट की भी हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी हैं। जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, यह एरिया मेरे क्षेत्र में ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा गरीब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। लेकिन आज तक उस एरिया में से मेरी जानकारी में कोई भी आदमी किसी भी बड़ी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आ पाया है जबिक उसी क्षेत्र में से सैकड़ों सम्पन्नवर्ग में ट्राइब्स के आदमी सर्विस में आ चुके हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैण्ड होल्डर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही लोग हैं। आज भी सबसे बड़े लैण्ड लार्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। उनकी भी जमीनें ली गई हैं। आपने आज तक यह डिस्टींक्शन नहीं किया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी ऐसे कौन से ट्राइब हैं जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। रिजर्वेशन के मामले में बहुत से लोग भावनाओं में आकर बात करते हैं और उच्च वर्ग के लोगों को कंडेम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का कोटा पच्चीस परसेंट से कुछ अधिक है, उस रिजर्वेशन का फायदा कौन से आदमी उठा रहे हैं। कोई कास्ट हिन्दू तो नहीं ले रहे हैं बल्कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही उन वर्गों में जा रहा है जो पहले ही पूरा एडवांटेज ले चुके हैं और जिनका कोई न कोई आदमी कलैक्टर या मिनिस्टर बन चुका है। उसी वर्ग के लोग इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट में भी हैं··· (व्यवधान) मैं समझता हूं इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत सी बातें भावनाओं में हो रही हैं।··· (व्यवधान) मैं कह रहा था कि आप इस बात की जांच करवाएं। आप देखें कि हमारे राजस्थान में व कोटा जिले में सबसे सम्पन्न वर्ग कौन-सा है तो मेरी समझ में सम्पन्न वर्गों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ वर्ग भी सबसे ज्यादा सम्पन्न वर्गों में आते हैं। उनके पास ज्यादा जमीनें हैं और लैंड सीलिंग से उन पर प्रभाव पड़ा है··· (व्यवधान)···ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं।···(व्यवधान) ···क्या आप दूसरे पक्ष को सुनने तक के लिए तैयार नहीं हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या वह वास्तविकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज में एक अजीब सोशल टेंशन सा पैदा हो गया है और उसके पीछे कारण भी हम लोगों का गैर-जिम्मेदार तरीके से बातें करना है। आज यह वस्तुस्थिति है कि समाज में सोशल टेंशन पैदा होती जा रही है, यहां हम जिस तरह से बोलते हैं, यही उसका मूल कारण है। हम इसे कभी भी रोक नहीं सकते। यदि समाज में इस तरह का टेंशन बढ़ता है तो हमारी यह ड्यूटी होनी चाहिए, फर्ज होना चाहिए कि वास्तविकता को पहचानें··· (व्यवधान)··· मैं तो तैयार हूं आप बताईये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बातें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जो वास्तविकता है, उसे ही आपके सामने रख रहा हूं। सब ट्राइबल्स की सोश्यल पोजीशन एक जैसी नहीं है : कोई आदमी बहुत सम्पन्न है तो कोई बहुत गरीब है! मैंने अपने भाषण में सबसे पहला प्वाइंट यही उठाया था कि हमारे ट्राइबल्स में जो सबसे गरीब वर्ग है, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे राजस्थान में शहरिया वर्ग के लोग काफी संख्या में रहते हैं और वे बहुत ज्यादा गरीब भी हैं लेकिन उनमें से आज तक कोई तहसीलदार तक नहीं बना, कलैक्टर या एस० पी० की तो कोई बात ही नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि इन महानुभावों को सीधी बातों से इतना ऑब्जैक्शन क्यों है। आफ्टर आल इनको रिजर्वेशन इसीलिए दी गई थी कि उनकी इकानामिक कण्डीशन्स और सोश्यल कण्डीशन्स में सुधार

हो जिनकी वजह से ये बहुत परेशानी में थे और उसी सोश्यल तथा इकानामिक डिस्पैरिटी को दूर करने के उद्देश्य से ही रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन क्या इकानामिक और सोश्यल डिस्पैरिटी दूर करने का मतलब यह है कि शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग लगातार एडवान्टेज लेते ही चले जाएं और ऐसे लोगों को कुछ न मिले, जो गरीब हैं और जिनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, वे इन एडवान्टेज से महरूम रह जाएं।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब इसी विषय पर यहां डिबेट हो रही थी तो 30 वर्षों के रिजर्वेशन के बाद भी देश में ऐसे कौन-से वर्ग रह गए हैं जिनको अभी तक रिजर्वेशन का एडवान्टेज नहीं मिला है और कौन-से ऐसे तबके हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का जरूरत से ज्यादा फायदा लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए।

दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने फरमाया था, अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर जंगलों में रहते हैं और जंगलों को सरकार ने खास प्रोटैक्शन दिया हुआ है। मेरे क्षेत्र में एक ही जमीन को गवर्नमैंट के रिवैन्यू रिकार्ड में भी एन्टर किया हुआ है और उसी जमीन को फौरैस्ट रिकार्ड में भी रिकार्ड किया हुआ है। रिवैन्यू रिकार्ड में होने के कारण, वे जमीनें आदिवासियों को एलाट कर दी गयीं हैं और वर्षों तक उन पर आदिवासियों का एलाटमैंट रहा है और वे लोग उसको काम में लेते रहे। चूंकि वह जमीन फौरैस्ट डिपार्टमैंट के रिकार्ड्स में भी दर्ज थी, उसकी डबल रिकार्डिंग होने की वजह से, अब एक नई समस्या यह आकर खड़ी हो गई है कि फौरैस्ट डिपार्टमैंट की ओर से उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है जिनको वे 20-20 साल से काश्त में लाते रहे थे, काबिज रहे थे और काश्त करते रहे थे। मेरा निवेदन है कि ऐसी डबल इन्दराज वाली जमीनों से आदिवासियों, अनुसूचित जाति या जनजाती अथवा गरीब तबके के लोगों को हैरान नहीं किया जाए, उन्हें जमीनों से बेदखल न किया जाए क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है, यह गलती रिकार्ड्स की है और गवर्नमैंट रिकार्ड में दो स्थानों पर इन्दराज होने की वजह से वे लोग सफर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें और कोशिश करें कि उन्हें जमीनों से बेदखल न किया जाए। इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। यह हमारे संविधान की संकल्पना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों का विकास करना होगा। आजादी प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद हमने इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है। हमने इसे किस प्रकार से मान्यता दी है तथा उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। उनके लिए कौन-सी सुविधायें पहले से ही उपलब्ध कराई गई हैं और इसने किस प्रभावी ढंग से काम किया है तथा क्या किया जाना चाहिए, ये वे मुख्य मद्दे हैं जिन पर विचार करना है। मेरी राय में संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के विकास के प्रावधान को अधिकार के रूप में स्पष्ट किया है। लेकिन हम

चाहे जो योजना बनायें या चाहे जो सुविधा प्रदान करें, वे नहीं समझते हैं तथा इसलिए उन्हें अपेक्षित स्तर तक लाने के लिये उनमें सामाजिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मेरी राय में उनके बीच चेतना जगाने के लिए शिक्षा सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा किस प्रकार सहायक है ? जब एक अनुसूचित जाति का लड़का तकनीकी या डाक्टर या एक आई.ए.एस. अधिकारी बनता है तो उसे किस प्रकार से अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। यह आरोप लगाया जाता है कि वे कुशल नहीं हैं। मेरी राय में ऐसा नहीं है। यदि वह कुशल नहीं है तब उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं। भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले यह नहीं जानते हैं कि बस या रेलगाड़ी कहां चलती है या हवाई जहाज कहां उड़ता है। वे इतने पिछड़े हुए हैं कि हमने उनको केवल वहीं छोड़ दिया है उन्हें ऊपर लाने के लिए शिक्षा प्रदान करनी होगी। उन्हें शिक्षा कैसे प्रदान की जाये तथा उन्हें कैसे इस ओर आकर्षित किया जाए क्योंकि वहां या तो स्कूल नहीं हैं या अध्यापक नहीं हैं। कुछ स्थानों में दोनों ही नहीं हैं। राज्य सरकार का काम कार्यान्वयन करना था परन्तु उसने उचित काम नहीं किया है, विशेषरूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए।

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, इन तमाम 38 वर्षों में आरक्षण की नीति लागू थी लेकिन पहले 15 से 20 वर्षों में आरक्षण का लाभ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इन आरक्षित स्थानों पर नियुक्त करने के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं था। मान लो यदि कोई इंजीनियर का पद था तो इंजीनियरी का कोई छात्र नहीं था। इसी तरह मान लो डाक्टर या आई.ए.एस. अधिकारियों के पद थे तो उसके लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। कई पद खाली रखे गए थे। अब बहुत से लोग उपलब्ध हैं परन्तु पद अपर्याप्त हैं। बहुत से पद भी खाली हैं। मैं नहीं समझता कि केवल आरक्षण से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक रूप से विकास करने में सहायता मिलेगी। हमें उन्हें तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षण देना है। यदि प्रशिक्षित अनुसूचित जाति का मकेनिक या बढ़ई या वायरमेन है तो वह व्यापार कर सकता है और अपने समुदाय के अन्य लोगों को नियुक्त कर सकता है तथा यह देख सकता है कि वे भी आगे आयें। जबकि यदि एक आई०ए०एस० अधिकारी वहां है तो केवल उसे लाभ मिलता है और कभी-कभी वह अपने समुदाय से बाहर भी शादी कर सकता है।

महोदय, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें विशेषरूप से अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कूल या तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिएं। अन्यथा वर्षों तक आरक्षण रखने का कोई फायदा नहीं होगा और हमें केवल कुण्ठा पैदा करेंगे तथा अन्य समुदाय तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे जैसा कि हमने गुजरात में देखा है। इससे देश की एकता भंग होगी। हमें एक बृहत योजना बनानी होगी जिसे प्रत्येक तालुक में कार्यान्वित करना होगा ताकि उनके लिए एक विशेष तकनीकी स्कूल की स्थापना हो क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके लिए अलग से संस्थान खोलेंगे तो फिर वे दूसरों के साथ नहीं मिल सकेंगे, और फिर एक बार आप उन्हें अलग कर देंगे।

श्री एस० बी० सिदनाल : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वे ऊपर नहीं आ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रशिक्षण देने की बजाए आप उन्हें और अधिक आरक्षण दे सकते हैं।

श्री एस० बी० सिंदनाल : उनको ऊपर लाने के लिए केवल आरक्षण से सहायता नहीं मिलेगी। उसके अलावा यदि हम उनके लिए और अधिक तकनीकी स्कूल खोलें तो यह अधिक उपयोगी होगा। हमारा अनुभव यह है कि जब कभी हम उनसे तकनीकी स्कूल में जाने के लिए कहते हैं तो वे यह नहीं जानते हैं कि क्या कोई तकनीकी स्कूल भी हैं। सामान्यत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के संवाहक के पद या पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करेंगे। उनके पास सूचना की कमी के कारण जानकारी का अभाव है। वे नहीं जानते हैं तथा वे नहीं समझते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह सम्बन्धित प्राधिकारियों को और अधिक तकनीकी स्कूलों की स्थापना के लिये निर्देश दें तथा उन्हें शिक्षा दें।

दूसरा, डा० अम्बेडकर ने कहा था, "यदि आप निर्धन हैं और अनुशासन नहीं रख सकते हैं तो सेना और अन्य बल में जाइये।" इसलिये मेरी भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों से अपील है कि वे इन लोगों को बी०एस०एफ०, सी०आर०पी० तथा सेना में भर्ती करें। उनकी सामूहिक रूप से भर्ती करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि वे इन सेवाओं में जाते हैं तो कम से कम उनके बच्चों को लाभ होगा। इसी तरह यदि वे नर्स बनती हैं तो उनके बच्चों को लाभ होगा जब हम गांव में जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक भी व्यक्ति सेना य. किसी अन्य फोर्स में नहीं जाता है। यद्यपि वहां 'महार' रेजीमेंट हैं अत: महोदय सामूहिक रूप से उन्हें सेना तथा अन्य फोर्सों में जाना चाहिये ताकि वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें।

इन योजनाओं को सुव्यवस्थित और पूर्ण ढंग से लागू करने के लिए एक बृहत योजना होनी चाहिए ताकि इसके साथ उनका आर्थिक विकास भी किया जा सके। समस्या तो है पर उपाय क्या है ? उनके लिए बनाई गई योजनाओं को दृढ़ता से लागू नहीं किया जाता है कल्पना करो कि हम बैंकों को उन्हें ऋण देने के बारे में कहते हैं, वे ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं लेकिन हो सकता है प्रशिक्षण की कमी के कारण वे पैसे का उचित रूप से उपयोग न कर सकें। इसलिए, उन्हें बैंक ऋण देने से पहले गांवों में कुछ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अन्यथा यह अपेक्षित स्तर तक उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में भी उन्हें उचित प्रशिक्षण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कमौदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन एवं आदिवासियों के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी और चौथी रिपोर्ट पर यहां हमारे कई माननीय संसद सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। वह सदस्य चाहे केरल के हों, राजस्थान के हों या मध्यप्रदेश के हों, कई सदस्यों ने इस पर चिन्ता प्रकट की है कि कम से कम 75 प्रतिशत लोग अभी पीछे हैं। वैसे तो 38 साल में इसके लिए सरकार ने काफी सहयोग दिया, लेकिन हुआ यह है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। यह हालत सरकार ने की है।

कई सदस्यों ने जमीन की बटाई के लिए सुझाव दिया कि जमीन की बटाई केवल कागजों से ही खानापूरी करके की गई है। यह हरिजन आदिवासियों को मिली नहीं और कई जगह हिन्दुस्तान में मर्डर हुए। सरकार ने यह नहीं सोचा कि हम अपनी लाखों एकड़ जमीन हरिजन

आदिवासियों को बटाई पर दे रहे हैं लेकिन उसकी उचित व्यवस्था नहीं की। तो हमें इस बारे में कानून का संशोधन करना चाहिए।

साथ ही हिन्दुस्तान में हमारे अन्य लोग हैं जो दीवानी मामले लड़ते हैं और कई हरिजन आदिवासी पैसे के अभाव में बार-बार उन्हीं के पास चले जाते हैं जिन्होंने जबर्दस्ती से जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस पर सरकार विचार करे। और नियम में संशोधन करे।

साथ ही साथ मैंने यह भी देखा है कि गरीब हरिजन आदिवासियों को आवास के लिए जगह नहीं मिलती है। उनके रहने के लिए जो आवास गृह बनाये जाते हैं वह भी ढंग से बने हुए नहीं होते हैं। आवास गृहों में पानी बहता है, कहीं से दीवारें टूटी हुई होती हैं मेरा शासन से अनुरोध है कि जहां पर इनके आवास गृह बनाये जायें वहां इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि वह ठीक अवस्था में हों। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिनको अभी तक आवास गृह उपलब्ध नहीं हो पाये हैं, उनके लिए भी इन आवास गृहों की व्यवस्था की जाये। ब्लाक और जिला स्तर पर आप इनकी व्यवस्था करें तो अच्छा होगा।

आप जो हरिजनों और आदिवासियों के लिए भैंस और बैलगाड़ी की व्यवस्था करते हैं वह भी ब्लाक स्तर पर दी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ-साथ गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनें दी जायें और चर्खा केन्द्रों की भी स्थापना की जाये। इससे उन गरीबों को रोजगार मिलेगा।

मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र भिण्ड-मुरैना में देखा है कि छात्रों को वजीफा नहीं मिलता है। वह लड़के हमसे आकर कहते हैं कि आप हमारे वजीफे के लिए प्रार्थना करो। छात्रों के लिए वजीफे की भी व्यवस्था आपको करनी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सब सदस्यों ने आपको जो सुझाव दिये हैं, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए और हरिजनों और आदिवासियों की जो समस्यायें हैं उनको भी हल करना होगा। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मनकू राम सोढी (बस्तर)। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आयोग की तीसरी और चौथी रिपोर्ट की सिफारिशों पर जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है। इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र है और उसे जो संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, यदि वह उसे नहीं मिलता है तो यह एक रस्म अदायगी की सीमा तक ही रह जायेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी वह रिपोर्ट केवल अलमारी की शोभा बढ़ायेगी। इसलिये जब तक अमल करके और जोर देकर कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक जो शासन की मंशा गरीबों को ऊपर उठाने की है वह पूरी नहीं हो सकेगी।

इस आयोग ने जो भी सिफारिश की है उस सिफारिश के अन्तर्गत शासन जो भी निर्णय करे, उन निर्णयों को सरकार अमल में भी लाये तभी शासन की मंशा पूरी हो सकती है।

सिफारिश में आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू और शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। मैं सबसे पहले आर्थिक पहलू पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आर्थिक पहलू में जो विकास का काम अभी तक किया गया है, उसमें काफी खामियां हैं। उस खामी को दूर करने के लिए अभी

भी गुंजाइश है। गुंजाइश इस तरह है कि अभी आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के जो भी किसान हैं उनको बैलों की जोड़ी, बकरी-पालन, मुर्गी-पालन या दुधारू जानवर, भैंस-पालन और इस प्रकार के जो भी आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें बहुत खामियां हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि विकास खंड के अधिकरी जो बी०डी०ओ० कहलाते हैं वह और गैर-डाक्टर तथा उसके बाद बैंक भी एक एजेंसी है, ये सब मिलकर दलाली करते हैं और जहां पर किसान को 12 सौ, 15 सौ या सोलह सौ के आस पास बैल की जोड़ी मिलती है वहां पर दो हजार रुपये कीमत चढ़ाकर उसके ऊपर उतना लौन चढ़ा देते हैं। सबको मालूम है इन खामियों के बारे में, इनको अगर सख्ती से दूर नहीं किया गया तो हम उनके आर्थिक उत्थान के लिए कितने भी पैसे दें, चाहे केन्द्र से या राज्य से चाहे जितना पैसा दें उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि जिस तरह से उसका उपयोग देखने में आ रहा है उससे उन गरीब लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न हो रहा है। आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी यदि इन खामियों को दूर नहीं किया गया इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस की कड़ी निगरानी के लिए मानिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और सख्ती से उसका पालन करना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, आदिवासियों के इलाके में जहां पर सब-प्लान का कार्यक्रम चल रहा है उसमें सबसे अधिक आश्रम स्कूल की मांग है। जब तक आश्रम स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी उन इलाकों के लोगों के बच्चों की संख्या में स्कूलों के अन्दर बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे घर से आकर या दूर-दूर से आकर पढ़ने में रुचि नहीं लेते। इसलिए आश्रम स्कूल की व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों में होनी चाहिए। उसी आश्रम में उनके लिए और कार्यक्रम भी होने चाहिएं जिसमें सहकारिता का भी काम उनको सिखाया जाये। इस प्रकार से उस क्षेत्र में जहां पर भी आप आज उनकी उन्नति करना चाहते हैं वहां पर उनकी आर्थिक व्यवस्था को ढंग से संभालने के साथ-साथ सहकारिता विभाग को भी जोर देकर उस क्षेत्र में चलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आज उनके शोषण की गुंजाइश सबसे अधिक है और आज तक हम उनको उसके जंजाल से निकाल नहीं पाए हैं। सहकारिता के क्षेत्र में जितने लेम्स कायम हैं उनका जितना काम हो रहा है उसमें घाटे के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं हो रही है। वहां सोसाइटियों में जो स्टाफ रखा है उनके वेतन की भी व्यवस्था उसमें नहीं है। इसलिए हम उनके शोषण से उनको बचा नहीं सकते।

आदिवासी इलाके में जहां पर आज जंगल है, जंगल को जहां उन्होंने अपने जीवन का सहभागी मानकर रखा है उसको अधिकांश में आज सैंक्चुअरी स्थान डिक्लेयर किया जा रहा है और जो पुश्तों से वहां के वाशिन्दे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। आदमियों को हटाकर जानवरों को ज्यादा महत्व न दिया जाये। जानवरों के बारे में भी सोचें लेकिन आदमियों की भी पूरी व्यवस्था की जाये। तभी जाकर सैंक्चुअरी की व्यवस्था करें, नहीं तो जहां जंगल हैं जिनको उन्होंने अपना घर बनाकर रखा है उससे उसको अलग कर देंगे तो उनकी हालत और भी खराब हो जायेगी और वे बेकार हो जायेंगे। जो इतने दिनों तक जंगल को संभाल कर और अपना घर समझ कर उसे बना कर रखे हैं उनको अपना वह घर छोड़ना पड़ेगा तो उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से जबसे मैंने होश सम्हाला है तबसे हरिजन आदिवासियों को ऊपर लाना है —ऐसा हर नेता बोलता है, हर पत्रकार बोलता है और हर व्यक्ति इस देश का हमेशा ऐसा बोलता आया है। मंत्रियों की तरफ से, प्रधान मंत्री की तरफ से और मुख्य मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि हमें देश की तरक्की करनी है, देश के हरिजन आदिवासियों को ऊपर उठाना है, उनके जीवन स्तर को ऊपर लाना है। तीस साल से मैं ऐसी बातें सुनता आ रहा हूं लेकिन आज उनकी हालत क्या हो रही है ? आप शहरों में जाकर स्लम्स की हालत देखिए, उनकी क्या दशा है। आप गांवों में जाकर हरिजन बस्तियों की दशा देखिए, आज भी उनकी वही हालत है, नरक से भी बदतर उनकी जिन्दगी है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी हालत आपने सुधार दी है। कुछ परसेन्टेज में आप उनको ऊपर लाये हैं, बीस करोड़ में एक दो करोड़ की हालत कुछ सुधरी हो लेकिन 18 करोड़ की हालत तो आज पहले से भी बदतर हो रही है। सरकार उनकी उन्नति के लिए इतना पैसा खर्च करती है लेकिन इतना पैसा सरकार का जाता कहां है ?

मैं मंत्री जी की खास जानकारी में लाना चाहता हूं कि हरिजन युवकों और आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना बनाई है। महात्मा फूले मगासवर्गीय महामण्डल हरिजनों और आदिवासियों को 25 परसेन्ट सीड मनी देता है जिससे कि हरिजन आदिवासी नवयुवक अपने पैरों पर खड़े हो सकें लेकिन उसके बावजूद बैंकों से उनको कर्जा सैंक्शन नहीं किया जाता है। बड़े-बड़े करोड़पतियों को ही वहां से कर्जा मिलता है। तो ऐसी हालत में ये गरीब लोग कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे ?

गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आपने कई योजनायें बनाई हैं। हम देखते हैं कि पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, जो पैसा बकरियां खरीदने के लिए दिया जाता है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। 1500 रुपए की बकरियां तो उसमें भी 500 रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है तो उस बेचारे गरीब को क्या मिलेगा। वह बोलेगा कि बकरी का यह भाव है, मैं बकरी, लेकर आया हूं तो वह कहेंगे कि यह बकरी नहीं लेनी है, दूसरा ट्रक बिक्री के लिए है उसमें से लो। तो इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो उनकी स्थिति कैसे सुधर सकती है ? आज जिन के पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है उनको मकान बनाकर देते हैं लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। कहीं 1500 या 2000 में मकान बन सकता है ? आज स्लम्स की योजनायें आपकी हैं। गरीब लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए शहरों में जाते हैं। लेकिन उन योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार है। कान्ट्रैक्टर और अधिकारी मिलकर सारा पैसा खा जाते हैं। इसलिए जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे और कारगर कदम नहीं उठायेंगे तब तक उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। आज हरिजन आदिवासियों के बच्चे वही फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूलों में जाते हैं जिससे उनमें हीन भावना पैदा होती है। आप उनको ड्रैस, यूनिफार्म बनाकर दीजिए ताकि उनमें हीन भावना न आने पाए।

एक वहां पर और योजना है बच्चों के लिए आहार की यानि उनको प्रोटीन-रिच फूड दिया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बने लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। सड़ा हुआ आटा मिलाकर बच्चों को खिलाया जाता है। तो सरकार पैसा तो देती है, उसकी योजनायें भी

अच्छी हैं, सरकार हरिजन आदिवासियों को ऊपर उठाना चाहती है परन्तु उन योजनाओं का पैसा हरिजन आदिवासियों तक पहुंचता नहीं है। यदि वह पैसा जोकि सरकारी खजाने से निकलता है वह वास्तव में हरिजन आदिवासियों के हाथों तक पहुंच जाए तो उनकी तरक्की हो जायेगी परन्तु ऐसा होता नहीं है। इसलिए मन्त्री जी इन बातों पर ध्यान दें।

जमीनों का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में जंगलों की जमीनें दी गई हैं लेकिन वह उनसे वापिस ले ली गई। यह सही बात है। जब तक आप उनको संरक्षण नहीं देंगे तब तक उनकी स्थिति सुधर नहीं पायेगी। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ घरानों का तो जीवन-स्तर सुधरा है परन्तु यदि आप पूरी कम्युनिटी को ऊपर लाना चाहते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं तो इन तमाम बातों पर आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करके कारगर कदम उठाने होंगे।

आपने जो मुझे पांच मिनट का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माताओं ने इस देश के नागरिकों के लिए सुखी जीवन की कल्पना की थी। लेकिन हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छी तरह तथा कल्पनाशील ढंग से प्रावधान किया था फिर भी दुर्भाग्यवश उनका कार्यान्वयन करते समय दिए गए सभी वचनों का संभवतः पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि जांच पड़ताल की दृष्टि से और उसके बाद पता लगाने की दृष्टि से या नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण या सुरक्षोपायों की जांच आदि के लिए आयोग का गठन शायद ठीक है, लेकिन कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। परन्तु सात वर्ष के बाद अब जनसंख्या की वृद्धि के साथ आयोग के कार्यक्षेत्र में और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार या इसके प्राधिकार में भी वृद्धि होनी चाहिए। उनके पास यह शक्ति भी होनी चाहिए कि वे नीति बना सकें या उन्हें भविष्य में नीतियों, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहयोजित किया जा सके और ऐसी अन्य बातों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए समाज में एक वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है और यह तभी किया जा सकेगा जब नीतियां परिणाममूलक और समयबद्ध हों। यदि उन्हें केवल लोगों को संतुष्ट करना है तो संसद में इतना अधिक समय बर्बाद करने और इन मुद्दों पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। इन प्रतिवेदनों को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है और तर्कसंगत कार्यवाही किए बिना या उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित किए बिना संसद में उन पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है।

मुझे आशा है कि मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह केवल प्रतिवेदन को पढ़ना या यह देखना मात्र नहीं है कि अन्य सदस्य इस पर चर्चा करें बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को उनमें सम्मिलित किया जाए तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए। मेरी राय में मूलबात यह है कि शिक्षा पीछे है।

मानव संसाधन विकास पर बल को ध्यान में रखते हुए, जब तक इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही ढंग की शिक्षा नहीं दी जाती, और वह विशेष बल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन्हें सही प्रशिक्षण देकर और उनको प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट विद्यालय खोलकर उनकी कुशलता में सुधार करके दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पर्याप्त सीटें प्रदान करके भी, बजाय इसके कि बाद में उन्हें कहा जाए कि सीटें उपलब्ध नहीं हैं आदि ।

कई एक ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि जब वे तकनीकी संस्थानों से निकलकर आयें तो उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके । जब कभी हम किसी गांव में जाते हैं तो काफी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग बेरोजगार मिलते हैं । जब हम उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछते हैं तो पाते हैं कि वे 10वीं पास हैं, स्नातक हैं और फिर भी बेरोजगार हैं । यह सत्य है कि उन्हें रोजगार इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी कुशलता में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है । यह उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की नीति में है । सरकार को तत्काल ही इन बातों को समझना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि वे खुद ही कार्य में जुट सकें और अपनी आजीविका पैदा कर सकें न कि सरकार पर या अन्य पर निर्भर रहें । इस तरीके से हम उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं ।

दूसरा पहलू यह है कि सरकार को उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए, उनमें डर दूर करना चाहिए और उनमें हीनता की भावना के डर को समाप्त करना चाहिए जो कि वह मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वे समाज में आगे नहीं आ पाते और अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं । इसके लिए उनके हितों की रक्षार्थ उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता है । जब कभी हम सुनते हैं कि उनके विरुद्ध अत्याचार किए गये हैं, तब हमें ऐसे मामले सामान्य न्यायालय पर ही नहीं छोड़ देने चाहिएं । उनके विरुद्ध किए गए अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अपराधों में एक समय सीमा के अन्तर्गत फैसला सुनाया जाए ।

इनके लिए शिक्षा न केवल मुफ्त होनी चाहिए बल्कि अनिवार्य होनी चाहिए । इसके साथ ही उन्हें बिल्कुल मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं भी दी जाएं । अब सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक राज्य या जिले आदि में एक आदर्श विद्यालय खोला जाए । मैं चाहता हूं कि परीक्षण के तौर पर उनके लिए दून स्कूल और मापो स्कूल की तरह मॉडल स्कूल खोले जाएं । तभी हम कह सकते हैं कि वे किसी ओर से, किसी भी तरह औरों से कम बुद्धिमान या योग्य नहीं हैं । इसके अलावा उन्हें आर्थिक रूप से, शिक्षा व अन्य मामलों में सहायता देनी चाहिए ।

किसी भी तरह से आरक्षण नीति उनकी पहल में रोड़ा नहीं बननी चाहिए । यह अच्छी बात है, लेकिन मेरा विचार है कि उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो आर्थिक, राजनीतिक, सरकारी या अन्य पहलुओं में एक विशेष दर्जा प्राप्त कर चुके हैं । अगर वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो भी उन्हें इन श्रेणियों में आने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए । एक दफा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद उन्हें उस श्रेणी में नहीं आना चाहिए । मेरा कहने का यह अर्थ नहीं है कि आरक्षण में कमी की जाए । इस आरक्षण को अनुसूचित जाति/जनजाति के वास्तव में गरीब और जिन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, ऐसे परिवारों को दिया जाना चाहिए ताकि कुछ और भी गरीब परिवारों को आरक्षण नीतियों की परिधि में लाया जा सके और जिससे वे भी लाभ उठा सकें ।

जहां तक भू-आवंटन, बेकार भूमि और जंगल की भूमि के आवंटन का संबंध है, यदि जंगल हैं, सड़क, जलमार्ग, रेल लाइनों आदि से सम्बद्ध भूमि है तो ये उन्हें ही दी जानी चाहिए, विशेषकर मेहनती लोगों को। वे सरकार से कुछ वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता उन तक सही ढंग से पहुंच भी पाती है या नहीं। यह कोई सशर्त सहायता नहीं है, बल्कि इससे जनसंख्या कम करने में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ उनके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि भी होगी।

जहां तक इन लोगों को पुलिस संरक्षण प्रदान किये जाने का संबंध है, उनके मामलों के लिए एक विशेष बल होना चाहिए ताकि उन्हें न्याय अविलम्ब मिल सके। कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां देरी अन्याय हुआ है। हम ऐसे कई मामले देखते हैं जिनसे देरी की वजह से अन्याय हुआ है।

उनके दिमाग में बचत की आदत डालनी होगी, ताकि समय के साथ-साथ कई परिवार अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कल उत्तर देंगे।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1985/8 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

ए० जे० प्रिंटर्स, प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002